खण्ड-332, अंक-3
मंगलवार, 5 वैशाख, शक संवत् 1900
(25 अप्रैल, 1978 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 332 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, इलाहबाद , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९७८

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 25 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	३१९–३२२
प्रश्नोत्तर	३२३–३६९
श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी के तारांकित प्रश्न संख्या ७ (नत्थी ख) के उत्तर के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	३६९–३७६
प्रश्नों के सम्बन्ध में व्यवस्था के प्रश्न	३७७–३७८
बस्ती जनपद में हो रही हाई स्कूल एवं इण्टर की परीक्षाओं में व्यापक भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना	३७९–३८०
गोरखपुर मण्डल में चेचक एवं क्षय रोग के प्रकोप के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना ..	३८०
सहकारी चीनी मिल जहांगीराबाद, बुलन्दशहर द्वारा क्षेत्र के बाहर का गन्ना पेरने से क्षेत्रीय गन्ना किसानों द्वारा प्रदर्शन तथा मिल के घेराव के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना	३८१
ग्राम ठहरनाजिवपुर जिला आजमगढ़ के ठाकुर एवं यादवों के मध्य संघर्ष की सम्भावना से ठाकुरों को बन्दी बनाये जाने के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना ..	३८१–३८२
ग्राम पूरे शीतल (हिलालगंज), जिला रायबरेली निवासी श्री छेदीलाल पुलिस दरोगा को कुछ बदमाशों द्वारा हत्या के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना ..	३८२
इलाहाबाद के कतिपय ग्रामों में पेय जल संकट के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना ..	३८२
हरदोई जनपद के आंख के अस्पताल के आर्थिक संकट के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना ..	३८२–३८३
जिला बस्ती के मेंहनिया ग्राम में दलबन्दी से मृत्युएं तथा सेकेण्ड अफसर श्री उपाध्याय द्वारा दलबन्दी में भाग लेने के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना ..	३८३–३८४
ग्राम भीमर नगरिया, जिला एटा में डकैत सुल्तान के गिरोह द्वारा अत्याचार तथा पुलिस की निष्क्रियता के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना	३८४
सदन के संज्ञान में लाये जाने वाले विषयों का उत्तर मंत्रियों द्वारा न दिये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न ..	३८४–३८६
उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (कठिनाइयों को दूर करना) (इक्कीसवां) आदेश, १९७८ (सदन के पटल पर रखा गया) ..	३८६
जनपद सीतापुर में दिनांक ३० मार्च, १९७८ को पुलिस हिरासत में बलीराम हरिजन की मृत्यु के सम्बन्ध में वक्तव्य ..	३८६–३८७

विषय	पृष्ठ-संख्या
स्वायत्त शासन मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना	३८७-३९६
कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं	३९६-३९७
१९७८-७९ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या-३ मंत्रि-परिषद्, अनुदान संख्या ५—निर्वाचन, अनुदान संख्या १८—सचिवालय, अनुदान संख्या १९—जिला प्रशासन, अनुदान संख्या २१—पुलिस, अनुदान संख्या २५—अन्य प्रशासनिक सेवाएं, अनुदान संख्या ४०—अन्य सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण सम्बन्धी योजनाएं तथा अनुदान संख्या ४५—अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं (जारी)	३९७-४४०
नियम ५१ के अन्तर्गत सूचनाएं	४४१
राम बाग सिटी स्टेशन, इलाहाबाद में रेलवे की आमदनी की लूट की घटना के सम्बन्ध में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य ..	४४२-४४६
सरकारी नौकरियों में पिछड़ी जातियों के लिए १५ प्रतिशत स्थान आरक्षित किए जाने के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत होने वाली चर्चा का स्थगन	४४६-४५०
नत्थियां	४५१-४८०

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, २५ अप्रैल, १९७८

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री बनारसी दास की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य २८६

अकबर हुसैन, श्री
अजब सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
अजब सिंह, श्री (जिला सहारनपुर)
अजीत सिंह सेठी, श्री
अठई राम, श्री
अनवार अहमद, चौधरी
अब्दुल हफीज, श्री
अब्दुल हलीम खां, श्री
अरुण कुमार, श्री
अला असगर हुसैन, श्री
अवधेश नरायन, श्री
अवधेश प्रसाद, श्री
अवनीश कुमार सिंह, श्री
अशफाक, श्री
अशोक बाजपेयी, श्री
अश्वनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश', डाक्टर
आबिद अली, श्री
आरिफ मोहम्मद खां, श्री
इन्द्रमणी बढ़ौनी, श्री
ईश्वर प्रसाद, श्री
उदय नाथ, श्री
उदय नारायण सिंह, श्री
उदित नरायन, श्री
ऊदल, श्री
एदल सिंह, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओंकार नाथ, श्री
ओम प्रकाश, श्री (उर्फ राम मिलन सिंह)
ओम प्रकाश सिंह, श्री
औसान सिंह, श्री
कन्हई सिंह, श्री
कन्हैया लाल सोनकर, श्री
कबूल सिंह, श्री
कमला प्रसाद वर्मा, श्री
करन सिंह, श्री
कल्पनाथ सिंह, श्री
काजी मुहम्मद मुहिउद्दीन, श्री
कालीचरण, श्री
किशन लाल, श्री
किशन लाल दिलेर, श्री
कुदसिया बेगम, श्रीमती (बेगम एजाज रसूल)
कृपा शंकर आर्य, श्री
कृष्ण कान्त मिश्र, श्री
कृष्ण कुमार पालीवाल, श्री
कृष्णवीर सिंह कौशल, डाक्टर
कृष्ण स्वरूप, श्री
कृष्णा राय, श्री
कैलाश नाथ सिंह, श्री
कौशल किशोर, श्री
खान गुफरान जाहिदी, श्री
खान मुहम्मद आतिफ खां, श्री
गंगा सहाय यादव, श्री
गंजी प्रसाद, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गया प्रसाद मेहरोत्रा, श्री (उर्फ मन्ने बाबू)
गिरधारी लाल, श्री
गुरु प्रसाद, श्री
गुलाब सेहरा, श्री
गेंदा लाल गुप्त, श्री
गोकरन प्रसाद, श्री
गौरी शंकर एडवोकेट, श्री
गौरी शंकर भैय्या, श्री
चन्द्र पाल, श्री
चन्द्र पाल सिंह, श्री
चन्द्र भूषण सिंह, श्री
छज्जू सिंह, श्री
छेदा सिंह चौहान, श्री

छोटे लाल 'निर्भय', श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीश प्रसाद त्रिवेदी, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री
जयराम, श्री
जयशंकर पाण्डेय, श्री
जागन सिंह, श्री
जागेश्वर, श्री
जितेन्द्र कुमार अग्रवाल, डाक्टर
जौहरी लाल त्रिवेदी, श्री
ज्ञानेन्द्र स्वरूप, श्री
झाम लाल अहेरवार, श्री
डी० पी० बोरा, श्री
तेज भान सिंह, श्री
तेज भान सिंह, कुंवर
तेज सिंह, श्री
त्रिलोक चन्द्र, श्री
त्रिवेनी सिंह, श्री
दिनेश चन्द्र रस्तोगी, श्री
दिवाकर विक्रम सिंह, श्री
दीना नाथ सेवक, श्री
दुक्खी प्रसाद, श्री
देवकी नन्दन, श्री
देवकुमार, श्री
देवबहादुर सिंह, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्र दत्त शास्त्री, श्री
धर्मगज सिंह, श्री
धर्म दत्त वैद्य, आचार्य
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला बिजनौर)
धीरेन्द्र सहाय, श्री
नंगा राम, श्री
नन्दराम, श्री
नन्हें लाल कुरील, श्री
नरेन्द्र सिंह, श्री
नरेश चन्द्र, श्री
नरेश्वर सिंह यादव, श्री
नाथू राम शिक्षक, श्री
नारायण सिंह, श्री
नारायण सिंह भंसोरा, श्री
नेमसिंह चौहान, श्री
पुरुषोत्तम दास, श्री
पूरन चन्द्र, श्री
पूरन लाल, श्री
प्रताप सिंह, श्री
प्रदीप कुमार बजाज, श्री
प्रदीप कुमार यादव, श्री
प्रभू दयाल यादव, श्री (एडवोकेट)
प्रम नारायण अहेरवार, श्री
फजलुर्रहमान अन्सारी, श्री
बच्चा पाठक, श्री
बदन सिंह, श्री
बरफिया लाल जुवांठा श्री "अरविन्द",
बलदेव, श्री
बलवीर सिंह, श्री (जिला मैनपुरी)
बसन्त, श्री
बाबू बदरे, श्री
बाबू राम प्रभाती, डाक्टर
बाबू राम वर्मा, श्री
बाबू राम शुक्ल, श्री
बाबु लाल विद्यार्थी, श्री
बाबू लाल 'सरोज', श्री
बाबू सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
बाबू सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
बाल कृष्ण, श्री
बिहारी लाल हंस, श्री
बृज बल्लभ सिंह, श्री
बृज लाल, श्री
बेचू राम, श्री
बेनी प्रसाद माधव, श्री
बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री
ब्रह्म दत्त द्विवेदी, श्री
भगवती प्रसाद सिंह, श्री
भगवान दीन कुशवाहा, श्री
भगौती सिंह, श्री
भीषम, श्री
मंगल राम प्रेमी, श्री
मधुकर दिघे, श्री
मन्जूर अहमद, श्री
मन्ना लाल, श्री
मन्नी लाल, श्री
मन्नू लाल द्विवेदी, श्री
मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ, श्री
मलिखान सिंह, श्री
महेन्द्र रिपुदमन सिंह, राजा
महेन्द्र सिंह यादव, श्री
मान सिंह आजाद, श्री
मालती शर्मा, श्रीमती
मिठाई लाल, श्री
मित्रसेन, श्री
मकन्दी सिंह, श्री

मुकीमुर्रहमान, श्री
मुख्ताए अनीस, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुनीन्द्र पाल सिंह, श्री
मुलायम सिंह यादव, श्री
मुश्ताक अहमद, श्री
मूल चन्द, ठाकुर
मैनेजर सिंह, श्री
मोती राम, श्री
मोती लाल देहलवी, श्री
मोहन लाल त्रिपाठी, श्री
मोहन सिंह, श्री (जिला देवरिया)
मोहन सिंह, श्री (जिला रायबरेली)
मोहम्मद उसमान, श्री
मोहम्मद शमीम अन्सारी, श्री
मौजी लाल कुरील, श्री
यशपाल सिंह, श्री
रघुवर दयाल वर्मा, श्री
रणवीर सिंह, श्री
रफी उल्लाह, श्री
रफीक अहमद खां, श्री
रमा शंकर कौशिक, श्री
रमेश चन्द्र, श्री
रवीन्द्र नाथ तिवारी, श्री
रवीन्द्र सिंह, श्री
राघव राम मिश्र, श्री
राज किशोर तिवारी, श्री
राज कुमार शर्मा, श्री
राज नरायन, श्री
राजपति मिश्र, श्री
राजबली तिवारी, श्री
राज वृज राज सिंह, श्री
राज मंगल पाण्डेय, श्री
राजेन्द्र चौधरी, श्री
राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री
राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, श्री
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री
राधे श्याम शर्मा, श्री
राम आसरे अग्निहोत्री, श्री
राम आसरे वर्मा, श्री
राम कृष्ण, श्री
राम गोविन, श्री
राम चरन शाह, श्री
राम जनम राय, श्री
रामदत्त जोशी, श्री
राम दुलारे, श्री
राम देव दुबे, श्री
राम देव यादव, श्री
राम नरायन वर्मा, श्री
राम नरेश पाण्डेय, श्री
राम नरेश यादव, श्री
राम प्यारे, श्री
राम प्रकाश, श्री
राम बरन वर्मा, श्री
राम रतन सिंह, श्री
रामरति देवी, श्रीमती
राम सजीवन, श्री
राम सिंह, श्री
रामेश्वर नाथ चौबे, श्री
रियासत हुसैन, श्री
रेवती रमण सिंह, श्री (उर्फ मणि जी)
रेवती शरण मौर्य, श्री
लक्ष्मण सिंह, श्री
लक्ष्मी नरायन, श्री
लाल दास, श्री
विजय राज सिंह, श्री
विद्या शंकर, श्री
विमला राकेश, श्रीमती
विश्वनाथ पाण्डेय, श्री
विष्णु प्रताप सिंह, श्री
वीरेन्द्र चतुर्वेदी, श्री
वीरेन्द्र पति यादव, श्री
शंकर सिंह, श्री
शकुन्तला नय्यर, श्रीमती
शतरुद्ध प्रकाश, श्री
शम्भूनाथ, श्री
शम्भूनाथ चौधरी, श्री
शशि प्रभा, श्रीमती
शारदा देवी, श्रीमती
शारदा प्रसाद जायसवाल, श्री
शारदा प्रसाद रावत, श्री
शिव मंगल सिंह, श्री
शिवराज सिंह निर्भय, श्री
शिव लाल मित्तल, श्री
शोबन सिंह जीना, श्री
श्याम दत्त पालीवाल, श्री
श्याम देव, श्री
श्याम धर मिश्र, श्री
श्याम नारायण तिवारी, श्री
श्याम सुन्दर गुप्त, श्री
श्रीचन्द, श्री
श्रीनारायण, श्री (उर्फ भुलई भाई)

श्रीराम द्विवेदी, श्री
संगम लाल, श्री
संग्राम सिंह, श्री
सत्यदेव त्रिपाठी, श्री
सत्य पाल सिंह यादव, श्री
सत्य प्रकाश मालवीय, श्री
सन्त बख्श रावत, श्री
सिया राम सागर, श्री,
सुखदराज सिंह, श्री
सुखपाल पाण्डेय, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दर लाल, श्री
सुन्दर लाल दीक्षित, श्री
सुमेर चन्द गोयल, श्री
सुरेन्द्र कुमार कालरा, श्री (सिन्ध)
सुरेन्द्र पाल, श्री
सुल्तान सिंह, श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री
सूर्यमुखी शर्मा, श्रीमती
सोनपाल, श्री (उर्फ सोहन लाल पिपल)
सोहन वीर सिंह तोमर, श्री
स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती
हर देव सिंह, श्री
हर प्रताप सिंह, श्री
हरिकेवल प्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र, श्री (उर्फ हरीश जी)
हरी कृष्ण श्रीवास्तव, श्री
हरी राम वर्मा, श्री
हरी राम शाक्य, श्री
हरी सिंह, श्री
हाकिम लाल, श्री
हामिद रजा खां, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हुकम चन्द तिवारी, श्री
हुकम सिंह परिहार, श्री
हेम राज, श्री

प्रति देखा गया

प्रश्नोत्तर

मंगलवार, २५ अप्रैल, १९७८

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

सिंचाई सचिव का रिक्त पद

*१—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)—

क्या मुख्य मंत्री कृपया यह बतलायेंगे कि सिंचाई सचिव का पद पिछले एक साल से रिक्त है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री लक्ष्मण सिंह (नियोजन राज्य मंत्री)—

जी नहीं । सिंचाई विभाग में विशेष सचिव कार्यरत हैं जिनके पास उस विभाग का स्वतंत्र प्रभार है ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

हमारे प्रश्न का उत्तर श्रीमन्, बिलकुल विपरीत है, हमारा पहले से प्रश्न यह है कि सचिव का कोई पद रिक्त है और अगर रिक्त है, तो उस पर नियुक्ति क्यों नहीं हुई ? मंत्री जी का उत्तर है कि स्पेशल सचिव कार्य कर रहे हैं । तो मैं जानना चाहता हूं कि सचिव पद पर नियुक्ति क्यों नहीं हुई, जो इतने दिनों से पद रिक्त है ?

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न का उत्तर साफ और निश्चयात्मक हो, तो अनुपूरक प्रश्न पूछने की आवश्यकता न हो, उनका प्रश्न बिलकुल साफ है ।

श्री लक्ष्मण सिंह—

श्रीमन्, इसमें 'जी नहीं' है, 'जी हां', कह दिया है, इसको ठीक कर लिया जाए ।

श्री अध्यक्ष—

जो अनुपूरक पूछा है, उसका आप उत्तर दीजिए ।

श्री लक्ष्मण सिंह—

इसमें ऐसा है, उत्तर प्रदेश कार्य नियमावली, नियम १० की परिभाषा में विशेष सचिव भी शामिल हैं और सिंचाई सचिव ७३ तक आई० ए० एस० अधिकारी रहे थे, उसके बाद इंजीनियर को बनाया गया, फिर सी० ई० को बनाया गया और अग्रवाल साहब के रिटायर होने के बाद एडिशनल सी० ई० को बनाया गया । विभाग में कोई सीनियर अधिकारी नहीं थे, इसलिए विशेष सचिव कार्य कर रहे हैं, इसमें कोई विशेष अनियमितता नहीं है ।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)—

आपने व्यवस्था दी कि प्रश्नों का उत्तर स्पष्ट आना चाहिए, किन्तु आपकी नोटिस के बाद भी मंत्री जी वही दोहरा रहे हैं कि क्या स्थिति है । इनसे आप यह उत्तर दिलवायें कि यह पद यदि रिक्त है, तो क्यों रिक्त है ?

श्री अध्यक्ष--

इनका आप उत्तर दें । आपने कहा विशेष सचिव है, तो विशेष सचिव भी है, सचिव भी है, उप सचिव और अनुसचिव भी हैं, तो क्या इस विभाग में कोई व्यक्ति सचिव होने के योग्य नहीं है या फिर क्यों इसी पद को खाली रखा है ?

श्री लक्ष्मण सिंह--

ऐसी बात नहीं है कि कोई सचिव बनने के योग्य नहीं है । ऐसे कई विभाग हैं, जिनमें विशेष सचिव स्वतन्त्र रूप से कार्य कर रहे हैं, यह शासन की नीति है कितने लोग उपलब्ध हैं, किसको कहां रखना चाहिए, यों यह बहुत लम्बा हो जाएगा और मैं समझता हूं कि सदन इस तफसील में जाना भी नहीं चाहता ।

श्री मुकीमुर्रहमान (जिला मुरादाबाद)--

माननीय मंत्री जी ने कहा कि यहां पर ऐसे काबिल लोग हैं कि जिन्हें सचिव बनाया जा सकता है, लेकिन बनाया नहीं जा रहा है, तो मैं यह जानना चाहता हूं कि सचिव न होने के कारण जो सेलेक्शन बोर्ड रुके पड़े हैं, उसका क्या होगा ?

श्री लक्ष्मण सिंह--

सचिव न होने की वजह से कोई सेलेक्शन नहीं रुका हुआ है ।

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)--

क्या यह सही है कि जो विशेष सचिव हैं, वह विशेष अभियन्ता हैं और यह सरकार इंजीनियरों को साधारणतया सचिव नहीं बनाना चाहती है, इसलिए विशेष सचिव की नियुक्ति की गई है ?

श्री लक्ष्मण सिंह--

मैंने निवेदन किया था कि और विभागों को छोड़ दीजिये इसी विभाग में १९७३ तक आई० ए० एस० अधिकारी सचिव रहे, १९७३-१९७७ तक इंजीनियरिंग सेवा के वरिष्ठ अधिकारी पूर्ण रूप से सचिव रहे । इस समय यह विशेष सचिव नियुक्त किये गये हैं, वह सहायक मुख्य अभियन्ता थे, बहुत सीनियर आदमी उपलब्ध नहीं था । इसलिए इनको सचिव एकदम नहीं किया जा सकता था, ग्रेडेशन, सीनियारिटी के हिसाब से विशेष सचिव बना कर रखा गया, वह सारा काम कर रहे हैं ।

श्री मुकीमुर्रहमान--

क्या माननीय मंत्री बताएंगे कि कोई भी प्रदेश के अन्दर दूसरा सीनियर चीफ इंजीनियर अवेलेबिल है, उसको सचिव बनाने की कृपा करेंगे ?

श्री लक्ष्मण सिंह--

उनसे सीनियर मुख्य अभियन्ता हैं । यह शासन के विचार की बात रही, उनको वहां रखना आवश्यक समझा गया और ऐडीशनल चीफ इंजीनियर को विशेष सचिव बनाया गया ।

श्री मैनेजर सिंह--

क्या माननीय मंत्री बताएंगे कि क्या यह शासन के हित में है कि चीफ इंजीनियर, वरिष्ठ इंजीनियर हैं और उनके जूनियर को यहां पर विशेष सचिव बना कर शासन में बैठा दिया जाय, क्या इस नीति को कार्यान्वित करना चाहते हैं या इस पर तकनीकी वरिष्ठ व्यक्ति या आई० ए० एस० को बनाना चाहते हैं ?

श्री अध्यक्ष--

यह तो तर्क की बात रही । यह प्रश्न करना चाहिए कि जो वरिष्ठतम अधिकारी है, उसको सचिव क्यों नहीं बनाया गया ? इस प्रश्न का उत्तर दीजिये जो संशोधित किया है, सिंचाई विभाग के वरिष्ठतम अधिकारी को सचिव क्यों नहीं बनाया गया ?

श्री लक्ष्मण सिंह--

श्रीमन्, मैंने निवेदन किया इंजीनियरिंग विभाग के चीफ इंजीनियर या इंजीनियरिंग चीफ को पहले सचिव रखा गया । इस समय चीफ इंजीनियर को विभाग के हित, में प्रशासन के हित में सचिव नहीं बनाया गया । उनके सहयोगी को विशेष सचिव बना कर फिलहाल काम चलाया जा रहा है । यह कोई परमानेंट अरेंजमेन्ट नहीं है ।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)--

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या शासन के यह प्रश्न विचाराधीन है कि आई० ए० एस० सचिव होगा या इंजीनियरिंग विभाग का होगा ? यदि विचाराधीन है, तो कब तक निर्णय हो जायगा और उसके आधार पर नियुक्ति हो जायगी ?

श्री लक्ष्मण सिंह--

श्रीमन्, विभाग के आदमी को सचिव बनाने में कोई आपत्ति संकोच नहीं है । इंजीनियरिंग ब्रांच के आदमी को सचिव बनाया जा सकता है, पहले आई० ए० एस० अधिकारी रहे हैं, उनको भी बनाया जा सकता है । इस समय ऐसी कोई बात विचाराधीन नहीं है कि आई० ए० एस० को बनाया जाय या इंजीनियर को बनाया जाय । अभी केवल यही है कि विशेष सचिव हैं और ठीक काम कर रहे हैं ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

क्या माननीय मंत्री बताएंगे कि १९७३ तक आई० ए० एस० आफिसर सचिव रहे, उसके बाद चीफ इंजीनियर या इंजीनियरिंग चीफ रहे, जो व्यक्ति विशेष सचिव के पद पर काम कर रहा है वह चीफ इंजीनियर से जूनियर है, सीनियर आफिसर रेकमेन्ड करता है, और जूनियर आफिसर आर्डर करता है, यह एनामली है, मुख्य अभियन्ता रेकमेन्ड करता है और उनसे जूनियर आर्डर करता है, जिस प्रकार से एक लेखपाल कानूनगो नहीं होना चाहता, कानूनगो नायब तहसीलदार नहीं होना चाहता, ठीक उसी प्रकार मुख्य अभियन्ता सचिव नहीं होना चाहता है, अपने जूनियर को विशेष सचिव बना दिया, इस एनामली को दूर करने के लिए माननीय मंत्री माननीय सदन को स्पष्ट आश्वासन देंगे कि सचिव का पद जैसी परम्परा रही है मुख्य अभियन्ता से भरवा लेते हैं, भरवाएंगे ?

श्री लक्ष्मण सिंह--

इस पर विचार किया जायगा ।

पुलिस अधीक्षक, उन्नाव, श्री अवध नारायन सिंह का स्थानान्तरण

**२--श्री जगदीश प्रसाद त्रिवेदी (जिला उन्नाव), श्री शतरुद्र प्रकाश (जिला वाराणसी), श्री अशोक बाजपेयी (जिला हरदोई), श्री आरिफ मोहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर), श्री राम आधार (जिला आजमगढ़) तथा श्री मौजी लाल कुरील (जिला कानपुर)--

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उन्नाव जिले के पुलिस अधीक्षक का स्थानान्तरण अप्रैल, १९७८ के दूसरे सप्ताह में किया गया था और उन्होंने अपना पदभार भी दे दिया था, परन्तु पुनः उनका स्थानान्तरण रोक दिया गया है ? यदि हां, तो क्या मुख्य मंत्री यह बतायेंगे कि स्थानान्तरण रोके जाने का कारण क्या है तथा अब तक उनका कितनी बार स्थानान्तरण हुआ और कितनी बार रोका गया ?

श्री लक्ष्मण सिंह--

श्री अवध नारायन सिंह, पुलिस अधीक्षक, उन्नाव का स्थानान्तरण आदेश दिनांक ११ अप्रैल, १९७८ को जारी किया गया था । प्रशासनिक कारणों से पुनः विचार करने के लिये इसे स्थगित करना पड़ा । अब श्री अवध नारायन सिंह के बुलन्दशहर स्थानान्तरण के आदेश दे दिये गये हैं ।

श्री जगदीश प्रसाद त्रिवेदी--

माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है, वह पूरा उत्तर नहीं है । मैं यह जानना चाहता हूं कि कितनी बार उनका स्थानान्तरण हुआ और कितनी बार रोका गया ? उन्नाव से कितनी बार हुआ और कितनी बार रोका गया ?

श्री लक्ष्मण सिंह--

११-४-१९७८ को उनका उन्नाव से ट्रान्सफर आदेश किए गये थे, हरदोई के लिए और १३-४-७८ को प्रशासनिक कारणों से स्थानान्तरण स्टे कर दिया गया था और फिर १५-४-७८ को उनका पुनः उन्नाव को कर दिया गया । अब २२-४-१९७८ को बुलन्दशहर को आदेश ट्रान्सफर के लिए किए गये हैं । यह एक डेढ़ या दो बार कहा जा सकता है ।

श्री जगदीश प्रसाद त्रिवेदी--

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या इसके पूर्व भी इनका स्थानान्तरण किया गया था ?

श्री लक्ष्मण सिंह--

३-७-७७ को और ११-४-७८ को ट्रान्सफर आर्डर हो गये थे ।

श्री शतरुद्र प्रकाश--

माननीय मंत्री जी से मैं यह जानना चाहूंगा कि श्री अवध नारायन सिंह के बारे में हरदोई के संसद सदस्य ने माननीय मुख्य मंत्री जी के पास कोई शिकायती-पत्र दिया था और अगर दिया था, तो वह क्या था ?

श्री अध्यक्ष--

यह तो इससे पैदा नहीं होता । प्रश्न है यह कि उन्नाव से कितनी बार ट्रान्सफर किया गया, उनकी शिकायत के लिए माननीय मंत्री जी निश्चित रूप से कह देगें कि सूचना की आवश्यकता है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)--

मैं माननीय मंत्री जी से इसी सन्दर्भ में जानना चाहता हूं कि एस० पी० का ट्रान्सफर आर्डर, जो २२ तारीख को हुआ है उसका परिपालन हो गया है या फिर रोक दिया गया है ?

श्री लक्ष्मण सिंह--

रोका नहीं गया है । आज २५ तारीख है ।

श्री अध्यक्ष--

उसका पालन हुआ है या नहीं ?

श्री लक्ष्मण सिंह--

हो जायेगा ।

एक सदस्य--

कप्तान साहब के खिलाफ तमाम बातें कहीं जाती हैं....

श्री अध्यक्ष--

इसकी इजाजत मैं नहीं दे रहा हूं । माननीय मंत्री जी क्या एस० पी० ने चार्ज छोड़ा कि नहीं ?

श्री लक्ष्मण सिंह--

इसकी सूचना नहीं है । ट्रान्सफर पर एक सप्ताह का समय मिलता है ।

श्री अशोक बाजपेयी--

उनका स्थानान्तरण हरदोई के लिए किया गया था किस कारण से उनका स्थानान्तरण रोका गया ?

श्री लक्ष्मण सिंह--

प्रशासनिक कारणों से रोका गया ।

श्री शतरूद्व प्रकाश--

मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि उन्नाव से इनका स्थानान्तरण किसी शिकायत पर किया गया था अथवा साधारण तौर पर किया गया ?

श्री लक्ष्मण सिंह--

साधारण रूप से ही जानकारी है और शिकायत की कोई सूचना नहीं है ।

प्रतापगढ़ जिले में आटो ट्रैक्टर्स, लिमिटेड द्वारा फैक्ट्री का निर्माण

**३--श्री संगम लाल (जिला प्रतापगढ़)--

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रतापगढ़ जनपद में आटो ट्रैक्टर्स लि० जो कुछ वर्ष पूर्व खोला जाने वाला था उसमें अब तक क्या-क्या कार्य हुआ है ? क्या यह सही है कि उक्त उद्योग को अब समाप्त करने का सरकार विचार कर रही है ? अगर हां, तो क्यों ?

उद्योग मंत्री (श्री राम प्रकाश)--

प्रतापगढ़ जनपद में आटो ट्रैक्टर्स लि० द्वारा ट्रक्टर फैक्टरी की स्थापना हेतु भूमि अर्जन, भूमि का समतलीयकरण एवं पानी निकासी की व्यवस्था, चहार दिवारी का निर्माण, जल आपूर्ति व्यवस्था, भूमि अधिग्रहण से प्रभावित हरिजन परिवारों के लिए आवास का निर्माण तथा फील्ड होस्टल के निर्माण आदि का कार्य अब तक किया गया है । यह सही नहीं है कि उक्त उद्योग को समाप्त करने का सरकार विचार कर रही है ।

श्री संगम लाल--

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस उद्योग की अनुमानित लागत कितने रुपये है और अब तक इस पर कितना खर्च हो चुका है और इस वर्ष कितना रुपया स्वीकृत हुआ है, यदि नहीं तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश--

मान्यवर, इस योजना पर अनुमानित १३ करोड़ रुपये की लागत होगी और इसमें से अभी तक लगभग ५३ लाख रु० खर्चा हो चुका है । इस वर्ष जो धनराशि खर्च करने के लिए रखी गयी थी उस सम्बन्ध में योजना आयोग की अनुमति न मिलने के कारण कुछ बाधा आ गयी थी । इस वर्ष इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए ११ जुलाई, १९७७ को पब्लिक इन्वेस्टमेन्ट बोर्ड, उत्तर प्रदेश ने अपनी अनुमति प्रदान कर दी थी । २२ अगस्त, १९७७ को भारत सरकार के फौरम इन्वेस्टमेंट बोर्ड ने भी अपनी अनुमति प्रदान कर दी थी और ९ सितम्बर १९७७ को भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय ने अपनी अनुमति प्रदान कर दी थी । और ७ दिसम्बर, १९७७ को भारत सरकार के कृषि मंत्री ने भी अपनी अनुमति प्रदान कर दी थी । यह सब होने के उपरान्त नियोजन विभाग के सम्बन्ध में भारत सरकार ने एक संकेत दिया कि कृषि क्षेत्र में श्रम सेवाओं को ध्यान में रखते हुये ट्रैक्टर्स के बारे में सावधानी से नीति बनायी जाय और यह भी इंगित किया जाय कि फार्म मैकेनाजेशन को इस सावधानी से नियंत्रित किया जाये कि उसमें अधिक से अधिक श्रम की खपत हो सके जो उत्पदन की बढोत्तरी के अनुकूल हो और ट्रैक्टराइजेशन उसी हद तक सीमित रखा जाये जहां कठिन 'टेरेन' अथवा क्षेत्र का रिक्लेमेशन करना हो या जहां श्रम की कमी हो । छोटे टिलर्स और पंपिंग सेट को प्रोत्साहित किए जाने का भी संकेत किया गया है । योजना आयोग ने इसको अभी तक औपचारिक अनुमोदन नहीं जारी किया है । इस सम्बन्ध में योजना आयोग के सदस्य श्री राज अध्यक्ष से मेरी बातचीत भी हुयी और उत्तर प्रदेश शासन ने यह स्पष्ट रखा था कि यह योजना बहुत आवश्यक है क्योंकि जिस क्वालिटी के ट्रैक्टर्स आटो ट्रैक्टर्स लि० से बनेंगे वे देश में बने ट्रैक्टरों में सबसे अच्छी क्वालिटी के बने होंगे क्योंकि वे छोटी हार्स पावर के होंगे और किसानों के लिए बड़े उपयोगी होंगे और

जहां पर इन ट्रैक्टर्स का यूज होता है वहां पर श्रम की भी कमी है । इसलिए योजना आयोग से प्रार्थना की गयी है कि वे सहमति प्रदान करें लेकिन अभी तक वह नहीं हुयी है ।

श्री संगम लाल--

क्या यह उद्योग फर्म ले लैंड द्वारा लगने वाला था और उससे समझौता समाप्त प्रायः है, तो क्या इस योजना पर विचार करते हुये ही समझौता समाप्त हो जायेगा और फिर एक नयी समस्या खड़ी हो जायेगी ?

श्री राम प्रकाश--

मान्यवर, यह योजना ब्रिटिश की ले लैंड के सहयोग से चलायी जा रही थी और उसमें उन्होंने जल्दी करने का बार-बार अनुरोध किया है कि हम लोग अपने अनुबन्ध को जल्दी कर लें लेकिन ऐसा कोई संकेत नहीं है कि वह समाप्त हो जायगा और शीघ्रता की जा रही है । इसीलिए भारत सरकार से अनुरोध किया जा रहा है कि वे क्लियरेन्स दे दें ।

श्री श्यामधर मिश्र--

मान्यवर, मंत्री जी ने बताया कि लगभग ७३ लाख रुपया इसमें व्यय हो चुका है और यह भी बताया कि योजना की पूर्ण रूप से स्वीकृति योजना विभाग या और किसी विभाग की स्वीकृति बाकी है । अगर यह योजना अस्वीकृत हुई, तो यह ५३ लाख रुपया कहां से आयेगा ? जब पहले यह योजना आरम्भ हो रही थी, तो उस समय अर्थात् ५-६ वर्ष पूर्व कार्य की लागत केवल ५ करोड़ रुपया थी जो अब १३ करोड़ रुपये हो गयी है और सालाना क्षमता इसकी कितनी होगी ?

श्री राम प्रकाश--

श्रीमन्, पहले यह योजना जो प्रारम्भ की गयी थी तो आटोमोबाइल प्रोडक्ट आफ इंडिया कम्पनी के द्वारा प्रारम्भ की गयी थी, लेकिन प्रदेश शासन ने इसको १९७६ में अपने अधिकार में लिया है । उस समय से इसकी लागत का अनुमान १३ करोड़ रुपया है । जो खर्चा ५३ लाख का हुआ है, उसमें अधिकांश खर्चा जमीन के अक्वायर करने में, चहार-दीवारी उठाने में, क्वार्टर्स बनाने में जिनका उपयोग और किसी काम में भी लिया जा सकता है, कुछ खर्चा वेतन में हुआ है, वह अवश्य हो गया । इसलिए अगर यह योजना अस्वीकार कर दी जाती है, तो उस पर शासन को विचार करना पड़ेगा कि किस प्रकार से उसका ऐडजस्ट किया जाय । लेकिन जैसा मैंने कहा कि सभी स्थानों से इसका अप्रूवल हो चुका है । उद्योग मंत्रालय और कृषि मंत्रालय ने अप्रूव कर दिया है । यह तो शासन की नयी नीति में अवरोध उत्पन्न हो गया है हमें विश्वास करना चाहिए कि वह अवरोध दूर हो जायगा और इस योजना को हम कार्यान्वित कर सकेंगे ।

जहां तक इसकी क्षमता का प्रश्न है, वह तो करीब-करीब २८ हार्स पावर के १२ हजार ट्रैक्टर्स बनाने की और २ हजार खुदरा डीजल इंजन बनाने की क्षमता है ।

श्री अठई राम (जिला इलाहाबाद)--

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उस ट्रैक्टर के कारखाने के लिए कितनी जमीन ली गयी है और उन किसानों को मुआवजा दिया गया है या नहीं ?

श्री राम प्रकाश--

श्रीमन्, इसमें लगभग ११३ एकड़ भूमि अधिकृत की गयी है, परन्तु मेरे पास वह सूचना नहीं है कि इसका मुआवजा दिया गया है या नहीं ।

श्री विद्या शंकर (जिला प्रतापगढ़)--

जो भूमि अधिग्रहण की गयी, तो हरिजनों को वहां से निर्वासित किया गया, उनको बसाने के लिए कोई पुनः मकान वगैरह बनवाये जा रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष--

पुनर्वास के लिए पूरा उत्तर दे दिया है ।

मुन्सिफ मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति सम्बन्धी निर्णय एवं लोक सेवा आयोग की परीक्षा

**४--श्री शतरुद्ध प्रकाश, श्री रवीन्द्र सिंह (जिला गोरखपुर), श्री शिवानन्द नौटियाल (जिला गढ़वाल) तथा श्री श्याम नारायण तिवारी (जिला गोरखपुर)--

क्या यह सही है कि प्रदेश के न्यायालयों में अनिर्णित मुकदमों की संख्या को ध्यान में रखते हुए शासन ने लगभग ४०० मुन्सिफ मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति करने का अभी हाल में निर्णय लिया है ? यदि हां, तो १९७७ में लोक सेवा आयोग द्वारा ली गयी अन्तिम परीक्षा के अभ्यर्थियों को जिन्हें साक्षात्कार हेतु बुलाया गया था और जिनका प्रतिशत ५७ या थोड़ा नीचा था, को नियुक्त करने के प्रश्न पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लक्ष्मण सिंह--

जी नहीं ।

शेष प्रश्न नहीं उठते ।

श्री शतरुद्ध प्रकाश--

क्या माननीय मंत्री जी प्रदेश में न्यायालय में अधिकारियों की तादाद मे जो मुकदमे लंबित हैं उनकी संख्या को देखते हुए कि प्रदेश की जनता को न्याय मिले, इसको ध्यान में रखते हुए कि मुकदमों का निस्तारण हो जाय, अतिरिक्त मुंसिफ मैजिस्ट्रेटों की नियुक्ति पर विचार करेंगे ?

श्री लक्ष्मण सिंह--

श्रीमन्, १९७७ में हुई परीक्षा के तहत डेढ़ सौ मुंसिफों की नियुक्ति की गयी है और डेढ़ सौ मुंसिफ और अब १९७८ की परीक्षा में चुने जा रहे हैं ।

श्री रवीन्द्र सिंह--

चूंकि केसेज अभी पेंडिंग हैं और नयी परीक्षा के लिए समय नहीं है, तो क्या १९७७ की परीक्षा में जिनको अंक ५० प्रतिशत से अधिक मिले हैं

और जो पिछले सिलेक्शन में नहीं लिये जा सके उनमें से मंत्री जी नियुक्ति करने का कष्ट करेंगे ?

श्री लक्ष्मण सिंह—

१९७८ की लिखित परीक्षा हो चुकी है और साक्षात्कार होकर जल्दी ही डेढ़ सौ मुंसिफों की सूची और तैयार हो जायगी नियुक्ति के लिए ।

श्री कमला प्रसाद वर्मा (जिला बहराइच)—

जब चीफ जस्टिस यहां पधारे थे, तो जिला जज, लखनऊ ने उनको बताया था कि न्यायालयों में लगभग ७ हजार से अधिक केसेज पेंडिंग हैं, तो इसको ध्यान में रखते हुये क्या पूर्व वर्षों की भांति इस वर्ष अतिरिक्त मुंसिफ मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति पर शासन ने कोई विचार किया है, यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लक्ष्मण सिंह—

ऐसी कोई मांग किये जाने की सूचना सरकार के पास नहीं है । वैसे १५० और १५० मिलकर ३०० तो नियुक्त होने जा रहे हैं । सन् ७७ की परीक्षा में जिनके नम्बर नीचे थे उनको रखने में कठिनाई यह है कि उससे स्टैन्डर्ड गिरता है ।

श्री श्याम सुन्दर गुप्त (जिला जालौन)—

मुंसिफ न्यायालयों में अनिर्णित मुकदमों की संख्या को देखते हुये क्या सरकार इस बात पर विचार करेगी कि आई० पी० सी० के केसेज एस० डी० एम० के यहां ट्रांसफर कर दिये जायें ? जालौन जनपद में जिलाधिकारी महोदय ने ऐसा ही किया है, क्या इसकी जानकारी सरकार को है ?

श्री अध्यक्ष—

आप पहले ही भाग का उत्तर दें ।

श्री श्याम सुन्दर गुप्त—

इसी का दिलवा दें ।

श्री लक्ष्मण सिंह—

ऐसा कोई विचार नहीं है ।

श्री राम आसरे वर्मा (जिला हरदोई)—

गत वर्षों में भी मुंसिफ मैजिस्ट्रेटों की परीक्षायें हुई हैं और उनमें विज्ञापित स्थानों के अतिरिक्त भी ५०-५० अतिरिक्त अभ्यर्थी लिये जाते रहे हैं । इस १९७७ की परीक्षा में जो अभ्यर्थी नहीं लिये गये हैं, उनका प्रतिशत अंकों का पहले वालों से कहीं ज्यादा है । इसको देखते हुये क्या सरकार पूर्व की भांति इस परीक्षा के आधार पर अतिरिक्त अभ्यर्थियों को लेने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

श्री लक्ष्मण सिंह—

मान्यवर, पहले ८५ आदमी लिये गये, फिर ७२ की परीक्षा में १५० लिये गये, सन् ७५ की परीक्षा जो सन् ७७ में हुई उसमें १५० लिये गये ।

पहले वालों का प्रतिशत अंकों का कम था । मगर इससे यह निर्णय नहीं लिया जा सकता कि इसी आधार पर इनको ले लिया जाये । हर साल का प्रतिशत अलग-अलग होता है । ऐसे लोगों को ले लेने से स्टन्डर्ड में गिरावट आती है, इसलिए यह सम्भव नहीं है ।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम २९(४) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न ।]

देवरिया जिले के थाना नेबुआ नौरंगिया के ग्राम परसौनी में डकैती

*१--श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया) (अनुपस्थित)--

क्या मुख्य मन्त्री को जानकारी है कि देवरिया जनपद के नेबुआ थाने के अन्तर्गत ग्राम चती भुसहरी, कोठिलवा, बबूइया, परसौनी, अरनहवां, हिरनहीं आदि गांवों में वर्ष १९७७ तथा १९७८ में पड़ी अनेक भीषण डकती के कारण ग्रामीण जनता में भगदड़ मच गयी है तथा कई गांव उजड़ गए हैं ? यदि हां, तो तत्काल कानून एवं व्यवस्था को सामान्य बनाने के लिए प्रभावी कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मन्त्री (श्री रामनरेश यादव)--

प्राप्त सूचना के अनुसार थाना नेबुआ नौरंगिया में प्रश्नगत ग्रामों में १९७७ में किसी भी डकैती की घटना का अंकित होना नहीं पाया गया है । हां, दिनांक २८-२-७८ को ग्राम परसौनी में डकैती की एक घटना अवश्य घटित हुई थी जिसके सम्बन्ध में थाना नेबुआ नौरंगिया में दिनांक १-३-७८ को अपराध संख्या १४/७८ धारा ३९६ भा० दं० वि० अंकित है । यह कहना सत्य नहीं है कि ग्रामीण जनता में भगदड़ मच गयी है तथा कई गांव उजड़ रहे हैं । फिर भी पुलिस को सतर्क कर दिया गया है तथा रात्रि गश्त की व्यवस्था कर दी गयी है ।

बलिया जिले के ग्राम कोड़रहा नौवशर का नाम जय प्रकाश नगर किये जाने की मांग

*२--श्री मैनेजर सिंह--

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि पूज्य लोक नायक जयप्रकाश नारायण जी की जन्म भूमि के मौजे कोड़रहा नौवशर, जिला बलिया का नाम जय प्रकाश नगर परिवर्तित करने की मांग सम्बन्धित गांव सभा द्वारा सन् १९६१-६२ में की गयी थी ? जिसके उत्तर में शासन ने गांव सभा को सूचित किया था कि सन् १९६२ के युद्ध के कारण केन्द्रीय शासन की नीति तत्समय नाम न परिवर्तित करने की थी । यदि हां, तो क्या अब सरकार नाम परिवर्तित करने की कृपा करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लक्ष्मण सिंह--

माननीय सदस्य द्वारा पूछे गये विषय से सम्बन्धित कोई पत्रावली इस समय राज्य सरकार के सचिवालय तथा जिलाधिकारी, बलिया के कार्यालय में उपलब्ध नहीं है । प्राप्त सूचना के अनुसार ग्राम सभा ने प्रस्ताव अवश्य पारित किया था ।

यदि इस समय ग्राम सभा से प्रस्ताव प्राप्त होता है, तो उस पर नियमानुसार विचार किया जा सकता है ।

श्री मैनेजर सिंह--

श्रीमन्, सचिवालय और जिला मुख्यालय की फाइल गायब होने के बावजूद कोड़रहा गांव सभा की फाइल में आप के अधिकारियों ने प्रस्ताव और जो पत्रावली में लिखा पढ़ी हुई थी उसको देखा है, तो इस बात को देखते हुये जो प्रस्ताव पास हुआ है और उन्होंने शासन को लिखा, तो उसमें अगली कार्यवाही करने की कृपा करेंगे ?

श्री लक्ष्मण सिंह--

मान्यवर, मैंने निवेदन किया है कि सन् ६२ का प्रस्ताव था । अब नये सिरे से प्रस्ताव आ जाय, तो उस पर विचार किया जायगा और कार्यवाही की जायगी ।

श्री अध्यक्ष--

आपका प्रश्न यह था कि जब आपके पास इस तरह का मूल प्रस्ताव है, तो क्या उस पर विचार करने के लिये तैयार हैं या नहीं ?

श्री लक्ष्मण सिंह--

श्रीमन्, उस पर विचार कराये देते हैं ।

पुलिस विभाग के सब-इन्सपेक्टर से इन्सपेक्टर पद हेतु प्रोन्नति की सूची एवं पिछड़ी जाति के अभ्यर्थी

*३--श्री राम आसरे वर्मा तथा श्री पूरन लाल (जिला हरदोई)--

क्या मुख्य मन्त्री बतायेंगे कि ३१ मार्च, १९७८ को उ० प्र० पुलिस विभाग में सब-इन्सपेक्टर से इन्सपेक्टर पद के लिए प्रोन्नति सूची में २०६ प्रदेश के पुलिस सब-इन्सपेक्टर्स के नाम आए हैं ? यदि हां, तो इन २०६ अधिकारियों में कितने अधिकारी पिछड़ी जाति (उपजाति सहित) से व कितने अन्य जातियों से सम्बन्धित हैं ? तथा क्या गृह मन्त्री यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तर प्रदेश पुलिस में कितने इन्सपेक्टर एवं सब इन्सपेक्टर (अलग-अलग) ऐसे हैं जो लगातार १० वर्षों से सी० आई० डी० में ही तैनात रहे हैं और आज भी हैं, कितने ५ साल से सी० आई० डी० में ही सेवारत हैं तथा कितने ऐसे हैं जो आज तक सी० आई० डी० में भेजे ही नहीं गए हैं, जिनकी सेवाएं ५ वर्ष से लेकर १५ वर्ष तक की हैं ?

श्री लक्ष्मण सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, यह प्रश्न अल्पसूचित तारांकित प्रश्न के रूप में मंजूर किया गया है और मंजूरी की सूचना भी अल्पसूचित तारांकित प्रश्न के रूप में दी गयी है लेकिन इसको तारांकित प्रश्न में बदल दिया गया । ४-४-७८ का प्रश्न है । अभी तक शासन इसकी सूचना एकत्र करने में असफल रहा है । जबकि दूसरी

और नियुक्तियां की जा रहीं हैं। २०-२२ दिन हो गये हैं और सूचना एकत्रित नहीं हो पायी, तो म जानना चाहता हूं कि सूचना एकत्रित होने में कितना समय लगेगा ?

श्री लक्ष्मण सिंह—

आपने पिछड़ी जाति तथा उप जाति और अन्य जातियों के इन्सपेक्टर्स के बारे में विस्तार से पूछा है। पूरे सूबे से हर जिले से सूचना मंगाने में समय लगन की सम्भावना है। इसमें कम से कम डेढ़ या दो महीने और लगेंगे।

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, मन्त्री जी ने कहा कि अभी डेढ़, दो महीने लगेंगे। इसकी सूचना एकत्र करने में इतना समय लगेगा यह कहने का मतलब यह है कि शासन इस सवाल को टालना चाहता है। इस सिलसिले में मैं यह चाहूंगा कि जब तक सूचना शासन सदन में न दे दें तब तक के लिये जो नियुक्तियां की जा रहीं हैं, उनको रोक दिया जाय, क्या इस पर विचार करने का कष्ट करेंगे ?

श्री अध्यक्ष--

पहला प्रश्न आपका आक्षेप है कि शासन टालने का प्रयास कर रहा है। इसलिये इसको अनुमति नहीं है। माननीय मंत्री जी जब तक अंतिम सूचना नहीं मिलती, तो क्या यह प्रोन्नतियां बंद करने पर विचार करेंगे, यह माननीय सदस्य का प्रश्न है ?

श्री लक्ष्मण सिंह--

श्रीमन्, माननीय सदस्य ने कोई आरोप नहीं लगाया, उनके पास जानकारी नहीं है कि नियुक्तियों में अनियमितता बरती जा रही है, तो ऐसी सूरत में शासन का काम रोकने में कोई औचित्य नहीं जान पड़ता है।

श्री राम आसरे वर्मा--

मैं जानना चाहता हूं कि इस सदन के चलते ही क्या इस प्रश्न का उत्तर देने का कष्ट करेंगे ?

श्री अध्यक्ष--

नियम के अनुसार १४ दिन में वैसे ही उत्तर देना है।

श्री नेम सिंह चौहान (जिला अलीगढ़)—

इस प्रश्न का जो दूसरा अंश है कि १० वर्षों में सी० आई० डी० में रहे या इधर से उधर गये, तो पिछले शासन की क्या किसी जाति विशेष के लोगों को इधर या उधर रखने की नीति थी ?

श्री लक्ष्मण सिंह--

मान्यवर, यह सब सूचना एकत्र की जा रही है, इसमें समय लगेगा।

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, इस सवाल का जवाब हमें कब तक मिलेगा ?

श्री अध्यक्ष--

१४ दिन के अंदर उन्हें पुनः देना है ।

गोरखपुर के ग्राम गोड़सरी में नसबन्दी के समय पुलिस की गोली से श्री मिट्ठू की मृत्यु

*४--श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)--

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम गोड़सरी, थाना गोला बाजार, जिला गोरखपुर में नसबन्दी चलते पुलिस की गोली से आपात काल के दौरान मिट्ठू नामक बेलदार की मृत्यु हो गयी और मृतक मिट्ठू के बाप, भाई और गांव के अन्य लोगों के विरुद्ध पुलिस ने मामला चलाया है? यदि हां, तो क्या उक्त मामले को वापस लेने के लिए अनेक विधायकों तथा अन्य लोगों ने आवेदन-पत्र दिया है ? यदि हां, तो सरकार ने उक्त मामला वापस लेने का निश्चय किया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लक्ष्मण सिंह--

प्राप्त सूचना के अनुसार पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ चलाई गयी गोली से घायल हो जाने के फलस्वरूप श्री मिट्ठू की मृत्यु हो गयी । मिट्ठू के बाप श्री बुद्धू, चाचा श्री मुन्ना तथा पुत्र श्री सनेही एवं अन्य कुछ व्यक्तियों के विरुद्ध भा० दं० वि० की धारा १४७/१४८/१४९/३९५/३०७/३२५/३२४/३२३/३३२/३३३/३३६/४२७/५०४/२२४/२२५ के अन्तर्गत आरोप पत्र लगाया गया जो न्यायालय के विचाराधीन है । मामले को वापस लेने के सम्बन्ध में कुछ लोगों का एक संयुक्त प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ है जो शासन के विचाराधीन है ।

श्री कल्पनाथ सिंह--

मान्यवर, मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि इस मामले में नसबन्दी कराने के लिये लोगों को पकड़ने के लिये पुलिस वहां गयी थी, तो जो आत्मरक्षार्थ गोली चलाने की बात कही जाती है यह किस कारण से मंत्री जी कहते ह और किस कारण पुलिस वहां गिरफ्तार करने लोगों को गयी थी ?

श्री अध्यक्ष--

आप अपना प्रश्न इस तरह से पूछते, तो अच्छा होता कि क्या पुलिस वहां नसबन्दी कराने के लिये सहायता देने गयी थी और उसमें फिर गोली चली ?

श्री कल्पनाथ सिंह--

यदि आपके आदेश हैं, तो मंत्री जी इसको बता दें ?

श्री लक्ष्मण सिंह--

मान्यवर, हां यह सही है । पहले दिन बी० डी० ओ० और नायब तहसीलदार स्टाफ के साथ परिवार नियोजन के सम्बन्ध में वहां गये तो इन लोगों ने उसका विरोध किया । फिर उसमें पुलिस गयी तो फिर विरोध हुआ और फिर यह घटना घटी ।

श्री कल्पनाथ सिंह--

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि जिन लोगों ने आवेदन-पत्र मंत्री जी को दिया, वह उनको कब प्राप्त हुये और क्या उसमें विधान सभा के सदस्य भी शामिल हैं। यदि हां, तो किन-किन विधान सभा सदस्यों ने लिखकर दिया और अभी तक मुकदमा वापस होने की कार्यवाही क्यों नहीं हुई ?

श्री लक्ष्मण सिंह--

मान्यवर, जनता के १५ आदमियों का अक्तूबर में प्रार्थना-पत्र सामूहिक रूप से न्याय मंत्री जी को प्राप्त हुआ था। किसी विधायक का इसमें नोट नहीं है। उसमें रिपोर्ट जिला से मांगी गयी थी और उसमें जानकारी करायी जा रही है।

श्री कल्पनाथ सिंह--

मान्यवर, मैं एक और निवेदन कर दूं कि तथ्यों के सिलसिले में, मैंने स्वयं मुख्य मंत्री को अन्य विधायकों के हस्ताक्षर से गोरखपुर में २७ या २८ अगस्त को प्रार्थना-पत्र दिया था और वह तथ्य भी मंत्री जी की फाइल में नहीं है, तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस आवेदन-पत्र के प्राप्त होने के बाद भी मंत्री जी महसूस नहीं करते कि इस मामले में विलम्ब हुआ ? यदि हां, तो किन लोगों के खिलाफ कार्यवाही होगी ?

श्री लक्ष्मण सिंह--

श्रीमन्, यह सही है कि इसमें कुछ विलम्ब हो गया है और अब शीघ्र ही इस पर निर्णय कराया जायेगा।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मान्यवर, क्या मंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि तत्कालीन परगना अधिकारी, बांसगांव के नेतृत्व में वहां की पुलिस ने सारे गांव को घेर लिया और गांव वालों ने जबरदस्ती नसबन्दी कराने से अपने को अलग रखा। इस पर वह भागने लगे और जिस पर परगना अधिकारी के आदेश से पुलिस ने गोली चलाई और तत्पश्चात् लोगों की मृत्यु हुई।

श्री लक्ष्मण सिंह--

श्रीमन्, इसके तथ्य यह हैं कि १५ अक्तूबर, १९७६ को बी० डी० ओ० गोला, नायब तहसीलदार स्टाफ के साथ ग्राम गोड़सरी, थाना गोला, जिला गोरखपुर परिवार नियोजन के सम्बन्ध में प्रचार के लिए गये थे। बूद्धू आदि लोगों ने उन पर हमला किया। यह कहते हैं विरोध किया और उन्होंने वापसी पर १४७, ३२३, ३३२, ३५३, ३३६, ५०४, ४२७ का मुकदमा कायम कराया। फिर अगले दिन १६ अक्तूबर, १९७६ को लगभग ५ बजे एस० ओ० कपिल देव और उनके स्टाफ के आदमी गिरफ्तारी के लिए वहां पहुंचे। गिरफ्तारी में भी गांव वालों ने विरोध किया और यह कहा जाता है कि पुलिस फोर्स पर उन्होंने हमला किया और पुलिस फोर्स ने गोली चलाई, जिससे एक आदमी मारा गया।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मान्यवर, मेरा उत्तर नहीं आया। मेरा तो स्पष्ट प्रश्न था कि क्या यह सही है कि परगना अधिकारी के साथ नायब तहसीलदार, बी० डी० ओ० और तमाम पुलिस अधिकारियों ने गांव को घेर लिया और जब वहां के लोग आशंकित होकर भागने लगे, तो पुलिस ने गोली चलाई।

श्री अध्यक्ष---

मंत्री जी असली प्रश्न यह है कि क्या भागते हुये लोगों पर गोली चलाई।

श्री लक्ष्मण सिंह---

भागते हुये माननीय, नहीं है। यह है कि उन्होंने विरोध किया पहले दिन और अगले दिन जब गिरफ्तारी करने गये, तो गिरफ्तारी का भी विरोध किया और उसी से गोली चली ?

श्री अध्यक्ष---

माननीय मंत्री जी मैं मालूम करना चाहता हूं कि पहले दिन जो पार्टी गयी और आप ने कहा कि गांव वालों ने विरोध किया, तो सरकार पक्ष के किसी व्यक्ति को कोई चोट आई।

श्री लक्ष्मण सिंह---

जी हां, सरकारी पक्ष के व्यक्ति को चोट आई गांव का आदमी तो मारा ही गया।

श्री अध्यक्ष--

चोट पहले दिन आई ?

श्री लक्ष्मण सिंह---

पहले दिन नहीं अगले दिन आई।

श्री रवीन्द्र सिंह--

क्या मृतक मिट्ठू के परिवार के लोगों ने या दूसरे लोगों ने कोई एफ० आई० आर० दर्ज कराई ? यदि हां, तो अब तक जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री लक्ष्मण सिंह---

उन के तरफ से कोई एफ० आई० आर० नहीं है।

श्री मैनेजर सिंह---

क्या माननीय मंत्री जी इस बात को देखते हुये कि नसबन्दी के कारण ही आपकी शासन में पैदाइश हुई है, तो जो नसबन्दी के कारण लोग पीड़ित हैं और जो उसी के कारण मर गये, उनको भी आर्थिक सहायता देंगे ?

श्री अध्यक्ष---

आपका सवाल साफ नहीं है मैनेजर सिंह जी। मिनिस्टर साहब का कथन यह है कि ज्यादती की गयी, गांव वालों न हमला किया।

श्री मैनेजर सिंह—

मैं यह जानना चाहता हूं माननीय मंत्री जी से कि उन्होंने स्वीकार किया कि नसबन्दी के सिलसिले में लोग गये और नसबन्दी के कारण ही यह जनता पार्टी पावर में आयी है। मैं भी उसमें सम्मिलित हूं श्रीमन्, आप नहीं है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो नसबंदी के कारण मारे गये हैं, उनको क्या आप मुआवजा देंगे ?

श्री लक्ष्मण सिंह—

इस पर तो यह केस उठाने की बात नहीं थी....

श्री अध्यक्ष—

आपका प्रश्न यह है कि आप ने स्वीकार किया कि गांव में पुलिस नसबन्दी करने गयी और इसी का नतीजा हुआ कि एक व्यक्ति मारा गया, तो क्या उस नसबन्दी की ज्यादती के फलस्वरूप कोई मरा कि नहीं अगर मरा, तो सरकार अपनी घोषित नीति के मुताबिक उनकी क्षति पूर्ति करेगी ?

श्री लक्ष्मण सिंह—

विचार किया जायगा, मान्यवर।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

माननीय मंत्री जी के उत्तर से स्पष्ट हो गया है कि उन गांव वालों ने स्वयं कोई हिंसा नहीं की। नसबन्दी की नीति को प्रभावी बनाने के लिए पुलिस ने उन पर गोली चलाई, तो क्या माननीय मंत्री जी अभी स्पष्ट रूप से जिलाधिकारी को इस आशय के निर्देश देने की कृपा करेंगे कि यदि हिंसा और आसनिक आरोप उन गांव वालों के खिलाफ न हों, तो तत्काल मुकदमें वापस लेने की कार्यवाही की जाये ?

श्री लक्ष्मण सिंह—

श्रीमन्, मैंने निवेदन किया कि जिले से रिपोर्ट मांगी गयी है और शासन की घोषित नीति के अनुसार इसमें शीघ्र कार्यवाही की जायगी।

श्री रघुवर दयाल वर्मा (जिला आगरा)—

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि दो घटनाएं हैं। पहले दिन की एक रिपोर्ट और दूसरे दिन की दूसरी रिपोर्ट। इन दोनों रिपोर्टों में, जो मुकदमें चल रहे हैं, उनमें कितने गांव वाले नामजद हैं और उनके खिलाफ जो हो रहा है, उसको कब तक वापस करायेंगे ?

श्री लक्ष्मण सिंह—

पहली रिपोर्ट में १६ आदमी नामजद थे और १८ आदमी जांच के दौरान और आये, और दूसरे केस में ११ आदमी नामजद थे।

आपातकाल में फर्रुखाबाद के जिलाधिकारी, श्री सईदुल्ला के विरुद्ध विधायकों का शिकायती-पत्र

*५—श्री गिरीश चन्द्र तिवारी (जिला फर्रुखाबाद), श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी (जिला फर्रुखाबाद), श्री झामलाल अहेरवार (जिला फर्रुखाबाद), श्री बंशगोपाल चौबे (जिला फर्रूखाबाद) तथा श्री गेंदा लाल गुप्त (जिला एटा)—

क्या मुख्य मन्त्री को इस बात की जानकारी है कि आपातकाल में फर्रुखाबाद, प्रतापगढ़ में कार्यरत जिलाधिकारी श्री सईदुल्ला के विरुद्ध भ्रष्टाचार, उत्पीड़न,

साम्प्रदायिकता तथा दुराचरण की गम्भीर शिकायतें दोनों जनपदों के जनता विधायकों ने प्रदेश की सरकार को जुलाई, १९७७ में दी थीं ? यदि हां, तो क्या यह भी जानकारी है कि उक्त अधिकारी को तुरन्त निलम्बित करने की संस्तुति सतर्कता विभाग नें की थी ? यदि हां, तो अभी तक निलम्बित न करने का क्या कारण है ? अभी तक उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री लक्ष्मण सिंह--

जनता विधायकों से जुलाई, १९७७ में ऐसा कोई पत्र शासन को नहीं प्राप्त हुआ है ।

शेष प्रश्न नहीं उठते ।

परन्तु शासन को जनपद फर्रुखाबाद के छः विधायकों का दिनांक २२ जून, १९७७ का शिकायती-पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें उल्लिखित तथ्यों की जांच कराई जा रही है । जांच पूरी होने के उपरान्त ही इस विषय में शासन द्वारा कोई निर्णय लिया जा सकेगा ।

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी--

मंत्री जी के उत्तर से सम्बन्धित फर्रुखाबाद के जिन छः विधायकों का शिकायती-पत्र प्राप्त हुआ था वे जनता पार्टी के विधायक नहीं थे, तो बताने की कृपा करेंगे कि किस दूसरी पार्टी के विधायक थे और दूसरा यह कि जो शिकायती-पत्र प्राप्त हुआ, उसको पढ़ने की कृपा करेंगे जिसमें मुख्य आरोप क्या थे उनकी जानकारी सदन को हो सके ?

श्री लक्ष्मण सिंह--

यह जनता पार्टी के विधायक हैं और मुख्य आरोप यह थे कि :

(१) श्री सईदुल्ला ने हामिद बेग को नियमों के विपरीत बहुत सी जमीन दिलवाई हैं और इन्होंने कोल्ड स्टोरेज के मालिकान का पक्ष लेकर आलू के काश्तकारों के विरुद्ध कार्यवाही की धमकी दी ।

(२) श्री सईदुल्ला ने अपने निजी काम के लिए जिले में घोर पार्टी बन्दी कर दी है और तरह-तरह से अनुचित लाभ उठाया है तथा उठा रहे हैं ।

(३) इन्होंने स्वयं विभिन्न विधान सभा क्षेत्रों में जा-जा कर जनता पार्टी के विरुद्ध प्रचार करी और पिछले चुनाव में, कांग्रेस को खुलकर मदद करी । इन प्रयत्नों में उन्होंने स्थानीय गुन्डों को भी प्रोत्साहन दिया, जिससे कि शांति व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े । श्री सईदुल्ला द्वारा भूतपूर्व कांग्रेसी विधायकों के साथ गुट बनाकर जनता पार्टी के कार्य कर्ताओं में आतंक फैलाया गया ।

(४) आपातकालीन स्थिति के दौरान परिवार नियोजन की आड़ में भी सईदुल्ला द्वारा विभिन्न प्रकार से ज्यादतियों करी गईं ।

(५) श्री सईदुल्ला स्थानीय सहकारी चीनी मिल के पदेन प्रबन्धक निदेशक भी है और विभिन्न प्रकार से अपने पद का व्यक्तिगत लाभ के लिये दुरुपयोग कर रहे हैं जिसके उदाहरण दिये गये है ।

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी--

क्या मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इन आरोपों पर कौन अधिकारी जांच कर रहा है और उस जांच के परिणामों से सदन को अवगत करानें की कृपा करेंगे ?

श्री लक्ष्मण सिंह--

जांच सतर्कता विभाग द्वारा करायी जा रही है। उनकी कोई अन्तरिम रिपोर्ट नहीं आयी है ।

श्री कृष्ण स्वरूप (जिला बदायूं)--

क्या मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि छः विधायकों का उनके खिलाफ जो शिकायती-पत्र आया उसको देखने से या जो प्रारम्भिक रिपोर्ट प्राप्त हुई हो उनसे क्या उनके निलम्बन का केस नहीं बनता ?

श्री लक्ष्मण सिंह--

सईदुल्ला साहब का ट्रान्सफर रेजीडेन्ट अधिकारी कलकत्ता कर दिया गया है । चूंकि सतर्कता विभाग ने कोई अन्तरिम रिपोर्ट नहीं दी इसलिए निलम्बन की कार्य-वाही नहीं की गयी ।

श्री सुखपाल पांडेय (जिला बस्ती)--

सारी चीजों को छिपाने के लिए उनका ट्रान्सफर दूर स्थान पर कर दिया गया, जिससे निगाह उधर न जा सकें और उनके खिलाफ कार्यवाही न हो सके ?

श्री अध्यक्ष--

यह आक्षेप है ।

श्री श्यामधर मिश्र--

जून, १९७७ में जब विधायकों ने उन पर आरोप लगाए, तो अब तक यह जांच क्यों नहीं हो सकी ? कम से कम यह जांच, तो पूरी होनी चाहिए थी कि उन पर आरोप सिद्ध होते हैं या नहीं होते हैं ? जांच लटक क्यों रही है और उसमें देरी क्यों हो रही है ?

श्री लक्ष्मण सिंह--

इसमें बहुत गम्भीर आरोप हैं जिनकी जांच की जा रही है और उनमें समय लगता ही है ।

श्री श्याम सुन्दर गुप्त--

इन विधायकों के अतिरिक्त क्या आपातकाल के दौरान फतेहगढ़ जेल के मीसा बन्दियों की भी शिकायतें सईदुल्ला कलेक्टर के खिलाफ हैं, शासन के पास कि उपर्युक्त कलेक्टर ने सुपरिन्टेन्डेन्ट फतेहगढ़ जेल को यह आर्डर्स दे दिए थे कि जब तक बन्दी मरणासन्न न हो जायं तब तक अस्पताल न भेजे जायं ?

श्री लक्ष्मण सिंह--

इसमें सूचना की आवश्यकता है ।

कारबाइन राइफल (बन्दूक) के दिए गए लाइसेन्स

*६--श्री आरिफ मोहम्मद खां, श्री रवीन्द्र सिंह, डाक्टर अश्विनी कुमार चतुर्वेदी राकेश (जिला कानपुर), श्री खान गुफरान जाहिदी (जिला फतेहपुर) तथा श्री मोती राम (जिला कानपुर)--

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि १ जुलाई, १९७७ से ३१ मार्च, १९७८ तक प्रदेश में कारबाइन (बन्दूक) के कुल कितने लाइसेन्स दिए गए, लाइसेन्सधारियों की सूची सदन के पटल पर रखेंगे ?

श्री लक्ष्मण सिंह--

१ जुलाई, १९७७ से ३१ मार्च, १९७८ तक इस प्रदेश में ३० कारबाइन राइफल के कुल १६४ लाइसेन्स जारी किए गए।

लाइसेन्सधारियों की सूची संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ४५१ पर) ।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)--

क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि कारबाइन राइफल किसको दी जाती है, देने की क्या शर्तें हैं और किन-किन व्यक्तियों को दी गई हैं ?

श्री लक्ष्मण सिंह--

३० कारबाइन आवेदक थे और उनकी वास्तविक आवश्यकता को देखते हुए लाइसेन्स दिया जाता है ।

श्री रियासत हुसैन--

कारबाइन राइफल सरकार के स्तर से दी जाती है, जिले के स्तर से नहीं दी जाती है, तो वे कौन-कौन लोग हैं, जिनकी जिला स्तर पर सुपरिन्टेन्डन्ट पुलिस या कलेक्टर इन दोनों की बिना सिफारिश के कारबाइन लाइसेन्स दे दिए गए ?

श्री लक्ष्मण सिंह--

यह तो नियम की बात है । इसमें सूचना की आवश्यकता है ।

श्री अध्यक्ष--

यह इससे सम्बन्धित प्रश्न है ।

श्री देव बहादुर सिंह--

मान्यवर, जवाब आने दीजिए ।

श्री लक्ष्मण सिंह--

मान्यवर, इसमें साधारणतया जिले से रिपोर्ट मंगाई जाती है तब शासन लाइसेन्स देता है ।

श्री गुलाब सेहरा (जिला आगरा)--

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो १६४ व्यक्तियों को लाइसेन्स दिए गए हैं इनमें कितने व्यक्तियों को जिलाधिकारी की संस्तुति पर दिए गए और कितने प्रदेश सरकार द्वारा दिए गए ?

श्री लक्ष्मण सिंह--

मान्यवर, हर एक का अलग-अलग बताना कठिन है ।

श्री अध्यक्ष--

आप केवल इतना बतला दीजिए कि जिले से कितने लोगों की संस्तुति आई इन १६४ में जिनको लाइसेन्स दिया और जितनों को शासन नें स्वयं लाइसेन्स दिया, वह कितने व्यक्ति हैं ?

श्री लक्ष्मण सिंह--

मान्यवर, इनकी कोई अलग सूची नहीं है । साधारणतया जिले से सिफारिश माँगी जाती है । शासन को भी अधिकार है कि वह कारबाईन के लाइसेन्स दे सकता है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

एक आखिरी प्रश्न श्री मंजूर अहमद कर लें ।

श्री मन्जूर अहमद (जिला मेरठ)--

मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूं कि जिन व्यक्तियों को कलेक्टर की संस्तुति के बिना लाइसेन्स दिए गए, क्या उनको रद्द करने पर शासन विचार करेगा ?

दूसरा यह भी बतायेंगे कि वह कौन-कौन से व्यक्ति हैं जिनको कारबाईन का लाइसेन्स दिया गया ?

श्री लक्ष्मण सिंह--

मान्यवर, जिनको लाइसेन्स दिए गए हैं उनको रद्द करने पर विचार करने का प्रश्न नहीं है । शासन को अधिकार है कि वह जिले की रिपोर्ट पर लाइसेन्स दे या अपनी जानकारी से दे ।

विधान सभा सदस्यों में हिस्ट्री-शीटर तथा कत्ल व डकैती के मुल्जिम

*७--श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी, श्री गिरीश चन्द्र तिवारी तथा श्री वंश गोपाल चौबे--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान विधान सभा सदस्यों में से कितने सदस्य ऐसे हैं जो हिस्ट्री-शीटर रह चुके हैं अथवा जिन पर कत्ल, डकैती आदि के संगीन अभियोग चल चुके हैं अथवा चल रहे हैं ?

श्री लक्ष्मण सिंह--

इस प्रश्न का उत्तर देने हेतु सूचना एकत्र करने में जितना समय व धन का व्यय होगा वह उसके उत्तर से प्राप्त लाभ के अनुपात में बहुत अधिक होगा ।

नोट--नियम २६ (४) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न संख्या ७ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

वाराणसी जिले के ग्राम रमईपुर में गोलीकांड तथा श्री राम शिरोमणि हरिजन की गोली से मृत्यु

*८--श्री राजनाथ सिंह (जिला मिर्जापुर) तथा श्री ईश्वर प्रसाद (जिला मिर्जापुर)--

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि वाराणसी जनपद में गोपीगंज थाना के अन्तर्गत रमईपुर ग्राम में भूमिपतियों द्वारा हरिजन मजदूरों पर गोली वर्षा की गयी जिसके परिणामस्वरूप एक हरिजन युवक की २ अप्रैल, १९७८ को मृत्यु हो गयी ? यदि हां, तो कितने और व्यक्ति घायल हुये है और पुलिस द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री राम नरेश यादव--

प्राप्त सूचना के अनुसार श्री राम सजीवन, निवासी रमईपुर, थाना गोपीगंज, वाराणसी ने दिनांक २-४-७८ को थाना गोपीगंज पर सूचना दी कि हरिजनों ने गांव के ठाकुरों से मजदूरी बढ़ाने के लिए कहा तो ठाकुरों ने मजदूरी बढ़ान से इन्कार कर दिया परिणामस्वरूप हरिजन किसी की फसल की कटाई नहीं कर रहे थे। उसी में यह भी उल्लेख किया गया था कि ग्राम रमईपुर के निवासी एक श्री शोभनाथ सिंह ने मजदूरी बढ़ाकर अपने खेत की कटाई कराया। दिनांक २-४-७८ को जब श्री शोभनाथ सिंह अपने पम्पिंग सेट से घर जा रहे थे तो रास्ते में अमुक ठाकुर लोगों से मजदूरी बढ़ाने के मामले को लेकर उनसे वाद-विवाद हुआ और यह लोग श्री शोभनाथ सिंह को मारने लगे। उनके शोर करने पर कुछ हरिजन आ गए तथा कुछ ठाकुर भी बन्दूक व लाठी लिए आ गए और फायर किए जिससे एक व्यक्ति राम शिरोमणि हरिजन की मृत्यु हो गई तथा श्री शोभनाथ सहित ९ व्यक्ति घायल हुए।

इस सूचना के आधार पर एक मुकदमा धारा १४७/१४८/१४९/३०७/३०२ भारतीय दण्ड विधान का कायम किया गया और विवेचना शुरू की गई। दिनांक २-४-७८ को ही पुलिस ने ३ नामांकित अभियुक्त को गिरफ्तार किया और उन्हें जेल भेजा। १९ और अभियुक्तों ने न्यायालय में ८ तथा १० अप्रैल, ७८ को आत्म समर्पण किया।

पुलिस द्वारा अभियुक्तों के आग्नेयास्त्र लाइसेन्स निरस्त करने की कार्यवाही के साथ-साथ १०७/११६ जा० फौ० की कार्यवाही भी की जा रही है।

मिर्जापुर जिले के विंध्याचल देवी के मन्दिर से आभूषणों की चोरी

*९-- श्री राज नाथ सिंह तथा श्री ईश्वर प्रसाद--

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि जनपद मिर्जापुर में जनवरी, १९७८ में विंध्याचल देवी के मंदिर में मां विंध्यवासिनी के सोने और चांदी के आभूषणों की चोरी हुई थी ? यदि हां, तो क्या चोरी का माल अब तक बरामद किया जा चुका है ?

श्री राम नरेश यादव--

प्राप्त सूचना के अनुसार जनवरी, १९७८ में प्रश्न में उल्लिखित आशय की घटना होने की सूचना पुलिस को प्राप्त नहीं हुई किन्तु श्री चन्द्र ज्योति पाठक द्वारा दिनांक २३-१२-७७ को थाना विंध्याचल (जिला मिर्जापुर) पर अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध दी

गई सूचना के अनुसार प्रश्नगत घटना दिनांक २२/२३-१२-७७ की रात्रि में घटित हुई। फलस्वरूप एक अपराध अंतर्गत धारा ३८० भारतीय दन्ड विधान अंकित करके विवेचना प्रारम्भ की गई । विवेचना जारी है । चोरी गय माल की अभी तक बरामदगी नहीं हुई है ।

प्रदेश में निलम्बित राजपत्रित अधिकारी

*१०— श्री आरिफ मोहम्मद खां, श्री मोती राम, श्री रवीन्द्र सिंह तथा श्री खान गुफरान जाहिदी—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि इस समय प्रदेश में राजपत्रित कुल कितने अधिकारियों की सेवाएं निलम्बन में हैं ? इन अधिकारियों के निलम्बन की तिथियों की सूचना सदन के पटल पर रखेंगे ?

श्री राम नरेश यादव —

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३८ (२) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न ।]

प्रदेश के अधिकारियों तथा कर्मचारियों के स्थानान्तरण सम्बन्धी शासनादेश

*१—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)—

क्या सरकार को जानकारी है कि स्पष्ट शासनादेश और मुख्य मंत्री के निर्देश के बावजूद समस्त विभागों में ३१ अगस्त, १९७७ के बाद भी व्यापक पैमाने पर स्थानान्तरण किए गए हैं ? यदि हां, तो क्या मुख्य मंत्री जी इस बारे में विस्तृत जांच करा कर पूर्ण तथ्यों को सामन रखने और दोषी लोगों को दंडित करने की कृपा करेंगें ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम नरेश यादव—

दिनांक ३१-८-७७ के बाद स्थानान्तरण के सम्बन्ध में शासनादेश दिनांक २८-८-७७ में यह निर्देश दिए गए थे कि अत्यन्त आवश्यक अथवा अपरिहार्य प्रसंगों को छोड़कर वित्तीय वर्ष १९७७-७८ में स्थानान्तरण न किए जायं । इस शासनादेश से स्पष्ट है कि स्थानान्तरण के बारे में पूरी मनाही नहीं थी बल्कि यह व्यवस्था की गई थी कि स्थानान्तरण तभी किए जायं जब लोकहित में वह अत्यन्त आवश्यक अथवा अपरिहार्य हों । १५७ अनुभागों से अब तक प्राप्त सूचना के आधार पर १५ विभागों में ८६५ अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानान्तरण किए गए हैं और यह सभी स्थानान्तरण उपर्युक्त शासनादेश की पृष्ठभूमि में किए गए हैं । अतः इन स्थानान्तरणों के सम्बन्ध में दोषी लोगों को दण्डित करने का प्रश्न नहीं उठता ।

*२—श्री मित्रसेन—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया ।]

बुनकरों के सम्बन्ध में राम सहाय आयोग की संस्तुतियों का कार्यान्वयन

*३—श्री मसूदुल हसन नोमानी (जिला बाराबंकी)—

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बुनकरों की समस्याओं के सम्बन्ध में राम सहाय आयोग की अक्तूबर, सन् १९७२ में प्रकाशित रिपोर्ट को सरकार पूर्णतया कब तक लागू करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्रकाश—

राम सहाय आयोग की ५३ संस्तुतियों में से केवल ५० संस्तुतियों को शासन द्वारा स्वीकार किया गया था । अतः रिपोर्ट को पूर्णतया लागू करने का प्रश्न नहीं उठता । अब तक ३५ संस्तुतियां कार्यान्वित की जा चुकी हैं ।

[२५ अप्रैल, १९७८ के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

उत्तरा खंड के वनों का व्यापारिक दोहन एवं संरक्षित वन घोषणा की मांग

*१—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार प्रदेश में उत्तरा-खंड के वनों का व्यापारिक दोहन बन्द कर उन्हें संरक्षित वन घोषित किए जाने की नीति पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो उसकी पूर्ण रूप-रेखा क्या है ?

वन मन्त्री (श्री श्रीचन्द्र)—

जी नहीं । प्रश्न का शेष भाग नहीं उठता ।

जेल उद्योग निगम बनाये जाने की मांग

*२—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या कारागार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार जेल उद्योग निगम बनानें पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो निगम की रूप-रेखा तथा उसका कार्य क्या होगा ?

न्याय एवं कारागार मंत्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)—

जी नहीं । प्रश्न नहीं उठता ।

बाराबंकी जिले के ग्राम रसूलपुर किदवई के श्री जिया लाल की हत्या

*३—श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गांव रसूलपुर किदवई, थाना देवा, जिला बाराबंकी में २२-२३ सितम्बर, १९७६ में जिया लाल की हत्या कर दी गयी थी और थाना देवा में तारीख २३ सितम्बर, १९७६ को एक रिपोर्ट इल्जाम नम्बर २११, धारा ३०२ में दर्ज करके मुकदमा भी कायम किया गया ? यदि हां, तो उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही अब तक की गयी ?

श्री राम नरेश यादव—

जी हां । पुलिस द्वारा विवेचनोपरान्त अभियुक्तों का पता न चल सकने के कारण मामले में अन्तिम रिपोर्ट लगा दी गयी ।

कानपुर में रेलवे रोड स्थित नगरपालिका चुंगीघर में डकैती

*४--श्री गनेशी लाल चौधरी (जिला सीतापुर)--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि दिनांक ६ नवम्बर, १९७७ को कानपुर के कलक्टरगंज थाना के अन्तर्गत कोपरगंज स्थित महापालिका के चुंगी घर पर इक्यानवे हजार रुपये की डकैती हुई ? यदि हां, तो इस घटना के तथ्य क्या हैं ?

श्री राम नरेश यादव--

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक ६-११-७७ को श्री प्रभु नाथ, कैशियर, हेड आफिस, रेलवे रोड, चुंगी घर, नगर महापालिका, कानपुर ने थाना कलक्टरगंज कानपुर पर इस आशय की सूचना दी कि वह तथा एक दूसरे खजांची जब टैक्स के वसूल पैसे की गिनती करके गड्डियां बना रहे थे, तो शाम के समय ६-७ व्यक्ति पिस्तौल लिये हुये कमरे में घुस आये । उनमें से दो व्यक्तियों ने ट्रेजरी गार्ड व एक अन्य को पकड़ लिया तथा कुछ ने उनके व दूसरे खजांची के सीने में पिस्तौल लगा दी और ९१,०६० रुपये लेकर फायर करते हुये भाग गये ।

इस सूचना पर एक मुकदमा थाना कलक्टरगंज पर धारा ३९२/३९७ भारतीय दण्ड विधान का कायम किया गया । विवेचना से, प्रकाश में आये उक्त चुंगी कार्यालय के दूसरे खजांची सहित तीन अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप-पत्र न्यायालय भेजा गया एवं एक अन्य अभियुक्त का चालान मफरूरी में किया गया । मुकदमा न्यायालय के विचाराधीन है ।

बन्थरा के निकट लखनऊ-झांसी पैसेन्जर गाड़ी के यात्रियों की लूट

*५--श्री गनेशी लाल चौधरी--

क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दिनांक २९ नवम्बर, १९७७ को चार बजे सायंकाल लखनऊ-झांसी पैसेन्जर में चलने वाले यात्री हरौनी और कानपुर के बीच में बन्थरा थाने के निकट लूट लिए गए ? यदि हां, तो सरकार ने ट्रेन में चलने वाले आदमी की सुरक्षा का क्या प्रबन्ध किया ?

श्री राम नरेश यादव--

जी हां ।

शासन द्वारा यात्रियों की सुरक्षा के लिये एवं इस प्रकार की घटनाओं को रोकने हेतु समुचित आवश्यक व्यवस्था कर दी गयी है ।

देवरिया जिले के ग्राम पकहा के लुकपुर टोला, निवासी श्री नान्हू हरिजन की डकैती में मृत्यु

*६--श्री पुरुषोत्तम कौशिक--

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि पडरौना तहसील में बिशुनपुरा विकास खंड के पकहा मौजा के लुकपुर टोला के नान्हू हरिजन की दुखद मृत्यु ८ वर्ष पूर्व पकहा में लीलाधर भगत के यहां भीषण डकैती के कारण हो गयी ? नान्हू हरिजन दस्यु दल से हुई मुठभेड़ में मारा गया तथा उसकी विधवा पत्नी व

निरीह बच्चे दाने-दाने को मोहताज हैं ? यदि हां, तो क्या ग्राम की सुरक्षा में शहीद हुए हरिजन की विधवा व बच्चों को उसकी मृत्यु तिथि से ही असाधारण पेंशन दी जायगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम नरेश यादव--

नान्हूं हरिजन की मृत्यु लगभग १३ वर्ष पूर्व दिनांक २२/२३ सितम्बर, १९६५ की रात को श्री लीलाधर के घर पड़ी एक डकैती की घटना में डाकुओं को अवरुद्ध करने में उनकी गोली से हुई थी । स्वर्गीय नान्हूं की विधवा मछरिया के दो पुत्र व एक पुत्री है जिनकी आयु क्रमशः १२, १० व ८ वर्ष है । स्वर्गीय श्री नान्हूं की मृत्यु के बाद अन्य व्यक्ति से पैदा हुये बच्चों को पेंशन देय नहीं है । जहां तक विधवा श्रीमती मछरिया को पेंशन दिये जाने का प्रश्न है, उसे स्वर्गीय श्री नान्हूं की मृत्यु के अगले दिन से, पुनर्विवाह अथवा मृत्यु तक, जो भी पहले हो, पेंशन देय है । विधवा के पुनर्विवाह आदि के बारे में स्थिति ज्ञात की जा रही है ।

गोरखपुर जिले के उर्वरक निगम के कर्मचारी श्री शादी लाल उपाध्याय की हत्या

*७--श्री पुरुषोत्तम कौशिक--

क्या मुख्य मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि ५ अक्तूबर, १९७६ को गोरखपुर उर्वरक निगम के वाचर (शादी लाल) की हत्या उर्वरक निगम के दो कर्मचारियों की कुछ दिन पूर्व की गयी हत्या को ही कड़ी है तथा शादी लाल के हत्यारों ने उर्वरक निगम के किसी वरिष्ठ अधिकारी का शादी लाल हत्या काण्ड में हाथ होना स्वीकार किया है ? यदि हां, तो सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री राम नरेश यादव--

प्राप्त सूचना के अनुसार गोरखपुर उर्वरक निगम के कर्मचारियों में आपस में दलबन्दी है, जिसमें अधिकतर अपराधी प्रकृति के व्यक्ति होना और आस पास के शातिर बदमाश भी सम्मिलित होना बताया गया है । इनमें से एक दल के नेता श्री रमाकान्त पाण्डेय हैं और दूसरे दल का नेतृत्व श्री शादी लाल उपाध्याय कर रहे थे । इस दल बन्दी के कारण पहले दल के एक व्यक्ति की १९७० में तथा दूसरे व्यक्ति की १९७६ में हत्या करा दी गयी थी, जिसके प्रतिशोध में दूसरे दल द्वारा ५-१०-७६ को श्री शादी लाल उपाध्याय की हत्या कराये जाने की रिपोर्ट है । इस हत्याकांड की जांच में हत्यारों ने पुलिस को उर्वरक के किसी वरिष्ठ अधिकारी का नाम नहीं बतलाया था । अतः किसी अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

बस्ती जिले के तेजपुर काण्ड की मैजिस्टीरियल जांच रिपोर्ट

*८--श्री सुखपाल पाण्डेय--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि तेजपुर काण्ड, जिला बस्ती की मैजिस्टीरियल जांच मार्च, अप्रैल, मई, १९७७ में शुरू की गयी ? यदि हां, तो क्या जांच रिपोर्ट पूरी होकर शासन को प्राप्त हो गयी है ? यदि हां, तो जांच में क्या तथ्य प्रकाश में आए ? क्या सरकार जांच रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री राम नरेश यादव--

जी हां । जांच रिपोर्ट शासन को प्राप्त हो गयी है । जांच से पुलिस पर लगाये गये सभी आरोप निराधार पाये गये हैं । जांच रिपोर्ट का सदन के पटल पर रखना जनहित में नहीं है ।

बस्ती जिले में सहायक अभियोजन अधिकारी का चुनाव एवं अनुसूचित जाति व पिछड़ी जाति के अभ्यर्थी

*९—श्री सुखपाल पाण्डेय—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि १९७७ में बस्ती जिले में कुल कितने ए० पी० पी० का चुनाव हुआ है उसमें से कितने चुने गए उनका नाम व पता क्या है जो ए० पी० पी० चुने गए हैं, उनमें कितनी पिछड़ी जाति के तथा अनुसूचित जाति के हैं, चुनाव किस आधार पर किया गया ?

श्री राम नरेश यादव—

वर्ष १९७७ में बस्ती जिले में दिनांक २० मई, १९७७ को सहायक अभियोजन अधिकारी के पद पर तदर्थ नियुक्ति हेतु जिला स्तर पर गठित चयन समिति द्वारा लिये गये साक्षात्कार के आधार पर सामान्य वर्ग के ४ अभ्यर्थियों की नामावली तैयार की गई । उनमें से कोई भी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अथवा पिछड़ी जाति का नहीं है । प्रदेश के अन्य जिलों से अनुसूचित जाति के उपयुक्त पाये गये समस्त ५१ अभ्यर्थियों को नियुक्ति आदेश जारी किये जा चुके हैं । शेष रिक्तियों की पूर्ति हेतु सामान्य वर्ग के उपयुक्त पाये गये अभ्यर्थियों को तदर्थ नियुक्ति का प्रश्न शासन के विचाराधीन है । इन रिक्तियों को श्रेष्ठता के आधार पर अनुसूचित जाति/जनजाति के अभ्यर्थियों द्वारा भरे जाने तथा ऐसे उपयुक्त अभ्यर्थियों की उपलब्धता के अभाव में अन्य अभ्यर्थियों से भरे जाने हेतु विज्ञापन प्रसारित किया गया था ।

वाराणसी जिले के हाथी बाजार में श्री मेवा लाल साव के यहां कत्ल व डकैती

*१०—श्री ऊदल—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि १३ दिसम्बर, १९७७ को हाथी बाजार थाना मिर्जामुराद, जिला वाराणसी के मेवा लाल साव के यहां सशस्त्र डकैतों ने मेवा लाल साव के भाई को जान से मार डाला और पचासों हजार का आभूषण एवं नकद लूट लिया ? यदि हां, तो क्या कुछ डकैतों की गिरफ्तारी भी की गयी है, जिसमें एक इलाहाबाद रेलवे सुरक्षा दल का अधिकारी भी है ? बकिया कहां के रहने वाले हैं ?

श्री राम नरेश यादव—

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक १३-१२-७७ को श्री मेवा लाल साव, निवासी हाथी बाजार, थाना मिर्जामुराद, जनपद वाराणसी ने थाना मिर्जामुराद पर सूचना दी कि उसी दिन शाम को वादी व उनके भाई व लड़के दुकान में बैठकर दुकानदारी कर रहे थे तो ८-९ डकैत दुकान में घुस आये और लूट पाट करने लगे । उसी में यह भी सूचना दी गई थी कि डकैतों ने उनके भाई को गोली मारी, जिसके कारण वह वहीं मर गये व कुछ अन्य को चोटें आईं तथा डकैत सामान लूट कर भाग गये । इस सूचना के आधार पर धारा ३९६ भारतीय दण्ड विधान के अधीन एक मुकदमा पंजीकृत कर विवेचना शुरू की गई । विवेचना से अब तक प्रकाश में आये चार अभियुक्तों की गिरफ्तारी पुलिस द्वारा की गई है । गिरफ्तार अभियुक्तों में से एक अभियुक्त रेलवे सुरक्षा दल का कर्मचारी है । शेष तीन अभियुक्त वाराणसी के रहने वाले हैं ।

थाना कैन्ट, बरेली में कुमारी दीपा बेलवाल के गायब होने सम्बन्धी लिखायी गयी रिपोर्ट

*११--श्री पूरन चन्द्र (जिला अल्मोड़ा)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि दिनांक ३ दिसम्बर, १९७७ के सायं ७ बजे कुमारी दीपा बेलवाल के लापता हो जाने के फलस्वरूप थाना कैंट, बरेली में की गयी नामजद रिपोर्ट पर अभी तक कोई भी कार्यवाही नहीं की गयी है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री राम नरेश यादव--

प्राप्त सूचना के अनुसार कुमारी दीपा बेलवाल के लापता हो जाने के सम्बन्ध में दिनांक ३-१२-७७ को थाना कैन्ट बरेली पर लिखाई गई रिपोर्ट में कोई अभियुक्त नामजद नहीं था। इस सम्बन्ध में अपराध संख्या ३९३ धारा ३६३ भारतीय दण्ड विधान अंकित करके विवेचना की गई। विवेचना के मध्य ड्राइवर श्री बुद्धसेन, एम० ई० एस० को हिरासत में लिया गया। इसके पश्चात् दिनांक १६-२-७८ को कुमारी दीपा बेलवाल स्वयं अपने घर आ गई। उपरोक्त ड्राइवर की पत्नी को भी गिरफ्तार किया गया। इस मामले में अभी विवेचना जारी है। यह सही नहीं है कि पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की।

सेना के अंगहीन अधिकारियों के लिये प्रदेशीय सेवाओं में आरक्षण की मांग

*१२--श्री शिवानन्द नौटियाल--

क्या मुख्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि किन कारणों से भूतपूर्व इमरजेंसी तथा शार्ट सर्विस कमीशन आफिसर जो इमरजेंसी के अन्तः कालीन समय में भर्ती किए गए हैं उनको उत्तर प्रदेश शासन की प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी में सुरक्षित स्थानों के लिए ठीक नहीं समझा गया जबकि इसी प्रकार के अफसरों को जो अक्तूबर, १९६२ से जनवरी, १९६८ तक तथा दिसम्बर, १९७१ से मार्च, १९७७ तक कमीशन पाए हैं उनको इन श्रेणियों में सुरक्षित स्थानों के लिए ठीक समझा गया है ? इस प्रकार के अन्तर किए जाने के क्या विशेष कारण है ?

श्री राम नरेश यादव--

भारत सरकार द्वारा अपनाई गई नीति के आधार पर प्रदेशीय सरकार भी प्रथम तथा द्वितीय आपात अवधि में, सशस्त्र सेना के अंगहीन रक्षा सेवा के अधिकारियों, आपात कमीशन प्राप्त अधिकारियों तथा अल्प सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों, को ही, जिन्हें १ नवम्बर, १९६२ को या उसके पश्चात् किन्तु १० जनवरी, १९६८ के पहले और पुनः ३ दिसम्बर, १९७१ को या उसके पश्चात् कमीशन मिला हो, आरक्षण की सुविधा दी है। अन्तःकालीन की अवधि में जिन सशस्त्र सेना के अधिकारियों को कमीशन प्राप्त हुआ है, उनको आरक्षण की सुविधा देने का प्रश्न भारत सरकार के विचाराधीन है और भारत सरकार के निर्णय के आधार पर राज्य सरकार भी आरक्षण के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करेगी।

ठेका विनियमन एवं समाप्ति अधिनियम से वन विभाग के ठेकेदारों को मुक्त किए जाने की मांग

*१३--श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

क्या वन मंत्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार ने वन ठेकेदारों को ठेका विनियमन एवं समाप्ति अधिनियम, १९७० तथा केन्द्र के इस कानन के अन्तर्गत

बनी हुई विनियमन तथा उन्मूलन नियमावली, १९७५ के उपबन्धों से मुक्त करने का प्रश्न शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री श्रीचन्द्र--

वन विभाग के ठेकेदार कान्ट्रैक्ट लेबर (रेगुलेशन एण्ड एबोलिशन) ऐक्ट, १९७० की धारा २ (सी) में उल्लिखित कांट्रैक्टर की परिभाषा में नहीं आते हैं। अतः उक्त अधिनियम एवं उसके अन्तर्गत बनी नियमावली से उक्त ठेकेदारों को मुक्त करने का प्रश्न नहीं उठता।

जवाहर लाल नेहरू डिग्री कालेज, गोरखपुर के छात्रों द्वारा तहसीलदार के आवास में लगाई गयी आग

*१४--श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनवरी, १९७८ के अन्तिम सप्ताह में गोरखपुर जिले के महराजगंज उपनगर म कुछ अवांछित तत्वों के साथ तथाकथित छात्र नेताओं ने थाना और तहसील के भवन पर पथराव किया, तहसीलदार के आवास में आग लगा दिया तथा सरकार विरोधी नारे लगाए ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही हुई ?

श्री राम नरेश यादव--

दिनांक ३०-१-७८ को जवाहर लाल नेहरू डिग्री कालेज, महराजगंज के कुछ छात्रों ने एक जुलूस निकाल कर नारेबाजी की तथा थाने पर कुछ पथराव किया। एक-दो छात्रों ने सड़क पर जाती बस पर पत्थर फेंके जिससे उसका शीशा टूट गया। वहां से छात्र तहसील प्रांगण में नारे लगाते पंहुचे और तहसील-दार निवास के सामने बने फूस के छप्पर में आग लगा दी। तहसीलदार की सूचना पर थाने पर एक अपराध अंकित किया गया गया। विवेचना के उपरान्त तीन अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप-पत्र दिनांक ७-४-७८ को न्यायालय में भेज दिया गया जो विचाराधीन है। एक अभियुक्त अभी फरार हैं, जिसका पूर्ण पता ज्ञात नहीं है।

आगरा जिले के थाना फिरोजबाद को पुलिस फायरिंग से छात्र की मृत्यु

*१५--श्री रघुवर दयाल वर्मा--

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि गत १९ जनवरी, १९७८ को जनपद आगरा के थाना फिरोजाबाद उत्तर में पुलिस फायरिंग से कितने छात्र घायल हुए और क्या उनमें से एक छात्र की मौत हुई ? यदि हां, तो सरकार ने इस सन्दर्भ में क्या कार्यवाही की ?

श्री राम नरेश यादव--

उक्त घटना में कुल २० छात्र घायल हुए थे, जिनमें से एक छात्र की मृत्यु मेडिकल कालेज, आगरा में हो गयी थी।

इस सम्बन्ध में निम्नांकित कार्यवाही की गई है।

(क) घटना से सम्बन्धित दो मुकदमें कायम किए गए हैं, जिसकी जांच विशेष अनुसन्धान विभाग द्वारा की जा रही है।

(ख) घटना के कारणों एवं परिस्थितियों की मैजीस्टीरियल जांच कराई जा रही है ।

(ग) घटना से सम्बन्धित दो पुलिस उप निरीक्षकों एक हेड कांसटेबुल तथा ६ कांसटेबिलों को लाइन हाजिर कर दिया गया तथा जिस कांसटेबुल ने गोली चलाई थी उसे निलम्बित कर दिया गया ।

(घ) घटना में मृत छात्र के घर वालों को ५००० रु० तथा प्रत्येक घायल छात्र के परिवार को १००० रु० की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई ।

लखनऊ, माडल जेल के बन्दी श्री नसीम बाबा के पारिश्रमिक का भुगतान

*१६--श्री मोहम्मद रफी खां (जिला शांहजहांपुर)--

क्या जेल मंत्री को भूतपूर्व कैदी नसीम बाबा नम्बर १०८३६, माडल जेल लखनऊ जो गंगा भवन योजना चक्र-१ में कार्य पर लगाया गया था, का १८०० रु० बकाया के भुगतान से सम्बन्धित किसी विधायक ने ५ अप्रैल, १९७७ को कोई पत्र लिखा था ? यदि हां, तो अब तक इस भूतपूर्व कैदी को कितनी रकम अदा की गई और बाकी रकम अदा न किए जाने का क्या कारण है और हिसाब में गड़बड़ी के लिए उत्तरदायी कौन है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह--

जी हां । वर्ष १९७५-७६ के लिए भूतपूर्व बन्दी नसीम बाबा का पारिश्रमिक मनीआर्डर कमीशन काटने के उपरान्त १७२.२५ रु० का उसे भुगतान कर दिया गया है १९७६-७७ के पारिश्रमिक का हिसाब बनाया जा रहा है । जिसके पूर्ण होने पर उसके हिस्से की मजदूरी का भुगतान कर दिया जायगा ।

अल्मोड़ा जिले की मैगनासाइट फैक्टरी से प्रभावित झिरौली ग्राम के हरिजनों के पुनर्वासन सम्बन्धी प्रार्थना-पत्र

*१७--श्री पूरन चन्द्र--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि दिनांक २४ अक्तूबर, १९७७ को मुख्य मंत्री के अल्मोड़ा आगमन के अवसर पर अल्मोड़ा मैगनासाइट फैक्टरी (झिरौली) से प्रभावित ८८ हरिजन परिवारों के पुनर्वास के सम्बन्ध में प्रश्नकर्त्ता के दिए गए प्रार्थना-पत्र पर क्या कार्यवाही की गई है ? सरकार उन लोगों को कब तक तराई में बसाने का प्रबन्ध कर रही है ?

श्री राम प्रकाश--

मुख्य मंत्री जी के अल्मोड़ा जनपद के दौरे के अवसर पर वहां के जन प्रतिनिधियों ने अल्मोड़ा मैगनासाइट कारखाने के समीपवर्ती क्षेत्रों के निवासियों, विशेषकर हरिजनों की समस्या की ओर उनका ध्यान आकर्षित किया था । उक्त कारखाने से प्रभावित ग्राम झिरौली के ८८ परिवारों में से ८४ परिवार अनुसूचित जाति के हैं । इन परिवारों के ४८ व्यक्तियों को, जो अनुसूचित जाति के हैं उक्त कारखाने की सेवा में लिया गया है । इन परिवारों के अन्यत्र पुनर्वासन में मुख्य कठिनाई कृषि योग्य उपयुक्त भूमि की उपलब्धि की है । इस कठिनाई का निराकरण शासन के सक्रिय विचाराधीन है ।

बरेली-रामपुर रोड पर परसा खेड़ा में श्री डी० के० सरकार की कार से दबने के कारण श्री छत्रपाल की मृत्यु

*१८--श्री मोहम्मद रफी खां--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ४ अगस्त, १९७७ को बरेली-रामपुर रोड परसाखेड़ा के पास कार नं० यू० एस० ई० ९६०८ से एक भयानक दुर्घटना हुई जिससे कई आदमी जख्मी हुए और एक निरीह व्यक्ति की अस्पताल में मृत्यु हो गई फिर भी पुलिस द्वारा उपरोक्त गाड़ी के ड्राइवर के विरुद्ध मुकदमा नहीं चलाया गया ? क्या यह भी सही है कि उपरोक्त गाड़ी के मालिक ही गाड़ी चला रहे थे जो कि शराब पिए हुए थे ? यदि हां, तो क्या सरकार इस सम्बंध में समुचित कार्यवाही करेगी ?

श्री राम नरेश यादव--

प्राप्त सूचना के अनुसार ४-८-१९७७ को श्री डी० के० सरकार ने थाना फतेह-गंज, जिला बरेली की टेलीफोन द्वारा सूचित किया कि जब वह अपनी कार सं० यू० एस० आई० ९६०८ से बरेली जा रहे थे तो रामपुर-बरेली रोड के पास एक खड़ी ट्रक के पीछे से छत्रपाल नामक व्यक्ति निकला जो कार से टकराकर घायल हो गया जिसे प्राथमिक चिकित्सा के लिए श्री सरकार अपनी फैक्टरी की डिस्पेन्सरी में ले गए और फिर जिला अस्पताल भिजवा दिया जहां उसी दिन शाम को छत्रपाल की मृत्यु हो गयी । इस सूचना पर थाना फतेहगंज द्वारा विवेचना की गई और अभियुक्त को गिरफ्तार करके जमानत पर रिहा किया गया । घटना थाना किला के अन्तर्गत होने के कारण विवेचना को हस्तान्तरित किया गया । थाना किला पर दिनांक १८-८-७७ को दरया फूतहाल मुकदमा अ० सं० ४१५ धारा २७९/३०४ भारतीय दन्ड विधान पंजीकृत किया गया ।

विवेचना से यह निश्चित नहीं हो सका कि ड्राइवर श्री डी० के० सरकार शराब पीकर कार चला रहे थे और विवेचना से यह दुर्घटना इत्तफाकिया पाई गई । विवेचनोपरान्त दिनांक ३०-१०-७७ को अन्तिम रिपोर्ट द्वारा विवेचना समाप्त की गई । अन्तिम रिपोर्ट न्यायालय में विचाराधीन है ।

गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्रावास से छात्रों का निष्कासन

*१९--श्री रवीन्द्र सिंह--

क्या सरकार कृपया बताएगी कि जनवरी, १९७८ में किसी दिन अर्धरात्रि में गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्रावासों को पुलिस के बल पर खाली कराया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री राम नरेश यादव--

दिनांक २२/२३-१-७८ की रात्रि में गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्रों ने छात्रावासों से निकल कर कुल सचिव तथा गणित विभाग के विभागाध्यक्ष के निवास पर जाकर भारी पथराव किया और अपशब्दों का प्रयोग किया । घटना स्थल पर तत्काल अधिकारियों के हस्तक्षेप से उपद्रवी छात्र भाग गए और भागते समय उन्होंने रोडवेज बस स्टेशन पर भी पथराव किया जिससे एक बस के शीशे क्षतिग्रस्त हो गए । अतः स्थिति की गम्भीरता को ध्यान में रखते हुए तथा सामान्य स्थिति लाने हेतु उसी रात को छात्रावास खाली कराया गया ताकि विश्वविद्यालय परिसर में शांति व्यवस्था कायम हो सके ।

राज्य नियोजन संस्थान, लखनऊ में वरिष्ठ शोध अधिकारियों के पद हेतु साक्षात्कार

*२०—श्री शिवानन्द नौटियाल—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतलायेंगे कि २९ अगस्त, १९७७ को राज्य नियोजन संस्थान, लखनऊ के वरिष्ठ शोध अधिकारियों के स्थान तदर्थ रूप से भरने के लिए साक्षात्कार हुआ था ? क्या यह सही है कि उक्त साक्षात्कार के लिए विज्ञापन में विज्ञापित अर्हताओं वाले अभ्यर्थियों के अलावा भी अभ्यर्थियों को बुलाया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री राम नरेश यादव—

जी हां ।

जी हां ।

साक्षात्कार में निर्धारित अर्हता रखने वाले अभ्यर्थियों के अलावा दो विभागीय अभ्यर्थी सर्वश्री श्री बी० एन० पी० राय व पी० सी० कटियार भी बुलाए गए थे । यह अभ्यर्थी पद की मौलिक अर्हता रखते थे, परन्तु इनके पास निर्धारित अनुभव थोड़ा कम था । चूंकि यह अभ्यर्थी शोध अधिकारी (५५०–१२०० रु०) के पद पर आयोग द्वारा अनुमोदित है तथा इन्हें विभागीय कार्यकलापों का अच्छा ज्ञान है अतः यह उपयुक्त समझा गया कि इन्हें भी वरिष्ठ शोध अधिकारी के पद के लिए साक्षात्कार में मौका दिया जाय ।

*२१—श्री रघुवर दयाल वर्मा—

[दिनांक २८-१-७८ को वक्तव्य हो जाने के फलस्वरूप निरस्त ।]

बस्ती जिले के ग्राम दुबौली के श्री समाकर दुबे द्वारा थाना महुली में लिखाई गयी रिपोर्ट

*२२—श्री विद्याशंकर तथा श्री कमला प्रसाद वर्मा—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम दुबौली, थाना महुली, जिला बस्ती के निवासी सर्वश्री राम गोबिन्द, राम बिलास पाण्डेय, श्रीराम सन्त तथा गोबिन्द आदि के विरुद्ध १९ अगस्त, १९७७ को श्री समाकर दुबे आदि ने थाना महुली, जिला बस्ती में इस आशय की रिपोर्ट लिखाई थी कि उपर्युक्त व्यक्ति श्री समाकर तथा उसके भाई गुलाब दत्त के परिवार के सदस्यों की जान माल को नुकसान पहुंचाने का प्रयत्न कर रहे हैं ? क्या इस सम्बन्ध में २० जुलाई, १९७७ व १५ सितम्बर, १९७७ को श्री गुलाब दत्त का प्रार्थना-पत्र तथा ७ अक्तूबर, १९७७ को प्रश्नकर्ता का पत्र मुख्य मंत्री को मिला ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री राम नरेश यादव—

प्राप्त सूचना के अनुसार श्री समाकर दुबे पुत्र श्री अछैबर दुबे ने दिनांक २१ अगस्त, १९७७ को थाना महुली में सर्वश्री राम गोविन्द, रामसन्त तथा गोविन्द के विरुद्ध धारा ५०६/३५२ भा० दं० वि० के अन्तर्गत रिपोर्ट दर्ज करायी थी जो कि अहस्तक्षेपीय अपराध के अन्तर्गत आता है । मामला दीवानी से सम्बन्धित है और दीवानी न्यायालय में विचाराधीन भी है । अतः पुलिस द्वारा इसमें किसी प्रकार का

हस्तक्षेप करना संभव नहीं है । फिर भी शान्ति व्यवस्था कायम रखने हेतु पुलिस द्वारा १०७/११६ जा० फौ० की कार्यवाही की जा चुकी है । प्रश्न गत पत्रों का प्राप्त होना प्र ीत नहीं होता है ।

राजकीय इण्टर कालेज, गदरपुर, नैनीताल के छात्रों का जलूस एवं छात्रों पर हमला

*२३—श्री देव बहादुर सिंह—

क्या सरकार को मालूम है कि दिनांक २४ फरवरी, १९७८ को गदरपुर, जिला नैनीत ल में विद्यार्थियों का जुलूस निकला था और जुलूस के किसी छात्र पर किसी व्यक्ति ने प्रहार किया जिससे उ त छात्र को चोट आई जिसकी प्रथम सूचना थाना गदरपुर में दर्ज कराई गयी ? यदि हां, तो क्या इ स कारण की जांच कराई गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम नरेश यादव—

जी हां । दिनांक २४ फरवरी, १९७८ को उत्तराखण्ड बन्द के समर्थन में राजकीय इण्टर कालेज, गदरपुर के छात्रों द्वारा जुलूस निकाला गया जो दूकानें बन्द करवा रहा था । इसी सम्बन्ध में हुये विवाद के दौरान एक व्यक्ति ने एक छात्र को तलवार से मारा । दोनों ही पक्षों की ओर से थाने में भा० दं० वि० के अन्तर्गत रिपोर्ट अंकित कराई गई । दिनांक २५ फरवरी, १९७८ को दोनों पक्षों में लिखित रूप से राजीनामा हो गया है ।

हल्द्वानी, जिला नैनीताल के छात्रों के जुलूस पर लाठी चार्ज

*२४—श्री देवबहादुर सिंह तथा श्री रामदत्त जोशी (जिला नैनीताल)—

क्या सरकार को मालूम है कि दिनांक १६ फरवरी, १९७८ को हल्द्वानी, जिला नैनीताल में छात्र एवं छात्राओं के एक जुलूस पर पुलिस ने लाठी प्रहार किया ? यदि हां, तो लाठी प्रहार करने का कारण क्या था तथा इस लाठी प्रहार में कितने छात्र तथा छात्राएं घायल हुए ?

श्री राम नरेश यादव—

दिनांक १६ फरवरी, १९७८ को हल्द्वानी नगर में असामाजिक तथ्यों तथा छात्रों को एक उग्र भीड़ को धारा १४४ दण्ड प्रक्रिया संहिता का उल्लंघन करने के फ स्वरूप तितर-बितर करने के लिये मैजिस्ट्रेट के आदेश से हलका लाठी चार्ज किया गया । इस हलके बल प्रयोग से किसी छात्रा को चोट नहीं आयी । २३ छात्रों को मामूली चोटें आई जिन्हें प्राथमिक चिकित्सा दी गई । इन छात्रों ने डाक्टरी मुआयना कराने से इनकार कर दिया ।

देवरिया जिले के ग्राम नगला खास के हरिजनों से बेगार लिए जाने सम्बन्धी सूचना

*२५—श्री बाबू लाल विद्यार्थी (जिला गोरखपुर), श्री मन्नू राम (जिला बलिया), श्री रवीन्द्र सिंह, श्री श्याम देव (जिला वाराणसी) तथा श्री बेचूराम (जिला वाराणसी)—

क्या मुख्य मंत्री जांच कर बताने की कृपा करेंगे कि जनपद देवरिया के ग्राम नगला खा स, थाना रुद्रपुर के एक हरिजन को बेगार लेने तथा इस समय इसी ग्राम के एक हरिजन परिवार जिसका नाम मगलू है, के परिवार के लोगों को

वहां के सवर्णों ने निकलना बन्द कर रखा है तथा उसके घर के सामने की जमीन को अपने कब्जे में करके उसकी झोपड़ी आदि उजाड़ दी गयी है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में शासन को मार्च, १९७७ से अब तक कितनी सूचनाएं जिला प्रशासन एवं सम्बन्धित मंत्री जी को प्राप्त हुई है ? और शासन ने अब तक उसकी जान-माल की सुरक्षा के लिए क्या कार्यवाही की है ।

श्री राम नरेश यादव—

प्राप्त सूचना के अनुसार जांचोंपरान्त ज्ञात हुआ है कि प्रश्नगत ग्राम में किसी भी हरिजन से न तो बेगार ली जा रही है और न ही किसी हरिजन को सवर्णों द्वारा सताया जा रहा है । मंगलू नाम का कोई जीवित व्यक्ति भी उक्त ग्राम में नहीं है । अतः उसके जानमाल की रक्षा हेतु कोई सुरक्षात्मक कार्यवाही किए जाने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

अकबरपुर, राज्य कताई मिल के अधिकारी द्वारा थाने में लिखायी गयी रिपोर्ट

*२६—श्री रियासत हुसैन—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अकबरपुर राज्य कताई मिल्स कम्पनी नं०-१ के मुख्य अधिकारी ने कोई रिपोर्ट दिनांक २ मार्च, १९७८ को थाना अकबरपुर, जिला फैजाबाद में लिखाई है ? क्या उत्तर प्रदेश राज्य कताई मिल कर्मचारी संघ जो उक्त मिल की एक मात्र रजिस्टर्ड यूनियन है, ने कोई नोटिस सरकार को अपने प्रस्ताव दिनांक ७ मार्च, १९७८ द्वारा उक्त घटना के सम्बन्ध में दी है ? यदि हां, तो वह नोटिस क्या है ?

श्री राम नरेश यादव—

जी हां । उक्त कर्मचारी संघ ने प्रश्नगत घटना के सम्बन्ध में कोई नोटिस नहीं भेजी है । हां उनका दिनांक ७ मार्च, १९७८ का एक पत्र अवश्य प्राप्त हुआ है जिसमें वहां के कुछ स्थानीय असामाजिक तत्वों द्वारा मिल के श्रमिकों एवं अधिकारियों के विरुद्ध अवांछनीय एवं आंतकवादी कार्यवाही करने एवं २ मार्च १९७८ की घटना एवं पुलिस द्वारा कार्यवाही न किए जाने का जिक्र किया गया है ।

*२७—श्री ओम प्रकाश—

[२०-३-७८ को शून्य प्रहर में उत्तरित]

गोरखपुर में बढ़ते हुए अपराधों के विरुद्ध आवेदन-पत्र

*२८—श्री दया राम भास्कर (जिला आजमगढ़)—

क्या सरकार को जानकारी है कि प्रश्नकर्ता द्वारा माह जून, १९७७ से दिसम्बर, १९७७ तक तथा दिनांक १२ फरवरी, १९७८ व १३ फरवरी, १९७८ को मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश, गृह सचिव, अध्यक्ष विधान सभा, मुख्य सचिव व आई० जी० पुलिस, उत्तर प्रदेश, लखनऊ, डी० आई० जी०, गोरखपुर को आवेदन-पत्र बढ़ती हुई चोरी, डकैती, कत्ल के सम्बन्ध में एवं डाकू उन्मूलन अभियान चलाने के बारे में दिया है । यदि हां, तो उस पर किन-किन अधिकारियों ने छान-बीन किया और जनता को राहत पहुंचाने हेतु क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री राम नरेश यादव—

दिनांक २-२-७८ का एक पत्र प्राप्त हुआ जिसकी जांच जनपद के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा करायी गयी । अपराधों को रेकथाम तथा जनता को राहत पहुंचाने के लिए पुलिस महानिरीक्षक तथा उप महानिरीक्षक द्वारा जनपद का दौरा किया गया, पी० ए० सी० व पुलिस द्वारा गश्त की व्यवस्था की गयी तथा अपराधिक तत्वों के विरुद्ध अपराध निरोधक अभियान चलाया गया ।

आजमगढ़ जिले के ग्राम विशेखा निवासी श्री राम दवर यादव की हत्या

*२९—श्री राम दया भास्कर—

क्या सरकार को जानकारी है कि आजमगढ़ अन्तर्गत थाना पवई के ग्राम विशेखा के श्री राम दवर यादव लेखपाल को उसी गांव के कुख्यात डाकू ने अपने साथियों द्वारा कत्ल करा दिया और रंजिश में श्री राम पलट यादव का नाम बता कर डकैती में फांस दिया, जिसकी छानबीन प्रश्नकर्ता ने किया और पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ तथा सम्बन्धित थानेदार थाना दिदारगंज व सरायमीर को अपनी जानकारी लिखकर दिनांक १३ मार्च, १९७८ को रजिस्ट्री किया जिसमें यह लिखा था कि निर्दोष को फांस कर तंग न करें और दोषी को कतई न छोड़ें ? क्या इस सम्बन्ध में उक्त पत्र सम्बन्धित अधिकारियों को मिला ? यदि हां, तो उसमें क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री राम नरेश यादव—

जी हां, यह बताया गया है कि जनपद आजमगढ़ के अन्तर्गत थाना पवई के ग्राम विशेखा के श्री राम दवर यादव की हत्या दिनांक ३०-१-७८ को उसी ग्राम के हारम, राम अवल यादव, राम सहाय यादय व देवी प्रसाद यादव द्वारा कर दी गयी । यह सत्य नहीं है कि उता हत्या की रंजिश से श्री राम पलट यादव का नाम लेकर डकैती में फंसा दिया गया । प्रश्नकर्ता महोदय का पत्र दिनांक ११-३-७८ का प्राप्त हुआ है । इस सम्बन्ध में गहराई से छानबीन की जा रही है ।

*३०—श्री रवीन्द्र सिंह—

[कई विभागों से सम्बन्धित होने के कारण निरस्त]

मथुरा जिले के ग्राम कोटबन की वन भूमि के आवंटन की मांग

*३१—श्री लक्खी सिंह (जिला मथुरा)—

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मथुरा जनपद के ग्राम कोटवन में ४०० एकड़ में जो बहुत उपजाऊ है खाली कांकड़, बबूल के पेड़ लगे हुए हैं और एक भी फलदार वृक्ष नहीं है ? क्या यह भी सही है कि इसमें रात दिन डकैत विश्राम करते हैं और लूटमार करते हैं ? क्या इस वन को लेने के लिए किसानों ने भूमि मुक्ति आन्दोलन किया था और जेल गए थे और सरकार ने १९६७-६८ में आश्वासन दिया था कि यह किसानों में बांटी जायगी ? यदि हां, तो क्या इसको कटवा कर भूमिहीन किसानों में बांटा जायगा जिससे अधिक अन्न पैदा हो, यदि नहीं तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री श्रीचन्द्र—

मथुरा जनपद के ग्राम कोटवन में केवल १४० एकड़ अथवा ५६.६६ हेक्टेयर भूमि वन विभाग के अधिकार में है। यह भूमि बहुत उपजाऊ नहीं है और अर्ध ऊसर है तथा वर्षा ऋतु में इसमें पानी भरा रहता है इस भूमि के ५०.२० हेक्टेयर क्षेत्र पर वर्ष १९५४ में बबूल, ब्यूलोफिलोरा आदि का वृक्षारोपण किया गया था। फलदार वृक्ष नहीं लगाए गये थे। अतः फलदार वृक्षों के होने का प्रश्न नहीं उठता।

इस बात की कोई सूचना वन विभाग को नहीं है कि इस वन क्षेत्र में डकैत रात दिन विश्राम तथा लूटमार करते हैं।

ऐसा कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं है कि वर्ष १९६७–६८ में उक्त बन भूमि को भूमिहीनों को बांटने का आश्वासन दिया गया था। हां, सितम्बर, १९७० में निकटवर्ती ग्रामवासियों द्वारा कोटवन ब्लाक को वन भूमि पर जबरन कब्जा करने का आन्दोलन किया गया था और उनके द्वारा इस जंगल के वृक्ष भी काटे गये थे परन्तु उस समय आवश्यक कदम उठाकर उक्त आन्दोलन को निष्फल कर दिया गया।

सर्वश्री गुरु बचन सिंह चड्ढा एंड कं०, हल्द्वानी को आवंटित सीमेन्ट

*३२—श्री रामदत्त जोशी

क्या उद्योग मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९७६–७७, १९७७–७८ में सर्वश्री गुरु बचन सिंह चड्ढा एण्ड कं०, रामपुर रोड, हल्दवानी के स्पन पाइप के करखाने को उद्योग विभाग की ओर से कितना सीमेन्ट दिया गया और उपरोक्त फर्म ने उत्तर प्रदेश सरकार के राजकीय विभागों को कितना पाइप सप्लाई किया है?

श्री राम प्रकाश—

सर्वश्री गुरु बचन सिंह चड्ढा एन्ड कं०, रामपुर रोड, हल्द्वानी के स्पन पाइप कारखाने को उद्योग निदेशालय, उ० प्र० द्वारा वर्ष १९७६–७७ में ४०० मे० टन तथा वर्ष १९७७–७८ में पुनः ४०० मे० टन सीमेन्ट का आवंटन किया गया था। उक्त इकाई ने १९७६–७७ में ७,५३,३०९ रुपया एवं १९७७–७८ में ८,५९,२४७ रुपया के मूल्य के पाइप इत्यादि राजकीय विभागों को सप्लाई किया।

मुंसिफ मैजिस्ट्रेट की परीक्षा हेतु आयु–सीमा

*३३—श्री रामजी (जिला आजमगढ़) तथा श्री त्रिलोक चन्द्र (जिला बुलन्दशहर)—

क्या मुख्य मन्त्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि वर्ष १९७८ में शासन द्वारा आयोजित मुंसिफ मैजिस्ट्रेट की परीक्षा के लिए पूर्व निर्धारित ३५ वर्ष की आयु को घटा कर ३० वर्ष किया गया ह? यदि हां, तो किन परिस्थितियों में क्या वर्ष १९७८ में आयोजित होने वाली मुंसिफ मजिस्ट्रेट की परीक्षा के लिए पूर्व निर्धारित ३५ वर्ष की आयु को पुनः संशोधित करके, समय बढ़ाने का कष्ट करेंगे? क्योंकि शासन की नीति के अनुसार आयु को बढ़ाने व घटाने की प्रणाली को राजपत्र में विज्ञप्ति के पश्चात् ही की जाती है?

श्री राम नरेश यादव—

प्रश्नगत परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों की आयु सीमा को घटाया नहीं गया है, वरन् अधिकतम आयु सीमा वही रखी गयी है जैसा कि उत्तर प्रदेश सिविल सर्विस

(जुडीशियल ब्रांच) (संशोधन) नियमावली, १९७२ में निर्धारित है। प्रश्नगत परीक्षा अप्रैल २, ३ व ४, १९७८ को हो चुकी है।

शेष प्रश्न नहीं उठते।

*३४—श्री लक्खी सिंह—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त।]

*३५—श्री बसन्त लाल तथा श्री राम नरेश पाण्डेय—

[दिनांक २८-३-७८ को वक्तव्य हो जाने के फलस्वरूप निरस्त।]

मेरठ जिले के ग्राम बना की हरिजन लड़की के साथ बलात्कार एवं उसकी हत्या

*३६—श्री मन्जूर अहमद—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम बना, थाना इचौली, जिला मेरठ में १५ वर्षीय एक हरिजन लड़की के साथ बलात्कार करके सितम्बर, १९७७ को जान से मार दिया गया ? यदि हां, तो मुल्जिमान कौन है और उनके खिलाफ क्या कार्यवाही हुई ?

श्री राम नरेश यादव—

प्राप्त सूचना के अनुसार ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक, मेरठ को माह अक्तूबर, १९७७ में कुछ सूत्रों से यह ज्ञात हुआ कि ग्राम बना, थाना इचौली, जिला मेरठ में एक हरिजन लड़की की हत्या १०-९-७७ को कर दी गई थी। इस सूचना पर उप पुलिस अधीक्षक द्वारा जांच करायी गई। उप-पुलिस अधीक्षक ने जांच के बाद इस सम्बन्ध में धारा ३०२/३७८/२०१ भा० दं० वि० का अपराध दिनांक २२-१०-७७ को कायम कराया। अभी तक कोई अभियुक्त प्रकाश में नहीं आया है। विवेचना प्रचलित है।

मेरठ जिले के ग्राम भूनी की हरिजन लड़की के साथ बलात्कार एवं उसकी हत्या

*३७—श्री मन्जूर अहमद—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि फरवरी, १९७८ को ग्राम भूनी, थाना सरूरपुर, जिला मेरठ में बाला नामक १२ वर्षीय हरिजन लड़की के साथ बलात्कार कर हत्या कर दी गयी ? यदि हां, तो मुल्जिमान कौन है और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री राम नरेश यादव—

प्राप्त सूचना के अनुसार श्री हिम्मत सिंह हरिजन, निवासी ग्राम भूनी ने थाना सरूरपुर, जिला मेरठ में दिनांक २६-२-१९७८ को उसकी लड़की बाला, आयु १३ वर्ष के साथ बलात्कार कर उसकी हत्या कर दिये जाने के सम्बन्ध में रिपोर्ट लिखाई। जिसके आधार पर धारा ३०२/३७६ भा० दं० वि० का अभियोग कायम किया गया। प्रथम सूचना में किसी को नामांकित नहीं किया गया था। अब तक की विवेचना से कोई अभियुक्त प्रकाश में नहीं आया। अभियोग की विवेचना जारी है।

*३८--श्री कृष्ण स्वरूप---

[१-११-७७ को तारांकित प्रश्न संख्या ६ द्वारा उत्तरित]

टेलीफोन अटेन्डेन्ट्स, बारलशफा, लखनऊ का निलम्बन एवं उनके विरुद्ध आरोप-पत्र

*३९--श्री रामदेव दुबे (जिला प्रतापगढ़)---

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतलाने का कष्ट करेंगे कि १६ अक्तूबर, १९७६ ई० को राज्य सम्पत्ति अधिकारी ने कुछ टेलीफोन अटेन्डेन्ट्स, बारलशफा, लखनऊ के ऊपर कतिपय आरोप लगाए हैं और उन्हें निलम्बित कर दिया है ? यदि हां, तो आज तक इसमें क्या कार्यवाही की गई ? क्या आरोप-पत्र सदन के पटल पर रखने की कृपा की जाएगी ? निलम्बित अटेन्डेन्ट्स को कितना जीवन निर्वाह वेतन मिलता है ?

श्री राम नरेश यादव---

जी हां । दिनांक १६ अक्तूबर, १९७६ को राज्य सम्पत्ति अधिकारी ने विधायक निवास-१ के ३ टेलीफोन अटेन्डेन्ट्स के ऊपर कतिपय आरोप लगाये थे और उन्हें निलम्बित किया था । उनमें से एक को दिनांक ४-१-१९७८ से पुनः स्थापित किया जा चुका है । एक अन्य के सम्बन्ध में पुनः स्थापित के आदेश दिनांक २५-१-१९७८ को जारी किये गये हैं । तीसरे कर्मचारी के मामले में अभी अन्तिम निर्णय लिया जाना शेष है । आरोप पत्रों की प्रतियां संलग्न है । निलम्बन काल में निलम्बित कर्मचारी को जीवन निर्वाह भत्ता ऐसी छुट्टी के वेतन की धनराशि के बराबर जो उन्हें प्राप्त होता यदि वे अर्द्ध औसत वेतन पर होते और उसके अतिरिक्त उक्त वेतन पर देय महंगाई भत्ता दिया जाता है ।

(देखिए परिशिष्ट 'ख' आगे पृष्ठ ४५९ पर)

*४०--श्री रामदेव दुबे

क्या मुख्य मन्त्री कृपया यह भी बतलाने का कष्ट करेंगे कि कुछ टेलीफोन अटेन्डेन्ट्स के ऊपर वेयर टैकर विधायक निवास नं० १ के कार्यालय से कोई आरोप-पत्र दिनांक १५ सितम्बर, १९७६ को दिया गया है ? यदि, हां, तो वह क्या है और आज तक उसमें क्या कार्यवाही की गई ?

श्री राम नरेश यादव---

जी नहीं ।

*४१--श्री राम नरेश पाण्डेय तथा श्री वीरेन्द्र चतुर्वेदी---

[८वें सीमबार में तारांकित प्रश्न संख्या ३८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*४२-४३--श्री बाल कृष्ण---

[माननीय सदस्य द्वारा वापस ले लिए गए]

*४४--श्री गुलाब सेहरा---

[गोपनीयता के आधार पर निरस्त]

गोंडा जिले के थाना परसपुर के विरुद्ध शिकायती-पत्र

*४५--दीप नरायन (जिला गोंडा)--

क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक २२ अक्तूबर, १९७७ को एक शिकायती प्रार्थना-पत्र प्रधान, ग्राम सभा चरसड़ी, थाना परसपुर, जिला गोंडा न पुलिस थाना परसपुर, जिला गोंडा के विरुद्ध जिलाधिकारी, गोंडा को दिया था, जिस पर दिनांक २५ अक्तूबर, १९७७ को जिलाधिकारी, गोंडा ने जांच करायी। यदि हां, तो जांच रिपोर्ट क्या है ?

श्री राम नरेश यादव--

जी हां, शिकायती प्रार्थना-पत्र की जिलाधिकारी द्वारा जांच करायी गयी। जांच रिपोर्ट पर विचारोपरान्त मामले में भ्रष्टाचार निवारण संगठन से छान बीन कराने के आदेश हुए हैं।

बदायूं जिले के औद्योगीकरण एवं लघु उद्योगों की स्थापना की मांग

*४६--श्री कृष्ण स्वरूप--

क्या उद्योग मन्त्री कृपया बतायेंगे कि बदायूं जिले में औद्योगिक उद्योगीकरण और छोटे उद्योग धन्धों में प्रोत्साहन देने में कौन-कौन से कदम हाल में सरकार द्वारा उठाए गए ह ? और किन-किन स्थानों पर नए उद्योग-धन्धों को स्थापित करने की कौन-कौन सी योजना सरकार द्वारा विचाराधीन है ?

श्री राम प्रकाश--

बदायूं जनपद में ग्रामीण औद्योगीकरण तथा छोटे उद्योग धंधों को प्रोत्साहन देने हेतु सरकार द्वारा हाल में निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं :--

(१) वर्ष १९७७-७८ में बदायूं जनपद का एक विशेष सर्वेक्षण कन्सलटेन्ट द्वारा कराया गया है, जिससे कि इस जनपद के आर्थिक विकास के लिए स्थानीय संसाधनों के आधार पर उद्योगों का चयन किया जा सके।

(२) विकास केन्द्र योजना के अन्तर्गत बदायूं जनपद में प्रथम चरण में उझानी को चुना गया है जहां लघु एवं ग्रामीण उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

(३) सलारपुर में औद्योगिक आस्थान की स्थापना की जा रही है।

(४) बदायूं जनपद में चालू वित्तीय वर्ष में एक जिला उद्योग केन्द्र की स्थापना का प्रस्ताव है, जिसके द्वारा उद्योगियों को सभी आवश्यक सुविधायें उपलब्ध करायी जायेंगी।

*४७--श्री राज कुमार शर्मा--

[६ठें सोमवार में तारांकित प्रश्न संख्या २६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

वाराणसी जिले की ज्ञानपुर तहसील के चकबन्दी कार्यालय के कर्मचारियों के विरुद्ध थाने में लिखायी गयी रिपोर्ट

*४८--श्री रमा शंकर कौशिक (जिला मुरादाबाद)--

क्या मुख्य मन्त्री बतायेंगे कि जनपद वाराणसी के ज्ञानपुर तहसील के चकबन्दी कार्यालय के एक लेखपाल, एक मुहर्रिर तथा एक अन्य व्यक्ति के विरुद्ध आई० पी० सी० की धारा ४६८/२१८/३५३ के अन्तर्गत दिनांक १५ अगस्त, १९७७ को चकबन्दी कार्यालय के अधिकारियों ने थाना औराई तथा कैंट में रिपोर्ट लिखाई है परन्तु सभी प्रारम्भिक सबूत दे देने के बाद भी पुलिस ने अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की है ? यदि हां, तो उस निष्क्रियता का क्या कारण है ?

श्री राम नरेश यादव--

प्राप्त सूचना के अनुसार प्रश्न में उल्लिखित भारतीय दन्ड विधान की धाराओं के अन्तर्गत एक रिपोर्ट पहले थाना औराई पर दी गई सूचना के आधार पर लिखी गई परन्तु घटनास्थल थाना कैन्ट क्षेत्र में पड़ने के कारण उक्त मुकदमें के कागजात थाना कैंट पर भेजे गये जहां उपरोक्त धाराओं के अन्तर्गत मुकदमा कायम है जिसकी विवेचना प्रचलित है ।

*४९--श्री अन्त बक्श रावत--

[३रे शुक्रवार के तारांकित प्रश्न संख्या ३० के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

अतारांकित प्रश्न

मंत्रि मंडल के सदस्यों के यात्रा भत्तों पर व्यय की गयी धनराशि

१--श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया), श्री कृपा शंकर आर्य (जिला देवरिया) तथा श्री ऊदल--

क्या सरकार कृपया बतलायेगी कि उत्तर प्रदेश वर्तमान मन्त्रिमन्डल के प्रत्येक सदस्य पर जुलाई, सन् १९७७ लगायत ३१ दिसम्बर, सन् १९७७ तक यात्रा भत्ता पर अलग-अलग कितनी-कितनी सरकारी धनराशि व्यय हुई है और उक्त अवधि में मन्त्रि-मन्डल के कुछ सदस्यों ने हवाई जहाज या हेलीकोप्टर से यात्राएं की हैं ? यदि हां, तो किन-किन ने कब-कब, कहां-कहां और प्रत्येक ऐसी यात्रा पर कितनी-कितनी सरकारी धनराशि व्यय हुई है ?

श्री राम नरेश यादव--

उत्तर प्रदेश वर्तमान मंत्रिमंडल के प्रत्येक सदस्य पर जुलाई, १९७७ से ३१ दिसम्बर, १९७७ तक यात्रा पर सरकारी धनराशि के व्यय का ब्योरा तालिका 'क' में दिया गया है तथा सरकारी वायुयान या हेलीकाप्टर से की गई यात्राओं का ब्योरा तालिका 'ख' म दिया गया है ।

(देखिये सत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ४६३ पर)

श्रीमती झझिया, निवासिनी मालगोदाम रोड, भदोही, जिला वाराणसी के मकान में आगजनी व लूट-पाट की घटना

२—श्री ऊदल—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्रीमती झझिया बेवा शिवबिहन भर, मालगोदाम रोड, भदोही, थाना भदोही, जिला वाराणसी के मकान तथा तोत मंड़ई को तारीख १४ दिसम्बर, १९७७ को सुबह ८ बजे कुछ असलहाधार लोगों एवं गुन्डों ने उजाड़कर समतल कर दिया और सारा सामान लूट लिया और मुंह बांध कर मारा पीटा ? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि जब वह थाना भदोही में रिपोर्ट करने गयी तो एस० ओ०, थाना भदोही ने रिपोर्ट नहीं लिखी ? क्या यह सत्य है कि तारीख १७ दिसम्बर, १९७७ को वह एस० एस० पी०, वाराणसी के यहां गयी और प्रार्थना-पत्र दिया तब एस० एस० पी०, वाराणसी के आदेश पर तारीख १९ दिसम्बर, १९७७ को भदोही थाने में मुकदमा दर्ज किया गया ? यदि हां, तो एस० ओ०, भदोही के इस व्यवहार के खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी ? क्या सरकार उस प्रार्थना-पत्र को जिसे ए० एस० पी० को झझिया ने दिया है और सी० ओ०, सर्किल ज्ञानपुर को दिया है उसकी एक-एक प्रति सरकार सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री राम नरेश यादव—

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक १४-१२-७७ को प्रश्न में उल्लिखित आशय की घटना की सूचना श्रीमती झझिया पत्नी स्वर्गीय शिव दिहन, निवासिनी माल गोदाम रोड, भदोही (जिला वाराणसी) थाना भदोही पर रिपोर्ट लिखाने गई थी परन्तु कुछ लोगों के बहकावे में रिपोर्ट लिखाये बिना वह थाने से वापस चली आई। पुलिस को उक्त घटना की अन्य सूत्र से सूचना प्राप्त होने पर पुलिस मौके पर गई और कुछ लोगों को धारा १५१ जा० फौ० में गिरफ्तार करके जेल भेजा तथा १०७/११६ जा० फौ० की कार्यवाही की।

प्राप्त सूचना के अनुसार प्रार्थिनी का ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक, वाराणसी को प्रार्थना-पत्र देने के बाद उनके आदेश पर मुकदमा कायम किये जाने की बात सही नहीं है बल्कि, प्रार्थनी ने दिनांक १४-१२-७७ को एक प्रार्थना-पत्र सर्किल आफिसर ज्ञानपुर को दिया था जिस पर उन्होंने जांच करने के आदेश दिये थे। जांच से पुलिस के विरुद्ध रिपोर्ट न लिखने की शिकायतें सही नहीं पाई गई। इसके पश्चात् उक्त घटना के संबंध में थाना भदोही पर पहले धारा ३९५/४२७ भारतीय दन्ड विधान का मुकदमा कायम करके विवेचना शुरू की गई। विवेचना से उक्त मुकदमा धारा ३९५ भारतीय दण्ड विधान का नहीं पाया गया। मुकदमें में विवेचना के पश्चात् आरोप पत्र न्यायालय भेजा गया। मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन है। प्रार्थिनी श्रीमती झझिया के प्रार्थना-पत्र दिनांक १४-१२-७७ की प्रति संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ४७६ पर)।

सचिवालय के पर्वतीय विकास विभाग के अस्थायी पदों को स्थायी किये जाने की मांग

३—श्री भगवती चरण निर्मोही (जिला गढ़वाल)—

क्या मुख्य मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि सचिवालय के पर्वतीय विकास विभाग में कितने ऐसे अस्थायी पद हैं जो तीन वर्ष से अधिक से चल रहे

हैं और सरकार की इस नीति के बावजूद भी कि तीन वर्ष के (अधिक चलने वाले अस्थायी पद स्थायी कर दिए जायेंगे, अभी तक अस्थायी हैं ? कब तक ये पद स्थायी कर दिए जायेंगे ?

पर्वतीय विकास मन्त्री (श्री शोबन सिंह जीना)—

दिनांक ३१ दिसम्बर, १९७७ को निम्नलिखित पद तीन वर्ष से या उससे अधिक समय से अस्थायी रूप से चलते आ रहे हैं, इनको स्थायी किये जाने की कार्यवाही की जा रही है :

	पद	संख्या
१	प्रवर वर्ग सहायक	१५
२	संदर्भ लिपिक	५
३	अवर वर्ग सहायक	७
४	टंकक	५

प्रदेश में अपराधियों को गोली मारे जाने के संबंध में कथित आदेश

४--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि शासन द्वारा इस आशय के निर्देश दिसम्बर, १९७७ अथवा जनवरी, १९७८ के प्रथम सप्ताह में पुलिसजनों के लिए जारी किए गए हैं कि यदि किसी अपराधी द्वारा समाज के लिए गम्भीर चुनौती पैदा कर दी गई है तो उसे गोली से शूट कर दिया जाय ? यदि हां, तो आदेश कब जारी किए गए तथा वास्तविक एवं पूर्ण आदेश क्या है तथा इस आदेश के अधीन अब तक कितने अपराधियों को शूट किया गया है ?

श्री राम नरेश यादव--

जी नहीं । इस प्रकार के कोई आदेश जारी नहीं किये गये हैं ।

पर्वतीय विकास, शिक्षा एवं स्वास्थ्य समिति के अध्यक्ष की रिपोर्ट की संस्तुतियों का कार्यान्वयन

५--श्री शिवानन्द नौटियाल--

क्या पर्वतीय विकास मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि पर्वतीय विकास की शिक्षा एवं स्वास्थ्य समिति के अध्यक्ष ने वर्ष १९७६-७७ में पर्वतीय जिलों में शिक्षा सम्बन्धी सुधारों पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी ? यदि हां, तो उनकी सिफारिशों पर दिनांक १ जनवरी, १९७८ तक क्या कार्यवाही की गयी है और जिन सिफारिशों को इस तिथि तक स्वीकार नहीं किया गया है तथा उनके क्या कारण हैं ?

श्री शोबन सिंह जीना--

जी हां । सूचना संलग्न है ।

नोट--छापी नहीं गयी ।

६--श्री शिवानन्द नौटियाल--

क्या पर्वतीय विकास मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि पर्वतीय विकास की शिक्षा एवं स्वास्थ्य समिति के अध्यक्ष ने वर्ष १९७६-७७ में पर्वतीय अंचल में स्वास्थ्य सेवाओं के सुधार हेतु अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी ? यदि हां, तो उनकी सिफारिशें क्या-क्या थीं और अब तक उन पर क्या कार्यवाही हुई है ? यदि नहीं, तो उसका क्या कारण है ?

श्री शोबन सिंह जीना--

जी हां । अध्यक्ष ने मुख्य रूप से १५ सिफारिशें की थीं । इन पर की गई कार्यवाही का विवरण †संलग्न है ।

७--श्री राम सजीवन--

[७वें शुक्रवार में अतारांकित प्रश्न संख्या २३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

वाराणसी जिले के ग्राम डूही सूही के हरिजनों को सपही जंगल में टोंगिया पद्धति पर भूमि दिये जाने की मांग

८--श्री ऊबल--

क्या वन मन्त्री तारांकित प्रश्न संख्या १, दिनांक २६ मार्च, १९७६ के उत्तर के सन्दर्भ में बतलाने की कृपा करेंगे कि गांव डूही सूही, तहसील चकिया, जिला वाराणसी के भूमिहीन एक सौ हरिजनों को टोंगियां पद्धति में सपही जंगल की १०० एकड़ जमीन देने हेतु कहा गया था और श्री मुनीर अहमद खां, अनुसचिव, उत्तर प्रदेश शासन, वन अनुभाग-२ ने अपने पत्र संख्या ४८१९/१४-२-४०० (१७)--७५, दिनांक २३ अगस्त, १९७६ के द्वारा कहा कि हरिजनों से भूमिहीन होने का प्रमाण-पत्र मांग कर डी० एफ० ओ०, वाराणसी जमीन देने की कार्यवाही कर रहे हैं ? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि भूमिहीन होने का प्रमाण-पत्र जिलाधिकारी, वाराणसी के देने के बाद भी अब तक १०० में से सिर्फ १० हरिजनों को ही एक एकड़ के हिसाब से सन् १९७७ के जून में जमीन दी गयी है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

श्री श्रीचन्द्र--

जी हां । किन्तु उक्त वन भूमि ग्रामवासियों द्वारा अतिक्रमित है अतः अतिक्रमण के खाली कराने के बाद ही भूमि हरिजनों को आवंटित की जा सकती है । अभी तक बेदखली द्वारा मुक्त एवं विवाद रहित केवल १७ एकड़ भूमि ही १७ हरिजनों को दी गयी है । शेष भूमि खाली होने के उपरान्त दी जावेगी ।

यह सही नहीं है कि शासकीय आदेश संख्या ४८१९/१४-२-४०० (१७)/७५, दिनांक २३-८-७७ में यह कहा गया है कि भूमिहीन होने का प्रमाण-पत्र लेकर टोंगिया पद्धति पर जमीन देने की कार्यवाही डी० एफ० ओ०, वाराणसी द्वारा की जायेगी ।

यह भी सही नहीं है कि १०० व्यक्तियों के भूमिहीन होने का प्रमाण-पत्र जिलाधिकारी द्वारा देने के बाद भी केवल १० हरिजनों को ही १ एकड़ के हिसाब से वर्ष १९७७ के जून माह में जमीन दी गयी है ।

---

†नोट--छापा नहा गया ।

बांदा जिले के मुहल्ला लाल थोक के श्री बटुआ व श्री शिवराजी सिंह में मार पीट की घटना

९—श्री सुरेन्द्र पाल (जिला बांदा)—

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि बांदा जिले के अतर्रा कस्बा मुहल्ला लाल थोक निवासी श्री बटुआ पुत्र पराग हरिजन पर ठाकुर श्री शिवराजी सिंह आदि द्वारा किए गए अत्याचार सम्बन्धी अक्तूबर सन् १९७७ में प्रश्नकर्ता का रजिस्टर्ड पत्र प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो सरकार ने अभी तक क्या कार्यवाही की ?

श्री राम नरेश यादव—

जी हां। प्रश्न में उल्लिखित प्रार्थना पत्र सहित प्रश्नकर्ता का पत्र अक्तूबर, १९७७ में प्राप्त हुआ था। प्रार्थना पत्र की जांच जिलाधिकारी के माध्यम से क्षेत्राधिकारी पुलिस द्वारा कराई गई, जांच से ज्ञात हुआ कि प्रार्थी तथा उसके विपक्षियों के बीच भूमि संबंधी विवाद है। इस विवाद को लेकर प्रतिपक्षीगण ने प्रार्थी को दिनांक ५-१०-७७ को मारा पीटा व धमकी दी तथा दिनांक ११-१०-७७ को कुर्क शुदा भूमि से समान उठा ले गये। संबंधित मुकदमों में प्रतिपक्षियों के विरूद्ध आरोप पत्र न्यायलय भेजे जा चुके हैं। परगनाधिकारी ने दोनों पक्षों को निदेश दिये हैं कि वे विवादग्रस्त भूमि के स्वामित्व के मामले का निपटारा दिवानी न्यायालय से करावें।

हमीरपुर जिले की कुलपहाड़ तहसील के उद्घाटन पत्थर के हटाने के संबंध में लिखायी गयी रिपोर्ट

१०—श्री देवकुमार (जिला बांदा)—

क्या यह सही है कि उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व राजस्व मन्त्री (श्री स्वामी-प्रसाद सिंह) द्वारा नई तहसील कुलपहाड़, जिला हमीरपुर के उद्घाटन के समय दिनांक ११ मार्च, १९७७ ई० को उक्त तहसील स्थल पर लगाए गए उद्घाटन पत्थर को एस० डी० एम०, कुलपहाड़ (श्री के० के० बाजपेयी) द्वारा दिनांक १४ अगस्त, १९७७ ई० को नाजायज मजमा बनाकर तुड़वा दिया गया है जिसकी बावत घटना के समय मौजूद पहरेदार सिपाही श्री अजमेर सिंह ने व जिला कांग्रेस कमेटी हमीरपुर के उपाध्यक्ष श्री मुंगा लाल यादव ने दिनांक १४ अगस्त, १९७७ ई० को ही थाना कुलपहाड़ में रिपोर्ट लिखाई है ? यदि हां, तो घटना का पूरा विवरण क्या है और सरकार ने उक्त अभियुक्त अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है ?

श्री राम नरेश यादव—

जी हां प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक ११ मार्च, १९७७ को श्री स्वामी प्रसाद सिंह, तत्कालीन राजस्व मन्त्री, उत्तर प्रदेश ने तहसील कुलपहाड़ जिला हमीरपुर का उद्घाटन किया था इस उद्घाटन के समय तहसील के प्रवेश द्वार पर लगाये गये पत्थर पर राजस्व मन्त्री तथा जिला मजिस्ट्रेट हमीरपुर के नामों के अतिरिक्त श्री मूंगा लाल यादव, उपाध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी हमीरपुर का नाम भी खुदवाया गया था। उदघाटन पत्थर पर कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी का नाम आपत्तिजनक होने के कारण जिला मजिस्ट्रेट के आदेशानुसार तत्कालीन परगनाधिकारी, कुलपहाड़ (श्री के०के० बाजपेई) ने दिनांक १४ अगस्त, १९७७ को उदघाटन पत्थर हटवा

[श्री राम नरेश यादव]

दिया । उसी दिन रात्रि में कांग्रेस समर्थनकारियों ने तहसील के समक्ष प्रदर्शन किया और परगनाधिकारी, कुलपहाड़ के घर पर पत्थर फेंकें तथा उन्हें गालियां दी । परगाधिकारी के विरुद्ध श्री मूंगा लाल यादव ने एक रिपोर्ट भी दर्ज कराई । इस रिपोर्ट के आधार पर अभियोग संख्या ७४ अन्तर्गत धारा १४७/४३४/५०४/५०६ भारतीय दन्ड विधान तथा परगनाधिकारी की रिपोर्ट पर दिनांक १५-८-७७ को श्री मूंगा लाल यादव आदि के विरुद्ध पंजीकृत अभियोग संख्या ७५ धारा १४७/१४८/३३८/५०४/५०६ भारतीय दन्ड विधान विवेचनाधीन है ।

परगनाधिकारी द्वारा जिला मजिस्ट्रेट के आदेश से उद्घाटन पत्थर हटाया जाना किसी अपराध की संज्ञा में नहीं आता । अतः इस संबंध में परगनाधिकारी के के विरुद्ध किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

११--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

[पुनर्विचार पर निरस्त ।]

थाना मारहरा, जिला एटा में श्री मन्जूर अहमद, स० वि० स० द्वारा लिखाई गयी रिपोर्ट

१२--श्री मन्जूर अहमद--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक १६ दिसम्बर, १९७७ को थाना मारहरा, जिला एटा में लगभग रात के साढ़े ८ बजे प्रश्नकर्त्ता ने जो रिपोर्ट लिखाई थी वह रिपोर्ट क्या है और उसमें मुल्जिमान के खिलाफ क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम नरेश यादव--

रिपोर्ट की प्रति संलग्न है । मामले में जांच कराई गयी तथा आरोप सही न पाने के कारण कोई कार्यवाही नहीं की गयी ।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ४७७ पर)

फैजाबाद जिले के राजनैतिक मुकदमों को वापस लिये जाने की मांग

१३--श्री श्रीराम द्विवेदी (जिला फैजाबाद)--

क्या न्याय मंत्री को इस बात की जानकारी है कि पूर्ववर्ती सरकार द्वारा राजनैतिक कारणों से चलाये गये मुकदमें वापस लेने के आदेश आ० शा० प० सं० एक्स०-१६३६/७-ख-न्याय-रिट उत्तर प्रदेश शासन द्वारा ९ सितम्बर, १९७७ को जारी किये गए ? क्या प्रश्नकर्त्ता द्वारा भेजा गया दिनांक १९ दिसम्बर, १९७७ का कोई पत्र न्याय मन्त्री को फैजाबाद जनपद में कतिपय राजनैतिक मुकदमों की वापसी का प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो अब तक इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह--

जी हां, ९ सितम्बर, १९७७ का संदर्भित अर्द्धशासकीय परिपत्र मैंने माननीय सदस्यों को भेजा था ।

माननीय सदस्य द्वारा दिनांक १९ दिसम्बर, १९७७ को भेजा गया पत्र प्राप्त हुआ है और उसमें उल्लिखित तीन मुकदमों के वापस लिए जाने का प्रस्ताव शासन के सक्रिय रूप से विचाराधीन है ।

१४-- श्री दीनानाथ सेवक--

[स्पष्टीकरण के अभाव में निरस्त ।]

आजमगढ़ जिले के ग्राम लोहरा उपाध्याय का पूरा के श्री राम निहोर उपाध्याय का, मारे-पीटे जाने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र

१५--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि दिनांक ८ नवम्बर, १९७७ को प्रश्नकर्त्ता तथा अन्य कई विधान सभा सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित फूलपुर के ग्राम लोहरा उपाध्याय का पूरा के कुछ व्यक्तियों द्वारा श्री राम निहोर उपाध्याय के वृद्ध भाई को मारा-पीटा गया तथा जान से मार डालने सम्बन्धी शिकायत है ? यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम नरेश यादव--

प्राप्त सूचना के अनुसार श्री राम निहोर उपाध्याय का दिनांक २-११-७७ का प्रार्थना-पत्र जिस पर तीन विधायकों के हस्ताक्षर हैं और जिसमे कुछ व्यक्तियों द्वारा उनके भाई को मार डालने की धमकी देने की शिकायत है, दिनांक ६-११-७७ को शासन को तथा शासन के माध्यम से दिनांक २१-११-७७ को पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ को प्राप्त हुआ था। इस पत्र की जांच से ज्ञात हुआ कि मामूली झगड़े के कारण दिनांक २६-१०-७७ को वादी श्री भागीरथी द्वारा प्रतिवादी सर्वश्री वीरेन्द्र, कल्पू, बुझावन व राम अवध के विरुद्ध थाना हाजा पर मु० अ० सं० १८६/७७ धारा ३२३/३२४/३२५ भा० द० वि० को अंकित कराया गया था। यह अभियोग पुलिस रेगुलेशन के पैरा १०४ के अनुसार अदमतफ्तीश रहा। उक्त कथित पत्र की जांच के दौरान मामला बहुत मामूली पाया गया तथा कोई कार्यवाही करना आवश्यक नहीं समझा गया। अतः दोनों पक्षों को समझा बुझा कर शान्ति पूर्वक रहने के लिए कह दिया गया है।

भूतपूर्व प्रशासक, नगरमहापालिका, लखनऊ, श्री राजीव रत्न शाह के आपातकाल में की गयी ज्यादतियों की जांच

१६--श्रीमती सूर्यमुखी शर्मा (जिला झांसी)--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भूतपूर्व प्रशासक, नगर महापालिका एवं उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण (श्री राजीव रत्न शाह) के विरुद्ध आपात-काल में ज्यादतियां करने के सम्बन्ध में जांच किस अधिकारी द्वारा की जा रही है ?

श्री राम नरेश यादव--

इस विषय में प्राप्त शिकायतों पर राज्य सरकार द्वारा गठित आपाद्तिरेक जांच अधिकरण के माध्यम से जांच कराए जाने हेतु कार्यवाही की जा रही है।

आजमगढ़ जिले के कतिपय थानों के अन्तर्गत विभिन्न अपराधों की संख्या

१७--श्री दयाराम भास्कर--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद आजमगढ़ अन्तर्गत थाना बरवह, गम्भीरपुर, दीदारगंज, सरायमीर, अहिरौली, पवई में कुल कितन चोरी, डकैती, कत्ल १ सितम्बर, १९७७ से १० जनवरी, १९७८ तक हुए उनमें से किसने मुकदमों में फाइनल रिपोर्ट लगी, कितने की चार्जशीट लगी, कितने की तफतीश अभी हो रही है ?

श्री राम नरेश यादव—

प्राप्त सूचना के अनुसार ३८ चोरियां, ६ डकैती तथा ७ कत्ल हुए। फाइनल रिपोर्ट केवल चोरी के १६ मामलों में लगायी गयी। चार्जशीट चोरी के ९ मामलों में, डकैती के २ मामलों म तथा कतल के सभी मामलों में लगायी गयी। चोरी के ७ और डकैती के ७ मामले विवेचनाधीन हैं और चोरी के तीन मामूली मामलों में विवेचना नहीं की गयी है।

हरदोई जिले के कस्बा बेनीगंज में चोरी की घटनाएं

१८—श्री बिहारी लाल हंस (जिला हरदोई)—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई के कस्बा बेनीगंज में वर्ष १९७७ के जून माह से अब तक बाजार में कितनी चोरियां हुई हैं ? तथा इन चोरियों के विषय में कोई जानकारी हुई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम नरेश यादव—

प्राप्त सूचना के अनुसार जनपद हरदोई के कस्बा बेनीगंज में माह जून, १९७७ से फरवरी, १९७८ तक की अवधि में १४ चोरियों की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई। इनमें से एक अपराध में दो अभियुक्त गिरफ्तार हुए और उनके कब्जे से कुछ चोरी का माल बरामद हुआ। ९ अभियोगों में सफलता न मिलने के कारण अन्तिम रिपोर्ट लगी तथा शेष पांच में अभी विवेचना जारी है।

मुख्य सचिव के निजी सचिव के विरुद्ध कथित शिकायती-पत्र

१९—श्री रियासत हुसैन—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष १९७५, १९७६ तथा १९७७ में विधायकों के एवं अन्य लोगों के कितने शिकायती-पत्र मुख्य सचिव के निजी सचिव के विरुद्ध शासन को तथा मुख्य मंत्री को प्राप्त हुए जिनमें कि सतर्कता विभाग से जांच कराने की प्रार्थना की गई थी ?

श्री राम नरेश यादव—

जी नहीं।

२०-२१—श्री राम सजीवन—

[७वें शुक्रवार में अतारांकित प्रश्न संख्या २१-२२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

बांदा जिले के ग्राम खोया के कतिपय हरिजनों के विरुद्ध मुकदमों की वापसी

२२—श्री राम सजीवन—

क्या यह सही है कि बांदा जिले में थाना राजापुर के खोया गांव के सुकरू पुत्र केवल, राम चरण उर्फ चन्ना पुत्र बंगाली, सुछीवा पुत्र सुरजा एवं भागीरथी पुत्र पियारे चमार (हरिजनों) के विरुद्ध इलाहाबाद जिले के पश्चिम शरीरा थाने से दिनांक १३ अक्तूबर, १९७४ को जो मुकदमा कायम किया गया था उसको वापस लेने का प्रश्न शासन के विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

प्रश्नगत मुकदमा वापस लिया जा चुका है ।

कुमायूं तथा गढ़वाल मंडल में लीसा उद्योगों को लीसा का आवंटन

२३—श्री नारायण सिंह भैंसोरा (जिला पिथौरागढ़)—

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कुमायूं तथा गढ़वाल मंडल के प्रत्येक जिले में कुल कितन लीसा (विरोजा) उद्योग हैं और विगत ३ वर्ष में प्रत्येक को कितना-कितना लीसा आवंटित किया गया ? लीसे के अभाव में कुल कितने उद्योग बन्द पड़े हैं ? क्या ऐसे उद्योगपतियों की ओर से विभाग को प्रार्थना की गयी थी ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री श्रीचन्द्र—

कुमायूं तथा गढ़वाल मंडल में लीसा (विरोजा) औद्योगिक इकाइयों की जिलेवार संख्या संलग्न सूची-१ में दी गयी है। विगत ३ वर्षों में उपर्युक्त इकाइयों में से जिन इकाइयों को वन विभाग द्वारा लीसा आवंटित किया गया और जितना जितना किया गया उसका ब्यौरा संलग्न सूची-२ में हैं। उपलब्ध सूचना के अनुसार इस समय ८ लीसा औद्योगिक इकाइयां बन्द हैं। इन बन्द ८ इकाइयों में से ४ काठगोदाम हल्द्वानी की वे इकाइयां हैं जिन्हें वन विभाग द्वारा साधे कोई लीसा सप्लाई नहीं किया जाता है। ये इकाइयां सम्भवतः वन विभाग द्वारा नीलाम के माध्यम से बेचे गए लीसे पर आधारित हैं। वर्ष १९७७-७८ में लीसा उत्पादन म अत्यन्त कमी होने के कारण वन विभाग के पास कोई लीसा बाजार में नीलाम आदि के माध्यम से बेचने के लिए नहीं बचा जिसके फलस्वरूप सम्भवतः ये इकाइयां लीसा प्राप्त नहीं कर सकीं और उन्हें बन्द होना पड़ा। शेष ४ इकाइयां जिनमें से ३ पिथौरागढ़ की हैं और एक मुनि-की-रेती (जिला टिहरी गढ़वाल) की हैं, को वन विभाग द्वारा कोई लीसा १९७७-७८ में इस कारण वश सप्लाई नहीं किया गया क्योंकि इनका आचरण आवंटित लीसा उठाने के सिलसिले में इससे पहले वर्ष सन्तोषजनक नहीं था। उत्पादन में कमी होने के कारण लीसे की अत्यन्त कमी १९७७-७८ में थी। अतएव जिन इकाइयों को वन विभाग लीसा सीधे निजी समझौते द्वारा सप्लाई करता था, उनमें से केवल उन इकाइयों को १९७७-७८ में लीसा सप्लाई किया गया जिनका आचरण आवंटित लीसा उठाने बाबत पिछले वर्ष सन्तोषजनक था।

(देखिए नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ४७८ पर)।

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी के तारांकित प्रश्न संख्या ७(नत्थी ख)के उत्तर के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)—

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। आपने प्रश्न करने की अनुमति दे दी और शासन को उसका उत्तर देना चाहिए। इतना कह सकते हैं कि उत्तर इकट्ठा किया जा रहा है। हम १४, १५ दिन बाद सुन लेते। यह तो आपकी व्यवस्था का अवमान है, उल्लंघन है।

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी (जिला फर्रुखाबाद)—

मान्यवर, मेरा प्रश्न है..।

श्री अध्यक्ष--

ब्रह्म दत्त जी, पहले मुझे आपकी (श्री श्यामधर मिश्र की) व्यवस्था का उत्तर देने दें। सन् १९५८ में २ सितम्बर को श्री नारायण दत्त तिवारी ने जब वह विपक्ष में थे यही व्यवस्था का प्रश्न उठाया था जो श्री श्यामधर जी ने उठाया ह। उस वक्त के अध्यक्ष ने इस सदन में अध्यक्ष पद से दिए गए निर्णयों के संहत संकलन १९५२ से १९६७ के पृष्ठ २२० पर निर्णय दिया था कि मैं १०, १२ साल से देख रहा हूं कि यही उत्तर देने की यही प्रथा रही ह, चाहे यह कहीं और हो या न हो यह कोई अनुचित भी नहीं है, इतना ही उत्तर देने से कि उत्तर देना सार्वजनिक हित में नहीं हैं, बहुत से लोगों को तसल्ली नहीं होती, इस कारण उत्तर में कहा जाता है कि क्या बात सार्वजनिक हित में नहीं है। इसलिए यह बताते हैं कि "इतना खर्चा और मेहनत उत्तर देने में खर्च करना सार्वजनिक हित में नहीं है।" इस तरह के कई निर्णय हैं कुछ सारांश में कार्यवाही के खंड २०६, पृ० ४४६, खंड २५६, पृष्ठ ३३६ आदि पर है।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)--

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो रूलिंग आपने सुनाई उस रूलिंग के अन्तर्गत सरकार को इतने असीमित अधिकार प्राप्त हो रहे हैं वह जिस प्रश्न को चाहे कह दे कि समय और धन के अपव्यय के कारण उसकी उपलब्धियों को देखते हुए सूचना देना मुनासिब नहीं। इसलिए श्रीमन्, मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं, इस बात को देखते हुए भी कि, वह रूलिंग अपनी जगह है--पता नहीं उसकी क्या उस समय व्यापकता रही हो, कि आप इस प्रश्न को पोस्टपोन कर दें और अगली तिथि पर इसे ले लें जिससे यह बात साफ हो जाए कि इस सदन में कितने हिस्ट्रीशीटर हैं। और कितने ऐसे लोग हैं जिनके खिलाफ क्रिमिनल मुकदमें हैं। आप सरकार को असीम अधिकार दे देंगे तो सदन इस जानकारी से वंचित हो जाएगा। इसलिए आप पुनः इस बात पर अपनी व्यवस्था दें और इस प्रश्न को स्थगित कर दें।

श्री आरिफ मोहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर)--

मान्यवर, अभी आपने जो पुरानी व्यवस्था बताई उसे और इसके उत्तर को देखते हुए, इसमें कहीं भी जनहित या लोकहित के कारण इस सवाल का जवाब देने से मना नहीं किया गया है। इसमें यह है कि इसमें जितना समय व धन का व्यय होगा वह उसके उत्तर से प्राप्त लाभ के अनुपात में बहुत अधिक होगा। मैं समझता हूं कि आपका अधिकार है कि आप प्रश्न मंजूर करें, आप उसे उसी वक्त मंजूर करते हैं, जब उससे प्राप्त सूचना लाभदायक हो और मैं समझता हूं कि इस उत्तर के द्वारा आपके अधिकार और आपके विवेक को चुनौती दी गई है और इस तरह से इस सदन का अपमान किया गया है। चूंकि यह अपमान सदन के सामने हुआ है, इसलिए इसे आपका अपमान समझकर उसकी सूचना आपको देना चाहूंगा और मैं उसकी सूचना आज ही मैं आपको लिखित दे दूंगा।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)--

माननीय, अध्यक्षों की ऐसी व्यवस्था है कि सरकार की तरफ से यदि कहा जाए कि यह लोकहित में सूचना देना उचित नहीं है तो आप सरकार को बाध्य नहीं करेंगे। किन्तु इसमें कहीं भी लोकहित नहीं है,

केवल इसमें इतना ही कहा गया है कि इसमें व्यय से अधिक लाभ नहीं होगा । लाभ-हानि का मूल्यांकन किया गया है, इसलिए मेरा निवेदन है कि जब आपने प्रश्न को ग्राह्य कर लिया, स्वीकृति दे दी, उसके बाद शासन का यह कहना कि प्रश्न लाभकर नहीं है, यह आपके अधिकार पर कुठाराघात है और निश्चित रूप से, जैसा आरिफ साहब ने कहा यह विशेषाधिकार का प्रश्न बन जाता है और आपकी पूर्व व्यवस्थाओं से इसका कोई मेल नहीं है । इसी सदन में एक बार हमारे माननीय गृह मंत्री ने शासन की तरफ से ऐसे लोगों की सूची प्रस्तुत की थी, तो इस सदन की परम्परा भी है ऐसी सूचना देने की । तो शासन को इसमें कोई हिचक नहीं होनी चाहिये थी और यदि विधायकों की सूची देने में दिक्कत है तो मंत्रि परिषद् की ही दे देते, जिससे मालूम हो जाता कि मंत्रि परिषद् में कितने ऐसे लोग हैं जो चोरी, डकैती और कत्ल आदि के मुलजिम हैं, जिन पर केसेज हैं ....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

(श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी के खड़े होने और बोलने का प्रयास करने पर) इसमें इस समय जो व्यवस्था का प्रश्न है, उसे मैं सुन रहा हूं, आप बठ जाइये ।

श्री गुलाब सेहरा (जिला आगरा)--

जैसा नियम है, जब कोई माननीय सदस्य किसी प्रश्न को उठाता है तो आपके पास वह जाता है और आप उसे देखते हैं कि यह लोकहित में है और इसका उत्तर सरकार को देना चाहिए, तब आप उसे स्वीकार करते हैं । श्रीमन्, आपने स्वीकार किया और आज के एजेन्डा में शामिल हुआ । उत्तर जो लिखा है वह है समय का दुरुपयोग है आपने जो अपने विवेक से स्वीकार किया है उसका साफ साफ उल्लंघन है । हम प्रश्न देते हैं और आप समझते हैं कि यह ठीक नहीं है तो आप खत्म कर देते हैं । आप देखें आपके अधिकार का थोड़ा सा हनन है ।

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी (जिला फर्रुखाबाद)--

मान्यवर, जो प्रश्न था मूलतः और इसी आधार पर स्वीकार किया गया था कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और उसमें जानकारी चाही गयी थी और मान्यवर, ने सदन को जानकारी देने के लिए आवश्यक समझा था और सूचना से यह मालूम होता है कि इसमें टाल-मटोल की गयी है । कहा गया है कि समय और व्यय अधिक होगा । समय का अनुमान नहीं है और न सूचना दी है कि इतना व्यय होगा और लाभ जो होगा उसका भी इस्टीमेट नहीं बनाया गया है । इसलिए जो उत्तर है वह केवल टालने के लिए उत्तर दिया गया है और जो सदन को मूल्यावान जानकारी है उससे वंचित रखने का प्रयास किया गया । इसीलिए मेरा निवेदन है कि इस प्रश्न का उत्तर दिलाया जाये और शीघ्र रूप से दिलाया जाये । अगर माननीय मुख्य मंत्री जी चाहते हैं कि समय की आवश्यकता है, ४२५ सदस्यों के विषय में सूचना मालूम करनी है । ५७ जिले हैं, २ दिन में वह सूचना मिल सकती है । यह लोक महत्व का प्रश्न है । इसीलिए उसको स्वीकार किया है । इसलिए स्पष्ट रूप से माननीय मुख्य मंत्री जी को निर्देश दिया जाये कि वह सूचना दें ।

श्री नेम सिंह चौहान (जिला अलीगढ़)—

मान्यवर, यह नैतिक मूल्यों का प्रश्न है। इस प्रदेश की रक्षा के लिए इस सदन का यह दायित्व है कि यहां पर जितने माननीय सदस्य बैठे हैं उनका आचरण अच्छा हो, यह सारा प्रदेश इस चीज को चाहता है, बड़ा गम्भीर प्रश्न बन गया है कि हमारे चरित्र पर प्रश्न वाचक चिन्ह लगाया गया। इसलिए धन की बात या समय की बात यह नगण्य है। माननीय मुख्य मन्त्री जी निश्चित रूप से सूचना दें कि किस माननीय सदस्य का आचरण, आचरण संहिता के विपरीत रहा है। यह बहुत आवश्यक है। इसकी सूचना अवश्य दिलायी जाये और शीघ्रातिशीघ्र दिलवायी जाये जिससे सारा प्रदेश जान सके कि हमारे सदस्यों का नैतिक आचरण क्या है ?

श्री अरुण कुमार (जिला जौनपुर)—

माननीय मंत्री जी ने जो कहा उसी के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। जो सूचना दी है कि समय और श्रम का दुरुपयोग होगा। वैसे मंत्री जी कहेंगे वह हमें स्वीकार होगा, लेकिन जो विषय है उसमें न धन का दुरुपयोग दिखायी देता और न ही समय का।

श्री अध्यक्ष—

आप विषयान्तर कर रहे हैं। प्रश्न यह है कि कल्पनाथ सिंह ने जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया कि क्या इस प्रकार प्रश्न के स्वीकार किए जाने के बाद सरकार के मंत्रियों को इस बात का अधिकार है कि वह इस तरह का उत्तर दे सकें। केवल यहां तक सीमित रखना है। अगर इसमें आप यह कहें कि इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए कि मंत्री को किसी भी प्रकार का विवेक नहीं होगा। यह आप मुझे बतायें, मेज पार्लियामेन्टरी प्रेक्टिस या कौल और शकधर की पुस्तक से बतायें या जितनी रूलिंग्स अपने पक्ष में हों उन्हे बतायें, मैं तो यह कहना चाहता हूं कि नियम के अनुसार इस तरह का उत्तर देने के लिए मन्त्री सक्षम हैं या नहीं और क्या उनको बाध्य कर सकते हैं, प्रश्न इतना है ?

श्री सोहनवीर सिंह तोमर (जिला गाजियाबाद)—

एक प्रश्न उपस्थित होता है, मंत्री जी, जैसा कि आपने कहा, वह सार्वजनिक हित में नहीं है, इस तरह का उत्तर दे दें यह उनको अधिकार है। लेकिन एक नया प्रश्न उठाया है, कि जितना उसमें आर्थिक व्यय होगा उतना इस सदन को लाभ नहीं होगा। यह तो सदन और आप की मानहानि है। क्योंकि जो सरकार द्वारा व्यय होता है वह सार्वजनिक रुपया होता है। किसी मंत्री का किसी प्रश्न के उत्तर में यह उत्तर देने का अधिकार नहीं है, अपने विवेक पर छोड़ने का अधिकार नहीं है कि इस चीज पर जितना व्यय होगा उससे सदन को लाभ कम होगा। इसका अर्थ होगा कि वह मंत्री इस माननीय सदन और माननीय अध्यक्ष के अधिकारों पर आक्रमण कर रहा है। यह सारे सदन के अधिकारों पर कुठाराघात है। मैं यह प्रश्न उठाते हुए कि मंत्री ने माननीय सदन और माननीय अध्यक्ष की मानहानि की है, यह नोटिस देते हुए, औपचारिक रूप से कल इस सम्बन्ध में विशेषाधिकार का प्रश्न भी आपके सामने उपस्थित करूंगा, लिखित रूप में। अभी आपको संकेत देना चाहता हूं। आप इतने मर्मज्ञ, ज्ञात और पार्लियामेन्टेरियन हैं। किसी देश के, किसी पार्लियामेन्ट में, किसी मंत्री ने ऐसा उत्तर देने का साहस नहीं किया होगा

जिस तरह का उत्तर वह दे रहे हैं कि इसका उत्तर देने से जो लाभ होगा उससे सरकार का आर्थिक व्यय अधिक होगा। यह औचित्य का प्रश्न ही नहीं, यह माननीय सदस्यों के अधिकारों पर कुठाराघात है। मन्त्री को यह अधिकार है ही नहीं। उसके साथ मान्यवर, यह तो सीधा कमेन्ट है आपके आदेश पर और सदन के अधिकार पर।

श्री अध्यक्ष—

माननीय सोहनवीर सिंह जी, मैंने शुरू में कहा था कि संसदीय प्रणाली काफी दिन से चल रही है और जो इस प्रश्न को माननीय सदस्य उपस्थित कर रहे हैं, इसमें संसदीय प्रणाली के विद्यार्थी वह भी हैं, यह ऐसा कोई नया प्रश्न नहीं है। मैं मालूम करना चाहता हूं कि लोक सभा में या ब्रिटिश पार्लियामेन्ट में या देश की और विधान सभाओं में इस तरह के उत्तर दिये गये कि इसमें जो व्यय और श्रम लगेगा, उस का जो उत्तर आयेगा उस अनुपात में लाभ नहीं मिलेगा। मैंने इस सम्बन्ध में आपसे मालूम किया था, क्या आप कोई दृष्टांत पेश कर सकते हैं जिसमें इस तरह का प्रश्न उपस्थित किया गया हो? अभी मैंने यह कहा था।

श्री कल्पनाथ सिंह—

मान्यवर, जो व्यवस्था का प्रश्न मैंने उठाया है यह एक गम्भीर प्रश्न है। माननीय सदस्यों की, सब की राय है कि इस प्रश्न को आज आप स्थगित कर दें, कल इस पर पूरी चर्चा हो जाय। सरकार की तरफ से जो उन्होंने कहा है मंत्री जी ने, उनको भी इसकी छूट हो, अपने पक्ष के समर्थन में कोई इस प्रकार की दलील वह दें जिसके चलते विधान सभा प्रक्रिया नियमावली के नियमों का उल्लंघन करने का अधिकार प्राप्त हो। यह दलील अपनी किसी पार्लियामेन्टरी प्रैक्टिस या किसी दूसरी संसदीय प्रणाली की किताब को कोट कर दें। इस के लिए कल का दिन निश्चित कर दें। हम लोगों को भी आज्ञा दे दें। हम लोग भी इस पर चर्चा कर दें।

(श्री देवबहादुर सिंह के खड़े होने पर।)

श्री अध्यक्ष—

आप बैठ जाइये। अब नहीं।

श्री देवबहादुर सिंह (जिला नैनीताल)—

दो मिनट सुन लें। ज्यादा नहीं लूंगा।

श्री अध्यक्ष—

देवबहादुर जी, आप बैठिए।

(श्री देव बहादुर सिंह के खड़े रहने पर)

देव बहादुर जी आप बैठ जायं, मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं।

वित्त मंत्री (श्री मधुकर दिघे)--

आपने माननीय कल्पनाथ सिंह जी की बात को माना मुझे इसमें कोई एतराज नहीं, लेकिन ये सदस्य कोई नये नहीं हैं, मैनेजर सिंह जी भी कोई नये नहीं हैं, न यह कोई नयी परिपाटी है। इस पर कई बार माननीय अध्यक्षों के निर्णय हो चुके हैं, वे आपके सामने होंगे भी। कई बार इस प्रकार के उत्तर आ चुके हैं कि मंत्रि परिषद् द्वारा किस चीज का जनहित में जवाब देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, यह उनका अधिकार है (घोर व्यवधान), बहुत सी ऐसी बातें हो सकती हैं, मंत्रिपरिषद् के निर्णय हो सकते हैं, मंत्री का निर्णय हो सकता है कि इसका उद्घाटन करना जनहित में नहीं है। मान्यवर, आपको अधिकार है कि आप किसी मंत्री से उसके किसी जवाब के लिए स्पष्टीकरण ले सकते हैं लेकिन अगर मंत्री जवाब नहीं देना चाहते हैं तो आप उनको बाध्य भी नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार के माननीय अध्यक्षों के निर्णय हैं। (शोर)

(कई सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष--

नारायण सिंह जी, आप बैठिए।

श्री मधुकर दिघे--

जहां तक इस प्रश्न का सवाल है क्या इस तरह के प्रश्नों का जवाब देने से वह व्यवस्था जो सदन ने जनहित की दृष्टि से रखी है और जो उससे परिणाम निकलेंगे क्या वह लाभदायक है? और मान्यवर, यह...(व्यवधान)... जवाब देने वाले पर निर्भर करता है क्योंकि अगर कोई माननीय सदस्य यह प्रश्न पूछे कि सारे प्रदेश में पिछले ३० वर्षों में किस-किस अधिकारी को कहां-कहां रखा गया और कितनों के विरुद्ध प्रतिकूल प्रविष्टियां हुयीं तो सारे प्रदेश के कर्मचारियों को भी इसको इकट्ठा करने में १ वर्ष लग जायेगा। माननीय सदस्य कह सकते हैं कि हमने तो यह प्रश्न पूछा था आप जवाब दीजिए तो जब इस प्रश्न पर हम विस्तार से सोचना शुरू करें तो नतीजा वैसा ही निकलेगा। तो माननीय सदस्यों का यह कहना कि इस प्रकार के जवाब पहले आते रहे हैं लेकिन अब यह विशेषाधिकार अवहेलना है तो इसमें कोई विशेषाधिकार की बात है, यह बिल्कुल निर्मूल है और मैं समझता हूं कि इस पर भी माननीय अध्यक्षों के निर्णय हैं। जब आप किसी को प्राइमा फेसी मान लेते हैं कि यह प्रश्न पूछे जायेंगे, तब आप स्वीकार कर लेते हैं और उसके बाद जब जवाब आते हैं तो स्पष्टीकरण की दृष्टि से आप स्वयं पूछ लेते हैं कि उसको स्पष्ट कीजिए लेकिन अगर जवाब देने में मंत्री यह कहते हैं कि वह जनहित में लाभ हानि की दृष्टि में जवाब देना उचित नहीं है तो इसी मान्य संसदीय परम्परा में मान लिया जाता है और। (व्यवधान) इस सम्बन्ध में आप चाहे मेज पार्लियामेन्ट्री पैक्टिस देख लें उसमें संसदीय प्रणाली की व्यवस्था पर विस्तृत उल्लेख है। कल जब माननीय कल्पनाथ सिंह जी इस बारे में बोलेंगे तो मैं भी सब बातें आपके सामने रख दूंगा।

(कई सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष--

अब इस पर कोई विवाद नहीं होगा, राकेश जी आप कृपया बैठ जायं। किसी प्वाइन्ट आफ आर्डर पर इतनी बहस की आवश्यकता नहीं है। आप लोग अपने-अपने स्थानों पर बैठ जायं। आप लोग कृपया बैठ जायं।

श्री नारायण सिंह (जिला मुजफ्फर नगर)--

मान्यवर, सवाल यह नहीं है कि जवाब ही न आने दें। मान्यवर, २-४ आदमी होंगे, इस पर उत्तर तो आना ही चाहिए (व्यवधान)।

श्री अध्यक्ष--

आप २ प्रश्नों को एक जगह मिला रहे हैं। एक तो इस प्रश्न का उत्तर....।

(श्री सुखपाल पान्डेय के खड़े होने पर)

सुखपाल जी आप बैठ जायें, मैं आपको बोलने की अनुमति नहीं दूंगा। एक इस प्रश्न का उत्तर, यह सदस्यों के चरित्र से सम्बन्धित है और दूसरा प्रश्न है मंत्री और अध्यक्ष के अधिकारों का और माननीय सदस्यों के अधिकारों का। मंत्री किन प्रश्नों पर सार्वजनिक हित का संरक्षण प्राप्त कर सकते हैं क्या वह इस तरह का उत्तर दे सकते हैं "इस प्रश्न का उत्तर देने में जो श्रम और इसमें जो धन व्यय होगा वह उस लाभ के अनुपात में नहीं होगा।" तो यह प्रश्न है। अभी कल्पनाथ जी ने कहा कि इस प्रश्न को आज स्थगित कर दूं, तो इस सम्बन्ध में मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जैसा मैंने कहा, यह कोई आज का प्रश्न नहीं है। लोक सभा, विधान सभा, ब्रिटिश पार्लियामेन्ट, अन्य जगह इस तरह के प्रश्न उपस्थित हुए हैं जहां मंत्रियों ने जवाब दिया है कि सार्वजनिक हित में नहीं है। मंत्रियों ने उत्तर दिया है कि ऐसी सूचना इकट्ठा करने में जितना समय और श्रम लगेगा वह उसके लाभ के अनुपात में नहीं होगा। तो इस सम्बन्ध में इस पर उत्तर की चुनौती देते हुए मैं आपसे सुनना चाहूंगा कि आप मुझे कोई दृष्टांत दें। लेकिन इस पीठ से जो व्यवस्था दी गयी है उसको तभी मैं बदलूंगा जब मेरे लिए पर्याप्त औचित्य होगा। तो इस सम्बन्ध में ताकि आपको कल आसानी हो, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि २ सितम्बर, १९५८ को श्री नारायण दत्त तिवारी ने एक प्रश्न के उत्तर के सम्बन्ध में निम्नलिखित व्यवस्था का प्रश्न उठाया था :—

"मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि हमारे नियमों के अनुसार इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है कि मंत्री लोग इस प्रकार का जवाब दें कि अमुक प्रश्न का उत्तर देना समय और श्रम या खर्च के अनुकूल नहीं है। वह केवल यही कह सकते हैं कि हम जवाब देना पब्लिक इंटरेस्ट में उचित नहीं समझते हैं। इसके अलावा जब आप सवाल स्वीकार करते हैं तो उन्हें उत्तर देना लाजमी होता है।" तो मैं यह जानना चाहूंगा कि इस प्रकार का उत्तर कि समय या खर्चा और श्रम अधिक लगेगा, यह जो समय-समय पर दिया जाता है, कहां तक पार्लियामेन्टरी पद्धति के अनुकूल है ? मैंने मेज पार्लियामेन्टरी प्रैक्टिस भी देखी। इसमें कोई व्यवस्था नहीं है। हमारे अनुमान में केवल एक ही बात है कि "गोपनीय है या सार्वजनिक हित में नहीं है, इसलिए हम उत्तर नहीं देते।" तो उस वक्त अध्यक्ष ने यह व्यवस्था दी--

"मैं १०-१२ साल से देख रहा हूं।" उस वक्त माननीय आत्मा राम गोविन्द खेर यहां पर बैठते थे, "कि यहां उत्तर देने की यही प्रथा

[श्री अध्यक्ष]

रही है, चाहे यह कहीं और हो या न हो यह कोई अनुचित भी नहीं है, इतना ही उत्तर देने से कि उत्तर देना सार्वजनिक हित में नहीं है बहुत से लोगों को तसल्ली नहीं होती, इस कारण उत्तर में कहा जाता है कि क्या बात सार्वजनिक हित में नहीं है। इसलिए यह बताते हैं कि इतना खर्चा और मेहनत उत्तर देने में खर्च करना सार्वजनिक हित में नहीं है।"

यह उन्होंने व्यवस्था दी थी। मैं अभी इस सम्बन्ध में अपना कोई अन्तिम निर्णय नहीं दे रहा हूं। कल्पनाथ जी ने जैसा कहा, मैं इस पर व्यवस्था स्थगित कर रहा हूं और मैं चाहूंगा कि सदन का समय थोड़ा बचे। आप लोग इस सम्बन्ध में जो भी पहली व्यवस्थाएं हैं—संसद की व्यवस्था (व्यवधान) आप लोग शान्त रहिये।

जब मैं अपनी व्यवस्था दे रहा हूं, मैं कह रहा हूं, आप नियमों की बात करते हैं और नियमों का पालन नहीं करते। आपको यह जानना चाहिए कि जिस समय अध्यक्ष बोलते हों तो सदस्यों को मौन पूर्वक सुनना चाहिए। तो मैं यह कह रहा हूं कि कल आप लोग इस व्यवस्था के सम्बन्ध में अध्ययन करें और कल अगर आप अध्ययन कर सके तो कल मैं लूंगा वरना उसके बाद। यह अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसलिये इस सवाल को भी मैं स्थगित करता हूं।

श्री शतरुद्र प्रकाश (जिला वाराणसी)—

एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष—

शतरुद्र जी, आप मेरी बात सुनिये।

आप तो युवक भी हैं, पढ़ते-लिखते हैं, कम से कम आप जब खड़े होते हैं तो मैं आप से यह आशा करता हूं कि आप किसी नियम के अन्तर्गत खड़े हुए होंगे और अपनी बात कहेंगे। व्यवस्था का प्रश्न जो कार्य उस समय चल रहा हो उसके सम्बन्ध में, या नियम और संविधान जिसके अनुसार कार्यवाही चलती है उनके बारे में उठाया जाता है। इस समय आप मेरा ध्यान किस नियम की ओर आकर्षित करना चाहते हैं?

श्री शतरुद्र प्रकाश—

मैं आपकी व्यवस्था के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आप कृपया बैठ जाइये। मैं इसकी अनुमति नहीं दे रहा हूं।

श्री शतरुद्र प्रकाश—

[× × ×]

श्री अध्यक्ष—

यह कार्यवाही का भाग नहीं होगा। मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं। आप बैठिये।

नोट—[× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

प्रश्नों के सम्बन्ध में व्यवस्था के प्रश्न

श्री मन्जूर अहमद (जिला मेरठ)—

एक व्यवस्था का प्रश्न है । मेरे दो प्रश्न आज ३६ और ३७ नम्बर पर रख गये हैं । यह हरिजन लड़कियों के साथ बलात्कार तथा उनकी हत्या के सम्बन्ध में था । इतने महत्व के प्रश्न को इस नम्बर पर इसलिए रखा गया ताकि इस पर अनुपूरक प्रश्न न हो सकें ।

श्री अध्यक्ष—

आप कृपया बैठिये । मैं कांग्रेस (आई) के नेता का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि वे अपने सदस्यों को कम से कम प्रारम्भिक नियमों का तो ज्ञान करा दें ताकि मंजूर अहमद साहब जैसे सदस्य इस सदन का समय अनावश्यक नष्ट न करें ।

श्री गुलाब सेहरा (जिला आगरा)—

मेरी बात सुन लें ।

श्री अध्यक्ष—

अभी आप बैठिये ।

श्री गुलाब सेहरा—

आप सुनना ही नहीं चाहते । आपका प्रश्न यह है कि ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न अगर नम्बर ३६ और ३७ पर आते हैं तो वे प्रश्न नहीं कर पाते ।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठिये । आपका प्रश्न यह है कि ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न नम्बर ३६ और ३७ पर क्यों हैं । इस संबंध में जो प्रश्नों से संबंधित नियम हैं उनको आप कृपया देख लें । यह उन्हीं नियमों के अनुसार रख जाते हैं । इसमें नियमों का उल्लंघन नहीं है । प्राथमिकता का भी आधार दिया हुआ है । कोई सवाल नहीं आया उसके ऊपर, व्यवस्था का सवाल यहां उठाना उचित नहीं है । यह कोई व्यवस्था का का सवाल नहीं है । इससे सदन का समय नष्ट होता है । इसका व्यवस्था से कोई ताल्लुक ही नहीं है । इसलिए आपको अपने सदस्यों को समझाना चाहिए ।

श्री गुलाब सेहरा—

इसमें व्यवस्था का प्रश्न यह है कि इस सत्र में मैं यह देख रहा हूं कि कई महत्वपूर्ण सवाल ३७–३८ या उसके आगे रख दिए जाते हैं । मैं आपको कई उदाहरण दे दूंगा । इस कारण हम उन पर सप्लीमेन्टरी नहीं कर पाते । मैं आपको कक्ष में दिखा दूंगा कि इस तरह का ट्रेण्ड चला आ रहा है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

श्री सेहरा ने जो प्रश्न उपस्थित किया है यह एक प्रकार का आक्षेप है । प्रश्नों का एक क्रम होता है । आप प्रत्यक प्रश्न पर तारीख भी लिखी देखते हैं । अल्पसूचित प्रश्नों को पहले लिया जाता है और जो अल्पसूचित प्रश्न स्वीकार हो

[श्री अध्यक्ष--]

जाते हैं उनको प्राथमिकता दी जाती है जितने तारांकित प्रश्न हैं एक सदस्य के वो लिए जाते हैं उसके अलावा अतारांकित हो जाते हैं । अगर इसमें संदेह है । आपको, तो निश्चयात्मक सूचना दीजिए अगर कहीं कार्यालय की तरफ से त्रुटि की गयी है तो मैं जांच करके आवश्यक कार्यवाही करूंगा ।

श्री राम आसरे वर्मा (जिला हरदोई)--

माननीय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष--

मैं व्यवस्था के प्रश्न की अब कोई बात नहीं सुनना चाहता ।

श्री राम आसरे वर्मा--

मेरी एक बात सुन लें ।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठ जाइये ।

श्री राम आसरे वर्मा--

माननीय, मेरा अल्पसूचित तारांकित प्रश्न मंजूर हुआ था, लेकिन लिस्ट में उसको तारांकित कर दिया गया इसमें मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं ?

श्री अध्यक्ष--

अल्पसूचित प्रश्न जो मंजूर होता है अगर मंत्री अल्पसूचित प्रश्न का उत्तर ३ दिन में नहीं दे सकते तो स्वतः ही वह तारांकित हो जाता है । इसलिए मैं आपसे फिर कहना चाहता हूं कि प्रश्नों के बारे में अगर आप सदन का समय न लें तो ज्यादा अच्छा रहे । मेरे कक्ष में, मुझे लिखकर शिकायत दें । अगर कहीं नियमों का उल्लंघन हुआ है तो मैं इसकी जांच कराऊंगा और जांच कराने पर अगर मुझ और आपको असंतोष होगा कि मेरे अधिकारी ने भूल की है तो मैं आवश्यक कार्यवाही करूंगा ।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)--

माननीय, मेरा प्रश्नों के बारे में व्यवस्था का प्रश्न है । १-३-७८ के दो प्रश्न हैं, २३ और २४ तो इससे पहले ३०-३-७८ का प्रश्न ले लिया गया और मैंने पहले पूछा था ।

श्री अध्यक्ष--

मैं पहले कह चुका हूं कि आप मेरे कक्ष में आइये । मुझे लिखकर दें । मैं पत्रावली निकलवाकर देखूंगा तभी मैं कह सकूंगा कि नियम के अनुसार हुआ है या नहीं ।

बस्ती जनपद में हो रही हाई स्कूल एवं इण्टर की परीक्षाओं में व्यापक भ्रष्टाचार एवं अनियमितता के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

श्री ओम प्रकाश (जिला बस्ती)—

अध्यक्ष महोदय, बस्ती जनपद में हाई स्कूल, इण्टरमीडिएट परीक्षा में व्यापक व्यापार की चर्चा है। आश्चर्य की बात है कि बस्ती जैसे छोट स्थान में हाई स्कूल, इण्टर की परीक्षा देने के लिए तामिलनाडु, कर्नाटक तथा महाराष्ट्र तक के छात्र दो-दो तीन-तीन हजार रुपये देकर परीक्षा दे रहे हैं। परीक्षार्थियों का फार्म, फोटो किसी केन्द्र पर है और परीक्षा कहीं अन्यत्र दे रहे हैं। इस फार्म में केवल परीक्षा केन्द्रों के व्यवस्थापकों का दोष नहीं है। अपितु माध्यमिक शिक्षा परिषद् परीक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों, जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय के सह जिला विद्यालय निरीक्षक श्री गोपाल एवं लिपिक श्री त्रिभुवन लाल आदि का भी हाथ है। परीक्षा केन्द्रों की यह स्थिति है कि चार सौ छात्रों के बैठने की जहां व्यवस्था है वहां डेढ़-डेढ़ हजार एक सौ के स्थान पर चार-चार सौ छात्रों का केन्द्र बना है। छात्र, केन्द्रों में बागों में टाट पर बैठ कर परीक्षा दे रहे हैं। पर्चे कापियां ले-लेकर बाहर लिखे जा रहीं हैं। कोई रोक-टोक नहीं है।

सह जिला विद्यालय निरीक्षक ने ३ वर्ष के अन्दर परीक्षा केन्द्रों, तदर्थ नियुक्तियों, एप्रूवल, पद सृजन आदि से कम से कम ढाई तीन लाख रुपये पवा किया है। जिलाधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा शासन को लिखित गोपनीय पत्रों द्वारा लिखने पर भी शासन ने कोई कार्यवाही नहीं की।

अतएव मैं चाहूंगा कि शासन इस ओर तत्काल ध्यान दे और ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न पर विचार करने के लिए माननीय अध्यक्ष की आज्ञा चाहता हूं।

गोरखपुर मण्डल में चेचक एवं क्षयरोग के प्रकोप से मृत्यु के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

श्री हरिकेवल प्रसाद (जिला देवरिया)—

गोरखपुर मण्डल में चेचक (छोटी माता) के भीषण प्रकोप से लगभग दो सौ लोगों की मृत्यु तथा हजारों चारपाई पर पड़ने के सम्बन्ध में ध्याआकर्षण प्रस्ताव।

मान्यवर, गोरखपुर मण्डल में चेचक (छोटी माता) का भीषण प्रकोप व्याप्त है, जिससे लगभग दो सौ लोगों की मृत्यु हो चुकी हे। देवरिया जनपद के विकास खण्ड रुद्रपुर, देवरिया, भलुअनी, बरहज, भागलपुर, लार, सलेमपुर, भाटपार रानी, वनकटा, भटनी, रामपुर, कारखाना, देसई देवरिया, बैतालपुर, गौरी बाजार, हाटा, कसिया, फाजिल नगर आदि म लगभग १०० बच्चे इसके शिकार हो चुके हैं और अब भी इसके प्रसार की गति तेज है। किन्तु अभी तक स्वास्थ्य विभाग इस पर नियंत्रण स्थापित करने में अकर्मण्य सिद्ध हुआ है। यदि इसे रोकने के लिए तत्काल प्रभावी कदम नहीं उठाया गया तो लाखों लोग इससे ग्रसित हो जायेंगे तथा हजारों लोग काल कवलित हो जायेंगे।

[श्री हरिकेवल प्रसाद—]

इस समय प्रदेश में क्षय रोग का व्यापक प्रकोप चल रहा है। जिसके उपचार के लिए दवाओं और चारपाइयों का पूर्ण अभाव है। इस रोग के ग्रसित सैकड़ो व्यक्ति नित्य देवरिया सदर अस्पताल में इलाज के लिए पहुंचते हैं। किन्तु दवाओं तथा चारपाइयों के अभाव में निराश हो उन्हें वापस जाने के लिए विवश होना पड़ता है तथा गरीबी के कारण वे अन्य जगह पहुंच कर उचित उपचार न कर सकने के कारण वे कालकवलित हो जाते हैं जब की जनता सरकार उत्पीड़ित को राहत देने के लिए कृत संकल्प है।

आपातकाल में अत्याचार के खिलाफ जम कर लड़ने वाले श्री राम बिलास जिनकी आयु लगभग ३२ वर्ष की थी मेरे साथ लगभग ९ माह डी० आई० आर० में बंदी रहे तथा उन्हें क्षय रोग का प्रकोप हो गया। मैंने माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को पत्र लिखकर उनसे यह निवेदन किया कि प्रदेश के किसी भी अस्पताल में भर्ती करा उनके उचित उपचार की व्यवस्था की जाय। लगभग २ माह बाद २ जनवरी, १९७८ को माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का पत्र मिला कि मथुरा में श्री राम बिलास के उपचार की व्यवस्था की गई है किन्तु लगभग ३ माह बाद तक व्यवस्था न होने पर पुनः मैंने स्वास्थ्य मंत्री जी का ध्यान आकर्षित किया जिसके बाद बस्ती में भर्ती करने का निर्देश जारी हुआ, जहां भर्ती होने के बाद २ दिन तक अपने प्रति अस्पताल में किये गये उपेक्षा एवं अपमानजनक व्यवहार के कारण वे खिन्न होकर लेमपुर वापस हो गये जहां पहुंचने के ५ घंटा बाद ही उनकी मृत्यु हो गयी। खेद है कि उत्पीड़ितों को राहत देने वाली कृतसंकल्प जनता सरकार का एक वफादार कार्यकर्ता जिसने आपातकालीन जंग में खुलकर संघर्ष किया को उचित दवा एवं उपचार के अभाव मे हमने खो दिया जिससे उसके बच्चे व स्त्री अनाथ हो गये हैं।

अतएव इस लोक महत्व के प्रश्न पर मैं आपकी आज्ञा से माननीय स्वास्थ्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करते हुए यह मांग करता हूं कि :—

गोरखपुर मण्डल में चेचक (छोटी माता) के भीषण प्रकोप को रोक-थाम के लिए युद्ध-स्तर पर व्यवस्था की जाय। देवरिया टी० बी० अस्पताल में दवा और शैय्याओं की उचित व्यवस्था की जाय तथा इस रोग के शिकार आपातकाल के वफादार उत्पीड़ित श्री राम बिलास के परिवार को आवश्यक सहायता प्रदान की काय।

श्री अध्यक्ष—

माननीय मुख्य मंत्री जी, चेचक के सम्बन्ध में सरकार ने बराबर घोषणा की है कि कोई चेचक का केश नहीं है और माननीय सदस्य ने जो अभी सूचना दी उसमें कहा कि सैकड़ों आदमी चेचक से मर गये हैं। इसमें इनाम, सूचना देने वाले को भी रखा गया है। तो स्वास्थ्य मंत्री इस सम्बन्ध में, इस प्रकोप के सम्बन्ध में एक वक्तव्य दे दें।

वित्त मंत्री (श्री मधुकर दिघे)—

माननीय, श्री हरिकेवल जी ने छोटी चेचक के बारे में कहा है।

श्री हरिकेवल प्रसाद—

माननीय, विभाग के लोग कहते हैं कि यह छोटी चेचक है।

श्री अध्यक्ष—

मैंने आपके प्रश्न का ध्यान आकर्षित कर दिया है। अब आप बैठें।

सहकारी चीनी मिल जहांगीराबाद, बुलन्दशहर द्वारा क्षेत्र के बाहर का गन्ना पेरने से क्षेत्रीय गन्ना किसानों द्वारा प्रदर्शन तथा मिल के घेराव के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

श्री त्रिलोक चन्द्र (जिला बुलन्दशहर)--

अध्यक्ष महोदय, नियम ३०१ के अन्तर्गत मैंने, जनपद बुलन्दशहर में सहकारी चीनी मिल जहांगीराबाद (अनूपशहर) पर किसानों के व्यापक वर्ग के आसन्न होने की सम्भावना के बारे में सूचना दिया है ।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से एक अत्यन्त लोक महत्व के प्रश्न की ओर इस माननीय सदन और सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । मान्यवर, गन्ना विभाग द्वारा प्रसारित आदेश के अनुसार उक्त सहकारी चीनी मिल में ६० किलोमीटर दूर बड़ौत क्षेत्र से गन्ना लाकर पेरा जायेगा और बुलन्दशहर जिले का अतिरिक्त गन्ना जिला अलीगढ़ में जो ६०-७० किलोमीटर से भी दूर है बाधा चीनी मिल में ले जाकर पेरा जायेगा । उक्त आदेश से किसानों में भारी असंतोष व्याप्त हो गया है । बड़े एवं साधन सम्पन्न किसान ही अपना गन्ना उक्त स्थानों पर पिरवाने में सफल होंगे तथा गरीब किसानों का गन्ना कम मूल्य पर खरीद कर उनका शोषण करेंगे तथा भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा । दिनांक २३-४-७८ को उक्त चीनी मिल पर अचानक १५-१६ ट्रक गन्ना बाहर से लेकर एक साथ आ गये जिससे किसानों में सब जगह सनसनी फैल गयी हजारों किसानों ने मिल को घेर लिया और किसानों न एलान किया कि जब तक हमारा गन्ना रहेगा तब तक दूसरी जगह का गन्ना नहीं पेरने देंगे । यदि उक्त आदेश को वापस नहीं लिया गया तो असंतुष्ट किसानों द्वारा मिल को उनके प्रदर्शन और घेराव की नीति से मिल को भारी क्षति हो सकती है ।

अतः सरकार शीघ्र उक्त आदेश को पारित करने की कृपा करे ।

ग्राम हरनाजिदपुर, जिला आजमगढ़ के ठाकुर एवं यादवों के मध्य संघर्ष की सम्भावना से ठाकुरों को बन्दी बनाए जाने के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)--

अध्यक्ष महोदय, आजमगढ़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के अहिरौला थाने के अन्तर्गत ग्राम ठहरनाजिदपुर के लगभग दर्जनों ठाकुरों को जिसमें श्री विजयबहादुर सिंह आदि हैं अकारण पुलिस ने वहां राजनीति से प्रभावित होकर उन्हें बन्दी बना दिया है । मालूम हुआ है कि वहां ठाकुरों और यादवों में विशेष संघर्ष है और केवल इसी लिये थाने से मिलकर इन ठाकुरों को अकारण, चुनाव के समय जेल में रख दिया जा रहा है । यह एक बड़ी गम्भीर बात है ।

[श्री श्याम धर मिश्र--]

मेरा निवेदन है कि माननीय मुख्य मंत्री जी इस बात का पता लगा कर तत्काल वक्तव्य देने की कृपा करें ।

ग्राम पूरे शीतल (हिलालगंज), जिला रायबरेली निवासी श्री छेदी लाल दरोगा की बदमाशों द्वारा हत्या के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

श्री रामदेव यादव (जिला रायबरेली)--

मान्यवर, रायबरेली जनपद के थाना बछरावां के अन्तर्गत पूरे शीतल (हिलालगंज) के निवासी छोटू पासी, चौकीदार के नवयुवक पुत्र श्री छेदीलाल जो कि इस समय कानपुर में दरोगा थे अवकाश पर घर आये थे, उनकी १४-१५ अप्रैल, १९७८ की मध्य रात घर में छत से कूदकर कुछ बदमाशों ने गोली मार कर निर्मम हत्या कर दी और घर से नगदी और जेवर आदि लेकर भाग गये । अभी तक पुलिस अपराधियों को पकड़ने में असमर्थ है । कहा जाता है कि अपराधी पास-पड़ोस के ही रहने वाले सरहंग लोग हैं । जिसके कारण पुलिस उन्हें पकड़ने में ढिलाई कर रही है । अतः शासन से अनुरोध है कि इस घटना की सी० आई० डी० द्वारा जांच कराकर अपराधियों को अविलम्ब दण्ड दिलाने की व्यवस्था करे । ताकि जनता में छाया हुआ भय और आंतक दूर हो सके ।

इलाहाबाद के कतिपय ग्रामों में पेय जल संकट के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

श्री अटई राम (जिला इलाहाबाद)--

मान्यवर, आपका ध्यान जनपद इलाहाबाद में पीने के पानी के घोर संकट की ओर आकर्षित करते हुए बताना चाहूंगा कि गंगापार की फूलपुर, हंडिया तथा जमुनापार में मेजा,करछना तथा सिराथू तहसील की जनता के जीवन में पानी न मिलने के कारण त्राहि-त्राहि मची हुई है । यहां तक कि यह नौबत आ गयी है कि कुयें सूख गये हैं और उसके बदले तालाबों से गन्दे पानी का इस्तेमाल मजबूर होकर वहां के निवासी कर रहे हैं और पानी की अत्यन्त गम्भीर समस्या उत्पन्न हो गयी है ।

यही नहीं सरकारी अधिकारियों की लापरवाही से, लगे हुए हैण्ड पम्प सब बन्द पड़े हैं कहने के बावजूद भी उस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है ।

अतः उपरोक्त गंभीर पेय जल समस्या को ध्यान में रखते हुए इस लोक महत्व के विषय पर मैं आपका तथा सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए आपकी अनुज्ञा चाहता हूं कि आप इस पर उचित कार्यवाही करने की कृपा करेंगे ।

हरदोई जनपद के आंख के अस्पताल के आर्थिक संकट के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

श्री अशोक बाजपेयी (जिला हरदोई)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान हरदोई जनपद के एकमात्र प्रमुख आंख के अस्पताल की ओर आकर्षित करना चाहता हूं । आज से २० वर्ष पहले

सीतापुर आंख के अस्पताल के देखरेख में हरदोई जनपद में केन० आई० अस्पताल खोला गया था। उसका रख रखाव एवं दवा इत्यादि का खर्चा गन्ना समितियों द्वारा दिया जाता था। सन् १९७४ से अस्पताल के लिए होने वाली गन्ने की कटौती को समाप्त कर दिया गया। अब गन्ना समिति इसको चलाने के लिए कोई सहयोग देने की स्थिति में नहीं है। आंख का अस्पताल महान आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है। १९७४ के बाद से अस्पताल की हालत दिनों दिन गिरती जा रही है। अस्पताल में दवाओं, कर्मचारियों के वेतन एवं अन्य रखरखाव के लिए कोई भी आर्थिक साधन नहीं है।

मान्यवर, इस अस्पताल से प्रति वर्ष १५-१६ हजार मरीज लाभान्वित होते हैं। वर्ष में अनेकों कैम्प जिले भर में इसके द्वारा संचलित किए जाते हैं। हजारों हरिजन, गरीब एवं शोषित इस निःशुल्क चिकित्सा से लभ उठाते थे। आज यह संस्था मृत प्राय होती जा रही है सारे जनपद की जनता में घोर असन्तोष है। इस संस्था को पुनर्जीवन देने के लिए जिलाधिकारियों से विभिन्न लोगों ने वार्ता की परन्तु किसी भी प्रकार की सहायता देने से उन्होंने अपनी मजबूरी जाहिर की।

मान्यवर, बहुत सी ऐसी सामाजिक एवं धार्मिक संस्थायें जो इस अस्पताल को चलाने के लिए सहायता देना चाहती हैं परन्तु तकनीकी कठिनाईयों के कारण प्रशासनिक अधिकारी उनका भी सहयोग लेने को तैयार नहीं हैं। प्रदेश के तमाम अन्य जिलों में जन प्रतिनिधियों एवं समाज सेवियों के सहयोग से संचालन समितियां बनाई गई जिनसे कि ऐसी संस्थाओं को चलाने में मदद मिली है।

अस्तु मैं शासन का ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगा कि या तो इस अस्पताल के संचालन का कार्य समाज सेवी संस्थाओं के हाथ में सौंप दिया जाय अथवा प्रशासन इसे अपने हाथ में लेकर स्वयं इस अस्पताल को चलाने का कार्य करे। इस सदन के माध्यम से मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री से चाहूंगा कि इतने बड़ आंख के अस्पताल के पुनर्जीवन के लिए तथा जन असन्तोष को दूर करने के लिए तत्काल कदम उठायें।

जिला बस्ती के मेंहनियां ग्राम में दलबन्दी से मृत्युएं तथा सेकेन्ड अफसर श्री उपाध्याय द्वारा दलबन्दी में भाग लेने के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

श्री बाबू राम वर्मा (जिला बस्ती)--

मान्यवर महुली थाना, जिला बस्ती के अन्तर्गत मेहनियां ग्राम म दो दलों में बराबर मुकदमेबाजी होती चली आ रही है महुली थाने पर सेकेण्ड अफसर श्री उपाध्याय जब से आये हैं तभी से इस गांव ने दलबन्दी में हिस्सा लेना प्रारम्भ कर दिया है। जिसके परिणामस्वरूप ६ हत्याएं हो चुकी हैं। हत्यायों के बाद ४-५ महीने तक कुछ शान्ति थी परन्तु इस मास में विवादित भूमि के अन्तर्गत जिसमें दो पक्ष ढाई-ढाई बीघा गुजई एवं अरहर बोये थे, क्षेत्रीय विधायक श्री भीषम ने दरोगा को सलाह दी कि दोनों पक्ष की फसल कटवाकर किसी एक जगह रखवा दी जाय और निर्णय हो जाने के बाद जिसका होगा उसको दे दिया जावेगा। परन्तु सेकेन्ड अफसर ने ऐसा न करके एकपक्षीय हस्तक्षेप करके गुजई की फसल एक पक्ष को कटवा दिया। दूसरे पक्ष की बोई हुई अरहर की फसल को कटवा कर अपने संरक्षण में रखवा लिया जिसके कारण पुनः मेहनियां ग्राम में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। यदि तत्काल ही व्यवस्था करने में ढिलाई की गई तो इस छोटे से ग्राम में पुनः और हत्याएं होने की सम्भावना है।

[श्री बाबू राम वर्मा--]

मान्यवर, मेहनियां ग्राम में दलबन्दी से होने वाली हत्याओं को रोकने के लिए आपके माध्यम से हम मांग करते हैं कि शासन तुरन्त उच्चस्तरीय जांच करा कर पुलिस हस्तक्षेप को बन्द कराके दोषी पुलिस जनों के ऊपर कार्यवाही की मांग करते हैं ।

ग्राम भीमर नगरिया, जिला एटा में डकैत सुल्तान के गिरोह द्वारा अत्याचार तथा पुलिस की निष्क्रियता के विषय को नियम ३०१ के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

श्री गेंदा लाल गुप्त (जिला एटा)--

मान्यवर, दिनांक २२ अप्रैल, १९७८ को दिन दहाड़े लगभग ९ बजे ग्राम भीमरनगरिया, मजरागैंसिंगपुर थाना अलीगंज (एटा) में कुख्यात सुल्तान गैंग द्वारा तीन व्यक्तियों को गोली मार कर आग में झोंक दिया गया तथा पूरे गांव में आग लगा दी गई । जिससे लगभग ५० घर जलकर पूर्णतः भस्म हो गए और लगभग एक हजार क्विन्टल गेहूं जोकि थ्रेसर व गांव के आस-पास रखा था जलकर भस्म हो गया । यही नहीं ग्रामीण किसानों की बैलगाड़ियों तथा खेती में प्रयोग होने वाले समस्त उपकरण तथा घर गृहस्थी के सभी सामान इत्यादि जलकर भस्म हो गए । गांव के सभी लोग आतंक के कारण भागकर पास के गांव में शरण लिए हुए हैं अभी तक आग धधक रही है और गांव की त्रस्त जनता बिलख-बिलख कर तड़फड़ाती इधर-उधर फिर रही है ।

मान्यवर, मैं दिनांक २४-४-७८ को स्वयं मौके पर उक्त गांव पहुंचा तो वहां की गम्भीर दशा को देखकर अत्यन्त चकित हुआ और बदमाशों ने किस तरह निर्दयता का परिचय देकर वहां के लोगों को गोली मारी और सारा सामान लूटा और आग लगा दी ।

मान्यवर, आश्चर्य यह है कि अभी तक कोई भी गिरफ्तारी नही हुई है। लोग एफ० आई० आर० में नामजद हैं इसके अपराधी इसके पूर्व कई डकैतियों व कत्लों में नामजद हैं किन्तु आज तक पकड़े नहीं गए । साथ ही यह चिन्ता की और भी बात है कि सूचना पाने के बाद भी न तो तुरन्त दमकल पहुंचा और न कोई राजकीय अधिकारी भी पहुंचा है । यह भी जानकारी है कि अभी तक सरकार की तरफ से कोई भी राहत का कार्य नहीं हो पाया है ।

अतः आपके माध्यम से माननीय सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित करते हुए आपसे अनुज्ञा चाहता हूं और मांग है कि अपराधियों को तुरन्त पकड़ा जावे और उक्त गांव में पुलिस की स्थायी व्यवस्था करके लोगों को राहत कार्य अविलम्ब प्रारम्भ करके उनको हर सम्भव सहायता की जावे जिससे वे भूखों मरने से बच सके और पशुओं आदि के चारे की भी समुचित व्यवस्था करायी जाय ।

सदन के संज्ञान में लाए जाने वाले विषयों का उत्तर मंत्रियों द्वारा न दिए जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री शतरुद्र प्रकाश (जिला वाराणसी)--

नियम ३०१ के अन्तर्गत एक व्यवस्था का प्रश्न है । इसके पहले मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं कि यह भी व्यवस्था हो कि जब भी कोई सदस्य व्यवस्था का प्रश्न उठाए तो वह कि। नियम के अधीन उठा रहे हैं यह भी बतला दें तो जानकारी हो जाय । नियम ३०१ के (ङ) में है कि शून्य काल में दी गयी सूचनाओं का उत्तर सम्बन्धित सदस्य को सम्बन्धित मंत्री अपने हस्ताक्षर से एक

हफ्ते के अन्दर देंगे । मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि २०-२५ दिन हो गए हम लोगों ने आपके माध्यम से सूचनाएं दी थीं लेकिन आज तक कोई उत्तर नहीं मिला । केवल इतना ही व्यवस्था चाहते हैं कि जो सूचना देते हैं उसका उत्तर इस नियम के अनुसार आ जाना चाहिए । आपने कई बार व्यवस्था भी दी है लेकिन उसके बावजूद भी सात दिन के अन्दर जवाब नहीं आता । या तो इस नियम का पालन करवायें या अलग से कोई ट्रेनिंग कैम्प चलाने की व्यवस्था हो ताकि मंत्री लोग सात दिन के अन्दर उत्तर दे सकें ।

श्री अध्यक्ष--

उस सम्बन्ध में २७ फरवरी, १९७८ को एक परिपत्र जारी किया गया था जिसमें यह निश्चित निर्देश था कि नियम ३०१ के अन्तर्गत ग्राह्य सूचनाओं के मंत्री द्वारा उत्तर दिए जाने की प्रक्रिया दी गयी सूचनाओं का उत्तर कोई मंत्री सदन में देने के लिए बाध्य नहीं है किन्तु यदि वे चाहें तो सदन में भी उत्तर दे सकते हैं । किन्तु सम्बन्धित मंत्री ऐसी सूचनाओं के सम्बन्ध में आवश्यक जांच कराकर सम्बन्धित सदस्य को एक हफ्ते में अपने ही हस्ताक्षर से उत्तर देंगे और यदि ७ दिनों में सूचना न दी जा सके तो सम्बन्धित सदस्य को कार्यवाही के सम्बन्ध में अन्तरिम उत्तर भेजवा देंगे । यह व्यवस्था है । मैं पुनः माननीय मुख्य मंत्री का ध्यान इस व्यवस्था की ओर दिलाना चाहता हूं कि सदन में आये दिन सदस्यों को शिकायत रहती है तो अनिवार्य रूप से सात दिन में मंत्री के हस्ताक्षर से जानी चाहिए और यदि सात दिन में सूचना न दे सकें तो मंत्रियों के निश्चित आदेश अपने सचिव को दे कि अन्तरिम उत्तर सदस्य को भिजवा दें । मैं माननीय मुख्य मंत्री का पुनः ध्यान आकर्षित करूंगा कि इन नियमों का पालन होना चाहिए ।

मुख्य मंत्री (श्री राम नरेश यादव)--

मान्यवर, नियमों का पालन तो किया जा रहा है । यह जरूर है कि इस बीच में उत्तर नहीं आ पाता तो अन्तरिम उत्तर दे दिया जाता है । मैं माननीय सदस्य, जिन्होंने यह प्रश्न उठाया है, से कहूंगा कि वह लिखकर दे दें कि किन-किन प्रश्नों का उनको उत्तर या अन्तरिम उत्तर भी नहीं मिला ।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)--

मान्यवर, यह मामला कई बार उठ चुका है । पुरानी बात हो गयी कि जवाब नहीं मिलता । आपने भी बार-बार मुख्य मंत्री और मंत्रियों का ध्यान दिलाया है कि हमें जवाब मिलना चाहिए । परन्तु आप इसमें ऐसी व्यवस्था कर दें यदि दो अथवा तीन बार याद दिलाने के बाद भी जवाब न आए तो 'कैन्टेम्पट आफ दी हाउस' समझा जाय तो शायद जवाब आने लगे ।

श्री अध्यक्ष--

कोई बात नहीं है ।

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)--

मान्यवर, सुझाव के रूप में मैं बार-बार कहता रहा हूं और आज भी कहता हूं कि यदि ७ दिन में उत्तर आने की बात मंत्रियों पर न छोड़ी जाय । जिस प्रकार शून्य प्रहर की सूचनाएं हम लोग आपकी आज्ञा से सदन में पढ़ते हैं उसी तरह से ७ दिन के अन्दर अथवा जो भी तारीख मंत्रियों को सुविधाजनक हो उसके अन्दर मंत्रिगण सदन में उस सूचना का उत्तर पढ़ दिया करें और वह उत्तर भी कार्यवाही

[श्री श्यामधर मिश्र---]

का हिस्सा हो जाय । यह सुझाव पहले भी आया था और यह कहा गया था कि इस पर हम नेताओं को बुलाकर बातचीत कर लेंगे लेकिन आज तक वह बात नहीं हुई । अब सदन उठ जाएगा तो अगले सत्र में यह होगा । मेरा निश्चित यह सुझाव है कि जिस तरह सदन में शून्य प्रहर की सूचनाओं को पढ़ा जाता है उसी तरह से मंत्रिगण का उत्तर सदन में वक्तव्य के रूप में आ जाय ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा (जिला आगरा)---

मैंने १८ तारीख को शून्य प्रहर में एक सूचना दी थी । माननीय उद्योग मंत्री जी ने मेरे पास यह जवाब भेजा है कि आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

श्री अध्यक्ष---

यह अन्तरिम उत्तर है ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा---

क्या कार्यवाही ७ दिन के अन्दर की गयी, यह उत्तर आना चाहिए था ?

श्री अध्यक्ष---

जो उत्तर दिया गया है वह अन्तरिम उत्तर है । अगर यह कहेंगे क्या कर रहे हैं तो पूरा उत्तर हो जायगा ।

(श्री देव बहादुर सिंह के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष---

देव बहादुर जी, आप बैठें । हर प्रश्न पर आपका खड़ा होना अनुचित है । श्यामधर जी और आप तय कर लें कि कौन नेता है ?

मैंने इस सम्बन्ध में आपको आश्वस्त किया था कि मैं नेता सदन, संसदीय कार्य मंत्री और अन्य दल के नेताओं की एक उच्च स्तरीय मीटिंग बुलाऊंगा । अभी नहीं बुला पाया हूं । उस मीटिंग को बुलाकर इस सम्बन्ध में अवश्य कोई रास्ता निकाला जायगा जिससे आपकी शिकायत दूर हो जाय ।

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (कठिनाइयों को दूर करना) (इक्कीसवां) आदेश, १९७८ †

बेसिक शिक्षा उप मंत्री (श्रीमती मालती शर्मा)---

मैं शिक्षा अनुभाग-१० की अधिसूचना संख्या १३३५/१५-१०-७८, दिनांक २३ मार्च, १९७८ द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (कठिनाइयों को दूर करना) (इक्कीसवां) आदेश, १९७८ को उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (पुनः अधिनियमन तथा संशोधन) अधिनियम, १९७४ की धारा २८ की उपधारा (३) के अनुसार सदन के पटल पर रखती हूं ।

जनपद सीतापुर में दिनांक ३० मार्च, १९७८ को पुलिस हिरासत में बलीराम, हरिजन की मृत्यु के सम्बन्ध में वक्तव्य

राजनैतिक पेंशन उप मंत्री (श्री सत्यदेव त्रिपाठी)---

शून्य प्रहर में जो सूचना मिली थी उस पर आपकी आज्ञा से मैं वक्तव्य प्रस्तुत कर रहा हूं :---

"श्री बलिराम हरिजन पुत्र श्री सुभाई रायदास, निवासी ताल गांव तथा ६ अन्य व्यक्ति दिनांक २७-३-७८ को थाना तालगांव, जिला सीतापुर पर दर्ज मुकदमा धारा ३७९/४११ भारतीय दंड विधान के अभियोग में वांछित थे । इन चोरी की

†छापा नहीं गया ।

घटना के सम्बन्ध में वादी श्री राजा सिंह, निवासी जरेली व अन्य ग्राम वासियों ने नामजद अभियुक्तों में से एक अभियुक्त सुन्दर पासी को घटना स्थल पर चोरी की ६ गट्ठर धनिया के साथ पकड़ा और थाने के हवाले किया था। इस सम्बन्ध में दिनांक ३०-३-७८ को बलीराम व अन्य दो अभियुक्तों को थाना ताल-गांव की पुलिस द्वारा पकड़कर लाया गया और थाने पर कागज आदि बनाकर दोपहर में मजिस्ट्रेट के सामने रिमान्ड हेतु पेश किया गया। रिमांड लेने के पश्चात् उसे जेल ले जाया गया लेकिन जेल पहुंचने के पूर्व बलीराम ने जेल के बाहर पानी पीने की इच्छा व्यक्त की। पानी पीने के तुरन्त बाद ही वह जमीन पर गिर पड़ा और उस हालत में उसे सदर अस्पताल ले जाया गया। जहां पर करीब साढ़े सात बजे सायंकाल उसे मृत घोषित कर दिया गया।

मृतक बलीराम का पोस्टमार्टम दिनांक ३१-३-७८ को किया गया। पोस्ट-मार्टम से मृत्यु का कारण स्पष्ट न होने के कारण डाक्टरों ने मृतक का विसरा एवं हृदय सुरक्षित रख लिया जिसे अग्रिम वैज्ञानिक जांच हेतु भेजा गया है।

प्रारम्भिक जांच से यह पाया गया कि पुलिस द्वारा बलीराम को हिरासत में लिए जाने के समय कुछ मारपीट की गई थी इसलिए तालगांव थाने के थानाध्यक्ष एवं दो सब-इन्सपेक्टरों को तुरन्त निलम्बित कर दिया गया और इस घटना से सम्बन्धित ६ सिपाहियों को लाइन हाजिर कर दिया गया है। बलीराम की मृत्यु के सन्दर्भ में जिला मजिस्ट्रेट सीतापुर द्वारा मजिस्टीरियल जांच के आदेश दिए गए हैं। जांच जारी है।

स्वायत्त शासन मंत्री के विरुद्ध विषेशाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष--

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी, सदस्य विधान सभा ने माननीय स्वायत्त शासन मंत्री के विरुद्ध विषेशाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाने की सूचना दी है। माननीय श्री तिवारी का कहना है कि माननीय मंत्री ने दिनांक २० अप्रैल, १९७८ को सदन की कार्य सूची में नत्थी (ग) तारांकित प्रश्न संख्या (१) के संदर्भ में अनुपूरक प्रश्नों का जानबूझकर गलत उत्तर दिया और सदन को गुमराह करने की चेष्टा की है। इससे पूर्व की मैं इस सम्बन्ध में कोई निर्णय दूं, मैं माननीय स्वायत्त शासन मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे इस सम्बन्ध में वस्तुस्थिति से अवगत करा दें।

*स्वायत्त शासन मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय)--

मान्यवर, नियम ६४ के अंतर्गत माननीय सदस्य ने जो विशेषाधिकार का प्रश्न दिया है उसमें तीन उत्तरों के संबंध में अपने विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया है। एक तो यह है कि "श्री ऊदल के अनुपूरक प्रश्न से उत्तर में माननीय स्वायत्त शासन मंत्री जी ने बताया है कि इसमें शासन द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया गया है।" दूसरा यह है कि ऐसे "मामलों में शासन द्वारा स्थानीय निकायों को कोई आदेश दिया ही नहीं जाता।" तीसरा यह है कि एक उपमंत्री वहां गये थे, जनता ने उनसे कहा, इस संबंध में उनकी टिप्पणी है। वे फैजाबाद गये थे, वहां जनता ने उनसे कहा। उनका कहना है कि माननीय सत्यप्रकाश अग्रवाल जी से फैजाबाद की जनता ने नहीं वरन केवल श्री मधुबन सिंह ने कहा था जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख नेता है। यह आदेश भी फैजाबाद की जनता

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री सत्य प्रकाश मालवीय---]

के अनुरोध पर नहीं वरन् श्री मधुबन सिंह के आग्रह पर ही लिया गया । माननीय सदस्य ने अपने विशेषाधिकार के प्रश्न में कहा है कि श्री ओम प्रकाश शर्मा, उप-सचिव, नगर पालिका अनुभाग-५, लखनऊ ने जिलाधिकारी फैजाबाद, श्री एस० दास को अर्धशासकीय पत्र भेजा । पत्र में उत्तर यही था कि शासन द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया गया । इस बात को मैं बाद में बताऊंगा ।

मान्यवर, मंत्री जब लिखते हैं तो उसका क्या असर होता है, मंत्री के क्या आदेश होते हैं । लेकिन जो संलग्नक लगाया हुआ है इससे स्थिति स्पष्ट है । "शासन को विदित हुआ है कि नगर पालिका फैजाबाद ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की प्रतिमा की स्थापना का निर्णय लिया था . . .फैजाबाद में लाल बहादुर एंड संस वाचमेकर की दूकान के सामने एक पार्क का निर्माण हो रहा है . . . उक्त पार्क में कथित प्रतिमा स्थापित करने पर विचार कर लिया जाय । इस संबंध में समस्त अभीष्ट कार्यवाही पूरी करके एक मास के भीतर शासन को कृत कार्यवाही से अवगत कराया जाय ।" मान्यवर, मेरा उत्तर यह था कि इस सम्बन्ध में शासन द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया गया । शासन की ओर से जो प्रक्रियायें हैं और जो सेक्रेटेरियट मैनुअल है उसमें इस बात का स्पष्ट प्राविधान है । पृष्ठ तीन पर पैरा १२ को आप देखें उसमें दिया हुआ है "कोई भी केस जिस पर पत्रावली मे अन्तिम निर्णय मुख्य मंत्री जी का, मंत्री का या उपमंत्री का होता है उसका आदेश शासन की ओर से सचिव, विशेष सचिव, संयुक्त सचिव, उप सचिव या अनुसचिव के हस्ताक्षरों से जारी होता है वही शासनादेश कहलाता है ।" और इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, १९५८ में भी इस बात की व्याख्या की गई है कि मंत्री कौन होता है और शासन का मतलब क्या होता है । मंत्री की परिभाषा इसमें इस प्रकार दी है---"मंत्री" का तात्पर्य मंत्रि-परिषद् के किसी सदस्य से है और इसमें राज्यमंत्री, उपमंत्री तथा ऐसे सदस्य सम्मिलित हैं जिनको ऐसा मंत्री इन नियमों के अन्तर्गत सौंपे गए किसी कृत्य का प्रत्यायोजन करे और मान्यवर, आगे इसमें स्पष्ट किया गया है कि शासन किसे कहते हैं, उसके बारे में इसमें लिखा है---"शासन" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के शासन से है । यहां मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि मंत्री स्वयं में शासन नहीं होता है, मंत्री जो भी टिप्पणी लिखते हैं, उसके सम्बन्ध में जब शासन के सचिव या अन्य सचिव शासनादेश प्रसारित कर दें, तभी वह शासनादेश माना जाता है । मैंने यह कहा कि शासन ने कोई निर्णय नहीं लिया है और शासन की ओर से जो पत्र प्रसारित किया गया था, उसमें यह लिखा है कि "उक्त पार्क में प्रतिमा स्थापित करने पर विचार कर लिया जाय ।" ओम प्रकाश शर्मा के पत्र से भी यह बात साफ हो जाती है, इस सम्बन्ध में शासन ने कोई निर्णय नहीं लिया था, एक पत्र में केवल इनको लिख दिया था कि इस सम्बन्ध में विचार कर लिया जाए ।

दूसरे, जो तिवारी जी का कहना है कि उसमें स्पष्ट जानकारी के बावजूद सत्य प्रकाश जी अग्रवाल, उपमंत्री जो हैं, उनकी टिप्पणी का उल्लेख किया है । मैंने कहा था उस दिन कि उस टिप्पणी को जनहित में बताना उचित नहीं है । जिसे मैं अब बताना चाहता हूं, वह केवल उनकी टिप्पणी है, कोई आदेश नहीं है, उसको भी मैं रखना चाहूंगा । इसमें केवल यह कहा गया है कि श्री मधुबन सिंह के सुझाव के अनुसार श्री दीनदयाल और श्री वेद प्रकाश की स्टेचयू--प्रतिमाएं चौक में यथास्थान लगवाएं । इसमें यह भी कहा गया है कि मधुबन जनता नहीं हैं, चूंकि वह राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सदस्य हैं । जनता की ओर से सत्य प्रकाश अग्रवाल को जो सुझाव आए थे, उसमें तिवारी जी का यह समझना कि वह जनता के नहीं थे, ठीक नहीं है---कोई भी व्यक्ति, अगर वह अकेला भी होता है तो जनता होता

है। लेकिन वास्तव में उनके (मधुबन) अलावा भी कुछ लोगों ने सुझाव दिया था। तिवारी जी ने माना है कि तिवारी जी कोई व्यक्ति हैं। जनता का आशय पीपुल से है और पीपुल में एक व्यक्ति भी हो सकता है और अधिक भी हो सकते हैं। यदि खाली मधुबन ने भी दिया होता तो वह जनता का ही माना जाना चाहिए। लेकिन श्री मधुबन जी के सम्बन्ध में प्रभारी अधिकारी ने जो सूचना दिया था, वह इस प्रकार है--"इसी चबूतरे के एक और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की प्रतिमा लगाने का निश्चय शासन के निर्देश एवं स्थानीय जनता पार्टी के श्री मधुबन सिंह एवं अन्य कार्यकर्त्ताओं के अनुरोध पर लिया गया था।" प्रभारी अधिकारी ने जो पत्र शासन को लिखा था, उससे स्पष्ट है कि इस सम्बन्ध में सुझाव न केवल मधुबन सिंह ने दिए, बल्कि और भी कुछ जनता के लोग थे, जिन्होंने सुझाव दिए थे। और मैंने अपने पत्र में लिखा है--जो उप मंत्री जी ने टिप्पणी लिखी, वह जनता के लोगों के सुझावों के आधार पर लिखी थी। तो मैं जहां तक समझता हूं कि जो ३ उत्तर को लेकर विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया गया वह अपनी जगह पर ठहरता नहीं है। एक, शासनादेश के सबंध में मैंने स्थिति स्पष्ट कर दी है कि शासन का कोई आदेश नहीं था। उप सचिव ने केवल पत्र लिखा था कि विचार कर लिया जाय। दूसरी बात यह है कि जनता के सुझाव के आधार पर उपमन्त्री ने टिप्पणी लिखी थी। उन्होंने स्वयं माना है कि मधुबन सिंह राष्ट्रीय स्वंय सेवक के सदस्य हैं और तिवारी जी की नजर में क्या वह जनता के नहीं हैं? मधुबन सिंह स्वयं ऐसे व्यक्ति हैं, जो आपातकालीन स्थिति के दौरान मीसा में बन्दी रहे थे: यह जो दिया गया है नियम ६४ में चर्चा की मांग की गई है, यह उसमें नहीं आता है, लेकिन प्राग्दर्शन में यह तनिक भी विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं बनता।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)--

मान्यवर, मैंने माननीय मंत्री जी के अनुपूरक प्रश्नों के उत्तर के सम्बन्ध में जिन हिस्सों को कोट किया है अपनी नोटिस में उसमें पहली बात तो यह थी कि ऐसे मामलों में शासन द्वारा स्थानीय निकायों को कोई आदेश दिया ही नहीं आता। इस सन्दर्भ में जो स्वयं आपने स्पष्टीकरण मांगा था आपने कहा था, उप मंत्री जी का क्या सुझाव है? नोट की आवश्यकता नहीं है। क्या उनका सुझाव यह है कि वहां पर श्री दीनदयाल उपाध्याय की मूर्ति स्थापित की जाय? क्या इस प्रकार का सुझाव है? इस पर माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया था, उप मंत्री जी की जो टिप्पणी थी उसमें स्पष्ट इस बात का कोई भी जिक्र नहीं था। मैंने अपनी सूचना में ही श्री सत्यप्रकाश जी अग्रवाल, उप मंत्री की टिप्पणी ही नहीं, २-१२-७७ को एक आदेश का स्पष्ट हवाला भी दिया है जो उन्होंने प्रभारी अधिकारी नगरपालिका, फैजाबाद को लिखा था, पत्र संख्या ३०७० है, उसके पैराग्राफ ४ में, कि श्री मधुबन सिंह के सुझाव के अनुसार श्री दीनदयाल उपाध्याय व श्री वेद प्रकाश अग्रवाल की मूर्तियां चौक में लगा दी जायं। एक बात मंत्री जी ने इंकार किया कि इस तरह का कोई सुझाव नहीं था, श्री दीनदयाल जी की मूर्ति लगाने का, जबकि उन्होंने स्पष्ट आदेश दिया था कि वहां पर मूर्तियां लगा दी जायं। चौक के बारे में जब जिला अधिकारी का पत्र आ गया कि नहीं लगा सकते। तब मधुबन सिंह का दूसरा पत्र आया। उसके आधार पर माननीय उप मंत्री ने दूसरा आदेश दिया। उस आदेश की बिना पर श्री ओम प्रकाश शर्मा उप सचिव ने पत्र लिखा। माननीय मंत्री जी ने उसकी आखिरी लाइन पढ़कर सुना दिया जिसमें उन्होंने लिखा है, एक महीने के अन्दर सारी कार्यवाही पूरी करके कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराया जाय। इस तरह से स्पष्ट आदेश दिया गया था।

[श्री रवीन्द्र काथ तिवारी—]

उप मंत्री जी की जिस टिप्पणी का, माननीय मंत्री जी ने हवाला दिया, वह २-१२-७७ का पत्र है जिसमें निश्चित आदेश हैं । लेकिन उसका परिपालन करने में जब स्थानीय अधिकारियों ने असमर्थता प्रकट की और उन्होंने सूचना दिया । तब दूसरा पत्र श्री मधुबन सिंह का आया । उसके आधार पर दूसरा आदेश, जिसे माननीय मंत्री ने टिप्पणी में कहा है, उप मंत्री ने दिया, उस आदेश की बिना पर उप सचिव ने दूसरा आदेश, पत्र के रूप में प्रसारित किया, जो जिला अधिकारी, फैजाबाद को एड्रेस्ड था । इस तरह से २० तारीख को जब अनुपूरक प्रश्नों का उत्तर माननीय मंत्री जी दे रहे थे, तो इस बात को एक दम छिपा गए कि उप मंत्री जी ने कोई इस तरह का आदेश दिया था। नियम ६४, प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली में तो यह है कि मैं आपको लिखित सूचना दूंगा । वह मैंने दिया । नियम ६५ में ग्राह्यता की शर्तें हैं ।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

एक स्पष्टीकरण पूछ लूं । कहां मैंने कहा है कि माननीय उप मंत्री ने कोई आदेश नहीं दिया ?

श्री रवीन्द्रनाथ तिवारी—

माननीय अध्यक्ष जी ने पूछा, उप मंत्री जी का क्या सुझाव है, प्रोसीडिंग देख लें ।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

सुझाव और आदेश में फर्क हो गया ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

"नोट की आवश्यकता नहीं है । क्या उनका सुझाव यह है कि वहां पर श्री दीनदयाल उपाध्याय की मूर्ति स्थापित की जाय ? क्या इस प्रकार का सुझाव है ?"

श्री अध्यक्ष—

माननीय तिवारी जी, असली प्रश्न यह है कि आप का आरोप यह है कि माननीय मंत्री जी ने इस सदन में कहा कि शासन ने कोई आदेश स्वर्गीय दीनदयाल जी उपाध्याय की मूर्ति लगाने का नहीं दिया ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

और इस प्रकार सदन को भ्रमित किया । माननीय मंत्री जी का कथन है कि कोई आदेश इस प्रकार का नहीं दिया गया बल्कि प्रभारी अधिकारी को जो सुझाव मधुबन सिंह का था या जिसको जनता का सुझाव कहते हैं वह उनके विचारार्थ भेजा गया । अब केवल इतना ही स्पष्टीकरण करना है कि वह यहां का आदेश था या प्रभारी अधिकारी को स्वयं निर्णय लेने का था । यह कहा गया कि मूर्ति स्थापित करके परिपालन की सूचना एक महीने में दें । अगर यहां से कोई ऐसा आदेश दिया गया कि हम मधुबन सिंह का पत्र भेज रहे हैं, विचार करें । उप सचिव के हस्ताक्षर से कि एक महीने में मूर्ति लगाकर उसकी परिपालन की सूचना शासन को दें । इसमें क्या सत्य है ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

जो पत्र मेरे पास उपलब्ध है और जिसका उद्धरण तिवारी जी ने किया है उसको मैं सदन के समक्ष रखना चाहता हूं ।

"अर्द्ध शासकीय पत्र संख्या ६४४३-बी/११-४-४८(२०)७७, दिनांक ३ जनवरी, १९७८, प्रेषक ओम प्रकाश, उप सचिव, नगर पालिका अनुभाग-५, लखनऊ, सेवा में श्री एस० दास जिलाधिकारी, फैजाबाद ।

शासन को विदित हुआ है कि नगरपालिका फैजाबाद ने पं० दीनदयाल उपाध्याय जी की प्रतिमा की स्थापना का निर्णय लिया था। प्रतिमा की स्थापना उचित स्थान पर किए जाने की प्रतीक्षा में बनी हुई प्रतिमा रखी हुई है। शासन को यह भी सूचित किया गया है कि फैजाबाद में लाल बहादुर एन्ड सन्स, वाच मेकर की दूकान के सामने एक पार्क का निर्माण हो रहा है। इस सम्बन्ध में यह सुझाव है कि उक्त पार्क का नाम पं० दीनदयाल उपाध्याय पार्क रखने और उक्त पार्क में कथित प्रतिमा स्थापित करने पर विचार कर लिया जाए।"

सुझाव वही है जो मधुबन सिंह और जनता के लोगों ने दिये थे और यह कहा गया कि उन पर विचार कर लिया जाये।

"अतः अनुरोध है कि इस संबंध में समस्त अभीष्ट कार्यवाही पूरी करके एक मास के भीतर शासन को कृत कार्यवाही से अवगत कराया जाये।"

मैंने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि उसमें स्थानीय निकाय ही निर्णय लेने में सक्षम हैं। शासन ने उनके पास सुझाव भेज दिया है। नगर पालिका के प्रभारी अधिकारी विचार कर लें और जो कार्यवाही हो उसे शासन को अवगत करावे। शासन स्तर पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

उस दिन उत्तर में यह भी कहा गया था, तो जहां पर दीन दयाल उपाध्याय जी की मूर्ति लगाये जाने की बात है वह स्थान नगर पालिका के भवन के सामने है और जहां पर आचार्य नरेन्द्र देव जी के स्मारक के निर्माण का प्रश्न है वह स्थान पार्क से सम्बन्धित है। वह स्थान अलग अलग हैं। दो बातें कहना चाहता हूं माननीय मंत्री जी ने कहा है कि शासन में उप मंत्री इनक्लूड नहीं होता है। किसी उप मंत्री का आदेश है तो वह शासन का आदेश नहीं माना जायेगा।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

मैंने क्या कहा और तिवारी जी दूसरी बात कहते हैं। वह लिख लें तब बोलें।

श्री अध्यक्ष--

उन्होंने मंत्री की परिभाषा पढ़कर सुनायी। मंत्री में उपमंत्री भी शामिल है। आदेश की प्रक्रिया को बतलाया। मंत्री आदेश दे या उप मंत्री आदेश दें तो वह आदेश वही होगा जो सचिव या उप सचिव आदि जैसा सेक्रेटेरियट मैनुअल में लिखा है, द्वारा जारी किया जाय। इस लिए यह प्रश्न नहीं है।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

उस दिन माननीय मंत्री जी ने दोनों पार्क अलग-अलग बताये। अभी ओम प्रकाश शर्मा जी की चिट्ठी का जिक्र किया जिसमें लाल बहादुर एंड सन्स, वाच मेकर की दुकान के सामने वाले उस पार्क में प्रतिमा लगाने का यह सुझाव गया और वह वही पार्क है जिसमें कई साल पहले चुनी हुई पालिका ने सर्व सम्मति से आचार्य नरेन्द्र देव की स्मृति में एक बहु उद्देशीय भवन बनाने का निर्णय लिया था। इस प्रकार से शासन की जानकारी में आया कि पार्क में नरेन्द्रालय को बनना है। उस पार्क के हाल की नींव भरने में ५० हजार रुपया व्यय हो चुका है, शासन को उस आदेश की जानकारी थी। उसकी नींव की सारी दीवारों को तोड़ा गया, मूर्ति के लिए पैडेस्टल लगाये गये लेकिन लास्ट में जो जवाब मंत्री जी ने दिया उससे ऐसा लगा है कि दोनों पार्क शुरू से ही अलग-अलग थे यह भ्रम पैदा किया गया कि जैसे दोनों स्थान अलग-अलग थे। वस्तुस्थिति यह है कि सारी

[श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--]

कार्यवाही पूरी हो गयी थी माननीय मुख्य मंत्री को आमंत्रित भी कर लिया गया था विशिष्ट अतिथि के रूप में और जिस दिन वे जाने वाले थे उसके एक दिन पूर्व मुख्य मंत्री जी को जब सारी स्थिति मालूम हो गयी तो उन्होंने अपना प्रोग्राम रद्द कर दिया और तब जा कर दूसरे दिन दूसरे पार्क में पंडित जी की मूर्ति लगायी गयी थी। तो इस प्रकार नियम ६४ में मैंने सूचना दी तथा नियम ६५ में प्राग-दर्शन में केस बनता है। पहले माननीय मंत्री जी ने कहा था कि उप-मंत्री का कोई आदेश नहीं था। मान्यवर, मैंने श्रीमन् के सामने कहा है कि दिनांक २-१२-७७ को माननीय उप-मंत्री जी ने स्पष्ट आदेश दिया था प्रभारी अधिकारी को कि श्री मधुबन सिंह के सुझाव के अनुसार श्री दीन दयाल उपाध्याय व श्री वेद प्रकाश अग्रवाल की मूर्तियां चौक में लगा दी जाय, एक तो यह गलत बयानी की और दूसरे उनका यह कहना ठीक नहीं था कि दोनों पार्क अलग-अलग हैं।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

आदेश वाली बात कहां कही ?

श्री अध्यक्ष--

यह तो मैं निर्णय करूंगा।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

मान्यवर, दिनांक २-१२-७७ के पैराग्राफ ४ में स्पष्ट किया हुआ है कि श्री मधुबन के सुझाव के अनुसार ..।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

यह मैंने कहां पर कहा था कि उप मुख्य मंत्री के आदेश पर ?

श्री अध्यक्ष--

माननीय तिवारी जी मूर्ति लगाने का निर्णय प्रभारी अधिकारी ने लिया यह उचित था या नहीं, कहां पर लगे, इसका विशेषाधिकार से कोई सम्बन्ध नही है। प्रश्न केवल इतना है कि माननीय स्वायत शासन मंत्री ने क्या जानबूझकर सदन में गलत बयानी की और तथ्यों को तोड़ मरोड़कर सदन में रखा ?

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

२-१२-७७ का पत्र माननीय मंत्री जी की पत्रावली में मौजूद होगा जब वे जवाब दे रहे थे और जब आपने पूछा कि उप मंत्री का क्या सुझाव था क्या वहां पर दीनदयाल की मूर्ति लगे तो इस पर उन्होंने बताया था कि एक उप-मंत्री जो वहां पर गए थे, जनता उनसे मिली, इस सम्बन्ध में उनकी टिप्पणी है लेकिन उस टिप्पणी में इस बात का कोई जिक्र नहीं था। जहां पर दीनदयाल की मूर्ति लगने का प्रश्न था वह स्थान नगरपालिका का था और जहां पर आचार्य नरेन्द्र स्मारक का सम्बन्ध है वह पार्क से सम्बन्धित है तो दोनों स्थान अलग-अलग हैं। और दूसरे माननीय उप मंत्री जी की टिप्पणी के बारे में कि इस तरह का कोई स्पष्ट सुझाव नहीं था कि दीनदयाल जी की मूर्ति वहां लगायी जाय। यह तो गलत बयानी कर दी है और प्राग दर्शन में देखेंगे कि प्राइमाफेसी केस बनता है विशेषाधिकार समिति को सुपुर्द करने के लिए।

इसमें मान्यवर, मैं केवल इतना ही निवेदन करना चाहूंगा, अपनी बात के समर्थन में कि हमारे संविधान के अनुच्छेद १९४ (३) में यह उपबन्ध किया गया है कि राज्य के विधान मंडलों और उनके सदस्यों की शक्तियां, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां वही होंगी जोकि ब्रिटेन के हाउस आफ कामन्स की हैं। मान्यवर,

इसी प्रकार १९५२ में पहली बार हाउस ने संकल्प लिया था जिसमें आखिर में बाम्बे हाईकोर्ट तक में मामला गया था। "ब्लिट्ज" के मामले में बाम्बे हाई कोर्ट ने उस संवैधानिक व्यवस्था की पुष्टि की है कि विधान सभा को इस तरह की शक्ति प्राप्त है जो हाउस आफ कामन्स को प्राप्त है ..।

श्री अध्यक्ष--

लेकिन यहां इसका कोई सन्दर्भ नहीं है। यह जो बाम्बे हाई कोर्ट की बात कह रहे हैं इसका क्या संदर्भ है? सदन के विशेषाधिकार क्या हैं, यह विवादास्पद नहीं है।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

मैं वही कह रहा हूं कि जब यह बात तय हो गयी कि जानबूझ कर तथ्यों से अवगत होते हुए भी माननीय मंत्री जी ने गलत बयानी की तो इस प्रकार का एक केस आया है जिसका डिस्क्रिप्शन प्रिविलेजेज डाइजेस्ट जुलाई, १९६४ वाल्यूम एट्थ के पृष्ठ १९ पर दिया गया है। जो प्रोपर्टीमों कांड हुआ था, इसी तरह का कांड उसमें जो प्रिसिपल ले डाउन किया गया है। उसमें भी हाउस आफ कामंस के अन्दर यही था कि तथ्यों की जानकारी थी और माननीय मंत्री ने जानबूझ कर गलत बयानी की थी। यहां पर भी माननीय मालवीय जी को सारे फैक्ट्स की जानकारी थी, उसके बावजूद माननीय उपमंत्री जी को संरक्षण प्रदान करने के लिए गलत-बयानी उन्होंने की जिससे हाऊस में भ्रम पैदा हुआ लोगों ने समझा कि दोनों पार्क अलग-अलग थे और पूरा हाऊस माननीय मंत्री जी के जवाब से गुमराह हुआ। इसलिए यह विशेषाधिकार की अवहेलना का स्पष्ट प्रश्न बनता है और चूंकि इसमें माननीय मुख्य मंत्री जी को इनवोटेशन गया था, जिलाधिकारी को आदेश गये थे, टेलीफोनिक आदेश हुए थे, इन सभी तथ्यों की जानकारी के लिए जरूरी है कि इसको प्रिविलेज कमेटी को भेजा जाय ताकि सबकी गवाही हो सके और सही तथ्य आप के सामने प्रकट हो सकें।

एक अनुरोध और है कि माननीय उपमंत्री जी की जो टिप्पणी है जिसके आधार पर उप सचिव का पत्र गया था। आपका कोई फैसला आये उससे पूर्व आप उस टिप्पणी को देख लें, उसके बाद कोई व्यवस्था दें। यह मेरा आप से अनुरोध है।

श्री अध्यक्ष--

मैंने सुन लिया है। आप बैठें। मैं कोई निर्णय देने से पहले उस दिन की कार्यवाही को देखूंगा और आज माननीय स्वशासन मंत्री ने जो कहा है उस सब को देखने के बाद तब मैं इस पर अपना निर्णय दूंगा। आज मैं कोई निर्णय नहीं दे रहा हूं।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)--

श्रीमन्, मैं इसके बारे में कुछ कहना चाहता था। यह जो प्रश्न उठा है इसके बारे में एक दो मिनट यदि आप कहेंगे, तो कहूंगा।

श्री अध्यक्ष--

इसके सम्बन्ध में कुछ कहना चाहें तो कह सकते हैं। क्योंकि कल तो फिर इस सबको देखने के बाद में निर्णय दूंगा, फिर किसी को सुनूंगा नहीं।

श्री ऊदल--

फिर आगे नहीं सुनेंगे?

श्री अध्यक्ष—

इसीलिए तो मैं अपना निर्णय सुरक्षित रख रहा हूं। आपको जो कहना है वह कह दीजिए।

श्री ऊदल—

मेरा कहना यह था कि मैंने माननीय स्वायत्तशासन मंत्री से उस दिन आपको याद होगा कि इसके बारे में प्रश्न किया था और यह भी मैंने कहा कि यह तथ्य के परे माननीय मालवीय जी कह रहे हैं हालांकि बड़ी कोशिश के बाद बहुत से माननीय सदस्यों ने जब जानना चाहा और उसके बाद जब श्रीमन्, आपने कहा कि वह कौन सी उप मंत्री हैं तब जाकर के माननीय मालवीय जी ने उस माननीय उप मंत्री का नाम बताया। वह भी उनके नोट का हवाला दिया उसका भी जिक्र आया नहीं। प्रश्न यह था कि वहां की नगरपालिका ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव किया था कि आचार्य नरेन्द्र देव जी के नाम पर एक नरेन्द्रालय का निर्माण किया जाये..

श्री रमाशंकर कौशिक (जिला मुरादाबाद)—

व्यवस्था का प्रश्न है। नियम ६५ (ग) में है —परन्तु यदि शिकायत किसी सदस्य के विरुद्ध हो तो अध्यक्ष, अपनी सम्मति तथा ग्राह्यता संबंधी अपनी स्वीकृति देने के पूर्व सदस्य को, सम्बद्ध लेखों, यदि कोई हों, के निरीक्षण का अवसर देकर सुनेंगे और आवश्यकता होने पर शिकायतकर्त्ता को भी सुन सकेंगे..।

श्री अध्यक्ष—

नियम ६६ में आगे देखिये—किन्तु यदि अध्यक्ष आवश्यक समझें तो अपना निर्णय देने के पूर्व संबंधित सदस्य तथा अन्य सदस्यों को सुन सकेंगे।

श्री रमाशंकर कौशिक—

अब जिन लोगों को कुछ कहना हो आपके कक्ष में बात कर लें।

श्री ऊदल—

श्रीमन्, मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा। तथ्य यह है कि नगरपालिका ने कोई प्रस्ताव पास किया था जिसके मुताल्लिक माननीय तिवारी जी ने विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया है। मूल प्रश्न था कि क्या उस प्रस्ताव के अनुसार ५० हजार रुपया खर्च किया गया था और क्या फिर उसको ढा दिया गया और फिर स्वर्गीय श्री दीनदयाल उपाध्याय जी की मूर्ति का अनावरण किया गया ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

मान्यवर, यह तो नयी चीज उसमें ला रहे हैं। मेरी आपत्ति यह है कि जिन बातों के संबंध में माननीय तिवारी जी ने उल्लेख कर दिया है, उसके अतिरिक्त कोई नयी चीज नहीं लाई जा सकती। नयी चीज अगर लाना है तो वे अलग से लायें और उस पर विशेषाधिकार भंग का प्रश्न उठायें।

श्री अध्यक्ष—

जो अनुचित बात होगी, मैं उसे नहीं मानूंगा।

(व्यवधान)

श्री ऊदल—

अगर हम कोई ऐसी बात कहें श्रीमन्, जो उस दिन की कार्यवाही से अलग हो, तो आप उसको काट दें।

(व्यवधान)

श्री राघवराम मिश्र (जिला खीरी)—
मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।
श्री अध्यक्ष—
व्यवस्था पर व्यवस्था का प्रश्न नहीं होता, आप बैठिये ।
(व्यवधान)
श्री राघवराम मिश्र—
श्रीमन्, यह दो महापुरुषों से सम्बन्धित मामला है ।
(व्यवधान)
इस पर भी आप विचार कर लें । आप इनसे अपने कक्ष में बुलाकर बात कर लें ।
श्री अध्यक्ष—
श्री मिश्र जी ने जो कहा यह किसी महान पुरुष के बारे में प्रश्न नहीं है, प्रश्न केवल इतना सीमित है . . .
(व्यवधान)
एक सदस्य—
मान्यवर, सैकड़ों लोगों . . .
श्री अध्यक्ष—
आप बैठ जाइये मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं ।
प्रश्न केवल इतना सीमित है कि क्या माननीय स्वायत्त शासन मंत्री न कोई गलत बयानी की ? उस रोज जो उन्होंने उत्तर में कहा, उत्तर देने का उनको अधिकार है ।
(व्यवधान)
सिर्फ इतना ही प्रश्न है कि उन्होंने कोई गलत बयानी की है ? आपने कहा कि यह गलत बयानी की, तो उसको मैं सुन सकता हूं, उसके बाद फिर मैं निर्णय दूंगा ।
श्री ऊदल—
मैंने इसलिए जिक्र किया श्रीमन्, कि इसको तीन तरह से देखा जा सकता है । एक तो जो उस दिन प्रश्न आया था . . .
(व्यवधान)
श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)—
मान्यवर, आप व्यवस्था दे चुके हैं, लेकिन क्या हम लोगों को सुनने का भी अवसर देंगे कि नहीं ?
(व्यवधान)
श्री श्याम धर मिश्र (जिला वाराणसी)—
मान्यवर, हमको भी थोड़ा सा मौका दे दें ।
श्री अध्यक्ष—
आप सब लोग बैठ जाइये ।
मैंने यह कहा था कि मैं अपना निर्णय सुरक्षित रखता हूं । ऊदल ने कहा कि मुझको सुनने का अवसर देंगे, मैंने अब उनको अवसर दे दिया, जब अनुमति दे दिया, तो उनकी बात समाप्त होने दीजिए ।
श्री ऊदल—
तीन तरह से श्रीमन् इसको देखा जा सकता है । वह मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं कि यह विशेषाधिकार का प्रश्न बनता है कि नहीं । प्रश्नोत्तर काल में जो प्रश्न हुआ और जो उत्तर माननीय स्वायत्त शासन मंत्री ने दिया, वह प्रोसीडिंग

श्री अदल--

में है । दूसरा श्रीमन् नगरपालिका, फैजाबाद ने जो प्रस्ताव पास करके भेजा, उसके मुताबिक, उसकी फाइल में जो कुछ कार्यवाही होगी, उसके मुताबिक । तीसरा जो टिप्पणी का जिक्र माननीय स्वायत्त शासन मंत्री जी ने किया, उस टिप्पणी के मुताबिक । उसमें जो परिवर्तन किया गया, जिसको कि माननीय स्वायत्त शासन मन्त्री जी स्वीकार नहीं करते । इन तीनो चीजों को श्रीमन् आप मंगा कर अपने सामने रख लें और उसके मुताबिक मेरा ऐसा ख्याल है कि अगर तीनों को आप मिला कर देखेंगे, तो विशेषाधिकार का प्रश्न बनता है । माननीय मालवीय जी ने तथ्यों को छिपाया है ।

श्री अध्यक्ष--

जो प्रश्न रवीन्द्र नाथ तिवारी जी ने उठाया है, मैं उससे बाहर नहीं जाऊंगा और उसी को देखकर निर्णय दूंगा । अब विवाद समाप्त ।

कार्य स्थागन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष--

एक कार्य-स्थगन की सूचना श्री सोहनवीर सिंह तोमर ने दिया है । वह मेरठ के एक प्रकाशक द्वारा यू० पी० बोर्ड की चालू परीक्षाओं के पर्चे गेस पेपर्स की आड़ में पूर्व प्रकाशित किये जाने के सम्बन्ध में है तो मैंने इसको कार्य-स्थगन में नहीं स्वीकार किया है । लेकिन चूंकि उन्होंने वह पत्र भी मेरे पास भेजे हैं, मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी को निर्देश कर रहा हूं कि इस सम्बन्ध में जो पुस्तिकायें और जो प्रश्न पत्र दिये हैं, उनको देख कर उसमें केवल एक वक्तव्य दे दें ।

श्री सोहन वीर सिंह तोमर (जिला गाजियाबाद)--

मान्यवर, मैंने शून्य प्रहर में भी इस बारे में कुछ गेस पेपर्स और प्रश्न-पत्र भेजे है । मैं स्वयं नहीं समझता था कि इसको कार्य-स्थगन प्रस्ताव के रूप में लाया जाय । मेरे सामने कठिनाई यह है कि परीक्षाएं हो रही हैं । मेरठ से यह छपने वाले गेस पेपर्स और प्रश्न-पत्र हजारों लाखों रुपये में बेचे जा रहें हैं । यह मेरठ और मुजफ्फरनगर के दो कालेजों के सम्बन्ध में हैं । बच्चे उनको खरीद रहे हैं । फिजिक्स और मैथमेटिक्स ये सारी परीक्षाएं सब फालस हैं ।

माननीय मन्त्री जी को जो पत्र लिखा है तो उन्होंने कहा कि हम विचार कर रहे हैं । तो परीक्षायें हो जायेंगी और २० दिन के बाद जवाब देंगे ।

श्री अध्यक्ष --

माननीय शिक्षा मन्त्री जी आप इस सम्बन्ध में कोई वक्तव्य दे रहे हैं क्या ?

शिक्षा मंत्री (श्री कालीचरण)--

श्रीमन्, माननीय सदस्य ने जो कुछ कहा है तो सारे तथ्यों को जांच कराकर जो उचित होगा वह कार्यवाही की जायगी ।

श्री अध्यक्ष--

अब आय-व्ययक पर बहस फिर शुरू होगी ।

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)--

श्रीमन्, मैंने एक कार्यस्थगन प्रस्ताव दिया है ।

श्री अध्यक्ष--

आपका भी एक प्रस्ताव है जो प्रदेश में दो दिनों से बिजली कटौती के कारण जनता को परेशानी के विषय में है, यह ऐसा प्रश्न है नहीं कि इसके

कारण सदन का कार्य स्थगित किया जाय। इस सम्बन्ध में आप सामान्य प्रशासन पर जो विवाद चल रहा है उस पर ध्यान आकर्षित कर सकते हैं।

श्री श्यामधर मिश्र--

बिजली से सम्बन्धित है सामान्य प्रशासन को बहस में कैसे कहा जा सकता है ?

श्री अध्यक्ष--

अगर आप एजेंडा पढ़ें, मंत्रियों से सम्बन्धित व्यय भी हैं। इसमें विद्युत् मंत्री भी आते हैं। मुख्य मंत्री का जो बजट हमारे सामने है उसमें यह भी है 'मंत्रियों पर होने वाला व्यय' इसमें विद्युत् मंत्री भी शामिल हैं इसलिये आप अपनी बात कह सकते हैं।

१९७८-७९ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान--अनुदान संख्या ३--मंत्रिपरिषद्, अनुदान संख्या ५--निर्वाचन, अनुदान संख्या १८--सचिवालय, अनुदान संख्या १९--जिला प्रशासन, अनुदान संख्या २१--पुलिस, अनुदान संख्या २५--अन्य प्रशासनिक सेवाएं, अनुदान संख्या ४०--अन्य सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण सम्बन्धी योजनाएं तथा अनुदान संख्या ४५--अन्य सामान्य आर्थिकसेवाएं (क्रमागत)†

श्री अरुण कुमार (जिला जौनपुर)--

मान्यवर, सामान्य प्रशासन और पुलिस पर कल से चर्चा हो रही है। माननीय गुलाब सेहरा जी ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। जिस विषय पर चर्चा हो रही है अगर गौर से देखा जाय तो हम चर्चा शून्य से शुरू कर रहे हैं। अगर इस प्रदेश के अन्दर प्रशासन सामान्य प्रशासन और पुलिस की व्यवस्था के ऊपर विहंगम दृष्टिपात किया जाय, सिलसिलेवार नजर की जाय तो स्वतः ही साफ पता चल जायगा कि प्रदेश में कोई प्रशासन कदापि नहीं रह गया है। अभी कल भी जनता पार्टी के सम्मानित विधायकगण, इस सम्मानित सदन के अन्दर अपनी-अपनी व्यथा को प्रशासन और पुलिस व्यवस्था के सम्बन्ध में व्यक्त कर रहे थे। सम्मानित सदस्य मुजफ्फरनगर ने बड़े करुण शब्दों में, बड़ी व्यथा के साथ, जनता पार्टी के सदस्य होते हुये भी उन्होंने सरकार का ध्यान आकर्षित किया कि सदन के अन्दर जो भी मंत्री और जो भी सदस्य इस सरकार की वकालत कर रहे हैं वह सरासर अपने आप पर और अपनी निगाह पर परदा डालकर इस मौजूदा जनता सरकार की वकालत कर रहे हैं।

मेरा निवेदन है कि आप प्रदेश की स्थिति को देखें। उधर बैठे हुये कुछ माननीय सदस्यों ने ब्यूरोक्रेसी के ऊपर सवाल उठाया। मेरा निवेदन है कि तत्काल आप ब्यूरोक्रेसी में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। सम्मानित सदस्य वाराणसी ने कहा कि यह ब्यूरोक्रेसी वही है तो निश्चय ही यह ब्यूरोक्रेसी वही है। हमें इस ब्यूरोक्रेसी के तहत ही इस मौजूदा शासन को देखना है। अगर इस ब्यूरोक्रेसी को यह अहसास हो जाय कि शासन संचालित करने वाली मशीनरी मजबुत है, हमारे ऊपर कड़ी निगरानी रख सकती है, लगाम लग सकती है,

†२४ अप्रैल, १९७८ की कार्यवाही से।

[श्री अरुण कुमार]

अगर ब्यूरोक्रेसी को इस बात का अहसास हो जाय तो ब्यूरोक्रेसी नियन्त्रित हो सकती है ।

मान्यवर, ब्यूरोक्रेसी में बैठे लोग जनता शासन के बारे में अपने आप में उनकी प्रक्रिया को देखकर अनुमान लगा लिया है कि इस सरकार के पास न कोई नीति है और न सोचने का दिमाग है पिछले साल जनता पार्टी के महान नेता जो विरोधी दल के भी नेता थे और आज देश के गृह मंत्री हैं उन्होंने इस बात को स्वीकारा है कि ब्यूरोक्रेसी एक घोड़ा है जिसको यदि अहसास करा दिया जाय कि बैठने वाले का चाबुक सही है तो ब्यूरोक्रेसी नियन्त्रित हो जाती है, अन्यथा नहीं । लेकिन आज जनता पार्टी के लोग अपने कारनामों पर पर्दा डालकर सारी जिम्मेदारी ब्यूरोक्रेसी पर डाल देते है । इसलिये मेरा निवेदन है कि जितनी ब्यूरोक्रेसी जिम्मेवार है उतनी ही जिम्मेदारी शासन में बैठे लोगों की है । हम यहां बैठ कर यदि किसी अधिकारी के बारे में सही बात रखना चाहते हैं तो यही बैठे मन्त्री लोग उस पर पर्दा डालने की बात करते हैं । इसलिये यदि सही बातों पर आप पर्दा डालेंगे तो ब्यूरोक्रेसी को बहाना करने का मौका मिल जायेगा । इसलिये ब्यूरोक्रेसी को नियन्त्रित रखने के लिये आपको सजग और सचेत होना पड़ेगा ।

मान्यवर, जैसा कि आपने कहा कि यहां बैठे मंत्रियों को बड़ी दिक्कत होती है हमारी शून्य प्रहर की सूचनाओं का जवाब एक सप्ताह में देने में । इसलिये यदि मंत्री लोग यहां के माननीय सदस्यों की बातों का आदर करें तो ब्यूरोक्रेसी पर लगाम लग सकती है । लेकिन यहां से निकलने के बाद सचिव जो समझा देते हैं तो उनकी बात मान ली जाती है किन्तु माननीय सदस्यों की बात आप नहीं मानते हैं । इसलिये यदि यहां के सचिवों को टाइट किया जाय और माननीय सदस्यों की बात को ध्यान में रखकर उनकी सूचनाओं का जवाब एक सप्ताह में आ जाय तो ब्यूरोक्रेसी समझेगी कि यहां बैठे लोग हमारे अपर नियन्त्रण करने में सक्षम हैं इससे ब्यूरोक्रेसी नियन्त्रित होगी । लेकिन यह सरकार अपने अस्तुरे से ही अपनी गरदन काट रही है, दूसरों को नहीं देखा जाय तो ब्यूरोक्रेसी इसलिये भी डरती है कि बदले की भावना से आज वह प्रताड़ित किये जा रहे हैं जबकि वह गुनहगार नहीं है । इसलिये जो गुनहगार हैं उन्हीं को दंडित किया जाय दूसरों को नहीं । इन चीजों को देखते हुये ब्यूरोक्रेसी नियन्त्रित नहीं हो रही है ।

आज प्रदेश के अन्दर पुलिस की जो व्यवस्था है उसके बारे में जो विभाग से पुस्तिका बंटी है उसमें शुरुआत तो अच्छी है लेकिन पूरी शुरुआत पिछले शासन से है । उसने जाते जाते इतना छोड़ दिया है कि जिसकी प्रशस्ति आपको करनी पड़ गयी । इसके अन्दर कानपुर, लखनऊ और वाराणसी के तनावों की स्थिति का जिक्र किया गया है लेकिन यह तनाव यहां ही नहीं बल्कि जौनपुर में भी तनाव की स्थिति बढ़ गयी है जब कि ऐसी स्थिति पहले नहीं देखी गयी । वहां जिला कलेक्टर के खिलाफ इंक्वायरी की मांग की गयी लेकिन शासन ने कोई इंक्वायरी नहीं किया । आज वहां का जिलाधिकारी इतना निकम्मा है कि वहां हिन्दू मुसलमान में कोई तनाव कभी भी नहीं था, शिया सुन्नी में कोई तनाव कभी भी नहीं था । लेकिन इस कलेक्टर ने अपने जिला शासन काल में उसको भी जन्म दे दिया ।

लेकिन एक अधिकारी जिसको शासन ने पूर्ण रूप से सुरक्षा प्रदान की है हमने कितनी उसके खिलाफ आवाज उठाई, ६--७ विधायकों ने निरन्तर आवाज उठाई, उसकी इनक्वायरी भी कम्पलीट हो गई लेकिन आज भी वह बदहोश जिलाधिकारी जौनपुर जिले में विद्यमान है । दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है । ऐसा जिलाधिकारी

हमारे जनपद के इतिहास में कभी भी नहीं हुआ। जैसा जनता पार्टी का इतिहास पाया गया है ठीक वैसा ही हमारे जनपद म दोहराया गया है।

मैं कहना चाहूंगा कि यह साम्प्रदायिक तनाव की बात कम से कम प्रदेश के १०-१२ जिलों में शुद्ध रूप से व्याप्त हो गयी है। आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि आजमगढ़ में चुनाव हो रहे हैं और उस चुनाव की बेला में भी मुझे यह शक है, शक ही नहीं पूर्ण जानकारी है कि अब जनता पार्टी और जनता सरकार को एहसास हो गया है कि चुनाव उनके पक्ष में नहीं है, चुनाव को साम्प्रदायिक रूप दे रहे हैं। जनपद के अन्दर साम्प्रदायिक शक्तियों को उभारा जा रहा है। चुनाव स्वस्थ हो, निष्पक्ष हो, मुख्य मंत्री जी का जिला है, इसलिए मेरा निवेदन है कि ऐसी स्थिति न उत्पन्न होने पाये। उस पर कड़ी निगरानी रखी जाय। मुझे इसकी पूरी आशा है। लेकिन मेरी जानकारी है कि जिस शहर में चुनाव होने जा रहा है वहां के कलेक्टर और कप्तान की नियुक्ति नये सिरे से हो रही है। ऐसी चीज कर के चुनाव को दूषित किया जायगा और निष्पक्ष चुनाव नहीं हो पायेगे। वैसे तो आजमगढ़ में विकास की जितने भी अनुदान चुनाव की बेला में मुख्य मुख्य मंत्री जी ने घोषित किये हैं उनसे स्वतः सिद्ध है कि चुनाव के नाम पर प्रलोभन दिया गया है। मान्यवर मुख्य मंत्री जी ने वहां नामीनेशन के दिन एक पहले घोषणा की है २२करोड़ २६ लाख रुपये की। यह निष्पक्ष चुनाव की कड़ी नहीं है। चुनाव की बेला में आप जिस तरह के सहायता और प्रलोभन दे रहे हैं, छूट दे रहे हैं ऐसी चीजों को चुनाव में न लाया जाय।

मेरा निवेदन है कि प्रदेश के शासन पर सिलसिलेवार मुख्य मंत्री जी नजर रखे। कल मुख्य मंत्री जी ने जो भाषण सामान्य प्रशासन के बारे में दिया उसको सुनकर मुझे निराशा हुई। माननीय सदन में सामान्य प्रशासन और पुलिस व्यवस्था के संबंध में विस्तार से बोलने के बजाय उन्होंने गोल मोल दो चार शब्दों में अपनी बात समाप्त कर दी क्योंकि वह स्वयं स्वीकार कर रहे थे कि पूरे प्रदेश के अन्दर जब से जनता पार्टी का शासन हुआ है तब से सम्पूर्ण प्रदेश म गोलियों की बौछार चल रही है। इतने कम समय में इतनी ज्यादा गोलियों, इतने कम समय में इतनी भारी लाठी चार्ज, पिछले शासन के इतिहास में कभी नहीं हुआ।

मान्यवर, मैं कहना काहता हूं कि यहां पर बैठे हुये लोग पिछले शासन का हवाला दे देते हैं। आप समाजवाद के नाम पर, डा० लोहिया की प्रतिमा के पीछे, डाक्टर नरेन्द्रदेव की प्रतिमा के पीछे खड़े होकर अपने गुनाहों पर पर्दा डालना चाहते हैं। मेरा निवेदन है कि आज देश और प्रदेश में आजादी के नाम पर तस्कर आजाद हुये हैं। वे तमाम गुनाहगार, असामाजिक तत्व आजाद हुये हैं और प्रदेश के जन जीवन को दूषित कर रहे हैं। व्यापारी आजाद हुये हैं जो खुल कर कीमतों का सौदा कर रहे हैं। मिल मालिक आजाद हुये हैं नौकर नहीं आजाद हुए, किसान आजाद नहीं हुए हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप आजादी के जिस प्रशस्ति पत्र को पढ़ रहे हैं उसको बन्द करें।

आप आयोगों के माध्यम से जो मन गढंत कहानियां चला रहे हैं वह प्रदेश और जनता की भूख नहीं हो सकती, जनता की भूख है स्वच्छ और भुक्त

[श्री अरुण कुमार]

प्रशासन । उनकी आजादी तभी सुरक्षित रह सकती है जब कि कानून और व्यवस्था मजबूत हो । आप यह कहते हैं कि हमने आजादी दी है तो वह आजादी किस काम की जिसके नाम पर जन जीवन दूषित हो जाय, सामूहिक बलात्कार की रस्में निभायी जायं, शरीफों का निकलना बन्द हो जाय, माओं और बहनों का जीवन दूभर हो जाय, ऐसी आजादी किस काम की । आज आजादी के नाम पर मसीहों पर गोली चलायी जा रही है, विद्यार्थियों पर डंडे बरसाये जा रहे हैं अध्यापकों को मारा जा रहा है, इंजीनियर को सताया जा रहा है डाक्टरों को परेशान किया जा रहा है, किस बात की आजादी आपने दी है । मेरा आपसे निवेदन है कि आप इन बातों पर सोचियेगा ।

मैं ज्यादा न कहकर इतना कहूंगा कि आज जो स्थिति है उसके लिए जिम्मेदार शासन में बैठे सारे मंत्री लोग हैं । मैं जानता हूं कि मंत्रि मंडल का स्वरूप क्या है । आपके दिल और दिमाग में कोई व्यवस्था जन्म लेती होगी लेकिन जिस परिधि में आप कैद हैं उससे वह सारी व्यवस्था चरमरा रही है । जो आज मंत्री हैं वह कभी जनता के बीच पुलिन्दा बांधे बड़े-बड़े भाषण दिया करते थे लेकिन आज उनके यहां शाखा से लेकर शिखर तक गड़बड़ियां हैं उन्होंने ऐसे लोगों को रख लिया है कि सही लोगों की बात नहीं आ पाती । जितने पी० आर० ओ० बने हैं, सम्बन्धी अधिकारी हैं उनसे दूसरे लोगों पर जो प्रशासनिक ढांचे में खड़े हैं, चोट हो रही है । उनको मौका नहीं मिल रहा है कि प्रशासन में अपनी कार्य-क्षमता और कुशलता दिखला सकें । तमाम विभागों में जाति के आधार पर गड़बड़ियां की जा रही हैं । मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इन सारी मान्यताओं को तोड़ें । आप समाजवादी दल के सदस्य रहे हैं । उस दृष्टि से आप इन चीजों को देखें । आजमगढ़ में जहां को जनता ने आपको अपूर्व विश्वास दिया यही चर्चा थी कि सारा रिजर्वेशन यादवों को दिया जा रहा है । अगर सम्बन्धित अधिकारी आपको खुश करने के लिए ऐसा कर रहे हैं तो उसको तोड़िये । अन्त में इतना कहना चाहता हूं कि हवालात में जो बन्द होते हैं उनको ३७ पैसा दिया जाता है । उसमें कौन सा भोजन हो सकता है । गवाहों के बारे में भी यही बात है । इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री अध्यक्ष--

मैं इस पक्ष के लोगों से निवेदन करना चाहता हूं और सहयोग भी कि जो लोग जनरल बजट पर बोल चुके हैं वह कृपया खड़े होने का कष्ट न करें । जिनको महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर या बजट पर सामान्य चर्चा में भी बोलने का अवसर नहीं मिला, वही खड़े होने का कष्ट करें ।

श्री राम नरेश पाण्डेय (जिला देवरिया)--

एक व्यवस्था का प्रश्न है । राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलने का मौका मिला था । उसके बाद शिक्षा के अनुदान पर हमारे यहां से जो सूची आयी थी उसमें मेरा नाम पहले नम्बर पर था लेकिन बुलाया नहीं गया ।

श्री अध्यक्ष--

मैं आपका सहयोग चाहता हूं । कोई ऐसा नियम नहीं है कि जो राज्यपाल के अभिभाषण पर बोल चुके, सामान्य चर्चा में बोल चुके तो उनको अवसर नहीं मिलेगा या उनको न बुलाया जाय । लेकिन आप स्वयं सोचिये बहुत से सदस्य हैं

जिनको अवसर नहीं मिल पाता है और मैं यह उचित समझूंगा कि मैं अपनी दृष्टि उन्हीं की तरफ डालने की कोशिश करूं जिनको कोई अवसर नहीं मिला है। इसलिए माननीय मुख्य मंत्री जी अपने व्हिपों से कहेंगे कि वे मेरी परेशानियों को न बढ़ायें, वे प्रायः उन्हीं लोगों के नाम दे देते हैं जो रोज बोलते हैं और जिनको अवसर नहीं मिलत वे मुझसे आकर शिकायत करते हैं। ऐसी व्यवस्था की जाय जो भी बोलना चाहते हैं सबको समान रूप से अवसर मिल सके। इसलिए मैंने नरेन्द्र सिंह को बुलाया।

श्री रमाशंकर कौशिक (जिला मुरादाबाद)---

सचेतक की ओर से जो लिस्ट मैं आपके पास भेजता हूं उसमें इस तरह की कोशिश की जाती है कि जो लोग नहीं बोल सके हैं उन्हीं को मौका दिया जाय लेकिन एक परेशानी है कि सत्ता पक्ष से हम कुछ ऐसे लोगों को भी बुलवाना चाहते हैं जो चीजों को व्यापक रूप से सदन के सामने रख सकें। फिर जो लोग नहीं बोले हैं वे अपना नाम नहीं लिखाते हैं, लिहाजा उनका नाम छूट जाता है। हम लोग यह कोशिश अवश्य करते हैं कि रोजना की बहस में सत्ता पक्ष का व्यापक दृष्टिकोण न छूटने पाये।

श्री अध्यक्ष---

माननीय कौशिक जी ने जैसा कहा यह उनका दायित्व है। यह आवश्यक नहीं है कि रोज वही लोग सरकारी पक्ष से खड़े हों जो रोज बोलते है। नये-नये सदस्यों को भी तैयार किया जाय। लोग मेरे पास आकर आपत्ति करते हैं :

श्री नरेन्द्र सिंह (जिला मेरठ)---

मान्यवर, प्रस्तुत अनुदान का समर्थन करते हुए सरकार के सामने में कुछ सुझाव रखना चाहूंगा। आज इस प्रदेश में आम चर्चा है कि शान्ति व्यवस्था तथा सुरक्षा की स्थिति दिन-ब-दिन गिरती जा रही है। पिछले कुछ ही महीनों में यह सही है कि लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, गाजियाबाद और हाल में सम्भल तथा पन्तनगर में हिंसात्मक घटनायें हुई। प्रायः होता यह है कि इन बड़ी घटनाओं पर सदन में चर्चा होती है और सरकार की ओर से बराबर कड़ी कार्यवाही करने हेतु आश्वासन किया जाता है और बहुत से मामलों में जुडीशियल इंक्वायरी भी बिठा दी जाती है लेकिन उसके बाद प्रायः सदन यह भूल जाता है कि ऐसी घटनाओं के पीछे कौन से तत्व हैं जिससे बार-बार ऐसी घटनायें प्रदेश में हो रही हैं। यह सही है कि सरकार के आदेश से कहीं भी गोली चलती है, एक भी जान जाती है तो यह अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण है और निश्चित रूप से निन्दनीय है। अभी हाल में पन्तनगर में एक बुरा घटना हुई, कई जानें गयी और इस सदन में उस सारी घटना की भर्त्सना की गयी लेकिन मैं सरकार से विशेष रूप से निवेदन करूंगा कि इस बात को बार-बार भुला दिया जाता है कि आखिर कौन से ऐसे तत्व ह जिनके कारण यह स्थिति हुई ?

[श्री नरेन्द्र सिंह]

पिछले तीन महीनों से पन्तनगर विश्वविद्यालय के उपकुलपति बराबर लखनऊ आते रहे वहां की सारी घटनाओं के बारे में स्थिति बराबर बताते रहे। उसके पश्चात् कई महीनों बाद यह घटना हुई। तो इसके पीछे कौन से कारण हैं इस बात की सरकार को विशेष रूप से खोज करनी होगी। मैं चन्द शब्दों में यह बताना चाहता हूं कि इस घटना के पीछे कुछ क्षुब्ध राजनीतिक तत्व, कुछ असामाजिक तत्व, कुछ अराजकता फैलाने वाले तत्व विद्यमान हैं जिन्होंने महीनों से वहां एसी स्थिति पैदा कर दी और १३ अप्रैल को यह दुखद घटना हुई। इसके पश्चात् पन्तनगर के अन्दर जो स्थिति पैदा हुई है उसका पूरी तरह से सदन को ज्ञान नहीं है। वहां पर पश्चिम उत्तर प्रदेश के जितने भी विद्यार्थी, कर्मचारी एवं अधिकारी थे उनको १३ तारीख की रात और १४ तारीख को बुरी तरह से मारा गया और विश्वविद्यालय परिसर से निकाल दिया गया और वहां पर एक प्रश्न पैदा हो गया है जो पूरब और पश्चिम का है। जिसमें जातीयता और क्षेत्रवाद भरा हुआ है। मैं आपसे निवेन करना चाहता हूं। मैं तो बीमार था और मेरठ में था, वहां के विद्यार्थी, वहां के प्रोफेसर, वहां के कर्मचारी मारे-मारे फिर रहे हैं। रात को अपने बच्चों को लेकर वह लोग चले गये। कहा जाता है कि वहां पर शान्ति है, यह बिल्कुल गलत है। परिसर में पूर्णतया अराजकता है। पश्चिम और पूर्व का वहां सवाल पैदा हो गया है। पश्चिम का कोई कर्मचारी और विद्यार्थी वहां नहीं है। सरकार श्रीमन्, इन तथ्यों को भूल जाती है जो स्थिति वहां पैदा हुई वह तत्व वहां विद्यमान हैं। सरकार इन तत्वों का पता लगाये। जब तक ऐसे तत्वों को सजा नहीं मिलेगी, ऐसे तत्वों को ब्लैकलिस्ट नहीं किया जायेगा भविष्य में भी इस प्रकार की घटनायें बराबर होती रहेगी।

दूसरी जो बात मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं वह जनरल एड-मिनिस्ट्रेशन की है। श्रीमन्, मेरठ जिला एक ऐतिहासिक जिला रहा है। लेकिन दुख की बात यह है कि इमरजेंसी के दौरान मेरठ जिले ...

(इस समय २ बजकर ५ मिनट पर अधिष्ठाता श्री राधेश्याम शर्मा पीठासीन हुए।)

की गरिमा को समाप्त करने के लिए उसके दो टुकड़े कर दिये गये। और एक गाजियाबाद जिले के रूप में हमारे सामने है। श्रीमन्, मेरठ जिले में ६ तहसीलें थी। उस समय के लोक सभा सदस्य जो थे सम्भवतः उन्होंने यह समझा था कि हमेशा के लिए केन्द्र उनकी निजी स्टेट होगा और दो तहसीलों की जो एक लोक सभा कांस्टीटुएंसी बनती थी उसको पूर्णतया अलग कर दिया गया। मेरठ जिले की गरिमा समाप्त हो गई और १८० कि० मी० का गाजियाबाद जिला बना दिया गया। इसमें कोई कंपेक्ट नहीं है। इसमें जो हमारे गाजियाबाद, मुरादनगर, हापुड़ के उद्योग थे, जो काफी महत्व के थे वे सब गाजियाबाद में चले गये। इस प्रश्न को माननीय मुख्य मंत्री जी के पास बार-बार उठाया गया। लेकिन मैं नहीं समझ पाया कि क्यों उस पर विचार नहीं किया जाता है। इमरजेंसी के दौरान कानपुर का नया जिला बनाया गया और मुरादाबाद डिवीजन बनाया गया जिसको बाद में समाप्त कर दिया गया। लेकिन मेरठ की स्थिति पर विचार नहीं किया गया और उसको पूर्व स्थिति में लाने पर प्रशासन ने विचार नहीं किया। यों तो यह प्रदेश इतना बड़ा है कि इस प्रदेश का बाकायदे डिवीजन होना चाहिए, लेकिन तरीके से कोई काम न करके मेरे इस जिले की गरिमा को अकारण ही समाप्त कर दिया गया है। इन शब्दों के साथ मैं प्रस्तुत बजट अनुदानों का समर्थन करता हूं।

*डाक्टर जितेन्द्र कुमार अग्रवाल (जिला सुल्तानपुर)--

अधिष्ठाता महोदय, धन्यवाद। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट अनुदानों का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। सामान्य प्रशासन व कानून व्यवस्था समाज और प्रशासन को चलाने के लिए रीढ़ होती है और इसमें अगर कहीं गड़बड़ी आती है तो उसके तीन कारण हो सकते हैं। या तो प्रशासन अक्षम है या कोई निहित स्वार्थी तत्व कानून व्यवस्था को खराब करने पर तुला हुआ है य जनता के अन्दर असन्तोष है। यह सही है कि जो दल पिछले ३० वर्षों से सत्तारूढ़ रहा हो, कुछ ही दिन सत्ता से बाहर रहने के बाद उनकी कुर्सी की लालच इतनी बढ़ गई है कि वे प्रदेश की कानून व्यवस्था को खराब करने पर तुले हुए हैं। यह भी सही है कि जो प्रशासनिक ढांचा आज विद्यमान है, उसकी खराबियां भी हमें विरासत में उसी कांग्रेसी शासन से मिली हैं। लेकिन साथ ही हमें यह भी मानना पड़ेगा कि जनता के अन्दर भी कुछ असन्तोष है। जो पिछले शासन का कमी रही है, चाहे वह भ्रष्टाचार की बात रही हो या भाई-भतीजावाद की बात हो और चाहे जातिवाद की बात हो। यानी योग्यता और मेरिट की पिछले शासन में जो बेकद्री, अनदेखी हो रही थी, उसको समाप्त करने की दिशा में कोई सबल पग बढ़ाने में हम भी समर्थ नहीं हो पाए हैं। यह बात नवयुवकों और विद्यार्थियों के हृदय को आन्दोलित करती है। हमें इसका समाधान ढूढ़ना पड़ेगा। अगर हमने भी योग्यता के ऊपर बल नहीं दिया, तो निश्चय ही यह वर्ग-वर्ग का असन्तोष, योग्य युवकों का असन्तोष बढ़ते हुए कहीं से भी फूट सकता है। तदर्थ नियुक्तियां प्रशासन की सबसे बड़ी कमजोरी होती है, आज भी शासन में आधे से अधिक कर्मचारी तदर्थ नियुक्त पड़े ह। हमें यह देखना चाहिए कि एक या दो वर्ष से अधिक कोई भी व्यक्ति तदर्थ नियुक्ति पर न रहे, अयोग्य हो तो उसकी सेवाएं समाप्त की जाएं अन्यथा उसे नियमित और स्थायी किया जाए।

शासन में दो पक्ष हैं। एक ब्यूरोक्रेसी और दूसरा पुलिस है। उन पर अभी हमारी पकड़ मजबूत नहीं हो पायी है। इसकी विस्तृत चर्चा अनेक सदस्यों ने यहां की है। आज पुलिस के अंदर दो प्रकार की प्रवृत्तियां देखने को मिल रही हैं। कहीं पर पुलिस उदासीन हो जाती है। जिसके फलस्वरूप अपराध बढ़ते हैं अन्यथा अधिकतर स्थानों पर पुलिस निरंकुश हो जाती है इमरजेंसी के अंदर ज्यादतियां करने का माध्यम जिस नौकरशाही और पुलिस को कांग्रेस ने बनाया, आज भी उसका स्वाद उनके मुंह में लगा हुआ है, उनकी आदत छूटी नहीं है। इस संबंध में मैं एक उदाहरण अपने जिले सुल्तानपुर के थाना गजहरी के ग्राम अशरफपुर का देना चाहता हूं कि वहां पर किस प्रकार से दरोगा से लेकर पुलिस सिपाहियों तक ने उस गांव को घेरकर उसके लोगों को किस बेदर्दी से पिटाई की और एक भूतपूर्व विधायक श्री रामजियावन दुबे के साथ भी बड़ा अभद्र व्यवहार किया, लेकिन उस थानेदार और सिपाही को लाइन हाजिर किया गया, मुअत्तल भी नहीं किया गया। इस तरह से निरंकुश होता हुआ पुलिस का संगठन कानून और व्यवस्था कायम करने में सफल नहीं हो रहा है। यह मैं मानता हूं उनकी भी कुछ परेशानियां हैं उनके वेतनक्रम और उनकी सुविधाओं में बढ़ोत्तरी की जा सकती है लेकिन यह भी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[डाक्टर जितेन्द्र कुमार अग्रवाल---]

सही है कि थानों का जो गठन हुआ है उसमें कई जगह पर ऐसा देखने में आता है कि एक थाने की सीमा दूसरे थाने को लांघकर चली गयी । हमें उन थानों के पुर्नगठन की ओर भी ध्यान देना पड़ेगा।

दूसरे पुलिस की संख्या और देशों के अनुपात में हमारे प्रदेश में कम है इसको बढ़ाना पड़ेगा । आजादी के बाद बहुत सा कानून व्यवस्था की समस्यायें बढ़ी हैं । जो पहले से पुलिस की ड्यूटी थी, उसके अलावा अन्य क्षेत्रों में भी उन्हें ड्यूटी अन्जाम देनी पड़ती है । इस लिए यह आवश्यक है कि पुलिस फोर्स बढ़ाया जाय । मेरे जिले सुल्तानपुर में नगर के कोतावली थाने के अन्तर्गत केवल एक पुलिस चौकी है जब कि मेरी जानकारी में जो जिला केन्द्र नहीं हैं बड़े थानों पर जहां थाना कोतवाली हैं वहां पर चार-चार, पांच-पांच पुलिस चौकियां हैं । सुल्तानपुर नगर कोतवाली थाने के अन्तर्गत कम से कम तीन चौकियों की और स्थापना करनी चाहिए ।

एक और कठिनाई है । जिलों के अन्दर पुलिस अधीक्षक के अतिरिक्त कोई भी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी नहीं हैं । जो उप अधीक्षक नियुक्त किए जाते हैं वह जूनियर ग्रेड के हैं । प्रशासन को चुस्त रखने के लिए कम से कम एक वरिष्ठ स्तर का व्यक्ति उप अधीक्षक के रूप में, अतिरिक्त पुलिस अधिक्षक के रूप में जिलों में नियुक्त किया जाना चाहिए । एक कठिनाई आती है, थाने में फोर्स है । वह ला एंड आर्डर कायम करने का काम करता है। वही अपराधों की जांच करता है। इसमें भ्रष्टाचार पनपता है । इस पर भी विचार किया जा सकता है कि ला एनफोर्समेंट का विंग और ऐडमिनिस्ट्रेशन का विंग अलग किया जा सके । दूसरे यह किया जा सकता है कि सी० आई० डी० और सिविल पुलिस को एकदम अलग कर दिया जाय क्योंकि सी० आई० डी० के लोग जब किसी अपने सीनियर सिविल पुलिस अधिकारी की जांच करने जाते हैं तो उनको यह भय रहता है कि अगर उसका सिविल पुलिस में स्थानान्तरण हो गया तो फिर कहीं वह अधिकारी नाराज न हो जाय । इस प्रकार जांच में रुकावट पैदा होती है । यह भी एक मुद्दा है जिस पर शासन को विचार करना चाहिए ।

आज जो वर्तमान व्यवस्था है चाहे० सी० आई०डी० हो, सिविल पुलिस हो, सतर्कता विभाग हो, या इंटेलिजेंस विभाग हो, यह इंटरट्रांस्फरेबिल पोस्ट हैं । इस कारण से ला एंड आर्डर सिचुएशन पर रुकावटें आ रही हैं । इस तरफ भी ध्यान देना चाहिये कि जो जिला स्तरीय अधिकारी नियुक्त किए जायं उन्हें विशेष रूप से अधिकारी पुलिस अधीक्षक को १० वर्ष का अनुभव होना चाहिए क्योंकि योग्यता ही केवल एकमात्र मापदंड नहीं है , अनुभवहीन अधिकारी होता है तो अनुभव की कमी भी आड़े हाथ आती है ।

श्रीमती सूर्य मुखी शर्मा (जिला झांसी)---

माननवर, मैं आपका ध्यान पुलिस प्रशासन के अनुदान की मांगों का समर्थन करती हुई, झांसी नगर में खुले आम सट्टा होने की ओर आकृष्ट करना चाहती हूं । मैंने इस सम्बन्ध में कई बार प्रदेशीय प्रशासन तथा केन्द्र को भी सूचित किया किन्तु अभी तक इस ओर किसी प्रकार की कठोर कार्यवाही इस धंधा करन वालों के विरुद्ध नहीं हुई है । खुले आम नगर के करीब जनता के पैसे से सट्टा खेला जा रहा है और प्रशासन आंख बन्द किये हुए बैठा है । यहां तक कि उन सट्टेबाजी के बाहर से आने वाले टेलीफोन भी तुरन्त मिल जाते हैं । मैं आपके माध्यम से शासन

१९७८-७९ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान-अनुदान ४०५
संख्या--३ मंत्रि परिषद्, अनुदान संख्या ५--निर्वाचन, अनुदान संख्या १८--सचिवालय, अनुदान संख्या १९--जिला प्रशासन, अनुदान संख्या २१--पुलिस, अनुदान संख्या २५--अन्य प्रशासनिक सेवाएं, अनुदान संख्या ४०--अन्य सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण सम्बन्धी योजनाएं तथा अनुदान संख्या ४५--अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं

से निवेदन करूंगी कि इस ओर विशेष रूप से कदम उठाया जाए । कभी कभी अधिकारियों द्वारा दिखाने के लिए कुछ नागरिकों को पकड़ भी लिया जाता है किन्तु वास्तव में सट्टे खिलाने वालों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं होती । अतः मेरा आपके माध्यम से शासन से यह अनुरोध है कि ऐसे उन सभी व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर से कठोर कार्यवाही की जावे । वे चाहे जितने ही प्रभावशाली व्यक्ति क्यों न हों ।

माननीय, कितने ही परिवार ऐसे हैं जो सट्टे से इतने प्रभावित हैं कि २-२ और ४-४ दिन तक उनका खाना भी नहीं बन पाता है । यह वह चीजें में अपनी आंखों से देखती हूं । पचासों बार पुलिस वालों से कहा, मैं कभी भी पुलिस के अधिकारियों के पास नहीं जाती हूं, लेकिन इस संकट में जनता के हित को ध्यान में रखकर मैं उनके पास गयी । मैं वहां की प्रतिनिधि हूं । मुझे उनके बारे में सोचना चाहिए और जो कठिनाई उनके सामने है और जो परेशानियां है उनको मैं आपके सामने रखना चाहती हूं । मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूं कि इन मामलों पर आप कार्यवाही कराये ।

श्री राम आसरे वर्मा (जिला हरदोई)--

माननीय मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं, लेकिन कटौती प्रस्ताव रखते समय हमारे विपक्ष के माननीय सदस्यों ने जो तथ्य और तर्क प्रस्तुत किए हैं उनसे मैं सहमत नहीं हूं । सवाल इस बात का है कि जिस तरह से कटौती का प्रस्ताव पेश किया गया उसमें माननीय सेहरा जी ने एक बात कल कही थी कि श्री सत्य देव त्रिपाठी, लोहिया जी के आदर्शों पर एक दाग हैं और किस आधार पर कहा, अंग्रेजी और हिन्दी के सवाल को लेकर । वह बड़े भारी हिन्दी वादी है । मैं उनकी उल्टी बात सुनकर दंग रह गया । जब विपक्ष की ओर से कांग्रेस (आई) के सदस्य इस तरह की बात कहते हैं तो उन्हें अपने पुराने क्रिया कलापों की ओर देख लेना चाहिए । अब कांग्रेस खतम हो गयी है । अब आई जुड़ गया है आई का मतलब है इन्दिरा गांधी । अगर इतिहास के पन्ने पलट कर देखते तो मालूम हो जाता लेकिन यहां पर कह दिया गया कि अंग्रेजी बोलने के कारण सत्य देव त्रिपाठी एक दाग बन गये । एक व्यक्ति अंग्रेजी माहौल में पला पोसा हो, वह कितना बड़ा दाग होगा, सोचिए मेरे कहने का मतलब यह नहीं है कि मैं किसी को डिफेन्ड कर रहा हूं । कहने का मतलब यह है कि आलोचना सही होनी चाहिए ।

अब मैं अपनी बात कहना चाहता हूं । माननीय, प्रशासन इस समय बिलकुल ढील है । और मंत्रि-परिषद्, जिसकी जिम्मेदारी है कि इस प्रशासन को सही रूप से चलवे लेकिन ऐसा लगता है कि प्रशासन अलग है और मंत्रिपरिषद् अलग है । तमाम मंत्रियों के आदेश जाया करते हैं जिलों के स्तर पर, प्रदेश के उच्च अधिकारियों के पास, पर उनका पालन नहीं होता है । उल्टा यह सुनने को मिलता है कि मंत्री जी को आदेश लिखने का ज्ञान नहीं है और उस ज्ञान को देने के लिए वे इन्तजार करते रहते हैं कि समय पाकर वे मंत्री

[श्री राम आसरे वर्मा]

जी को ज्ञान देवें । यह भी देखने में आया है कि मंत्रिपरिषद् में ऐसे सदस्य भी हैं, जो मंत्रिपरिषद् की मर्यादा के बारे में भी जागरूक नहीं हैं । अभी श्री बाबू लाल वर्मा जी रामपुर गये थे जनता पार्टी की वजारत में आ हैं लेकिन जनता पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है और आप उसके मेम्बर भी नहीं हैं । जनता यह समझती है कि मंत्रिपरिषद् और सरकार जनता पार्टी की है लेकिन मंत्रिपरिषद् के जिम्मेदार लोग इस प्रकार का बयान देकर, भ्रम की स्थिति पैदा करते हैं ।

अभी कुछ दिन पूर्व पंतनगर में जो घटना हुई उसके बारे में भी माननीय मुख्य मंत्री का एक पक्ष है वे एक रास्ता निकालना चाहते हैं लेकिन इसी सदन में दूसरे माननीय मंत्री जी दूसरी बात कहते हैं । पूरा कांड जो हुआ है उसकी जिम्मेदारी मुख्य मंत्री जी दूसरों पर डालना चाहते हैं लेकिन उसमें भी वे लोग व्यवधान पैदा करना चाहते हैं । सामूहिक रूप से जो बातें कैबिनेट में होनी चाहिए वे सरे बाजार कही जाती हैं और सामूहिक जिम्मेदारी की बात वे नहीं करते हैं । इस प्रकार की जिम्मेदारी जब मंत्रिपरिषद् के लोग नहीं निभायेंगे, एक दूसरे को नहीं संभाल पायेंगे, जो संकल्प इन्होंने लिया है, उसको नहीं निभा पाते हैं तो आप कैसे उन अधिकारियों को काबू कर सकेंगे जो ३० वर्ष से निरंकुशता से काम करने की कोशिश कर रहे हैं । यहां पर प्रश्न किए जाते हैं, सरकारी पक्ष से उत्तर आते हैं जिन लोगों के खिलाफ भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के प्रश्न किए जाते ह, उन्हीं लोगों से जवाब लेकर सदन के सामने पेश किए जाते हैं । जो पाप करता है वह स्वयं अपने पाप की कहानी अपनी कलम से लिखने को तैयार नहीं होगा । इसके लिए मंत्रिपरिषद् को कोई नया कदम उठाना पड़ेगा । अगर नहीं करेंगे तो प्रशासन के अधिकारियों ने जिस प्रकार से ३० वर्ष के कांग्रेस शासन को जहन्नुम में पहुंचा दिया है, वैसे ही आपको भी भुगतना पड़ेगा ।

मान्यवर, कल के अखबार में आपने पढ़ा होगा उसमें लिखा है कि हमारे मुख्य मंत्री जी फिल्म अभिनेता बनेंगे ।

श्री अभिष्ठाता--

आप अखबारों की खबर पर मत जाइये ।

श्री राम आसरे वर्मा--

मैं समझता हूं कि हमारे मुख्य मंत्री जी की एक मर्यादा है और उसके साथ-साथ सदन की भी मर्यादा जुड़ी हुई है । इस प्रकार की सूचनायें अगर अखबारों में गलत छापी जाती है तो उसका खंडन होना चाहिए और अगर सही है तो मेरी प्रार्थना है कि वे अपनी और सदन की मर्यादा को ध्यान में रखकर हल्के कामों के साथ अपने को न जोड़ें ?

मान्यवर, हमारे जिले के राजस्व मंत्री श्री शारदा भक्त सिंह हैं, उनके कारण हरदोई जिले के सभी लोग आतंक से ग्रस्त हैं । एक जाति सकून की, राहत की सांस ले रही लेकिन दूसरी अन्य सभी जातियां त्रस्त हैं । चाहे कत्ल का मामला हो, डकैती का मामला हो, राहजनी का मामला हो या बलात्कार का मामला हो हर मामले में यह कहा जाता है कि यह राजस्व मंत्री जी का मामला है । कोई अधिकारी निष्पक्षता से अपना काम नहीं कर सकता है ।

हर अधिकारी एक ही बात कहता है कि मैं पहले माननीय राजस्व मंत्री जी से निर्देश ले लूं। मान्यवर, उस जिले में ८-८ विधायक हैं लेकिन अधिकारी लोग किसी की बात नहीं सुनते हैं। अभी कुछ दिन पूर्व माननीय मंत्री जी के पुत्र का तिलक हुआ था, उसके ऊपर कई अपराध सम्बन्धी मामले चल रहे हैं। उस लड़के का तिलक हो रहा था और मंत्रिपरिषद् के १८ सदस्य गये थे। उस समय भी यह स्थिति आई और वहां के कुछ बुजुर्ग जनता पार्टी के नेताओं ने इस ओर ध्यान दिलाया लेकिन मुख्य मंत्री जी के कान में जूं नहीं रेंगी। आज तक उसका कोई हल नहीं निकाला गया। लोगों को हाथों हाथ वहां पर लाइसेन्स दिये गये हैं। जिन लोगों ने डकैतियों में सजा पाई जिनका चरित्र अच्छा नहीं रहा लेकिन उनकी दरख्वास्त पर उनको लाइसेन्स दे दिया गया और दूसरे लोगों को जिन्होंने १९७४-७५, १९७५-७६ और १९७७ में दरख्वास्तें दी हैं, जिनको जरूरत है, उनके बारे में किसी भी अधिकारी ने बयान नहीं दिया। मैं यह कहना चाहूंगा कि जहां पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी की बात आप कहते हैं वहां हरदोई जिले के लोगों को आतंक से बचाने के लिए कोई ठोस कदम आप सोचें।

आज पुलिस निरंकुश हो रही है। अभी हमारे एक माननीय सदस्य ने कहा था, सुल्तानपुर की घटना का जिक्र किया था, अशरफपुर की, वह इतनी ही घटना नहीं है जितनी कि माननीय सदस्य ने कही। वहां पर पुलिस जाती है, गांव के लोगों को निकाल कर लाती है थाने में, और उनको नंगा करके उनका जलूस निकलता है। जलूस में नारे क्या लगवाये जाते हैं? "पुलिस हमारा बाप है, उसको मारना पाप है" और "इन्दिरा गांधी जिन्दाबाद।" यह नारे लगवाये गये। बस्ती में केवटली गांव में जो कप्तानगंज थाने में पड़ता है, वहां एक १३ साल की बालिका के साथ बलात्कार किया गया, पूरा घर बरबाद कर दिया, एक आदमी को मार कर गायब कर दिया, दूसरे लोगों को बन्द कर दिया। हरदोई जिले के शाहाबाद में सायरा बेगम नाम की मुस्लिम महिला के घर में पुलिस घुस जाती है, दरवाजा तोड़ देती है और उस महिला के साथ बलात्कार करने की चेष्टा करती है, लेकिन उसके चिल्लाने पर पास पड़ोस के लोग आ जाते हैं। इस तरह से पुलिस को अगर निरंकुश रहने की छूट दी गयी तो मैं समझता हूं जहां यह जनता के लिए बुरा है वहां आपके लिए भी बुरा है। हम नहीं चाहते हैं कि जो ३० साला कांग्रेसी शासन बड़ी लड़ाइयों और बड़ी मुश्किलों के बाद खत्म हुआ है उसके लिए आप रास्ता बनायें।

श्री अधिष्ठाता--

अब आप समाप्त करें।

श्री राम आसरे वर्मा--

हम नहीं चाहते हैं कि जो जनवादी मान्यतायें थोड़ी बहुत मिली और कायम हुई वह खत्म हों। मान्यवर, यह कहते हुए मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री वीरेन्द्र चतुर्वेदी (जिला देवरिया)—

मान्यवर, मैं आज चर्चा में भाग लेते हुए यह कहना चाहता हूं कि राज्य की स्थापना के पीछे मूल उद्देश्य यह हुआ करता था कि जन-स्वतंत्रता और सम्पदा की रक्षा की जाय। आदिम समाज में जो जंगल का कानून था कि "जिसकी लाठी उसकी भैंस" वह चला करता था। उस समय समाज ने फैसला किया था कि जीवन की स्वतंत्रता और जीवन की सम्पदा की रक्षा करने के लिए राज्य का गठन आवश्यक है। राज्य के साथ उन मूल उद्देश्यों की पूर्ति के लिए यह सरकार माध्यम हुआ करती है और सरकार अपने प्रशासन के माध्यम से जीवन के मूल उद्देश्यों--जीवन की सुरक्षा और सम्पदा की सुरक्षा तथा स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए व्यवस्था करती है। समाज उन्हें अधिकार देता है, राज्य को राज्य के माध्यम से, सरकार को कि हमारे जीवन की स्वतंत्रता और सम्पदा की रक्षा करे, हमारी स्वतंत्रता को बनाये रखे। इन पर मूल कुठाराघात आपातकाल की स्थिति में कांग्रेस की बर्बर हुकूमत ने किया और जनता ने जब देखा कि हमारी मूल संविदाओं की ही हत्या की जा रही है, मूल उद्देश्यों की हत्या की जा रही है तो उस कांग्रेसी हुकूमत को उखाड़ कर फेंक दिया।

जनता सरकार के आने के बाद आज जो स्थिति दिखायी देती है उससे ऐसा लगता है कि जीवन की रक्षा, सम्पदा की सुरक्षा और स्वतंत्रता, इन तीनों मूल अधिकारों पर आज कुठाराघात हो रहा है और सम्पूर्ण प्रदेश अराजकता की ओर चला जा रहा है। पंत नगर में जो नृशंस एवं बर्बर हत्याकांड हुआ, पुलिस ने जिस तरह से मजदूरों पर गोलियां चलायीं, वह कभी भी देखने को नहीं मिलेगा। उनकी समस्या ५-७ महीनों से चली आ रही थी। अगर सरकार का ध्यान उस तरफ जाता तो यह स्थिति न बिगड़ पाती और यह हत्याकांड न होता। इस समस्या के लिये हमारे कृषि मंत्री जी भी जिम्मेदार हैं। उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिये।

(व्यवधान)

सामान्य प्रशासन के बारे में जब तक जनता में अविश्वास व्याप्त रहेगा, सामान्य प्रशासन ढीला ही बना रहेगा। इसलिये पहले जनता में अविश्वास की भावना को दूर करना होगा। नौकरशाही की खामियों पर ध्यान देना होगा। अंग्रेजों को चूंकि भारतीय लोगों पर विश्वास नहीं था, इसलिये उन्होंने अपनी पद्धति चलायी थी। आज वह लालफीताशाही वाली पद्धति की आवश्यकता नहीं है। जो भी समस्या होती है वह लालफीताशाही के कारण फाइलों में ही दबी रह जाती है। हर चीज नीचे से ऊपर जब जाती है तभी उस पर निर्णय ऊपर से होता है। इस प्रक्रिया को बदलना होगा। इससे अनावश्यक विलम्ब होता है। मेरा सुझाव है कि पूरे प्रदेश में, सत्ता का विकेन्द्रीकरण कीजिये। मंडल स्तर पर ही सारे कार्यों का निबटारा होना चाहिये, नीति सम्बन्धी मामले ही यहां तक आने चाहिये। आप जिलों और मंडलों को ही अन्य मामलों में सारे अधिकार दीजिये। नीति सम्बन्धी मामलों के अतिरिक्त सारे मामलों का निबटारा मंडल स्तर पर ही हो।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

१९७८-७९ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान-अनुदान ४०९
संख्या--३ मन्त्रि परिषद्, अनुदान संख्या ५--निर्वाचन, अनुदान संख्या १८--सचिवालय, अनुदान संख्या १९--जिला प्रशासन, अनुदान संख्या २१--पुलिस, अनुदान संख्या २५--अन्य प्रशासनिक सेवाएं, अनुदान संख्या ४०--अन्य सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण सम्बन्धी योजनाएं तथा अनुदान संख्या ४५--अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं

पुलिस की ओर जब हम देखते हैं तो पाते हैं कि उनकी समस्याओं के निदान की ओर भी ध्यान नहीं दिया गया है। आज एक कान्सटेबिल एक चपरासी के बराबर वेतन पाता है जब कि २४ घंटे उसे काम करना पड़ता है। उसकी जान जोखिम में हर वक्त पड़ी रहती है। मेरा सुझाव है कि उनकी समस्याओं की ओर भी आप ध्यान दें। उनको और सुविधायें दी जानी चाहिये। मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि कान्सटेबिल के वेतन में वृद्धि की जाय, उन्हें साइकिल भत्ता दिया जाय, उन्हें अन्य प्रकार की सुविधायें दी जायं।

प्रदेश में जो सामान्य प्रशासन की परिस्थिति है, उसमें जो अनावश्यक अपव्यय जनता के धन का हो रहा है, उसे रोका जाना चाहिए। आज हम गरीब जनता से टैक्स लेते हैं, लेकिन उसकी बहुत बड़ी धनराशि सामान्य प्रशासन के मद में चली जाती है, उसका सही उपयोग हमारी जनता के लिए नहीं होता। मैं माननीय मुख्य मंत्री का ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना चाहता हूं कि आज यह आवश्यकता है कि सामान्य प्रशासन में आमूल परिवर्तन हो। उसके लिए एक ऐसा कमेटी बनायें जो अपनी संस्तुति दे कि कैसे सत्ता का विकेन्द्रीकरण हो। जिले स्तर पर, मंडल स्तर पर सत्ता का विकेन्द्रीकरण अधिकाधिक मात्रा में होना चाहिए जिससे कि हम सुचारु रूप से अपना काम चला सकें। जब तक यह नहीं होगा तब तक हमारा कितना ही अच्छा आदर्श क्यों न हो, तब तक हम उसमें सफल नहीं हो पायेंगे। अभी भी आप देखिये समय है। इस अराजकता की स्थिति को रोकने के लिए आप शीघ्र कार्यवाही करें।

एक घटना मैं बता देना चाहता हूं। मैं परसों, चौथे दिन नैनीताल के उस जनपद में उपस्थित था जहां पर अभी भी चुनाव का वातावरण व्याप्त है। वहां पर कुछ ऐसे असामाजिक तत्व उपस्थित हो चुके हैं, जो जातिवाद को आधार बना कर वहां पर काम कर रहे हैं। मुझे संदेह है कि जो घटनाएं अन्य जगहों पर हुई हैं, कहीं रुद्रपुर और किच्छा में न हो जायं। वहां के लोग कहते हैं कि पूर्व के लोगों को नहीं रहने देंगे। तो मेरा निवेदन है कि जब तक हमारे अधिकारी उसकी तरफ ध्यान नहीं देंगे तब तक इस तरह की घटनाएं आये दिन घटती रहेंगी। नैनीताल की समस्याओं में जो यह जातिवाद, क्षेत्रवाद की समस्यायें हैं, इनको दूर करने के लिए वहां के अधिकारियों को निर्देश दिये जायं कि वहां पर जो भ्रष्ट एवं असामाजिक तत्व पहुंच चुके हैं, उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाय। मेरा यह भी निवेदन है कि जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उनको आप निलम्बित करें। जो पुलिस अधिकारी पंतनगर के हत्याकांड के जिम्मेदार हैं, उनको अभी तक निलम्बित नहीं किया गया है, उनको निलम्बित किया जाय। जो डी० पी० सिंह, वाइस चान्सलर थे, उनको वहां पर भेजा जाय। आज कृषि मंत्री जी विचार विमर्श करें कि सम्पूर्ण प्रदेश उनका है, सम्पूर्ण जनता उनकी है। आपको सम्पूर्ण लोगों के साथ एक तरह का व्यवहार करना होगा, तभी जाकर लोकनायक जय प्रकाश जी के आदर्शों का कार्यान्वयन हो सकेगा।

[श्री वीरेन्द्र चतुर्वेदी]

मान्यवर, जो एग्रो के चेयरमैन अब तक हुए हैं, वे करोड़ों का घोटाला कर चुके हैं। मैंने सुना था कि मंत्री महोदय उसके चेयरमैन हो गये हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। वे अपने को चेयरमैन के पद से हटावें। आज यह कहा जा रहा है कि जनता सरकार जो है वह जातिगत आधारों पर कार्य कर रही है, तो इन सब चीजों को बचाने के लिए ऐसा काम करें कि जनता में विश्वास पैदा हो, देश में, प्रदेश में शांति व्यवस्था कायम हो। इसके लिए आप सामान्य प्रशासन के अधिकारियों को, अपने नौकरशाही के अधिकारियों को सचेष्ट करें, जागरूक करें, वह हर समस्याओं के प्रति जागरूक रहें, जो हम कहते हैं, जो जानते हैं, उसे अच्छी तरह से सुनें। इन शब्दों के साथ में इस बजट का समर्थन करता हूं।

श्री अधिष्ठाता---

मैं माननीय सदस्यों से कहूंगा कि जो माननीय अध्यक्ष महोदय ने अनुरोध किया था, उसको मान कर चलें, व्यर्थ में खड़े न हों। जो माननीय सदस्य बोल चुके हैं उनका देर में नम्बर आयेगा। इस अनुरोध को सभी पक्ष के लोग स्वीकार करें।

श्री हरी सिंह (जिला मेरठ)---

मान्यवर, महिलाओं को तो अवसर देंगे ?

श्री अधिष्ठाता--

आप महिलाओं की वकालत न करें, आप बैठिये।

श्री हरी सिंह---

केवल एक महिला बोली है।

श्री अधिष्ठाता---

एक महिला बोल चुकी हैं। यह मेरे विवेक के ऊपर है, मैं फिर बुलाऊंगा। आप बैठिये।

श्रीमती रामरति देवी (जिला फैजाबाद)---

मान्यवर, ५०-६० मेम्बर बोल चुके हैं और केवल एक महिला बोली है २ मिनट के लिये और दूसरी महिला को मौका नहीं दे रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता---

तो मैं क्या यह व्यवस्था दूं कि एक महिला सारे सदन में दिन भर बोलती रहे ? हम बुलायेंगे, परन्तु समय से। कोई सदस्य किसी के बारे में वकालत न करे। यह हमारा कर्तव्य है।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह (जिला बस्ती)---

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री द्वारा जो बजट प्रस्तुत किया गया है और प्रदेश के लिये जो संसाधन जुटाने का प्रयास मुख्य मंत्री जी ने और वित्त मंत्री जी ने

किया है उसके लिये मैं उनको धन्यवाद देता हूं । मान्यवर, ३५ प्रतिशत कृषि तथा सिंचाई पर रखा गया है और ५० प्रतिशत खर्च पूर्णत: गांवों के कार्यक्रम के सम्बन्ध में रखा गया है उसके लिये मैं उन्हें और भी बधाई देता हूं ।

मान्यवर, आजकल सुरक्षा का बहुत विकराल प्रश्न सामने आया है । इसके विषय में मैं २, ३ सुझाव प्रस्तुत करना चाहता हूं । आजकल असामाजिक तत्व काफी हद तक मनमाने ढंग से घूम रहे हैं । मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि इन असामाजिक तत्वों की ओर कठोर कदम उठायें और किसी असामाजिक तत्व की सिफारिश उनके पास कोई भी लेकर जाय तो उसके प्रति कोई ध्यान न दें । श्रीमन्, एक चीज और सामने आई है । जहां–जहां प्रदर्शन हुये हैं वहां पर अधिकतर गोलियां चली हैं । इस विषय में मेरा सुझाव है कि जहां तक सम्भव हो यह प्रयास किया जाय कि जिन पुलिस अधिकारियों या कर्मचारियों को ड्यूटी इन जगहों पर सुरक्षा के लिए लगायी जाती है तो उनके हाथ में राइफल न दें । यदि उनके हाथ में राइफल न रखी जाय तो इतने ज्यादा गोलियां चलने के उदाहरण सामने न आयें । श्रीमन्, एक चीज और कहना चाहता हूं । इस सदन में हमेशा किसी न किसी कर्मचारी को बेईमान, बदमाश ही कहते रहे हैं । आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि जो कर्मचारी अच्छा काम करता है उसकी सराहना कभी की जाय । यह भी आवश्यक है कि जो कर्मचारी अच्छे काम करें, जो अधिकारी अच्छे काम करें उनका उत्साहवर्धन किया जाय ।

मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी से कहूंगा कि इस समय प्रदेश में तमाम निगम बनाये गये हैं । लेकिन कृषकों के हित को देखते हुए ऐसा कोई ऐसा निगम नहीं बनाया गया है जिससे उनकी फसल का बीमा किया जा सके । इसलिए मेरा सुझाव है कि एक उत्तर प्रदेश फसल बीमा निगम की स्थापना की जाय जिससे यदि किसी भी किसान की फसल दैवी प्रकोप से नष्ट होती है तो इससे उसका पैसा दिया जा सके । आप देखें, इस वर्ष सूखा पड़ा, आला पड़ा और उसके लिए सरकार द्वारा अनुदान दिया गया, मुफ्त गेहूं दिया गया और टेस्ट वर्क कराया गया । यदि फसल बीमा का कार्यक्रम चलाया जाय तो बहुत सा धन व्यय नहीं होगा और किसान का नुकसान अगर होगा तो बीमे के द्वारा उसको पैसा प्राप्त हो जायेगा और यह समस्या सामने नहीं रह जावेगी ।

मैं मुख्य मंत्री जी से मान्यवर, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि मेरे यहां बखिरा थाने के अन्तर्गत बेलहर गांव में पुलिस चौकी और रुधौली थाने के अन्तर्गत गोसियारी बाजार में पुलिस चौकी स्थापित करने की कृपा करें ताकि सुरक्षा व्यवस्था समुचित ढंग से की जा सके । मान्यवर, तमाम ऐसे लोग हैं इस प्रदेश में जो फर्जी तरीके से, सन् ४२ सन् १८५७ में नाम लिखा कर पेंशन ले रहे हैं । ऐसे लोगों की पूरी जांच करनी चाहिए और जो सचमुच में १९४२ के पीड़ित हैं उनको पेन्शन दी जाय और फर्जी लोगों के नाम काटे जायं ।

मान्यवर, वित्त मंत्री जी ने बजट भाषण के पृष्ठ ३० पर यह कहा है कि १९७७–७८ में जो अधूरी सड़कें हैं उनको पूरा करने पर बल दिया गया है । तो

[श्री दिवाकर विक्रम सिंह---]

हमारे क्षेत्र में रुधौली - बखिरा मार्ग १० वर्षों में एक सड़क बनकर तैयार है लेकिन इस पर दो पुल न बनने के कारण उस क्षेत्र की जनता को कोई यातायात की सुविधा नहीं प्राप्त हो पायी है । अतः मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि इन दोनों पुलों को बनवाने की व्यवस्था करें ताकि सड़क को यातायात के लिए चलाया जा सके ।

मान्यवर, वित्त मंत्री जी ने अपने भाषण में यह भी कहा है कि अतिरिक्त कराधान उन्हीं लोगों पर लगाया जायगा जो उस बोझ को बर्दाश्त कर सकेंगे । साढ़े ६ एकड़ को खेती अलाभकर मानी गयी है, लेकिन १३८४ फसली का अभनवीकृत लगान जिसका श्रीगणेश तिवारी जी ने किया था उसकी वसूली समस्त किसानों से की जा रही है । तो मान्यवर इससे छोटे किसानों पर बोझ पड़ेगा । इसलिए मंत्री जी छोटे किसानों को इस बोझ से वंचित करने की कृपा करें । इन्हीं शब्दों के साथ मैं मुख्य मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत अनुदानों का समर्थन करता हूं ।

राजनैतिक पेंशन उप मंत्री (श्री सत्यदेव त्रिपाठी)---

मान्यवर, इस सदन में जहां हमारे विभाग में हस्तक्षेप करने की परिपाटी है और जहां इस सदन में तिवारी जी जैसे विरोधी पक्ष के नेता हों और उनके पक्ष की तरफ से आज बहुत ही औसत दर्जे का घटिया और बचकाना भाषण इस सदन में आए इसकी उम्मीद मुझे नहीं थी। मैं चाहता था कि श्री गुलाब सेहरा जी इस समय होते क्योंकि उन्होंने जिस तरह के सवाल पूछे और श्रीमन्, जो आज स्थिति है और जो सुझाव आए उसमें दुनियां के हम सबसे बड़ी एक प्रशासनिक इकाई के प्रशासन के जिम्मेदार इस सदन में बनकर बैठे हैं, हमारे सुझाव से कहीं न कहीं अपनी दृष्टि से उन १० करोड़ जनता के प्रति हमारी क्या नतिक जिम्मेदारियां हैं उससे हम जुड़ते । लेकिन श्रीमन्, ऐसा नहीं हुआ । हमारे मंत्री परिषद् के कुछ वरिष्ठ सदस्यों को लेकर अनर्गल आरोप लगाये गये और मान्यवर, आप अच्छी तरह जानते हैं और आपने अपने भाषण में भी जनता पार्टी के स्वच्छ प्रशासन की ही नहीं बल्कि यह भी घोषणा की है कि हम गंगोत्री के उस तमाम कीचड़ को साफ करने के लिए इस पूरे प्रदेश के राजनैतिक वातावरण से पूरी तौर पर गंदगी साफ करेंगे ।

उत्तर प्रदेश में हमको यह कहते हुये फक्र है कि सबसे पहले हमने लोक आयुक्त की नियुक्ति की । श्री सेहरा जी में नैतिक हिम्मत होती तो लोक आयुक्त और लोक पाल के यहां उन तमाम मंत्रियों के खिलाफ एक हजार रुपया जमाकर, आरोपों को सिद्ध करते ताकि जन जीवन में जो ३० साल से भ्रष्टाचार चला रहा है वह फिर से न चलता । लेकिन श्रीमन्, उनसे यह उम्मीद नहीं की जा सकती है । तिवारी जी की सरकार जब गिर रही थी और ५ दिन बाकी थे तो हरिजनों के प्रति आंसू बहाने वाले उस तरफ के लोग जैसे गुलाब सेहरा जी ने कहा कि आगरा में बाबा साहेब भीमराव अम्बेदकर की मूर्ति को लगाने के लिए एक किसी समिति का गठन किया । ५० हजार रुपये शासन से अनुदान लिए । मैंने श्रीमन्, खुर्दबीन से देखना चाहा कि कहीं पर भी मिनी मूर्ति डाक्टर अम्बेदकर साहब की दिखायी दे । खैर उसकी मैं उम्मीद नहीं करता क्योंकि उनको पार्टी लूट और भांग में यकीन करती है ।

भाषा के साथ श्रीमन्, मुझे जोड़ा गया, अंग्रेजी की मोहब्बत के साथ । पिछले ढाई हजार वर्षों में श्रीमन्, तीन बड़े लोग हुये हैं जिन्होंने इस मुल्क को, इस देश को, समाज को बदलने के लिए अपनी भाषा दी है । सब से पहले महात्मा बुद्ध जिन्होंने अपनी

एक भाषा दी थी । उसके बाद इस मुल्क को गांधी जी ने नेतृत्व दिया । गांधी जी ने एक भाषा दी और इसके बाद दूसरा कोई भी अपनी भाषा दे सका तो वह डाक्टर लोहिया थे जिनके नेतृत्व में हम लोग सड़कों पर निकले । डा० लोहिया की अपनी भाषा थी । अंग्रेजी हटाओ आन्दोलन चला, जेल गये और यही नहीं भाषा संशोधन विधेयक के आन्दोलन के अगुवा जो थोड़े से लोग थे उनमें मेरा भी एक छोटा सा नाम आता है। उनसे यह उम्मीद की जा सकती है। उन्होंने अपना नेता एक ऐसे राजनेता को माना है जिसने स्वयं किसी भी युनिवर्सिटी से, किसी भी कालेज से डिग्री नहीं ली है । उन से इस की उम्मीद की जा सकती है कि इस तरह की अनर्गल बात मेरे प्रति कहें । हम उस नेता के नेतृत्व में निकले हैं जिसने बर्लिन से डी० एस- सी० की डिग्री ली थी इसलिए कोई अंग्रेजी का शब्द निकल गया हो उसका मुझे दुःख है ।

श्रीमन्, होम गार्ड की बात कही गयी । 1963 से नागरिक सुरक्षा विभाग चला है । उन चार हजार कर्मचारियों की भी कोई जिन्दगी है । कहीं भी पहले कोई आशा नहीं थी कि उनकी भी कोई नौकरी है । लेकिन जनता पार्टी की सरकार ने सबसे पहले होम गार्ड और नागरिक सुरक्षा विभाग को स्थायी किया है और यही नहीं श्रीमन्, वर्तमान सरकार ने सातवें वित्त आयोग के सामने उन के बारे में 26 करोड़ रुपये की योजना रखी है । हमने पांच रुपये से बढ़ा कर छः रुपये होम गार्ड को दिये जायं, यह ऐलान किया है । यही नहीं शहर में जो होम गार्ड का संगठन है उसे पहले एक रुपया मिलता था जनता पार्टी की सरकार ने उसे एक रुपये से दो रुपये किया है । श्रीमन्, इसकी भी तारीफ होनी चाहिये थी । सरकार ने इस बात का ऐलान ही नहीं किया है कि होम गार्ड के लिये सेवा नियमावली बनायेगी बल्कि उस पर कार्यवाही भी शुरू की है । आखिर उन चार हजार लोगों की जिन्दगी भी कहीं न कहीं इस समाज की जिन्दगी है । इसको भी तारीफ होनी चाहिये थी ।

हम मानते हैं कि कानून और व्यवस्था के सवाल पर जिस तरह से लगातार प्रचार हमारे खिलाफ किया जाता है उसमें एक राजनीतिक प्रचार ज्यादा शामिल है । मैं श्रीमन्, दिल्ली से एक अखबार अंग्रेजी का निकलता है जिसकी संपादिका हैं श्रीमती मेनका गांधी श्री संजय गांधी की पत्नी, जिसका नाम है सूर्य इण्डिया, उसको पढ़ना चाहूंगा...

श्री अधिष्ठाता--

माननीय त्रिपाठी जी आप भी किसी का नाम न लें ।

श्री सत्य देव त्रिपाठी--

मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं । अखबार को कोट कर रहा हूं ताकि गलत फहमी न हो जाय । अखबार के सम्पादकीय में लिखा है । हिन्दी में पढ़ूंगा एकदम घबराइये नहीं । "दुनिया भर में साहस और गुण के लिए प्रख्यात श्रीमती गांधी प्रेस द्वारा चलाये गये एक महान् अभियान के कारण एकदम बुद्धि भ्रष्ट हो गयी, मतदाताओं द्वारा सत्ता से हटा दी गयी थी । हाल के विधान सभा चुनावों ने यह सिद्ध कर दिया है कि जनता यह सोच रही है कि पिछले साल के आम चुनाव में उसने सही काम नहीं किया" तो श्रीमन्, यह मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि

[श्री सत्य देव त्रिपाठी---]

जब हमने आजादी की बात कही तब जनता पार्टी के लोगों ने सड़क पर निकल कर हमारे प्रधान मंत्री और गृह मंत्री ने लगातार यह कहा कि समाज को निर्भय बनाना है। श्रीमन्, तो मैं मानता हूं कि कुछ बदमाश भी निर्भय हुए हैं, कुछ समाज विरोधी लोग, कुछ समाज के घृणित लोग निर्भयता के नाम पर कुछ मामला बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन श्रीमन्, इन कुछ महीनों के अन्तराल में आन्दोलनों की जिस तरह की स्थिति लायी गयी, एक-एक करके आन्दोलन चलाये गये, वह केवल इसलिए कि समाज में जो व्यवस्था है उसको तोड़ करके आस और कन्फ्यूजन पैदा कर दिया जाय और एक ऐसी स्थिति बना दी जाय जैसे कि जंगल का कानून इस प्रदेश में चल रहा है।

आपात कालीन स्थिति में श्रीमन्, आपको पता है कि एक भी एफ० आई० आर० लिखाने की हिम्मत किसी में नहीं होती थी। अगर कोई जाता था तो उसे डर रहता था कि मीसा और डी० आई० आर० कहीं न कहीं उसे अपनी गिरफ्त में कैद कर लेगा। अगर उस स्थिति को देखें और पूरे परिवेश में फोर्सेस को देखें तो आज आंकड़ों की वृद्धि दिखाई देगी। हम सीने पर हाथ रखकर सोचें कि वह तमाम ताकतें जो तीस साल तक सत्ता में रही हैं उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि मामूली किसान के बेटे के हाथ में सत्ता जाय। इसलिए वह हिंसा की राजनीति चला रहे हैं इस तोड़-फोड़ की राजनीति के पीछे उनकी साजिश है कि इस तरह की स्थिति पैदा करके यह साबित कर दिया जाय कि इस मुल्क में आपातस्थिति से ही कानून व्यवस्था को निपटाया जा सकता है। श्रीमन्, यह एक खतरनाक स्थिति है। मेरा अपने मित्रों से आग्रह है कि पुलिस में जो खामियां हैं या सामान्य प्रशासन में जो खामियां हैं उनके लिए हम उनके सुझाव चाहेंगे और कोशिश करेंगे कि उनको कार्यान्वित करके सरकार की जो अपनी जिम्मेदारी है उसको पूरे तौर पर निर्वाह करें। हमारे मित्र वीरेन्द्र चतुर्वेदी हमारे दल के हैं, छोटे भाई हैं। उन्होंने सरकार की बात कही। राज्य जहां भी होता है वहां कोएर्सन जुट जाता है, दबाव जुड़ जाता है, सेना और पुलिस जुड़ जाती है। सेना और पुलिस न हो तो यह तो मार्क्स ने सोचा था कि राज्य विलुप्त हो जाय या डाक्टर लोहिया ने कल्पना की थी कि पुलिस विहीन समाज हो जाय तो उस स्थिति में हम नहीं पहुंचे हैं।

मान्यवर, पता नहीं कौन सा पर्चा कहां से पढ़ दिया गया, मैं पर्ची में ज्यादा विश्वास नहीं करता कि आरक्षण के सवाल पर मेरा वक्तव्य जो मैंने बाहर दिया और सदन में दिये गये वक्तव्य में कहीं कोई फर्क है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं और श्रीमन्, आप भी उस दल से सम्बन्धित रहे जो जनता पार्टी में विलीन हो गया है, उसने लगातार आन्दोलन चलाया और नारा दिया :

सोशलिस्टों ने बांधी गांठ पिछड़े सौ में पावें साठ

श्रीमन् हमारी मान्यता है कि तब तक वर्ग नहीं बन सकता जब तक कि वर्ण न तोड़ा जाय और जब वर्ण को तोड़ना होगा तो विशेष अवसर का सिद्धांत अपनाना होगा। पिछड़ी जातियां जिनको आज तक सताया गया और उन पर जुल्म ढाये गये तो उनको विशेष आरक्षण देना होगा, यह हमारी नीति है और हम इस पर बरकरार हैं। यह कोई नई चीज नहीं है। मैसूर को देखें, कर्नाटक, आन्ध्र, केरल को देखें यहां का औसत हमारे औसत से ज्यादा है। यहां तक कि ६० पैकड़ा तक आरक्षण होता है आज १५ सैकड़ा पर ही इतनी आपत्ति क्यों? अगर गरीब और अमीर के बीच की खाई मिटानी है तो जो वर्ण हैं उनको तोड़ना होगा और तोड़ने के लिये हमको कहना होगा जो

लोग पिछड़े हैं उनको बराबर ऊपर लाने के लिये हमारी अपनी स्थिति बने और जब राजनीति सिद्धांतों से जुड़ कर नहीं चलती तो बांझ और बोझिल हो जाती है तो वह वेश्या हो जाती है। आज नीतियों पर बहस करने के बजाय गलत ढंग से हरिजनों के नाम पर, पुलिस और डंडे के नाम पर पूरे प्रदेश में सरकार को बदनाम करने की लगातार मुहिम चलाई जा रही है। लेकिन वास्तविक स्थिति पर इस सदन को गौर करना होगा। पट्टों का नाम लेकर रेडियो पर केवल प्रचार होता था कि पट्टे कर दिये गये जब कि जमीन का कोई पता ठिकाना नहीं था। हां, कागज पर पट्टे अवश्य दे दिये गय, रेडियो पर पट्टे जरूर दिये गये लेकिन जनता पार्टी की सरकार इन पट्टों को वास्तविक रूप में दिलवा रही है।

श्री जय राम--

माननीय मंत्री के लिए कोई समय सीमित है या नहीं ?

श्री अधिष्ठाता--

एक मंत्री को २५ मिनट देना होता है। अभी १० मिनट ही हुए हैं।

श्री सत्यदेव त्रिपाठी--

दूसरी बात कही गयी राजनीतिक पेंशनों के बारे में। २५ हजार लोग राजनीतिक पेंशन पा रहे हैं। हमने ३१ मार्च १९७८ तक पेंशन के लिए प्रार्थना-पत्र की अन्तिम तिथि रखी थी। हम जांच करा रहे हैं और आदरणीय सदस्यों की भावना का आदर करते हुए जिलाधिकारियों को साफ तौर पर कह दिया है कि एक-एक केस की पूरी जांच होनी चाहिए कि किनको गलत पेंशनें मिल रही हैं। यह हमारा सम्मान है उन पोढ़ो के लिए जिनने इस मुल्क की आजादी की लड़ाई में कुछ किया। अखबारों में प्रचार किया गया कि पेंशनों के बारे में हेर-फेर किया जा रहा है। मैं ऐलान करना चाहता हूं कि पुरानी चली आई पेंशनों में किसी नियम में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। केवल आयकर सम्बन्धी जो संशोधन आया था उस पर पुनः विचार करने हेतु मंत्रि परिषद् में भेजा है। मुझको उम्मीद है जैसी पुरानी स्थिति स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की थी, उनका वही सम्मान एवं इज्जत हम बरकरार रखेंगे।

जहां तक सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस के निर्देश पर चलने वाली फोर्स का सवाल है तो जहां भी स्थिति ऐसी आयेगी जहां जान जोखिम में होगी तो गोली चलेगी यह पुराना कानून है। हमको तय करना होगा, इधर व उधर के लोगों को, खासकर विरोधी दल के नेताओं को, उनके दल के पुराने नेताओं को, श्रीमती इन्दिरा गांधी को लगातार कांस्ट्रक्टिव अपोजीशन के लिए इन्वीटेशन दिया गया। पुलिस का इस्तेमाल किस सीमा तक हो, किन परिस्थितियों में हो यह एक बुनियादी सवाल है। इसको सामान्य ला एंड आर्डर से जोड़ना उचित नहीं है। यह केवल हमारी जिम्मेदारी नहीं है। कल कौन सा समाज होगा इसकी कल्पना जनता पार्टी ने की है। हमारी दृष्टि साफ है। हम पूरे तौर पर प्रशासन की उन तमाम संस्थाओं को जोड़ते हुए ऐसे कार्यक्रमों को चलाना चाहते हैं जिनसे ८२ प्रतिशत लोग

[श्री सत्य देव त्रिपाठी---]

जो उपेक्षित थे वे ऊपर उठ सकें। जो सारी की सारी परिस्थितियां व्हाइट कालर के जरिये इस सरकार के खिलाफ मुहिम के रूप में चल रही है उसका एक कारण यह भी है मैं जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि इस सूबे में पहली बार किसी छोटे किसान का बेटा, किसी छोटी जाति का बेटा मुख्यमंत्री बना है वह यह साबित करना चाहते हैं कि इसको सरकार नहीं चलाने देंगे। उनका यह भी एक षड़यंत्र हो सकता है।

श्रीमन्, मैं तो यह कह रहा हूं कि जिस उद्देश्य को लेकर हम यहां आये जिस नेतृत्व में आये उसके आदर्शों को, उसके मूल्यों को जनता के सामने प्रतिष्ठित करने के लिए तत्पर हैं। शायद इसमें थोड़ी बहुत खामियां होगी हम इसको स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। लेकिन तीस वर्ष के जाल को हमने तोड़ा है। जो बड़े-बड़े घराने के लोग और कुछ खद्दरपोश नेता इस देश को अपनी निजी शक्ति और सम्पत्ति, दौलत समझते थे उसको हमने तोड़ा है। आज चौधरी चरण सिंह पर आरोप इसलिए नहीं लगाये जाते हैं कि वह कोई गलत काम कर रहे हैं वह इसलिए लगाये जाते हैं कि बिड़ला जैसे कुछ लोगों को जेल में क्यों भेज दिया भारत सरकार के इस गृह मंत्री ने? श्रीमन्, यह सोचना होगा कि इसमें चाहे बड़े हो या बिड़ला साहब हों उनको छोड़ा नहीं जायेगा। यह नहीं हो सकता है कि बिड़ला जी को हिंडालको को बिजली देने के लिए किसान का ट्यूबवेल बन्द कर दिया जाय। हमें पहले किसान को बिजली देनी और उसके ट्यूबवेल को चलाना है।

जहां तक प्रशासन का सम्बन्ध है जिन मंत्रिमंडल के सदस्यों के खिलाफ आपको शिकायत है उसके लिए लोकायुक्त बना है। लोकायुक्त में आइये और उनको साबित कीजिए। जन जीवन में स्वच्छता आनी चाहिए, हम इसके समर्थक हैं। इन शब्दों के साथ मैं श्रीमन्, इन अनुदानों का समर्थन करता हूं।

*श्री सुन्दर लाल दीक्षित (जिला बाराबंकी)---

माननीय अधिष्ठाता महोदय, सामान्य प्रशासन के बजट पर बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं, इस पर मैं अपने सुझाव रखूंगा। जिन मूल्यों की रक्षा के लिए लोकनायक जयप्रकाश के नेतृत्व में वर्तमान शासन सत्ता में आया। इसमें आपकी प्रमुख जिम्मेदारी है कि उन मानव मूल्यों की आप रक्षा करें, उनको गिरने न दें। इस बात को माननीय मुख्य मंत्री ध्यान में रखें। हमारे जो बड़े भाई उत्तर प्रदेश के हजारों नौजवानों को संगठित करके उनकी बेकारी दूर करने के लिए, बेरोजगारी दूर करने के लिए, बे इन्साफी दूर करने के लिए संघर्ष किये वे लोग सत्ता में आने के बाद, राज सिंहासन पर बैठने के बाद भूल गये हैं। जिस अन्याय और असंतोष की प्रबल धारा का पेड़ टूटा और एक संतोष का सेतु बंधा है उसमें कोई भी व्यक्ति चाहे वह सत्ता पक्ष का हो या इधर का हो उसे तोड़ता है तो मैं मुख्य मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि उनके खिलाफ कठोर कार्यवाही की जानी चाहिये। केवल कहने भर से काम नहीं चलने वाला है। अगर कोई गलत बात हो, अगर कोई कानून लचर है, कमजोर है तो उसको बदला जाय।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जनता पार्टी के केन्द्रीय नेताओं ने यह महसूस किया है कि उत्तर प्रदेश को कानून व्यवस्था गिर रही है, अराजकता बढ़ रही है। इसे राजनीतिक रूप नहीं दिया जाना चाहिये और यह महसूस करना चाहिये कि यहां कानून व्यवस्था कमजोर है इसको ठीक करने के उपाय करने चाहिये। मंत्रिमंडल के सदस्य तथा इस पक्ष और उस पक्ष के लोग, कानून व्यवस्था बनाने के लिए कौन से उपाय हो सकते हैं, इस पर विचार करें और जो कमजोरियां हैं उनको सुधारने के लिए आप कोई कार्यक्रम बनाएं। लेकिन इतना ही कहने से काम नहीं बनने वाला है कि कुछ अराजक तत्व छिपे हुए हैं, कुछ स्वार्थी तत्व समाज में छिपे हुए हैं जो सारी अराजकता और हिंसा के लिए जिम्मेदार हैं। किन्तु मैं ऐसे भाषण पिछले ३० सालों से बराबर सुनता रहा हूं। इसमें कुछ होने वाला नहीं है, सोचिए आप। लेकिन इधर भी कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ अराजक तत्व अपना चेहरा बदल कर उधर बैठ गये हैं, जो अराजकता की बात करते हैं, तो वे भी शान्ति से नहीं बैठ पायेगा।

मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज हमारे एक मित्र ने डाक्टर राममनोहर लोहिया की बात कही है कि जिन्होंने ६० फीसदी की बात कही। लेकिन आपने क्या उनके पूर्ण सिद्धान्त को माना है, उसको सही रूप में माना है? आपने उसे अपने मतलब के अनुसार तोड़ मरोड़ कर माना है और अपनी जनता को गुमराह किया है। आपने सारी शिक्षा संस्थाओं में पुलिस फोर्स को बिठाल दिया है। आज कर्मचारी, छात्र, मजदूर, किसान सभी आन्दोलन कर रहे हैं, तो आप उनके प्रतिनिधियों से बात कर उनके मामले को हल करें, लेकिन आप हल नहीं करेंगे। क्योंकि कुर्सी पर बैठने के बाद सत्ता के मद में आकर पुलिस के स्वामी बनकर पुलिस के द्वारा विश्वविद्यालयों में गोलियां चलवा रहे हैं। पन्तनगर का मामला पूरब और पश्चिम के मामले को लेकर चलाया गया है। कुछ लोगों न कहा कि कुछ अराजक तत्वों ने यह कान्ड कराया है, लेकिन मैं सरकार को चैलेन्ज देकर कहना चाहता हूं कि चलें हम सब लोग मिलकर ढूढ़ कि कहां वे अराजक तत्व हैं और उन्हें पकड़कर जनता के बीच में सूट कर देना चाहिए। लेकिन आप क्यों उन्हें खोजेंगे, क्योंकि कोई ऐसे तत्व हैं ही नहीं। आप गद्दी से चिपक गये हैं। इतना बड़ा पन्तनगर में नरसंहार हुआ है। राममनोहर लोहिया को दुहाई देने वाले मित्रों को मालूम होना चाहिए कि केरल में जब पुलिस ने गोलियां चलाई थीं, तो उनकी सरकार ने उसके विरोध में इस्तीफा दे दिया था। तो मैं राममनोहर लोहिया के अनुयायियों से निवेदन करूंगा कि आप उनकी बात को सिद्धान्त रूप में मानें तो अपने पद से तुरन्त इस्तीफा दे दें और एक स्वच्छ राजनीतिक परम्परा की स्थापना करें।

आज मेरे बाराबंकी जिले में, जो समाजवादी जिला रहा है, जिसने समाजवादी आन्दोलन में बाबू जय प्रकाश नारायण तथा राममनोहर लोहिया के नेतृत्व में तमाम आन्दोलनों को चलाया है, अपनी सरकार के रहते हुए बाराबंकी के पवित्र विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों पर पुलिस ने निर्मम फायरिंग की, बिना मैजिस्ट्रेट की अनुमति के। आज नौकरशाही आपको स्वीकार नहीं कर

[श्री सुन्दर लाल दीक्षित]

रही है, आप उन पर कन्ट्रोल करने में विफल रहे हैं । कहीं विधान सभा सदस्य पुलिस द्वारा अपमानित किये जा रहे हैं, कहीं तोड़-फोड़ की स्थिति पैदा की जा रही है । बाराबंकी में मालूम पड़ रहा है कि इमरजेंसी को मात करने वाली काली रातें फिर आ गई हैं । मैं जनपद बाराबंकी के निर्वाचन क्षेत्र हैदरगढ़ से जनता द्वारा चुनकर आया हूं, वहां की जनता ने मुझे अपना प्रतिनिधि बनाकर भेजा है । मेरा कर्त्तव्य है, गारेन्टी है कि मैं वहां की जनता को स्वच्छ प्रशासन दिलाऊं, उनकी समस्याओं को यहां सदन में कहकर उनके प्रति सरकार का ध्यान दिलाऊं । मेरे क्षेत्र में लोनी कटरा, सुबेहा और असेन्दरा तीन थाने हैं, जिनमें से थाना लोनीकटरा में दो जगह ऐसी हैं, जहां पर पुलिस चौकी बनाने की आवश्यकता है । यह जगहें हैं मेलवर और देवीदास पुरवा । राज बदलने से पुलिस पर कोई असर नहीं पड़ा है । अब आपकी जिम्मेदारी है । माननीय गृह मंत्री जी आप सुस्त न हों, अगर आपके ऊपर इस प्रदेश का दायित्व सौंपा गया है तो अराजक तत्व को कुचल देंगे, यह कहने से काम नहीं चलेगा । इस तरह से पांच साल तक आप अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा सकते । आपके प्रति इमरजेंसी की तरह दिन दूना रात चौगुना असंतोष बढ़ रहा है ।

श्री अधिष्ठाता—

अब समय समाप्त ।

(श्री अशोक बाजपेयी का नाम पुकारे जाने के पर)

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आप सूची से बुला रहे हैं या अपने विवेक से बुला रहे हैं ?

श्री अधिष्ठाता—

आप जानते हैं मैनेजर सिंह जी, आप पुराने सदस्य हैं । कोई भी पीठासीन अधिकारी अपने विवेक से बुलवायेगा । हम अपने विवेक से बुलाते हैं, जो हमारी आंख पकड़ लेता है । मैं कोशिश करता हूं । जो लोग पहले नहीं बोल पाये हैं उनको बुलवाने की ।

*श्री अशोक बाजपेयी (जिला हरदोई)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं सामान्य बजट के ऊपर चर्चा करने के लिए खड़ा हुआ हूं । मान्यवर, जिस तरह से विभिन्न सदस्यों ने प्रदेश की गिरती हुई शासन व्यवस्था, यहां के अनुशासनहीनता की चर्चा की, मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा कि सारे प्रदेश में इस तरीके से प्रशासन में ढिलाई है, जिस तरह से सारे विभागों का प्रशासन अच्छी तरह से होना चाहिए वह नहीं हो सका है । मैं मुख्य रूप से पुलिस व्यवस्था की ओर ध्यान दिलाना चाहूंगा । पुलिस विभाग को सतर्कता के साथ, सख्ती के साथ कार्य करना चाहिए । वह नहीं हो पायी है । पिछले दिनों जितनी लापरवाही बरती गयी जितने क्राइम बढ़े हैं उनको ब्योरेवार बताना चाहूंगा । विशेषकर हरदोई जनपद के सम्बन्ध में बताऊंगा, जहां पर दिन प्रति दिन आये दिन डकैतियों और कत्ल इत्यादि का तांता लगा रहता है । रोज कोई न कोई घटना घटती रहती है । इस ओर शासन कड़ाई से कार्य करे ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

मान्यवर, सामान्य बजट में माननीय मुख्य मंत्री ने इस बात का जिक्र किया है कि प्रत्येक जिले में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए एक सतर्कता अधिकारी नियुक्त किया गया है। लेकिन बहुत ऐसे जिले हैं जहां इस तरह का कोई अधिकारी नियुक्त नहीं किया गया है। अगर इस तरह के अधिकारी नियुक्त होते तो भ्रष्टाचार पर अंकुश लगता। दूसरी संस्था एल० आई० यू० है जिसके माध्यम से तुरन्त सरकार को शासन की व्यवस्था के सम्बन्ध में समाचार मिलता है। उनकी रिपोर्ट जिला पुलिस अधीक्षक के माध्यम से आती है। इस प्रथा को समाप्त किया जाय। वह अपनी रिपोर्ट सीधे कैबिनेट के पास शासन को भेजें क्योंकि जो रिपोर्ट पुलिस के खिलाफ होती है वह पुलिस-अधीक्षक वहीं समाप्त कर देता है। दूसरे एल० आई० यू० के लोगों की पुलिस से लियां जाता है। उनको सीधे नियुक्त किया जाय, जिससे वह लोग स्वतन्त्रतापूर्वक अपना कार्य कर सकें।

मैं तीसरी बात यह कहना चाहता हूं कि जो पुलिस के छोटे कर्मचारी हैं, उनके वेतन और सुविधाओं की ओर ध्यान दिया जाय। पुलिस की सारी प्रशासन व्यवस्था सिपाहियों के माध्यम से होती है। लेकिन उनकी तनख्वाहें चपरासियों से भी कम होती हैं। मैं चाहूंगा कि बड़े अधिकारियों की तनख्वाहें रोक कर छोटे-छोटे कर्मचारियों की तनख्वाहें बढ़ायी जायं ताकि उनके अन्दर उत्साह बढ़े, विश्वास पैदा हो सके। वे चोरों डकैतों के साथ मुठभेड़ करते हैं, रात दिन जीवन को जोखिम में डालते हैं। उनको कम से कम इतना वेतन मिले कि उनके परिवार का पालन हो सके।

मैं पुलिस में गिरते हुए अनुशासन की ओर ध्यान दिलाना चाहूंगा। जितना अनुशासन होना चाहिए वह नहीं है। अनुशासनहीनता की भावना सिपाही से लेकर अधीक्षक तक बढ़ती है। जब गृह मंत्री की गाड़ी गुजरती है तो उस पर राष्ट्रीय ध्वज लगा होता है, तो पुलिस के सिपाही या थानेदार मुड़ कर दूसरी तरफ देखने लगता है जब कि वही गाड़ी जब मिलिटरी एरिया से पास होती है तो हर लेफ्टिनेंट और कैप्टन सैल्युट करता है। लेकिन हमारे इन सिपाहियों में इस तरह की कोई भावना नहीं है। तो पुलिस फोर्स को अनुशासित किया जाय। पुलिस विभाग का सबसे कम बजट रखा जाता है, जिस कारण प्रशासन बहुत कमजोर रहता है। एक एक थाने के जिम्मे 200-200 गांव रहते हैं, लेकिन थाने पर सिपाहियों की संख्या बहुत कम रहती है। 2 सिपाही कचहरी में चले जाते हैं और दो सिपाही थाने की ड्युटी पर रहते हैं और अक्सर एक-दो सिपाही छुट्टी पर रहते हैं। इस प्रकार 3-4 आदमी बचते हैं जो 200 गांव की देख भाल करते हैं।

मान्यवर, जैन कमीशन बनाया गया था, जिसने उत्तर प्रदेश को क्राइम के मामले में सबसे आगे बताया था। कमीशन ने सिफारिश की थी, क्राइम को रोकने के लिए सड़कें बनाई जाए, थाने बढ़ाये जायें। हरदोई जिला भी एक क्रिमिनल इलाका है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जैन कमीशन की रिपोर्ट को हरदोई जिले में शीघ्रातिशीघ्र लाग किया जाये।

[श्री अशोक बाजपेयी]

अब मैं शराब बन्दी की ओर भी कुछ कहना चाहता हूं। शराब बन्दी के लिये उत्तर प्रदेश के ७ जिलों को चुना गया। मेरा कहना यह है कि शराब उन जिलों में पहले बन्द की जानी चाहिये थी जहां पर क्राइम अधिक होते ह। क्राइम की घटनाये अधिकांश नशे की हालत में होती है और हरदोई एक एसा ही जिला है।

मैं पुलिस की उन बातों की ओर माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जब कोई अपराधी बन्द किया जाता है तो वह जमानत द्वारा छूट आता है और वह गवाह को धमकाता है और मुकदमा छूट जाता है। इस व्यवस्था को जब तक दूर नहीं किया जायेग, पुलिस का कार्य कड़ाई से नहीं हो सकेगा।

एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में एग्रो का चेयरमैन इस समय वही व्यक्ति है जो इस शासन में कृषि मंत्री हैं। मैं कहना चाहता हूं कि अगर वह एग्रो के चेयरमैन रहना चाहते हैं तो मंत्री पद से इस्तीफा दें और अगर वह मंत्री रहना चाहते हैं तो एग्रो के चेयरमैन से इस्तीफा दें। इस बात की जगह जगह पर चर्चा हो रही है। इससे पार्टी की साख गिरती है। मैं चाहूंगा कि इस ओर शीघ्र ही कदम उठाए जाए। इन शब्दों के साथ में इस बजट का समर्थन करता हूं।

श्री मैनेजर सिंह--

माननीय अधिष्ठाता महोदय माननीय मुख्य मन्त्री जो द्वारा प्रस्तुत अनुदान का समर्थन करना चाहता हूं। श्रीमन्, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि कानून व्यवस्था हमारे प्रदेश में खराब नहीं है। हमारे बहुत से साथी जिनको यह सुअवसर मिला था कि वह इस सदन के विरोध पक्ष में बठें और जनता की भावनाओं को प्रकट करें, एक बार नहीं बल्कि अनेक बार पुलिस जुर्म के खिलाफ आवाजें बुलंद की थी। श्रीमन्, आज हम सत्ता पक्ष में बैठकर यह नहीं कर सकते हैं कि पुरानें मंत्रियों की नकल नहीं कर कर रहे हैं, हमारे राज्य में सब कुछ ठीक है, लेकिन हमारी जनता पार्टी के साथियों ने यदि उसी तरह का अनुकरण करना शुरू किया तो उनको भी वही दशा होगी जो हमारे कांग्रेसी बन्धुओं की हुई है। एक अजीब विडम्बना है। जो सरकारी कर्मचारी या अधिकारी गलत काम करते हैं, उनको संरक्षण देना उनका समर्थन करना इस शासन की नीति जैसी हो गयी है। हमारे साथी जो विरोध पक्ष में बैठकर अपने विचार व्यक्त किया करते थे आज सत्ता की कुर्सियों पर बैठकर उनके विचार बदल जाते ह, उन अधिकारियों की जो हजूरी में, उनकी सलामी में वे शायद पुरानी बातों को भूल जाते हैं, अपने विवेक को ताक में रखकर जैसे अधिकारी पढ़ाते हैं वैसे ही वे रिपोर्ट देते हैं। आज ही एक विशेषाधिकार का जब सवाल आया था तो हमारे मंत्री जी जब बोल रहे थे तो एक अधिकारी दीर्घा से एक चिट भेजे और वही उत्तर वे पढ़ देते हैं। जिस प्रकार से तोते को रटाया जाता है वैसे ही मंत्री जो को रटाया जाता है। इससे शासन की बदनामी होती है, प्रदेश के प्रशासन की व्यवस्था खराब हो रही है। मैं माननीय नेता सदन और उनकी अनुपस्थित में उप-नेता सदन से, कहना चाहता हूं कि उनके अधिकारियों के गलत कार्यों के समर्थन करने से शासन की प्रतिष्ठा गिरेगी और गिर रही है। जब तक आप उच्च-उच्च पदों पर योग्य अधिकारियों को नियुक्त नहीं करेंगे प्रशासन की व्यवस्था ठीक नहीं हो पायेगी।

एमर्जेंसी की ज्यादतियों के कारण आप आज सत्ता में आये। आपातकाल का फायदा संजय जी ने उठाया। संजय की सिफारिश पर जो उत्तर प्रदेश का मुख्य सचिव बना, एक भ्रष्ट अधिकारी थ, उसको कितने ही महीनों तक आप अपने सिर पर बैठाये रहे। यह शासन के लिए कलंक की बात थी। आज भी एमर्जेन्सी के जो पापी अधिकारी रहे हैं, जिलों में और इस सचिवालय में महत्व की जगहों पर बैठे हुए हैं। जिनकी कृपा से वे बैठे थे आज भी वे उनको सूचनायें पहुंचा रहे हैं। वे ऐसा कर्म करते हैं जिससे आप के शासन की बदनामी हो। लखनऊ में कांग्रेस के दफ्तर का झगड़ा हुआ, उसको लखनऊ की जनता जानती है कि उस दफ्तर पर श्री बलदेव सिंह आर्य वाली कांग्रेस का कब्जा था, लेकिन यहां के मुख्य सचिव के इशारे पर ही पुलिस ने उनको निकाल बाहर कर दिया, ताला लगा दिया, वह दफ्तर जब्त कर लिया गया क्योंकि जिन लोगों ने मुख्य सचिव को कुर्सी पर बैठाया था, उनको कुछ करके दिखाना था। आपने मुख्य सचिव को बदल दिया। लेकिन वे भी वैसे ही रहे। गांव में कहते हैं कि प्रधान ऐसा होना चाहिए जो हमारी अगर भलाई नहीं करेगा तो बुरा भी नहीं करेगा। अर्थात् निष्क्रिय हो आपने ऐसा मुख्य सचिव नियुक्त कर दिया है कि मैंने उनसे मिलने का ५ दिन प्रयत्न किया, लेकिन उनके दर्शन नहीं कर सका। पता नहीं ये नकाबपोश हैं, बुर्के में रहते हैं या बदमाशों से घिरे रहते हैं। [ऐसे अकर्मण्य और प्रदर्शन [× × ×] मुख्य सचिव अगर यहां पर रहेंगे तो आपका प्रशासन कभी भी ठीक नहीं होगा। आप पहले प्रशासन को ठीक कीजिए और अगर आप नहीं कर सकते हैं तो प्रशासन चौपट होगा और आप कहीं के न रह जायेंगे। पुलिस के जुल्मों की बात आप करते हैं ? यही डा० लोहिया का नाम लेने वाले मंत्रि परिषद् में लोग हैं।

श्री गुलाब सेहरा (जिला आगरा)--

अधिष्ठाता जी, सम्मानित सदस्य ने [× × ×] शब्द इस्तेमाल किया, क्या यह संसदीय है ?

श्री अधिष्ठाता--

निकलवा देंगे हम। वह निकाल दिया जायगा।

श्री मैनेजर सिंह--

यह निकाला नहीं जा सकता। क्यों निकाला जायगा ?

श्री अधिष्ठाता--

यह आपका काम नहीं है, यह मेरा काम है।

श्री मैनेजर सिंह--

मैं जो कुछ कह रहा हूं वह जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं और संसदीय परम्पराओं से खूब वाकिफ हूं। ये इंडीकेट वाले जो संसदीय व्यवस्था के दुश्मन हैं उनको तो यह सवाल उठाना ही नहीं चाहिए।

नोट--[× × ×] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

[श्री मैनेजर सिंह--]

मैं कह रहा था कि डा० लोहिया ने पहली समाजवादी हुकूमत जब केरला में कायम हुई, आप भी उस समाजवादी जमात में थे। आपको याद होगा कि डा० लोहिया ने यह ऐलान किया कि सरकार को इस्तीफा देना चाहिए, श्रीमन्, मैं उन लोगो में था जो इस्तीफा के विरोधी थे। हम लोगों का कहना था कि इस्तीफा नहीं देना चाहिए, क्योंकि कहीं गोली कांड हो जाय और शासन इस्तीफा दे दे तो यह व्यवहारिक बात नहीं होगी। एक बात की मांग हमने की थी कि जुडीशियल इन्क्वायरी हर गोली कांड की होनी चाहिए। मुझे खुशी हुई कि माननीय मुख्य मंत्री ने जुडीशियल इक्वायरी की घोषणा की। ये कुलपति जिन्होंने पंतनगर कांड कराया उनको हटाने का भी प्रयास किया, लेकिन मजबूरी में नहीं कर पाये, इस सम्बन्ध में उन पर दबाव है, वह नहीं कर सके। मैं कहना चाहता हूं कि यह जो पुलिस की रोज लाठी वर्षा और गोली कांड आये दिन हो रहे हैं, यह विचारणीय है। पन्त नगर में कितने पुलिस वाले थे जिनको जनता ने जख्मी किया जिसके लिए उन्होंने फायरिंग की ? स्वायत शासन मंत्री ने इन्हीं अधिकारियों के द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पढ़ दी कि जलूस बढ़ रहा था उसको मना किया गया और नहीं रुका तब उन पर अश्रु गैस चलाई और गोली चलाई गयी। कहीं नहीं कहा गया कि भीड़ हिंसक थी। बाद में उनको बढ़ाया गया दूसरे दिन कि पुलिस पर धावा बोलने जा रहे थे। तो इस तरह से साधारण बात में गोली काण्ड हो गया। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि वे लोग जो डा० लोहिया का नाम लेते हैं उनको सरकार से कम से कम अलग हो जाना चाहिए, ऐसी प्रवृत्तियों की निन्दा करनी चाहिए।

श्री अधिष्ठाता--

अब आप समाप्त करें। श्री बेनी प्रसाद माधव।

श्री राम नरेश पाण्डेय--

एक व्यवस्था का प्रश्न है तीन दिन से मैं खड़ा हो रहा हूं मेरा सूची में नाम था। आप कहते हैं कि विवेक से काम लेता हूं, मगर मुझे अवसर नहीं दिया जाता। यह कैसी व्यवस्था है और कैसा विवेक है ? कहीं कोई इसकी गारंटी है कोई निश्चितता है कि जिसका नाम आये वह बोले या न बोले ? कौन सी व्यवस्था आप कर रहे हैं ?

श्री अधिष्ठाता--

अब मैं खड़ा हूं, आप बैठिये। आप अकेले माननीय सदस्य नहीं हैं। मैं निकलवा रहा हूं कि जो माननीय सदस्य बोल चुके हैं वह न बोलें, ऐसी कोशिश कर रहा हूं। पहले उनको ले रहा हूं जो एक आध बार भी नहीं बोले हैं। इसकी जानकारी कर रहा हूं। इस तरह से आप बोलेंगे तो सब खड़े होंगे।

श्री राम नरेश पाण्डे--

हम बोले भी नहीं हैं। आखिर कौनसी व्यवस्था है ? पहली बार शिक्षा बजट पर बोलने का मौका नहीं दिया, अब फिर मेरा नाम आया है।

श्री अधिष्ठाता--

इस तरह से आप मुझ पर कोई भी असर नहीं डाल सकेंगे। मैं बहुत मजबूत आदमी हूं। मैंने आपका भी निकालने की कोशिश की है कि कब बोले हैं। माननीय बेनी प्रसाद माधव एक बार केवल बोले हैं। उनको बुलाया है। उसके बाद आपके लिए भी कोशिश करूंगा। आप स्थान ग्रहण करें।

*श्री बेनी प्रसाद माधव (जिला बुलन्दशहर)--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका बहुत शुक्रिया हूं कि सामान्य प्रशासन पर मुझे बोलने का आपने अवसर दिया । मैं विपक्ष और अपनी पार्टी के सभी बोलने वाले साथियों का बड़े ध्यानपूर्वक भाषण सुन रहा था । जहां तक सामान्य प्रशासन का संबंध है, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि पिछले ३० साल में जो काम करने की पद्धति पड़ गयी उसको हम छोड़ नहीं पा रहे-हैं । हमारा इस दिशा में कोई मौलिक चिन्तन नहीं है । मैं समझता हूं कि जो लोग भी हमारे सिविल सर्विसेज के हैं, उनकी भूमिका डेमोक्रेसी के फंक्शनिंग में प्रमुख होती है, इसलिये हमारे माननीय सदस्यों को उनके प्रति अपने व्यवहार को बदलना होगा । हमें इस बात की स्वतंत्रता है कि यदि कोई सरकारी कर्मचारी या अधिकारी गलती करे तो हम यहां सदन में या सदन के बाहर उसकी आलोचना करें । क्या हमारा तजुर्बा यह नही है कि आज यह जो मूक सर्विसेज के लोग हैं, जो अपनी बात यहां सदन में नहीं कह सकते वे अपनी अपनी बातों को माननीय विधायकों से यहां पर कहलवाते हैं ? जब वे आपस में बैठते है तो क्या वे हमारी आलोचना नहीं करते हैं इसलिये आज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन को टोन-अप करने के लिये हमें इसके बुनियादी ढांचे के विषय में सोचना पड़ेगा ।

एक साधारण सा नियम इस सरकार ने यह बनाया कि यदि किसी क्षेत्र के किसी कर्मचारी का ट्रान्सफर कराने का प्रश्न आयेगा तो वहां के विधायक की बात मानी जानी चाहिये लेकिन वास्तविकता में यह हो नहीं रहा है । मैं यह कहना चाहता हूं कि चाहे मुख्य मंत्री हों या कोई अन्य मंत्री हो, कभी किसी ने किसी विधायक से कोई बात पूछने की कोशिश नहीं की । आज तो देखा यह जाता है कि कौन प्रदेश का लीडर है, कौन क्या है । कहा तो जाता है कि हम किसी भी विधायक के क्षेत्र में हस्तक्षेप नही करेंगे, मगर कभी किसी मामले में भी उसकी राय नहीं ली जाती । अगर यही रवैइया हमारा रहता है काम करने का तो मैं कहना चाहता हूं कि प्रशासन में कोई सुधार नही हो सकता । इसलिए हमें आवश्यकता है मौलिक चिन्तन की । हमें इस पर विचार करना होगा कि प्रजातन्त्र कैसे फंकशन करे और उसमें सरकारी कर्मचारियों का क्या रोल हो ? आये दिन बड़े से बड़े अधिकारी की जिस प्रकार से आलोचना होती है उससे लोकतन्त्र चलने वाला नहीं है । इसलिए मेरा निवेदन है कि सरकारी कर्मचारियों के प्रति भी हमें अपने रुख को बदलना होगा । यह कैसे बदले इसके लिए हमें यहां बैठकर नहीं, अलग बैठकर चिन्तन करना होगा । माननीय तिवारी जी यहां बैठे होते तो मैं उनसे पूछता उनको काफी तजुर्बा है । मैं उनसे पूछता कि उन्होंने अपने समय में क्या परिवर्तन किए हैं ।

मान्यवर, मैं देखता हूं कि हमारे काम करने का जो ढ़ंग पहले था वही आज भी चला आ रहा है । रोजाना किसी न किसी मंत्री का दौरा हमारे जिले में रहता है और सारे अधिकारीगण उनके साथ में लगे रहते हैं । न्यायालयों में जितने मुकदमें होते हैं वे पड़े रह जाते हैं । एक एक जिले में कई-कई हजार मुकदमें

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[बेनी प्रसाद माधव—]

पड़े हैं । उनको कैसे निबटायें, इस पर कभी हमारा ध्यान नहीं गया अगर मैजिस्ट्रेट बढ़ाने हैं तो उस ओर सरकार ने क्या कदम उठाया ?

हमें इन सारी बातों पर गम्भीरता के साथ विचार करना होगा । इस सरकार ने, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि बड़े अच्छे-अच्छे काम किये हैं जो २५ ३० साल में कांग्रेस की हुकूमत उन कामों को नहीं कर सकी । मिसाल के तौर पर सहकारिता विभाग की मिसाल आपके सामने उपस्थित करना चाहता हूं । यह जानते हैं कि पिछले ३० साल में सहकारिता विभाग में बहुत जबरदस्त घपलेबाजी हुई जिन लोगों ने कर्ज नहीं लिया, उनका झूठा निशान लगा कर कर्ज दिखा दिया गया था । अगर किसी ने १०० रुपये कर्ज लिया था, तो फर्जी इन्ट्री करके उसके ऊपर १,००० रुपये कर दिया गया, किन्तु सिर्फ यह सरकार पहली सरकार है जिसने इस बात का ऐलान किया कि अगर किसी व्यक्ति ने १०० रुपये कर्ज लिया है तो उसे १०० रुपये मूलधन और १०० रुपये ब्याज के देने होंगे, उसे हजार रुपये नहीं देने होंगे । लेकिन इसके बावजूद यह बात गांव तक नहीं पहुंचा ।

जो सरकारी कर्मचारी नीचे स्तर पर काम करता है, जिसका काम इस प्रदेश की जनता से पड़ता है, उसके मन में, उसकी भावना में कोई तबदीली नहीं हुई है । इसलिए जो अच्छी-अच्छी घोषणायें यह सरकार करती है, ये घोषणायें, घोषणायें ही रह जाती हैं । वह नीचे के लोगों तक नहीं पहुंच पाती हैं । यह भी एक विचारणीय प्रश्न है । जहां तक ला एन्ड आर्डर का सवाल है, हम कहे या न कहें लेकिन हर एक आदमी महसूस करता है कि ला एन्ड आर्डर की सिचूएशन बहुत खराब है, वह कैसे सुधारें कि रोजाना एस० पीज० के ट्रान्सफर की बात कही जाय तो एक जिले से दूसरे जिले को भेज दिया जाय । तो क्या इससे उसके काम करने के ढंग में परिवर्तन हो जायगा । इस ला एन्ड आर्डर की गिरावट में कुछ विधायकों का हाथ है या नहीं या केवल सरकारी नौकरशाही या जो मौजूदा सरकार है उसी का हाथ है अगर हम आप विचार करेंगे तो इसमें हमारी और आपकी भी जिम्मेदारी है ।

मैं श्रीमन्, आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह बहुत आसान काम नहीं है । इस गिरती हुई हालत को उठाने का काम हम सबको मिल कर करना चाहिए । जो सिविल सर्विसेज हैं उनमें आत्म विश्वास पैदा करना चाहिए । आजकल जो एजीटेशन होते हैं वे कुछ मांगों को लेकर होते हैं । ३० साल का तजुर्बा हमारा यह है कि कुछ मांगों को लेकर चलें ।

मेरे जिले में मेरे क्षेत्र में एक मलकपुर गांव है, उसकी आबादी दस हजार की है । २-४ दिन हुए मैं एस० डी० एम० को लेकर वहां पर गया । वहां पर एक जूनियर हाई स्कूल है, मैंने देखा कि उसमें कंडे और भूसा रखा है । उसको ठीक नहीं किया जा सकता है । अगर जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन को सुधारना है तो तात्कालिक कार्यवाही होनी चाहिए । यह बहुत आसानी से कहा जाता है कि हरिजनों पर अत्याचार नहीं हुआ है । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि चकबन्दी के दौरान में जब कांग्रेस की हुकुमत थी, कहीं भी ठीक प्रकार से जमीन नहीं छोड़ी गयी । कागज पर जमीन का एलाटमेंट कर दिया जाता था परन्तु मौके पर कुछ नहीं रहता था । हरिजन के साथ मारपीट होती है । दूसरे किस्म का सवाल है पूरब और पश्चिम का सवाल है । कागज पर एलाटमेंट है, परन्तु मौके पर कुछ नहीं है । हरिजन जब जमीन लेने जाता है, तो मार पीट होती है । इसी

प्रकार से जो और काम है, जो सारे काम डे टु डे काम करता है गांव के लोगों का, किसानों का, उसकी तरफ ध्यान सरकार का तेजी से जाना चाहिए। नौकरशाही जो है कैसे उसको कैन्फिडेन्स में लिया जाय औ अगर कंफीडेंस में नही आती है तो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने से ए०ए० पी० का ट्रान्सफर करने से काम नहीं चल सकता है। इन शब्दों के साथ जो सामान्य प्रशासन का बजट प्रस्तुत है उसका मैं समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि सभी लोग इस पर विचार करेंगे।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं बहुत आभारी हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो अनुदान प्रस्तुत किया है और उस पर माननीय सेहरा जी ने जो कटौती का प्रस्ताव किया है उसके समर्थन में आपने मुझे कुछ कहने का मौका दिया। मैं तो कहूंगा कि सेहरा जी ने बहुत उदारता दिखलायी है। एक एक अनुदान पर एक एक रुपया करने को उन्होंने कहा तो इस तरह से उन्होंने ८ रुपये देने के लिये कहा। लेकिन अगर मैं होता तो मैं कहता कि एक रुपया भी न दिया जाय। किस बात के लिये रुपया चाहिये, गोलियां खरीदने के लिये, मजदूरों पर और विद्यार्थियों पर गोलियां चलाने के लिये। शिक्षकों पर गोलियां चलाने के लिये। अव्यवस्था और अराजकता पैदा करने के लिये। मैं कहना चाहता हूं कि पुलिस का सबसे अधिक दुरुपयोग इस शासन में हुआ है। तीस सालों की बात की जाती है मैं तो कहता हूं कि यह जो १० महीनों का इतिहास है इसने सबके ऊपर काला परदा डाल दिया है। यह सोचते हैं कि तीस सालों में इतने अत्याचार हुए तो हम भी जल्दी से जल्दी १० महीनों में या एक साल में इसको पूरा कर दें।

मान्यवर, ४०-४१ बार गोली चली है। बाराबंकी में लड़कों के ऊपर गोली चली, पन्तनगर में मजदूरों के ऊपर, कानपुर में मजदूरों के ऊपर गोली चली। टनकपुर में बच्चों के ऊपर, हलद्वानी की लड़कियों के ऊपर लाठी चली। गाजियाबाद में भी गोली चली कितनी जगह गिनाऊं। अखबार देख लें, सुबह अखबार मिलते ही पता चलता है कि इस प्रदेश में क्या हो रहा है? तो क्यों इस अनुदान को पास कर दिया जाय। अगर मैं कटौती का प्रस्तावक होता तो मैं तो कहता कि एक पैसा न दिया जाय।

श्री अधिष्ठाता--

अगर यह बात आप कहते तो कटौती का प्रस्ताव मूव ही नहीं कर सकते थे।

श्री देव बहादुर सिंह -

मान्यवर, एक बात और कहना चाहूंगा। सेहरा जी जब बोल चुके थे तो मान्यवर आपने भी भाषण दिया था। आपने सही बात कही, मुख्य मंत्री जी के बारे में सही बात कही कि वह ईमानदार आदमी हैं। लेकिन उस दिन वह खामोश रहे थे। इसी सदन में एक बात उठी थी, एक चर्चा उठी कि अमेरिका के राजदूत आये थे तो उनको उपहारों का क्या आदान-प्रदान हुआ था

[श्री देव बहादुर सिंह---]

यह पूछा गया । लेकिन मुख्य मंत्री जी चुपचाप बैठे रहे । अपनी बात को कहते अपनी छवि को ईमानदारी से बताते तो कुछ पता चलता । लेकिन उन्होंने कुछ नही कहा । उनको प्रतिरोध करना चाहिए था कि किसी उपहार का आदान प्रदान नहीं हुआ । तो मैं निश्चित मानता । उस समय एक शंका हो गयी । लेकिन मुख्य मंत्री जी ने उस समय कुछ नहीं कहा, जिससे सफाई हो सके ।

मान्यवर, मंत्रि परिषद् का हाल क्या है ? रोज आप देखते हैं । माननीय गन्ना विकास मंत्री जी से पूछिये बरेली की तो बतायेंगी बाराबंकी को । लक्ष्मण सिंह राज्य मंत्री हैं । उन्होंने नैनी में लाठी चलने के सम्बन्ध में वक्तव्य में यह कहा कि भीड़ के पास तेजाब, बल्लम लाठी वगैरह वगैरह थी । पुलिस ने भीड़ को खदेड़ा, लाठी पटकायी और भीड़ भाग गयी । तो ऐसे वक्तव्य आते हैं । मैं तो कहता हूं कि मंत्रि परिषद् न रहे तो भी जिस तरह से आज काम चल रहा है उनसे खराब काम चलने वाला नहीं है यह मानने की इनकी वजह से शासन चल रहा है तो गलत है नौकरशाही भी इसको चला लेगी, मान्यवर, कृषि मंत्री जी ने क्या किया । पंतनगर में २७ जनवरी को, खेतिहर मजदूर जो हैं उनको सेवा को आवश्यक सेवा घोषित कर दिया । इतना पद का दुरुपयोग आजतक कभी नहीं हुआ । ११ सौ मजदूर जेल चले गये तो इस तरह से मंत्रि परिषद् के कार्य हो रहे हैं । मान्यवर, देखें यह जो पुलिस बजट के सम्बन्ध में पुस्तक है इसमें तुलनात्मक विवरण दिया गया है अपराधों के बारे में । ७४-७५, ७५-७६, ७६-७७, ७७-७८ तो ७६-७७ की तुलना की जाय तो हर साल अपराधों में वृद्धि हुई है । मान्यवर, एक प्रश्न यहां आया था कि कितने माननीय सदस्य चुनकर आये हैं जिनमें कोई हिस्ट्री शीटर्स है या डकैत है । तो उनका जवाब था कि जो पैसा खर्च किया जायेगा उसमें लाभ हानि की बात कह रहे थे । यह जो विवरण तैयार किया गया है कि कितनी डकैती हुई, कितनी राहजनी और सेंधें लगी तो क्या इसमें पैसा नहीं लगा । जिन्होंने यह प्रश्न रखा उनका मैं आभारी हूं । जवाब आ जाता कि इसमें कितने हिस्ट्री शीटर्स हैं ? इसलिए उनको बचाने के लिए सफाई मंत्री जी ने नहीं दिया । इसलिए इन्होंने ऐसा वातावरण पैदा कर दिया जो कि असंदिग्ध है ।

मान्यवर, एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि कल मुख्य मंत्री जी कह रहे थे कि सतर्कता आयोग को वह मजबूत बनाने वाले हैं । लगता है कि वह सतर्कता आयोग के पास नहीं गये हैं । यदि गये होते तो इसके बारे में जान जाते कि सतर्कता आयोग क्या होता है । इसमें जो सदस्य जाते हैं उनको ऐसा लगता है कि वह दंडित कर दिये गये हैं । मान्यवर, सतर्कता विभाग की जो पुस्तिका दी गयी है उसके पृष्ठ ४ पर है कि सतर्कता आयोग के अध्यक्ष सदस्य है श्री पी० सी० पांडे, १-४-७६ से २०-६-७६ तक रहे, श्री बी० एन० स्वरूप २१-६-७६ से २८-१०-७६ तक रहे हैं और श्री का०मु० अहमद २९-१०-७६ से अब तक है । इसमें संस्तुति है कि जितने मुख्य कार्यालय हैं उनके पास शिकायती पत्र विभाग भेजते हैं । उनका उत्तर उनके पास नहीं आता है । सरकार जांच के लिए भेजे गये कर्मचारी के खिलाफ जो संस्तुति आती है यह सरकार के ऊपर है कि उस रिपोर्ट पर कार्यवाही करे या न करे । मान्यवर, मैं इसका एक उदाहरण देना चाहता हूं कि जो पन्त नगर में कुलपति है, श्री डी० पी० सिंह, उनके खिलाफ १९७३-७४ और १९७४-७५ में सतर्कता आयोग ने जांच किया था । आरोप सिद्ध हो गये । लेकिन फिर भी उनको कुलपति पंत नगर का बना दिया गया । इसलिए मैं मुख्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जांच रिपोर्ट मंगवा लें और

देखें कि उनके खिलाफ आरोप सिद्ध हैं कि नहीं। तो फिर उनको कुलपति क्यों बना दिया गया ? इसलिए सतर्कता आयोग से क्या होता है, जो कार्यवाही होगी वह राजनीतिक आधार पर होगी। इसलिए मैं चाहूंगा कि सतर्कता आयोग को कोई यदि उपयोगिता है तो जो भी वह संस्तुति करे वह कानूनन बाध्य होना चाहिए और सरकार उसके अनुसार कार्यवाही अवश्य करें। पन्त नगर का वातावरण जानबूझकर गम्भीर बनाया गया और बनाया जा रहा है। वहां पी० ए०सी० बढ़ाई जा रही है कि पन्त नगर विश्वविद्यालय को बन्द कर दिया जाय और छात्रों को वहां से हटाया जाय। १३ अप्रैल को गोली जिस तरह से चली उससे मजदूरों का मनोबल टूट गया। यदि छात्र वहां से हटा दिए जायेंगे तो मजदूर भाग जायेंगे। इस लिए मैं चाहूंगा कि सरकार इसमें हस्तक्षेप करे।

मान्यवर, आप आये दिन सुनते होंगे कि इनकाउन्टर में जबरदस्ती लोगों को उठ कर गोली मार दी जाती है। बनारस में लल्लू सिंह को रात में एक बजे पुलिस उठा ले जाती है और गोली मार देती है। उसमें मैजिस्ट्रियल जांच हो रही है यदि मुख्य मंत्री जो अपने विभाग में सुधार करना चाहते हैं तो वह मैजिस्ट्रियल जांच को समाप्त कर दें। इसमें जैसा पुलिस वाले चहते हैं वैसा ही मैजिस्ट्रेट जांच करके रिपोर्ट दे देते हैं। इसलिए मैं एक सुझाव देना चाहता हूं कि किसी थाने में चले जाय तो वहां जो स्ट्रेंथ पुलिस की होगी तो उसमें से पता चलेगा कि कोई पुलिस है नहीं। कहां गयी। गयी है न्यायालय में पैरवी करने। अगर कोई दुर्घटना हो जाय तो वहां पुलिस नहीं मिलेगी दुर्घटना को रोकने के लिए। इसलिए मेरा सुझाव है कि पैरवी करने के लिए और विवेचना करने के लिए पुलिस के दो हिस्से हों। जो विवेचना करे वह पैरवी न करे। दुर्घटनायें खत्म होंगी और जनता को न्याय मिलेगा और न्याय प्रशासन दबाव मुक्त भी रहेगा।

और श्रीमन्, गन्ने के बारे में कहना चाहता हूं एक मिनट, उसके बाद खत्म कर दूंगा। सरकार किसानों का गन्ना सप्लाई कर सकती तो उनकी वाह-वाही लूटती लेकिन उनका गन्ना सप्लाई न कर सकी। श्रीमन्, नौचन्दी का मेला लगा और आप को पता है औरतें एक बग्गी में बैठकर क्या गाना गाती जा रही थी, "हम तो लुट गए तेरे प्यार में, गन्ना बिक रहा है पौने चार में और चौधरी तुझको खबर कब होगी।"

श्रीमन्, इसके साथ ही कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री जगदीश प्रसाद त्रिवेदी (जिला उन्नाव)—

माननीय अध्यक्षा महोदय, सामान्य प्रशासन के सम्बन्ध में जो बजट प्रस्तुत किया गया है मैं उसका समर्थन करता हूं।

मान्यवर, मैं बड़े ही नम्र शब्दों में कहना चाहता हूं कि यदि यह बजट कम होता तो भले ही और इस को बढ़ा दिया गया होता पैसे में इतनी कमी नहीं की जाती लेकिन जनता केवल एक चीज चाहती है और वह है आपका प्रशासन स्वच्छ रहे। जनता को आपसे अपेक्षा थी, आशा थी लेकिन आज धूमिल

[श्री जगदीश प्रसाद त्रिवेदी---]

हो रही है। उस पर आपको दृष्टिपात करना होगा। श्रीमन्, पिछली सरकार से इस देश की जनता जिस समय अत्याचार, भ्रष्टाचार और उसकी तानाशाही से ऊबी उस समय उसने आपको सत्ता पर आरूढ़ किया और आपसे अपेक्षा की, यह सोचती थी कि अब जो हुकूमत होगी वह जनता की हुकूमत होगी। जनता का राज्य कायम होगा इस देश में लेकिन आज स्थिति क्या है? आलोचना कटु हो सकती है लेकिन उसको उपेक्षा की दृष्टि से आपको नहीं देखना होगा। आपको दृष्टि बदलनी होगी। सच्चाई क्या है?

श्रीमन्, मैं तो समझता हूं कि प्रदेश की स्थिति के बारे में या तो आपके अधिकारी आपको ही जानकारी नहीं देते या इतने दिनों में ही सत्ता में रहने के बाद आप मदहोश हो गए हैं? आपको एहसास नहीं है कि हम क्या हैं हमें क्या करना चाहिए? अपने जनता से जो वायदा किया था उस तरफ ध्यान देना होगा। इस समय हमारे प्रदेश में जनता यदि कोई चीज चाहती है तो वह है शांति और व्यवस्था। इस तरफ आपको ध्यान देना होगा। मैं जानता हूं कि हमारी सरकार उधर से बिल्कुल विमुख नहीं है लेकिन जिस ढंग से और जिस तेजी से आप को उधर दृष्टि फैलानी चाहिए थी उतनी आपने नहीं दौड़ाई है। श्रीमन्, कोई भी पार्टी सत्ता में आती है तो विपक्ष का काम होता है कि वह समस्याओं को बढ़ा चढ़ा कर कहें। कुछ बातें उत्तम भी कही जाती हैं। एक समस्या विभाजन की कही जाती है कि उत्तर प्रदेश का विभाजन हो। मान्यवर, मैं तो कहता हूं कि जो उत्तर प्रदेश के विभाजन की बात सोचते हैं वे हमारे देश के कट्टर दुश्मन हैं। इसी प्रकार आरक्षण की समस्या है। आरक्षण को आर्थिक आधार पर क्यों नहीं माना जाता है? कोई भी व्यक्ति किसी भी जाति का हो आप यदि विश्वास करते हैं कि हमारे देश में वर्ण व्यवस्था नहीं होनी चाहिए तो आपको आर्थिक आधार पर आरक्षण देना होगा, जाति के आधार पर नहीं।

श्रीमन्, मैं यह भी बताना चाहूंगा कि अपराध बढ़े हैं। भ्रष्टाचार बढ़ा है। लेकिन यदि केवल हम यह कहें कि पुलिस या जिला प्रशासन जो कि ऊपर से नीचा है उसमें यह है तो 'आज यह भी है कि वह जन-जन तक व्याप्त हो रहा है। आज यही नहीं है कि किसी अधिकारी या कर्मचारी को कह दें कि वह घूसखोर है, बेईमान है, मैं तो कहता हूं कि जन प्रतिनिधि होने का जो दावा करते हैं उनमें भी यह चर्चा सुनने को मिलती है। हो सकता है यह बात कटु हो, लेकिन हमें इन चर्चाओं से भी आंख नहीं फेरना है।

अब मैं अपने जिले उन्नाव के बारे में कुछ बातें कहना चाहता हूं। प्रशासन सम्बन्धी जो व्यवस्था चल रही है उसकी ओर आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं। हमारे यहां ग्राम बनी है। वहां अकस्मात् एक कुआं फट गया यह अप्रत्याशित घटना थी। लेकिन अधिकारियों ने उपेक्षा बरती। आठ दिन बाद वहां अधिकारी गये। एक चमार और एक कुम्हार दब गये थे। लाशे निकलवाने के बजाय उन दो अधिकारियों ने आदेश दिया कि उसको बराबर कर दिया जाय। जब उनके बच्चे और पत्नी ने मुख्य मंत्री जी से करुण गाथा बतायी तब मुख्य मंत्री जी ने आदेश दिए कि वह लाशें निकाली जायं। मैं मुख्य मंत्री जी को और जनता सरकार को बधाई देता हूं कि उनके आश्रितों को रुपया भी दिया गया। कुयें से लाशें निकलवाई गईं।

मान्यवर, हमारे यहां डकैतियां और हत्याओं का भीषण प्रकोप है। दो गांव चिंघंडवा मजरा लवानी, थाना फतेहपुर चौरासी, निमंदपुर, थाना हसनगंज खाली हो चुके हैं। पांच हत्यायें शहर में हो गयीं। एक और उदाहरण पुलिस प्रशासन को देना चाहता हूं। एक घटना दर्ज की गयी थाने पर। उसमें एक ऐसे व्यक्ति को अभियुक्त बनाया गया जो ३५ साल पहले मर चुका था। तो इन चीजों पर दृष्टि डालनी होगी। अगर पुलिस की संख्या में कमी है तो संख्या को बढ़ावें जिससे अपराधों पर अंकुश लग सके। हमारे जिले में फायर ब्रिग्रेड के लिए घोषणा हुई थी लेकिन अभी तक वह व्यवस्था नहीं हो सकी। गर्मी के भीषण दिनों में तमाम मकान जल जाते हैं और करोड़ों की सम्पत्ति धू-धू करके जल जाती है। फायर ब्रिग्रेड कानपुर से आता है तब काबू पाया जाता है। इसी तरह सतर्कता विभाग का प्रश्न है तो उसकी नियुक्ति होनी चाहिये। एल० आई० यू० की शाखा को पुलिस से पृथक् कर देना चाहिए ताकि हमारी सरकार को जिले की सूचना सही-सही मिल सके। अभी जो भी सूचना आती है वह पुलिस अधीक्षक के माध्यम से आती है इसलिए कोई भी घटना की सूचना सही-सही नहीं आ पाती। एल० आई० यू० को पृथक् करना होगा और सीधे रिपोर्ट मंगानी होगी तभी सही स्थिति की जानकारी हो सकेगी। इन शब्दों के साथ में अपनी बात समाप्त करता हूं।

(जनार्दन प्रसाद ओझा का नाम पुकारे जाने पर)

श्री गंगा सहाय यादव (जिला मैनपुरी)—

हमको भी बोलने का अवसर दिया जाय।

श्री अधिष्ठाता—

कोशिश यह की जा रही है जो नहीं बोले हैं उनको पहले बुलवा दिया जाय। अब उनकी संख्या समाप्त हो गयी है। अब उनको लिया जायगा जो बोल चुके हैं। पहले जनार्दन प्रसाद ओझा जो बोलेंगे, फिर आप सबको भी विचार कर लूंगा।

*श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)—

अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्तुत अनुदानों का समर्थन करता हूं। उत्तर प्रदेश, दुनिया की सबसे बड़ी प्रशासकीय इकाई है। आपात स्थिति के बाद जनता पार्टी शासन में आई। प्रदेश की १० करोड़ जनता को जनता सरकार ने आश्वासन दिया कि वह स्वच्छ प्रशासन कायम करेगी लेकिन हम विफल रहे और हम जनता की आकांक्षाओं को अमली रूप नहीं दे सके। लेकिन इसके पीछे कुछ बुनियादी बातें हैं। दूसरे भी सूबे हैं जहां दूसरे दलों की सरकारें हैं। आन्ध्र प्रदेश की कहानी सबने सुनी होगी। एक मुसलमान का दोष केवल इतना था कि वह पुलिस को पैसा नहीं देता था। थाने में बुला कर उसे जान से मार दिया गया। बेवा औरत जब थाने में जाती है तो रात भर थाने में उसे बन्द करके उसके साथ क्या कार्यवाही की गयी।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री जनार्दन प्रसाद ओझा]

सारे देश में आज जो स्थिति है उसके मूल में इन्दिरा गांधी का १९ महीने का वह शासन है जिसने नौकरशाही को अनफेटर्ड राइट्स दे दिए थे। नौकरशाही ने सारे अधिकार अपने दामन में समेट लिए थे और उस नौकरशाही से उन अधिकारों को हम अभी तक छीन नहीं पाए हैं, उनको जनता को वापस नहीं कर पाए हैं। दुहाई हम देते हैं वाणी स्वतंत्रता की, प्रेस की आजादी की, मौलिक अधिकारों की जिनके लिए हमने लड़ाई लड़ी लेकिन अमली तौर पर आज वे सारी शक्तियां नौकरशाही में केन्द्रित हैं। शंकर की जटा में जिस तरह से गंगा फंसी हुई थीं उसी तरह से नौकरशाही की जटा में सारे अधिकार फंसे हुए हैं। उस जटा को काटने की ताकत हमारे पास नहीं है और लाल फीताशाही से लड़ने की ताकत हमारे पास नहीं है। आज आवश्यकता है उस नौकरशाही से लड़ कर जनतांत्रिक परम्पराओं को कायम रखना। जो घटनायें इस प्रदेश में घट रही हैं उनके सम्बन्ध में मैं उदाहरण देना चाहता हूं। मुख्य मंत्री को संविधान में जो अधिकार प्रदत्त हैं वे अधिकार उनको नहीं दिए गए। मंत्रि परिषद् बनने के लिए ऊपर से लोग लाद दिए गए। मुख्य मंत्री जी ने जब यह घोषणा की कि अपनी कैबिनेट में वह केवल ग्रेजुएट्स को रखेंगे तो एक सज्जन ऐसे थे जो नेपाल भाग गए और यूनिवर्सिटी की फर्जी डिग्री ले आए और आज वह भी मंत्रि परिषद् में हैं 'सजनी में भी राज कुमार'। यह शर्म की बात है। क्या यही हमारी मान्यता है? यही जनतन्त्र है? जब हमारे मंत्री इस तरह का भ्रष्टाचार करेंगे तो कैसे आप दूसरों पर हाथ उठा सकते हैं? (व्यवधान) आवश्यकता होगी तो नाम भी बतला दूंगा। प्रदेश की जो स्थिति है उससे हम सभी वाकिफ हैं। कुछ पुराने उदाहरण भी देना चाहता हूं। बाजरा कांड मशहूर है। पंडित कमलापति त्रिपाठी के काले कारनामों की कहानी सभी जानते हैं। सारे जनप्रतिनिधियों के खिलाफ मुकदमे चल रहे हैं ...।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय ओझा जी, एक सर्वमान्य नियम है कि किसी का नाम न लिया जाय।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मैं उस कांड का नाम ले रहा हूं। उसमें जो सरकारी नौकरशाह फंसे हुए थे उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। अभी दो घटनायें हुईं सिसवा घटना की बात मैं बतला रहा हूं रेडियो बोलता है कि क्षुब्ध भीड़ ने ट्रेन पर हमला किया लेकिन जिला मैजिस्ट्रेट कहते हैं कि औरतों के साथ पी० ए० सी० के जवान छेड़खानी कर रहे थे इस पर जनता ने उनको रोका और झगड़ा हो गया रेलगाड़ी को कोई नुकसान नहीं हुआ एक खरोच तक नहीं आई। लेकिन प्रशासन का विभाग बोलता है कि वहां अव्यवस्था है। कहते हैं कि विध्वंशात्मक तत्व सिर उठा रहे हैं। इसी प्रकार मैनपुरी में और बनारस में एक घटना हुई। काशीनाथ डाकू पकड़ा गया जिसे जनता ने पकड़ा और कानून का आदर करते हुए पुलिस के हवाले कर दिया। लेकिन हुआ क्या? उस डाकू को लेजाकर काउन्टर दिखाया जाता है और शासन को रिपोर्ट दी जाती है कि वह डाकू ४ बजे मारा गया। मामला जब फंसा तो कहा गया कि १० बजे शाम को मारा गया फिर तीसरा रेडियोग्राम आता है नहीं १० बजे सवेरे मारा गया।

(इस समय ४ बजकर १५ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

इसी प्रकार बनारस की घटना है। वहां लल्लू सिंह नाम का एक व्यक्ति मैं नहीं जानता कि वह डाकू है या क्या है वह रात को दो बजे अपने बच्चों के साथ सोया था ...

श्री मोती राम (जिला कानपुर)—

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है। ओझा जी ने अपने व्याख्यान के बीच में कहा कि मंत्रिपरिषद् के एक सदस्य नेपाल जाकर डिग्री चुराकर ले आये और मंत्री बन गए। मान्यवर, इससे पूरे मंत्रिमंडल पर आक्षेप आ रहा है। मैं चाहूंगा कि ओझा जी इस भ्रम को दूर करें और स्पष्टीकरण दें कि वह कौन मंत्री हैं। जनता में इससे भ्रम फैलता है।

श्री अध्यक्ष—

कार्यवाही को देख करके अगर आपने यह कहा है तो मैं उसको एक्सपंज करूंगा।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मान्यवर, इस प्रदेश में क्या हो रहा है मैं जिक्र कर रहा हूं। लल्लू सिंह बनारस के एक आदमी हैं पता नहीं मैं नहीं जानता वह शरीफ हैं या क्या हैं। लेकिन इतना मैं आधिकारिक रूप से कह सकता हूं कि दो बजे अंधेरी रात को अपने घर में बच्चों के साथ सोये हुए थे उनको पकड़ कर ले जाया गया। पुलिस कप्तान बोले कि मैं रामनगर तुमको गोली मरने के लिए लाया हूं और उसे गोली मारी जाती है। ऐसी घटनायें कब तक घटती रहेंगी? आपातकाल में हम लोग उसके खिलाफ लड़े और एक बगावत हुई। लेकिन आज प्रदेश उन आई० ए० एस० अफसरों के शिकंजे में कसता चला जा रहा है। जन प्रतिनिधियों को सरकारी प्रतिष्ठानों से हटाया जा रहा है और उनमें आई० ए० एस० आदमी बैठाये जा रहे हैं। एक हिप्पी कट अधिकारी दो तीन साल में कलेक्टर बन जाता है और जो पी० सी० एस० अफसर लगातार २० साल से काम करके अपने बाल सफेद कर आता है उसे नहीं बनाया जाता है। डाक्टर लोहिया ने लोकतंत्र की स्थापना के लिए सत्ता के विकेन्द्रीकरण की बात कही थी और कहा था कि भारत की तहसीलों में जनसमितियां स्थापित की जायं तभी लोगों को सस्ता न्याय मिल सकता है। इसके लिए चलते फिरते न्यायालय की व्यवस्था की जाय। मान्यवर, राजस्थान में अंत्योदय की योजना चली हुई है उसी प्रकार से इस प्रदेश में भी अंत्योदय की योजना बनाई जाय।

मान्यवर, मैं आपका ध्यान दो मिनट, यह जो रिजरवेशन है उसकी तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। एक घंटे बाद उस पर चर्चा है इसलिए मैं ज्यादा समय उस पर नहीं लूंगा। किस ढंग से सेवाओं का विस्तार हो रहा है ...

श्री अध्यक्ष—

ओझा जी, आज इस पर बहस है इसलिए इस पर कम समय इस वक्त लें।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया । इसके लिए कुछ नियम बनायें । आज कुछ मंत्रियों के यहां पैरलल सरकार चल रही है जिसमें एक वर्ग विशेष के लोग आते हैं और उनके काम हो जाते हैं । विधायक दरवाजे पर टुकुर-टुकुर ताकता है यह व्यवस्था कब तक चलेगी । चलेगी या नहीं चलेगी नहीं मालूम, संयुक्त उत्तरदायित्व को बाधा होगी या नहीं होगी ? जन प्रतिनिधियों की जितनी उपेक्षा इस शासन काल के ९ महीनों में हुई है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, उतनी उपेक्षा कभी जन प्रतिनिधियों की नहीं हुई है । इन शब्दों के साथ मैं मुख्य मंत्री जी से जो सामान्य प्रशासन का बजट पेश किया है, उसका मैं समर्थन करता हूं और साथ-साथ चेतावनी देता हूं कि जनता ने जिन आदर्शों, मूल्यों और सिद्धांतों के लिए आपको यहां भेजा है और यदि आप इतने नालायक हो गए हैं कि उसको अमली जामा नहीं पहनाया, उनकी आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर सके, तो जनता आपको माफ नहीं करेगी और उसकी सारी जिम्मेदारी हमारे प्रशासन पर होगी ।

श्री लक्ष्मी नरायन (जिला हमीरपुर)—

मान्यवर, मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे मौका दिया बोलने का और जो बजट हमारी सरकार पेश कर रही है, मैं उसके समर्थन में खड़ा हुआ हूं । हम लोग बहुत जबरदस्त क्रांति करके निकले हैं और इसके लिए हम शुक्रिया अदा करते हैं अपने विगत शासन का, यदि वे जुल्म न करते तो हमारे जैसे हजारों कार्यकर्ता तैयार न होते । हम लोग जेल में रहकर भी जालिम का शुक्रिया अदा करते थे । लिहाजा इमरजेंसी में किए गए पापों, कुकृत्यों का बखान करना हमारा ध्येय नहीं है, किन्तु वह इमरजेंसी तवारीख की एक नजाकत है और कभी कभी ऐसे मौके आ जाते हैं कि शासन का दिमाग फेल हो जाता है । शासन ने दल की गद्दी के लिए और जो कुछ फतेह बंगाल आदि में हो गयी थी, उससे इनके दिमाग आसमान में चढ़ गए थे और उन्होंने हम लोगों को खरगोश के बच्चों की तरह से पकड़-पकड़ कर बन्द कर दिया । किन्तु वह अच्छा ही हुआ, जो हम लोग जेल में रहे और जेल में रह कर हम लोग खूब पढ़ते-लिखते रहे, मनन करते रहे और गूढ़ विचार करते रहे सारी परिस्थितियों पर। उस समय जेल में मैंने भी एक कविता तैयार की थी । "हम आये हैं जम्हूरियत में सिन्दूर लगाने, अब शहरे इन्कलाब में लाए बरात हम ।" तो हम लोग इन्कलाब की पवित्र पैदावार हैं और एक इन्कलाब से निकल कर आए हैं और इसमें जिस पाकिजगी के साथ एक-एक मंत्री हमारे मंत्रिमंडल का बड़ी सहृदयता के साथ अपना काम करना चाहता है, जनता की सेवा करना चाहता है, लेकिन हमने जो बोलने की आदत अता कर दी है, उसके बूते हम लोग खुद अपने घर में बोलने लगे हैं, बोलना सीखने लगे हैं, जिसके नतीजे से आजादी के साथ हम अपनी बुराइयों का ही बयान करने लगे हैं, जिससे ऐसा माहौल पैदा हो गया है । इस माहौल से विरोधी लोगों को मजा आ गया है । रोने के बहाने करने से आंसू आ गए हैं हमको ।

आज हम देखते हैं कि कहीं ट्रेन में डकैती होती है कहीं राह में राहजनी होती है, कहीं भीषण कत्ल और भारी लूटपाट होती है । हमने जो जनता को स्वतंत्रता के साथ बोलने का मौका दिया है और उसके बाद हमने निषेधात्मक रूप नहीं अपनाया है, उसका हमें दुरुपयोग नहीं करना चाहिये । इसमें हम लोगों को अपना दामन देखना चाहिये, हमको अपने बोलने के तरीके को दुरुस्त करना चाहिये। सत्ता पक्ष और विरोधी पक्ष सभी की वह जिम्मेदारी है राष्ट्रीय प्रश्नों पर हम एक

मत रहे, जनता में राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण करे और सारे प्रदेश में शान्ति और व्यवस्था स्थापित हो । हम सबको मिलकर देखना चाहिए कि आखिर कैसे हमारा सामान्य प्रशासन दुरुस्त हो । आज ऐसी चीजें कहने की जरूरत नहीं है कि ३० साल से बिगड़ा शासन चला आ रहा है, हम उसे सुधार रहे हैं । मैं इस बात के खिलाफ हूं कि किसी मामले में आप किसी का व्यक्तिगत नाम उछालें । जिनका नाम आप उछालते हैं, आप उनकी जिन्दगी बख्शते हैं, उनको जिन्दगी देते हैं । आप जो कहते हैं कि ३० साल से शासन बिगड़ा चला आ रहा है, मैं उससे इत्तिफाक नहीं करता हूं, उसने इतने विद्वान और समर्थ लोग दिए हैं, जो मुख्य मंत्री का पद संभालते थे तो मुख्य सचिव कांप जाता था, जिन्हें अपने विषय का पूरा ज्ञान था, सारे मामले की समझ थी, जिनको यह तक पता होता था कि किस फाइल में कहां पर क्या लिखा है । उन्हें सब याद रहा करता था । ऐसे-ऐसे लोग हो चुके हैं इस ३० साल के अन्दर । और उनके कारनामे पढ़ेंगे तो हमारे मंत्रिमंडल में जो बहुत से लोग आये हुए हैं, बहुत से लोग सीख रहे हैं मंत्री होना। वह याददाश्त पैदा कीजिए, वह पकड़ पैदा कीजिए। बीवी और खाविन्द का जैसा रिश्वत होता है मंत्री और सेक्रेटरी का होता है । अगर पति कमजोर है तो बीवी झाड़ू मार कर घर से निकाल देगी । लिहाजा आप शक्तिशाली बनिए।

मैं आपके अन्दर विश्वास पैदा करना चाहता हूं । अगर आज से आप पाजिटिव दृष्टिकोण पैदा करेंगे तो शासन का २४ घंटे में प्रशासन दुरुस्त हो जायगा । मेरे जिले में डकैतियां और लूटमार होती थी । मैंने वहां के एस० पी० से बात किया । नौजवान आदमी हैं । मैंने कहा कि क्या जिम्मेदारी हमने हो ले रखी है । देश की रक्षा करने की ? तुम बड़ी-बड़ी तनख्वाह मारते जाओ, बड़े-बड़े भत्ते खाते जाओ । तुम्हारा फर्ज नहीं है राष्ट्रीय रक्षा करने का ? मैंने इंस्पायर कर दिया । आज वह १२ बजे रात के बाद उठता है अपनी कार उठाता है । हमीरपुर जिला ६० मील लम्बा और ६० मील चौड़ा है । उसने डकैतों को भी मारा । एक परेशानी उसको भी है । उसके डी० वाई० एस० पी० पुराना काइयां हैं, बड़े कलाकार हैं रिश्वत पैदा करने में । हमने एस० पी० को इंस्पायर किया लेकिन उसके साथ सारा पुराना ढांचा है । हम बुन्देलखंड के उस इलाके से आ रहे हैं देश का दिल उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश का दिल कौन है ? बुन्देलखंड है, बुन्देलखंड का दिल कौन है ? हम कहेंगे हमीरपुर है । हमीरपुर का दिल महोबा है और महोबा का दिल हम हैं ।

हमारे राष्ट्र के लोग अगर पाजिटिव तरीका अख्तियार करेंगे तो सब सुधरेगा । एक व्यक्ति होता था लाखों आदमी उसकी बात मानते थे। हम एक लाख से जन प्रतिनिधि आये हुए हैं । हम अपने को इतना कमजोर समझ बैठे हैं कि शासन के अधिकारियों को प्रेरित नहीं कर सकते। लिहाजा तरीका हमको बदलना पड़ेगा । खुलकर बात करनी पड़ेगी । जिले में जो बातें पैदा हो रही हैं उनका कारण यह है कि हमने पार्लियामेंट बना लिया, असेम्बली बना लिया, माननीय मुख्य मंत्री और मंत्री बना लिए । लेकिन जो ६० मील लम्बा और ६० मील चौड़ा जिला होता है, वहां की इकाई जो जिला परिषद् है उसको ऐडमिनिस्ट्रेटर के अन्तर्गत कर दिया है । पंडित जवाहरलाल नहरू कहा करते थे कि हम जिला

[श्री लक्ष्मी नरायन---]

अधिकारियों को बाबू बना कर रखेंगे । क्या वह बाबू बन कर रह रहे ह ? जब तक जनतन्त्र प्रणाली का कायदे से छोटा सा रूप जिलों में नहीं पैदा करेंगे तब तक शासन कामयाब नहीं होगा । जिससे शिकायत की जाय । जिस वक्त जिले में एक चुना हुआ व्यक्ति बैठता है वह सारे जिले पर नजर रखता है । माननीय मुख्य मंत्री का उससे सीधा सम्बन्ध रहता है । जिला परिषद् के चेयरमैन को हर एक अच्छा काम दिखाता है । जब तक जनपद में चुना हुआ चेयरमन नहीं होता है, जब तक जिले की इकाई दुरुस्त नहीं होगी ।

बजट में तमाम बातें हैं । पुलिस कांस्टेबिल्स की तनख्वाह बढ़ानी है, उसका मैं समर्थन करता हूं । मैं यह भी कहना चाहता हूं कि पुलिसमन बस्ती के अन्दर रहता है, लोगों के बीच में रागद्वेष, लगाव पैदा हो जाता ह, झगड़ा पैदा हो जाता है । पुलिसमैन का अलग आवास होना चाहिए । इसका इंतजाम इस बजट में ठीक से नहीं हुआ है जो होना चाहिए । थाने भी बहुत कम हैं । सौ-सौ, दो-दो सौ गांव एक थाने में लगे हुए हैं । मेरा २५ हजार की आबादी का कस्बा है । वहां तीन-चार चौकियां होनी चाहिए । केन नदी के किनारे वैजेमऊ एक गांव है । वहां चौकी होनी चाहिए ।

मौदहा और बांदा के बीच से डाकू आते हैं । वहां पर एक चौकी होनी चाहिए और बजेहटा में एक थाना होना चाहिए और मेरे कस्बे में ३-४ चौकियां होनी चाहिए । अगर हम विधायक चाहेंगे तो अपने-अपने जिले का प्रशासन दुरुस्त कर लेंगे । यह शासन द्रौपदी है और हमारा दल ५ पाडवों का यहां मध्य भारत के पांडव पांच होकर भी एक थे तो हमको यह देखना है कि जो यह पांचो पांडव हैं वह मिलकर एक हों । इन शब्दों के साथ मैं इस बजट का समर्थन करता हूं ।

श्री जय राम (जिला गाजियाबाद)---

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने जो मुझे इस कटौती के....।

श्रीमती रामरति देवी---

माननीय अध्यक्ष महोदय, बोलने वालों की लिस्ट में मेरा नाम है । महिलाओं को मौका नहीं मिलता है ।

श्री अध्यक्ष---

महिलाओं का प्रतिनिधित्व पुरुष भी करते हैं । गवर्नर के भाषण के विवाद के समय आप बोल चुकी ह । सी० पी० आई० का कोई नहीं बोला है ।

श्री जय राम---

मान्यवर, हम लोगों के सामने इस मुल्क में तीन परिवर्तन हुए हैं । अंग्रेज यहां पर प्रशासन करते थ और उनके जाने के बाद कांग्रेस के लोग आये और उनके जाने के बाद जनता पार्टी की सरकार बनी है । मान्यवर, कुछ लोगों के लिए कुछ समय में आपातकालीन स्थिति, मीसा और डी० आई० आर० लागू किया गया, लेकिन इस देश में कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी अंग्रेजों के जमाने में वही स्थिति थी, कांग्रेस के जमान में वही स्थिति रही और जनता पार्टी की सरकार म भी उसी तरह की स्थिति है । मैं माननीय सदस्यों का ध्यान उन लोगों की ओर ले जाना चाहता हूं और मैं चाहूंगा कि यह आप किस परिवर्तन

की बात करते हैं तो उन लोगों के बारे में जरूर सोचें कि आप इस प्रदेश में उनकी स्थिति क्या है । मुसहर जाति के लोग जो जंगलों में रहते हैं और पत्तल तोड़कर अपना जीविकोपार्जन करते हैं । विषैले जानवरों को खाते हैं और उनकी स्थिति आज भी वही है जो स्थिति उनकी अंग्रेजों के जमाने में थी । ३० वर्ष कांग्रेस के हो गये लेकिन उनके रहन-सहन में कोई अन्तर नहीं आया । आज भी वही स्थिति है, कोई सुधार नहीं आया है । जब पुलिस के लोग चाहते हैं तो उनको जेलों में बन्द कर दिया जाता है और उन पर १०९ और ११० का मुकदमा चलाया जाता है । जेलों में उनसे पाखाना साफ कराया जाता है । इन्साफ की जरूरत है जिन लोगों के पास जबान नहीं है, वे अपनी बातें कह नहीं सकते हैं । जेल में पाखाना साफ करने के लिए उनको मजबूर किया जाता है । मैं इस जनता पार्टी के माननीय सदस्यों से चाहूंगा कि सत्ता की मद में अन्धे होकर सत्ता में रहने वाले लोग जिस प्रकार से प्रशासन का इस्तेमाल करते हैं, वह आज बन्द कर दें ।

उस दिन मैंने माननीय मुख्य मंत्री जी से पूछा था कि पन्त नगर गये थे आपने यह जाना कि लाठी बल्लम से आक्रमण करने के लिए आ रही उस भीड़ के ऊपर गोली चलायी गयी तो आपने तस्लीम किया कि १३ लोग मरे हैं ।

मान्यवर, वे १३ लोग जो मरे हैं क्या उनकी लाठियां, बल्लम व उनके गंड़ासे जिन हथियारों को लेकर वे हमला करने आ रहे थे, वे उनसे बरामद हुए या नहीं ? मान्यवर, जिस प्रकार से रेडियो पर लोहा सिंह जो भाषण करते हैं उसी प्रकार से जहां पर गोली चलती है त्रिपाठी जी सदन में भाषण करते हैं । गोली चलाने का जो पुलिस का तरीका अंग्रेजों के जमाने में था उसी प्रकार अब भी है । एक आदमी की सुरक्षा के लिए ३०-३० आदमियों को मार दिया जाता है और जिस पर इनकी कृपा होती है, उसका बाल भी बांका नहीं होता है । यह एक गम्भीर बात है । माननीय त्रिपाठी जी जब बोलते हैं ऐसा मालूम पड़ता है कि वे वोट लेने के लिए जनता को प्रभावित कर रहे हैं ।

विरोध पक्ष के भाई जब इधर बैठे हैं तो बड़ी छाती पीट-पीट कर गरीबों की हमदर्दी की बात करते थे लेकिन जब वे सत्ता में थे तब उनकी हमदर्दी में एक बात भी नहीं करते थे, उनके ऊपर जुल्म और ज्यादतियां होती थीं, उनको क्रिमिनल ऐक्ट में बंद कराकर पुलिस से पिटवाकर जेलों में बन्द करवा देते थे । आज उनको उनकी याद आयी है । मेरी प्रार्थना है कि आप लोगों को भी सत्ता पक्ष में रहने पर उनकी कुर्सियों पर बैठकर सद्बुद्धि आ जाय । आज सवाल सत्ता को बदलने का नहीं है लेकिन सचमुच में प्रदेश की स्थिति क्या है ? इस समय सदन में माननीय मुख्य मंत्री जी नहीं हैं लेकिन जब वे बोलने खड़े होते हैं तो ऐसा बोलते हैं कि वे गोली छोड़ रहे हैं, फायरिंग कर रहे हैं । अभी कुछ दिन पूर्व वे गाजीपुर गये हुए थे । वहां पर विद्यार्थियों ने उन्हें अपना पत्रक देना चाहा था लेकिन माननीय मुख्य मंत्री जी स्टेज पर बैठे रहे और बिगड़ कर यह आदेश दिया कि इन नेताओं को घसीट कर हटा दो । कुछ लोग जो उनके पक्ष के थे मुझे स्टेज से धक्का देकर नीचे खदेड़ने लगे । विद्यार्थियों के अन्दर, जनता के लोगों के मन में गुस्सा आया, वे स्टेज पर चढ़ गये । अगर उनको याद होगा

[श्री जय राम---]

गाजीपुर की स्थिति तो वे गोली छोड़ना बन्द कर देंगे । ये सीधे-साधे आदमी हैं, न इन्होंने कभी राजनीति की पता नहीं किस प्रकार से एम० पी० हो गये, किस प्रकार से एम० एल० ए० हो गये और किस प्रकार से इनको मुख्य मंत्री बना दिया गया ? मान्यवर, ये मुख्य मंत्री भी ह और गृह मंत्री भ । मैं चाहूंगा कि अपना बोझ हल्का करने के लिए हमारे मुख्य मंत्री जी, जो हमारे पड़ोसी भी हैं, एक विभाग को कम कर दें । अगर कुछ और दिनों तक स्वयं सत्ता में रहना है तो कि। प्रकार से आपका शासन चल रहा है उन पर गौर करते हुए कुछ कदम उठावें । मैंने पंतनगर वाली घटना के सम्बन्ध में चर्चा वाले दिन कहा था कि पता नहीं कि कब उनकी कुर्सी खिसकेगी स्वयं सम्मान अर्जित क्यों नहीं करते क्योंकि प्रदेश में प्रशासन की जो स्थिति है उससे यह मालूम नहीं पड़ता है कि यहां पर कोई सरकार है या नहीं, जिसके मन में जो आता है, वह कर बैठता है । अभी कुछ दिन पूर्व में कासमाबाद थाने में बैठकर बातें कर रहा था । जिन जमीनों को गरीब बीसियों वर्षों से जोत रहे थे, कागजों में भी उनका कब्जा था उनके ऊपर दफा ४४७ में मुकदमें कायम किए जा रहे हैं और उनको जमानत के लिए जेल में डाला जा रहा है ।

मान्यवर, उस दिन भी मैंने कहा था और आज भी कह रहा हूं कि उन गरीबों को किस लिए उस जमीन से हटाया जा रहा है । दो एक असरदार लोग जो जमीन को जोतते थे उन्होंने देखा कि जमीन उसको नहीं मिलने वाली है इसलिए उन गरीबों के बीच में बटवारा न करवाकर उस जमीन को रुकवाया जा रहा है ।

श्री अध्यक्ष---

अब आप समाप्त करें ।

श्री जय राम---

एक मिनट । जो राजस्वमंत्री हैं उनके यहां चिट्ठी है । हमारे शिक्षा मंत्री के दस्तखत से ताकि उस जमीन का बटवारा रोका जाय । देव राम विधायक जो जनता पार्टी के हैं, हमारे धर्म राम जनता पार्टी के हैं उन्होंने लिखकर दिया था कि उस जमीन का बटवारा कर दिया जाय और हमारे शिक्षा मंत्री जी के दस्तखत से और एक हमारे एम० पी० महोदय जो शेरपुर कांड के हीरो थे उनके दस्तखत से वह बंटवारा रोक दिया गया है । मैं चाहूंगा कि सत्ता में रहते हुए सरकार आपकी है आप सक्षम हैं, उत्तर प्रदेश की जनता को दिखलायें कि पिछली सरकार जो थी वह निकम्मी थी, उसको जनता ने हटाया और हम आकर के कुछ कर रहे हैं । इन्हीं शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए और मंत्री लोगों को सद्बुद्धि की बात कहते हुए अपनी बात खत्म करता हूं ।

श्री अध्यक्ष--

(श्री भगवती प्रसाद सिंह का नाम पुकारे जाने तथा शासन पक्ष के कुछ सदस्यों के खड़े होने पर) विरोध पक्ष का भी कोई अवसर होगा या नहीं ?

श्री भगवती प्रसाद सिंह (जिला फैजाबाद)---

मान्यवर, मैं इस कटौती के प्रस्ताव पर इस अनुदान पर न बोल करके चन्द घटनाओं की तरफ मुख्य मंत्री जी तो यहां हैं नहीं, इशारा करना चाहता हूं

क्योंकि परसों मुख्य मंत्री का उस घटना से सम्बन्ध है। मान्यवर, एक किताब दो पन्ने को जो पुलिस के कार्यकलापों की है, उसका लास्ट पैराग्राफ लिया जाय "आलोच्य वर्ष में पुलिस के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने कठोर परिश्रम एवं लगन से कार्य करते हुए अपने कर्तव्यों के प्रति सच्ची निष्ठा और उच्चकोटि की कर्तव्य-परायणता का परिचय दिया तथा अपने उत्तरदायित्वों को सहर्ष एवं गौरव-पूर्ण ढंग से निभाया जिसके फलस्वरूप प्रदेश में सर्वत्र शांति एवं सुव्यवस्था बनी रही"।

मान्यवर, मैं क्या कहूं ? अभी पुरानी घटना आपके सामने पेश करना चाहता हूं। उसी को लेकर गृह सचिव के यहां गया था। आप देख लें पूरे प्रदेश की मासूम साधारण जनता को हमारे मुख्य मंत्री ने बूचड़खाने में पहुंचा दिया है। जो बूचड़खाना पिछली सरकार के जमाने में भी था वही आज इस सरकार के जमाने में भी है ११ करोड़ जनता गृह सचिव और मुख्य मंत्री जी की साठ-गांठ से बूचड़खाने में खड़ी हुई है। उसके निदान के लिए क्या हो ? अभी हमारे राज्य मंत्री जी बोल रहे थे २५ मिनट मार्क्सवाद पर और डा० लोहिया के समाजवाद पर भाषण करते रहे। सारी बातें बोल गये लेकिन नानाजी देशमुख पर नहीं बोले जो हर प्रदेश हर जिले में आज आर० एस० एस० की गुंडई और युवक जनता की गुंडई को फैलाये हुए हैं। यह डा० लोहिया की सरकार नहीं, यह आर० एस० एस० की प्रतिक्रियावादी सरकार है, इसपर कुछ नहीं बोले। मैं बता देना चाहता हूं कि २९ अक्तूबर को अपनी निष्पक्ष जांच के लिए लिखा था और मैं आज इस दिन इसलिए बोलने खड़ा हुआ हूं, दो मर्तबा बोल चुका हूं २९ अक्तूबर के पहले एक दिन पहले मैं जैतपुर थाने में गया था। मुझसे कुछ लोगों ने चौकीदार ने कहा कि ३ दिन से एक हरिजन उसका नाम मेरे पास लिखा हुआ है उसको पुलिस ने बन्द कर रखा है और उस के दोनों हाथ पैर टूट गये हैं। डढ़री गांव का है। मैं वही अड़ गया अड़ियल घोड़े की तरह। जैसी कि मेरी आदत है और आप भी कभी-कभी निकलवा देते हैं आप ही बताइए और क्या जरिया है मेरे पास यही उपाय है क्योंकि सरकार तो सुनेगी नहीं। १०-११ बजे रात को डी० वाई० एस० पी० जिसने अकबरपुर के कालेज में एक लड़के की हत्या करवाई, एस०डी०एम०, अकबरपुर के घर की रसोई बर्तन से उसका सम्बन्ध था एस० डी० एम० को साथ लेकर आ गया।

मान्यवर, जैतपुर थाने के दोनों थानेदार मेरे ऊपर बरस पड़ते हैं। डी० बाई०एस०पी० के सामने जो दुर्गति मेरी होती है जो मैं कह नहीं सकता। मेरे अड़े रहने पर दो बजे रात को यही हरिजन को निकाल कर लाये। ४८ घंटे उस हरिजन को बन्द रखा गया केवल इस कारण कि एक कान्सटेबिल उसकी गांव की लड़की के साथ अत्याचार करना चाहता था और उस हरिजन ने उसका विरोध किया था। इस घटना को लेकर मैंने २९ तारीख को प्रदर्शन किया जलालपुर थाने में ए० डी० एम० ने एक किलोमीटर पर से धारा १४४ लगा रखी थी। वहां आर० एस० एस० के कुछ [***] आये, कुछ युवा कांग्रेस थे।

नोट:--[* * *] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)--

क्या आर० एस० एस० के कुछ [* * *] कहना शब्द संसदीय है ।

श्री अध्यक्ष--

माननीय भगवती प्रसाद सिंह जी, इस तरह के शब्दों का आप इस्तेमाल न करें ।

श्री भगवती प्रसाद सिंह--

अच्छा, आर० एस० एस० का नाम नहीं लूंगा, नहीं कहूंगा ।

मान्यवर, मैं कस्बे से निकल रहा था । दोनों थानेदारों ने मेरे ऊपर हमला करवाया । दोनों थानेदार नारे लगवा रहे थे कि विधायक हमारा चोर है, भगौती साला चोर है । मैं अपनी जान बचाने के लिये एक जगह छिप गया । मैंने उसके बारे में लिखकर भी ९ मार्च, १९७८ को माननीय मुख्य मंत्री को दिया । २६ अक्तूबर को फिर एक दरख्स्त डी० आई० जी० की दी, ६ नवम्बर को आई० जी० और गृह सचिव को दी । मुख्य मंत्री को दरखास्त दी । आपको २ ज्ञापन दिये । जीरो आवर में भी प्रश्न उठाया । सुरक्षा की बात पर माननीय मुख्य मंत्री जी यहां बड़े जोरों से बोलते हैं, मगर मेरी दरख्स्त पर कोई कार्यवाही नहीं हुई । सारा प्रशासन आज ठप्प हो गया है । पुलिस हमारे खिलाफ हो नारे लगाती है । उसको आपका संरक्षण प्राप्त है । १६-४-७८ को मैं गृह सचिव से मिलने गया । जब मिलने गया तो चपरासी ने कहा कि स्लिप लिख दीजिये । मैंने कहा स्लिप कैसी, क्या अन्दर है नहीं सचिव जी । फिर मालूम हुआ अन्दर एक एम० पी० बैठे हुये हैं । मैं काफी देर गलियारे में खड़ा रहा । वहां बैठने तक को जगह नहीं थी । कुछ देर बाद मैंने देखा कि बस्ती के एक एम० एल० ए० साहब निकल रहे थे । जब मैं अन्दर गया तो मैंने कहा कि मैं आपको अपना ज्ञापन देने के लिए और कुछ शिकायतों को ले कर आया हूं ।

एक यादव संग्राम नाम की आजी की सुध तेरहीं थी, दो-चार दिन हुए उसके घर पर पुलिस आई, ये मुख्य मंत्री की बिरादरी के हैं । उनकी कमर में रस्सी बांधी और ५० गोदी मारी और तेरहो के रोज उससे रुपये लिया । जैतपुर की पुलिस ने सोभी हरिजन ग्राम किसुनपुर को मार कर कमर में रस्सी बांधकर रुपया वसूला हमारे क्षेत्र की ऐसी और बहुत सी घटनाएं है । मेरा कहना यह है कि जब आप ४२५ विधायकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी नहीं ले सकते हैं, तो आपको तत्काल गृह विभाग से मुख्य मंत्री पद से हट जाना चाहिए । मैं बता दूं कि पुलिस विभाग में आज जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है जो अत्याचार फैला हुआ है उसने तो इमरजेंसी को भी मात कर दिया है । आज सारे देश के लोगों का जीवन इस तरह के अत्याचार से अस्त व्यस्त हो गया है । मुख्य मंत्री के यहां पर जाइये, तो वह किसी से बात भी नहीं करते हैं । उनके पास जायं तो मालूम होता है कि पूजा कर रहे हैं । मान्यवर, मुझें मार्क्सवादी सदस्य समझ कर मेरे ऊपर मरडर का केस चलाया जा रहा है । मुख्य मंत्री के यहां से जांच गयी, जिसमें ३२ आदमी का दस्तखत है । मुख्य मंत्री मुझे फांसी के तख्ते पर लटकाना चाहते हैं । यह शासन जो है हमारे ४२५ विधायकों की रक्षा नहीं कर सकता है, तो इसे तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए। किसी भी कीमत पर इस शासन को चलना नहीं चाहिये ।

नोट--[***] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री अध्यक्ष--

अब आपका समय १० मिनट से ज्यादा हो गया। अब आप समाप्त कीजिए।

श्री भगवती प्रसाद सिंह--

मान्यवर, काशी डाकू अलवर के सहयोगी को पकड़ा गया, उसे लड़कों तथा गांव के लोगों ने पकड़ा उसको जुर्माने को रूप में सजा दे दी गयी, परन्तु जिन किसानों ने उसे पकड़ा उसे हटा दिया गया। अमर उजाला में छपा है कि काशी ने २९ मार्च को यह किया। दूसरा भी छपा है स्वराज टाइम्स में कि कुख्यात काशी को गिरफ्तार।

काशी को गांव के किसानों ने पकड़ा और जाकर पुलिस अधिकारियों को मुख्य मंत्री इनाम देते हैं। मान्यवर, यह बड़ी शर्मनाक बात है इस तरह से मुख्य मंत्री को नहीं करना चाहिए। मैं आप से अन्त में अर्ज करूंगा, मैं मुख्य मंत्री के यहां नहीं जा पाता हूं, चपरासी हमको धक्का दे देता है। मान्यवर, मेरे मरडर की जिम्मेदारी आप पर है।

श्री अध्यक्ष--

आप बिलकुल नहीं मरेंगे।

श्री भगवती प्रसाद सिंह--

मान्यवर, हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी आप पर है। जब में मान्यवर, मरडर की बात उठाता हूं तो हमें कहने नहीं देते हैं। खुफिया इन्क्वायरी के बारे में अभी तक आपने बताया नहीं है। मान्यवर, पुलिस प्रशासन हमारे खिलाफ है। यह मान्यवर, हम नहीं उठाते हैं, लिख कर भेजते हैं कि कार्यवाही की जाय, लेकिन कार्यवाही नहीं की जाती है। ऐसे मुख्य मंत्री पर लानत है, मान्यवर। मुख्य मंत्री को तत्काल हट जाना चाहिये।

डाक्टर अश्विनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश' (जिला कानपुर)--

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। व्यवस्था का प्रश्न यह है कि अभी भगवती सिंह जी ने यह कहा अपने भाषण के दौरान कि कुछ लोग नारे लगा रहे थे कि भगवती साला चोर है। मान्यवर, मेरी पूरी सहानुभूति उनके साथ है, यह मेरे अग्रज हैं। तो इन शब्दों को, महोच्चार को, 'भगवती साला चोर है।' इसको कार्यवाही से निर्गत करने के आदेश देने की कृपा करें ?

श्री अध्यक्ष--

राकेश ज. उन्होंने तो सिर्फ इसका उद्धरण दिया है। अब आज इस पर विवाद स्थगित किया जाता है। अब मैं नियम ५१ की सूचनाएं ले रहा हूं।

श्री गौरी शंकर भइया (जिला बलिया)--

मान्यवर, मेरा नाम लिया था।

श्री अध्यक्ष--

अब ५ बज रहे हैं । माननीय सदस्यों ने यह भी अनुरोध किया है कि यहां पर एक सम्मानित व्यक्ति के सम्मान में जाना है और २ घंटे का विवाद माननीय शम्भू नाथ चौधरी के प्रस्ताव पर भी है । अब मैं नियम ५१ को ले रहा हूं ।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट (जिला इटावा)--

मान्यवर, हम लोगों को कल अवसर दे दीजिएगा ।

(कई सदस्यों के खड़े होने पर ।)

श्री अध्यक्ष--

आप लोग कल चां ले लीजिएगा । आप लोग अपना स्थान ग्रहण करें ।

श्री सुखपाल पाण्डेय (जिला बस्ती)--

मान्यवर, मुझे समय नहीं मिल सका है ।

श्री अध्यक्ष--

आप कल समय ले लीजिएगा । कल समय बढ़ा लीजिएगा । अब ५ बज गये हैं ।

श्री सुखपाल पाण्डेय--

पांच बज गये हैं तो मैं क्या करूं । पांच तो बजेंगे ही ।

श्री अध्यक्ष--

अगर आपकी ऐसी राय है तो फिर ५-७ आदमी एक साथ बोलने लगें तो अच्छा हो ।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट--

मान्यवर, जो शेष रह गये हैं उनको आप कल मौका दे दें ।

श्री अध्यक्ष--

कल मैं देख लूंगा ।

श्री सुखपाल पाण्डेय--

मान्यवर, पता नहीं क्यों आपकी दृष्टि मुझ पर नहीं पड़ती है ।

श्री अध्यक्ष--

आपकी गम्भीर वाणी यहां पर सुनाई पड़ती है ।

श्री सुखपाल पाण्डेय--

मान्यवर, तो क्या मैं बैठूं ?

श्री अध्यक्ष--

आप तो स्वतः सुखपाल हैं, दुखपाल क्यों हो रहे हैं । (हंसी) अब इस पर कल बहस होगी ।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट--

मान्यवर, इसी सूची के अनुसार कल शुरू किया जाय ।

नियम ५१ के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

आज नियम ५१ के अन्तर्गत माननीय रियासत हुसैन ने सूचना दी है जो दिनांक २४ अप्रैल, १९७८ को पुलिस तथा पी० ए० सी० द्वारा कान्य कुब्ज कालेज, लखनऊ के छात्रों पर, आरक्षण के विरोध में नारे लगाने के कारण लाठी चार्ज तथा कुछ छात्रों को गिरफ्तार किये जाने के सम्बन्ध में है। मैंने इसको स्वीकार किया है और बाकी जो सूचनायें थीं उनको अस्वीकृत किया है। मुख्य मंत्री जी इस पर कब वक्तव्य देंगे ?

(राजनैतिक पेंशन उप मंत्री) श्री सत्यदेव त्रिपाठी—

मान्यवर, २८ तारीख को वक्तव्य दे दूंगा।

डाक्टर अश्विनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश' (जिला कानपुर)—

मान्यवर, मैंने नियम ५१ में एक सूचना दी है। इसमें वक्तव्य के लिए स्वीकार किया है या नहीं ? रामायण और मनुस्मृति जलाये जाने से सम्बन्धित है।

श्री अध्यक्ष—

माननीय राकेश जी ने नियम ५१ के अन्तर्गत सूचना दी है कि अर्जक संघ तथा शोषित समाज दल द्वारा दिनांक ३० अप्रैल, १९७८ को ग्राम दयानतपुर जिला कानपुर में रामायण तथा मनुस्मृति को जलाये जाने का एलान तथा सद्भावना समिति द्वार इसका विरोध किये जाने के कारण साम्प्रदायिक संघर्ष की सम्भावना है। इसको मैंने केवल वक्तव्य के लिये स्वीकार किया है।

मुख्य मंत्री जी इस सम्बन्ध में उचित होगा, आप कल वक्तव्य दे सकें तो ज्यादा उचित होगा।

श्री नाथू राम शिक्षक (जिला इलाहाबाद)—

मेरी भी नियम ५१ में एक सूचना है।

श्री अध्यक्ष—

श्री मौजी लाल कुरील का भी नाम इसमें शामिल है। श्री नाथूराम जी का ओला वृष्टि के बारे में है। इसमें मैं राजस्व मंत्री को निर्देश करता हूं कि ओला वृष्टि के सम्बन्ध में वह एक वक्तव्य सदन के अन्दर दे देंगे।

श्री अध्यक्ष—

लक्ष्मण सिंह जो कानपुर के बारे में २९-३० अप्रैल, को घटना होने की की सम्भावना है। इसलिए बेहतर होगा कि २७ तारीख वक्तव्य के लिए रख दें।

श्री नाथूराम शिक्षक—

मान्यवर, इलाहाबाद के अन्तर्गत विकास खंड सरसवां के दक्षिण भाग में ओला पड़ा है जिससे रबी तथा जायद की फसलों को भारी क्षति हुई है।

श्री अध्यक्ष—

शिक्षक जी हमने राजस्व मंत्री को निर्देश दे दिया है कि इस पर वक्तव्य दे दें।

रामबाग सिटी स्टेशन, इलाहाबाद में रेलवे की आमदनी की लूट की घटना के सम्बन्ध में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य

(नियोजन राज्य मंत्री) श्री लक्ष्मण सिंह--

मान्यवर, पूर्वोत्तर रेलवे के इलाहाबाद सिटी (रामबाग) स्टेशन के स्टेशन वेस्टर श्री शम्भूनाथ श्रीवास्तव से प्राप्त सूचना के अनुसार उक्त स्टेशन मास्टर दिनांक १९-४-१९७८ को प्रातः ८ बजे अपने २ चपरासियों--श्री सुग्गा एवं श्री कन्हइया दुबे के साथ पिछले २ दिनों की स्टेशन की आमदनी लेकर २८० डाउन इलाहाबाद-छपरा पैसेन्जर (पूर्वोत्तर रेलवे) के गार्ड के चेस्ट में जमा करने के लिए जा रहे थे। एक रेक्सीन बैग, जिसमें कुल रुपये २९,२८०.६० नकद एवं २,४६८.९० के कैश वाउचर थे, श्री सुग्गा चपरासी के हाथ में था तथा दूसरा बैग जिसमें रु० २,२०३ नकद एवं कैश वाउचर क्रेडिट नोट रु० ४,४२३ थे, दूसरे चपरासी श्री कन्हइया दुबे के हाथ में था। जिस गाड़ी से उक्त कैश जाना था वह प्लेट फार्म नं० ३ पर खड़ी था। जैसे ही यह लोग उक्त कैश के साथ प्लेट फार्म नं० ३ पर पहुंचे, २ अभियुक्तों ने जिनके हाथ में रिवाल्वर था, श्री सुग्गा चपरासी के साथ से उक्त बैग जिसमें रु० २९,२८०.६० नकद एवं रु० २,४६८.९० का वाउचर था अचानक छीन लिया। लुटेरे रेलवे की कैनिंग को पार कर सड़क पर जा पहुंचे जहां उनका तीसरा साथी एक स्कूटर को चालू हालत म रखे हुये तैयार खड़ा था। तीनों अभियुक्त उक्त स्कूटर पर बैठकर भाग गये। दूसरे चपरासी श्री कन्हइया दुबे के हाथ में जो बैग था और जिसमें रु० २,२०३ नकद एवं कैश वाउचर क्रेडिट नोट रु० ४,४२३ के थे, बच गया।

उक्त मामला अपराध संख्या २१३ धारा ३९२ भा० दं० वि० के अन्तर्गत इलाहाबाद जी० आर० पी० थाने पर अंकित किया गया तथा घटना की सूचना मिलते ही घटनास्थल पर तुरन्त थानाध्यक्ष जी० आर० पी०, इलाहाबाद पुलिस अधीक्षक, रेलवेज, पुलिस अधीक्षक, नगर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, इलाहाबाद एवं पुलिस उप महानिरीक्षक रेलवेज, इलाहाबाद पहुंच गये तथा घटना के सूत्रों का निरीक्षण किया।

अभी तक इस मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं हो पायी है किन्तु अब तक की जांच के अनुसार कतिपय स्थानीय अपराधियों पर संदेह है, जिनके आधार पर जांच की कार्यवाही जारी है। अभियुक्तों को शीघ्र ही गिरफ्तार करने का भरसक प्रयत्न किया जा रहा है।

चीफ सिक्योरिटी आफीसर, आर० पी० एफ०, पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर से स्टेशनों को नकद आमदनी की सुरक्षा के लिए कड़ी व्यवस्था के लिए कहा जा चुका है क्योंकि इसकी सुरक्षा उन्हीं के द्वारा की जाती रही है।

मान्यवर, इसके अतिरिक्त अभी-अभी यह सूचना प्राप्त हुई है कि इस घटना से सम्बन्धित ३ अपराधी--श्री रमेश, श्री लल्लू और एक और को गिरफ्तार कर लिया गया है। स्कूटर, रेलवे बैग और ५० रुपये के नोट, देशी पिस्तौल एक, एक कारतूस इन लोगों के पास से बरामद हुआ है।

श्री रवीन्द्र सिंह (जिला गोरखपुर)---

मान्यवर, प्रायः स्टेशनों पर और बड़े स्टेशनों पर जी० आर० पी० की गश्ती ड्यूटी रहती है। तो मैं जानना चाहता हूं कि प्लेट फार्म नं० ३ जहां यह

घटना हुई वहां से जी० आर० पी० थाना कितनी दूर पर है और अपराधियों को पकड़ने के लिए क्या प्रयास किये गये ?

श्री लक्ष्मण सिंह--

माननीय, थाने की मुझे जानकारी नहीं है कि कितनी दूर पर है ।

एक सदस्य--

थाना वहां से २० कदम की दूरी पर है ।

श्री लक्ष्मण सिंह--

जैसा कि माननीय सदस्य ने बताया कि थाना २० कदम पर है, तो जो बता रहे हैं वह हो सकता है कि सही हो । लेकिन यह सुनियोजित अपराध था । स्कूटर चालू हालत में खड़ा था और अगर कोई आदमी पहले से जानता रहा हो कि ऐसा अपराध होगा तो संभव था वरना इसमें भी अपराधी सब कुछ लेकर भाग गये । आपको एप्रिशिएट करना चाहिए कि इतने कम समय में स्कूटर और हथियार और सभी रुपया पुलिस ने बरामद किया ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)--

क्या माननीय मुख्य मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि कैश को न लूटा जाय इसकी अब तक क्या व्यवस्था थी और जो कड़ी व्यवस्था के निर्देश दे दिए गए हैं उससे इसमें क्या परिवर्तन हो जायेगा ।

श्री लक्ष्मण सिंह--

यह माननीय, स्टेशन मास्टर जब रुपया लेकर चलता है तो सिक्यूरिटी गार्ड उसके साथ चलता है । वह व्यवस्था पहले भी थी और अब भी यही व्यवस्था की गयी है । उनको हिदायत दी गयी है (हंसी) कि अब इस प्रकार की घटना न होने पाये ।

श्री नाथू राम शिक्षक (जिला इलाहाबाद)---

अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि उस समय प्लेट फार्म पर पुलिस थी भी कि नहीं, अगर थी, तो जो फैंसिंग उन्होंने काट रखी थी जहां से वे भाग निकले तो पुलिस ने उसको देखा था या नहीं ?

श्री लक्ष्मण सिंह--

पुलिस वहां नहीं थी उस समय और वे फैंसिंग को तोड़ते हुये निकल गये ।

श्री गुलाब सेहरा (जिला आगरा)--

मंत्री जी के उत्तर के संदर्भ में जैसा मंत्री जी ने बताया है कि पूर्व नियोजित यह मामला था मंत्री जी के वक्तव्य से एक बात उठ रही है उसमें कृपया जांच करायेंगे विशेष रूप से इसकी कि एक थैला जिसमें २,२०३ रुपये थे और एक थैला जिसमें २९,००० रुपये थे दो व्यक्तियों ने जिनके हाथ में रिवाल्वर था छीना था । तो क्या इस बात की जांच करायेंगे कि पूर्व नियोजित षड़यन्त्र केवल उसी थैले के लिए था जिसमें २९,००० रुपये थे और जिसमें २,२०३ रुपये थे उसमें हाथ नहीं मारा गया ।

श्री लक्ष्मण सिंह---

यह जो बिन्दु है इस पर गहराई से विवेचना कर ली जायगी ।

श्री उदित नारायन (जिला हमीरपुर)---

मान्यवर, अपना सवाल करने से पहले एक वाक्य बोलने की इजाजत चाहूंगा सिर्फ । यह पुलिस के नाक के नीचे जो अपराध होता है जब तक पुलिस पर जिम्मेदारी उसकी नहीं होगी तब तक कम नहीं होगा । इसलिए मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या वह ऐसे आदेश देंगे कि पुलिस के नजदीक रहते हुए, थाने के नजदीक रहते हुए, शहर में कोतवाली के नजदीक रहते हुए कोई इस प्रकर का भयंकर अपराध होता है तो उस थाने के पुलिस के सुपरिन्टेन्डेन्ट के ऊपर जो दायित्व रखा जायगा उसको कोई न कोई सजा जरूर दी जाएगी ।

श्री अध्यक्ष---

सुझाव है । माननीय मंत्री जी ।

श्री लक्ष्मण सिंह---

मान्यवर, ऐसा कोई सूक्ष्म माप दण्ड तय करना कठिन है और वैसे जिम्मेदारी तो उन अधिकारियों की तो है ही कोई उनको छूट नहीं दे दी गयी है कि उनके आस-पास अपराध होते रहे और दूर के अपराध रोके जायं । माननीय सदस्य अनुभवी फौजदारी वकील हैं वह बखूबी जानते हैं कि ऐसे आदेश दिये जा सकते हैं, हर केश में सम्बन्धित अधिकारी को भी सजा दी जा सकती है, इस प्रकार की कार्यवाही की जाती रही है और की जाती रहेगी । सम्बन्धित से गहराई से जानकारी करके उसकी जिम्मेदारी भी तय करने की कोशिश की जाती है ।

श्री राम गोविन (जिला बलिया)---

क्या माननीय मुख्य मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि वहां सिक्यूरिटी गार्ड क्यों नहीं थे ? ..

श्री लक्ष्मण सिंह---

सिक्योरिटी गार्ड वहां था । मगर ऐसा लगता है कि जल्दी में चपरासियों को लेकर स्टेशन मास्टर चल दिये । तफतीश हो रही है तो इस पर विचार किया जायगा कि सिक्योरिटी के लोग कहां थे और मौके पर क्यों नहीं रहे ?

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)---

मंत्री जी ने कहा था कि सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था करने के लिये कह दिया गया है । बड़े बड़े शहरों के खास तौर से इलाहाबाद में और अब तो छोटे-छोटे शहरों कस्बों में भी बैंक है तो यह व्यवस्था क्यों नहीं की कि यह रुपया बड़ी बैंक में जमा कर दिया जाय ?

श्री लक्ष्मण सिंह---

यह भारत सरकार का प्रबन्ध है । माननीय सदस्य भारत सरकार को प्रस्ताव भेजें । अगर व्यावहारिक होगा तो वह मान लेंगे ।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)--

मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा था कि प्लेटफार्म नं० ३ से सड़क की ओर अपराधी भागे और रेलिंग तोड़ते हुए निकल गये। एक साइड में पश्चिम की ओर रेलिंग है और इतनी मजबूत है कि दस बीस आदमी भी नहीं तोड़ सकते और इन तीन आदमियों ने उसको कैसे तोड़ दिया ? क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि वह तोड़ कर भागे या कूद कर भागे ?

श्री लक्ष्मण सिंह--

यह सूचना तो नहीं है कि तोड़ कर भागे या कूद कर भागे। भाग गये।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)--

माननीय मंत्री जी ने थोड़े से समय में मुल्जिमान को पकड़ लिया तो इसके लिये उनको बधाई दे दूं। वैसे मालूम नहीं कि वह असली है या नकली। वह तो बाद में पता चलेगा। क्या माननीय मंत्री जी इस बात की मालूमात करेंगे कि वह क्रिमिनल्स किसी आर्गनाइज्ड गैंग के मेम्बर हैं या आउट साइडर हैं ?

श्री लक्ष्मण सिंह--

मान्यवर, इन सभी बातों की जांच की जायगी। कल ही वह पकड़े गये हैं। अभी इतनी सूचना नहीं है।

श्री बलदेव (जिला वाराणसी)--

क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि सबसे अधिक रुपया जिस झोले में था उसी को डाकुओं ने छीना तो उस झोले में भर्ती के समय यह अनैतिक काम करने वाले वहां मौजूद थे ? इसकी भी जांच करवायेंगे ?

श्री लक्ष्मण सिंह--

इसकी भी जानकारी की जायगी।

श्री वीरेन्द्र चतुर्वेदी (जिला देवरिया)--

मैं निवेदन करूंगा कि माननीय मंत्री जी के वक्तव्य से एक संदेहात्मक स्थिति उत्पन्न हो रही है कि दो लूटेरे आये बड़े इतमीनान से और जिस बैग में काफी रुपये थे उसको लेकर भाग गये। न गोली चली न कुछ और हुआ। इस संदेहात्मक स्थिति को देखते हुये कि इसमें उन कर्मचारियों का भी हाथ हो सकता है इसकी गुप्तचर विभाग से जांच कराने का आश्वासन मंत्री जी इस सदन में देंगे ?

श्री अध्यक्ष--

इसका उत्तर वह दे चुके हैं।

श्री खान गुफरान जाहिदी (जिला फतेहपुर)--

मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि ५० रुपये का नोट मिला, तो क्या यह वही नोट है जो चोरी गया और क्या नोटों का नंबर नोट किया जाता है ?

श्री अध्यक्ष--

यह तो जांच का विषय है।

श्री लक्ष्मण सिंह--

यह सूचना आयी है कि जहां पिस्तौल और कारतूस और दूसरी चीजें मिली वहां ५० रुपये का नोट मिला है एक ही नोट था यह नहीं कहा जा सकता । एक एक के और२ दस दस के भी नोट थे ।

श्री अध्यक्ष--

रवीन्द्र जी आप बैठ जायं । उन्होंने कहा कि जांच करा रहे हैं । डाकुओं को पकड़ लिया गया है । अब इस पर नहीं ।

सरकारी नौकरियों में पिछड़ी जातियों के लिये १५ प्रतिशत स्थान आरक्षित किये जाने के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत होने वाली चर्चा का स्थगन

श्री अध्यक्ष--

इसमें मैं दस-दस मिनट का समय निश्चित करता हूं ।

(श्री शम्भू नाथ चौधरी का नाम पुकारे जाने पर)

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)--

हमारे माननीय नेता चन्द्रशेखर आये हुए हैं और दो प्रोग्राम उनके लगे हुए हैं । हमारे साथी शम्भू नाथ चौधरी की लड़की की कल शादी है इसलिये इसको २७ तारीख तक के लिये स्थगित कर दिया जाय तो बड़ी कृपा होगी ।

श्री अध्यक्ष--

आज सवा ६ बजे तक यह चल जाय । बाकी फिर ले लूंगा । एक घंटा इसको आज लिये लेता हूं ।

श्री उदित नरायन (जिला हमीरपुर)--

यह प्रश्न जिसे आप लेना चाहते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है । मैंने भी इस विषय पर १०३ के अन्तर्गत एक प्रस्ताव दे रखा है लेकिन स्वाभाविक है उसे आप स्वीकार नहीं करेंगे क्योंकि इसी सत्र में उस विषय पर आज चर्चा होने जा रही है।इस पर सारे सदन को, बिना लिहाज किसी दल के, कोई हल निकालना चाहिये और ठंडे दिल से सारे मसले पर गौर करना चाहिये जिससे जन मानस को यह मालूम हो सके कि इस विधान सभा का इस विषय पर क्या मत है और वह मत तभी मालूम हो सकेगा जब इस विषय पर चर्चा किसी प्रस्ताव के रूप में होगी । इस विषय पर बोलने में काफी मसले आयेंगे जैसे काका कालेलकर की रिपोर्ट, कांस्टीट्युएंट असेम्बली में जो बहस हुई वह बहस अगर इन तमाम चीजों पर प्रकाश डाला जायगा तो २ घंटे की बहस में कितने सदस्य बोल सकेंगे ? इस तरह से कितनी बातें आपके सम्मुख आ सकेंगी और इस विषय पर कितने पहलू रखे जा सकेंगे । यह केवल एक फर्ज अदायगी हो जायगी कि हमने इस विषय पर चर्चा कर ली । समय की जो मांग है और इससे जनहित और अहित होने वाले हैं, जितनी खून खराबी होती जा रही है, इस सब को देखते हुए आप कृपा कर इस बात पर फिर से विचार कर लें और ऐसा समय निर्धारित किया जाय जिसमें लोग अच्छी तरह से बोल सकें और लोगों को मालूम हो कि कि आखिर इस विधान सभा का इस विषय पर क्या मत है ।

श्री अध्यक्ष—

इस सम्बन्ध में एक विधेयक पेश करने की अनुमति डाक्टर राकेश चतुर्वेदी को दी गई है। उनका विधेयक ह जाति उन्मूलन और उसके अन्तर्गत आरक्षण का आधार क्या हो इसे भी रखा गया है। उसको स्वीकृत किया जा चुका है। 17 मई को उस पर विवाद होगा और मैं चाहूंगा कि उस पर विवाद काफी विस्तार से हो ताकि अधिकांश सदस्यों को अपना मत प्रकट करन का मौका मिले। नियम 52 के अन्तर्गत जब मैंने इसे स्वीकार किया था उस समय मेरे सामन कोई ऐसा प्रश्न नहीं था। उससे पहले ही यह प्रश्न उपस्थित हो गया था जिसमें मैंने दो घंट की चर्चा स्वीकार की। उदित नारायण शर्मा से मैं सहमत हूं, यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें लोगों की भावना भी प्रज्वलित हो सकती है। तो म सभी सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि चूंकि मन इसे आज ले लिया है इसमें केवल सवा ६ बजे तक विवाद चलेगा और एक घंटे या इससे अधिक भी विवाद म परसों ले सकता हूं।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

व्यवस्था का मेरा प्रश्न यह है कि अब १७ को ही इस पर विवाद हो जाय और अब इस पर विवाद करने से कोई फायदा नहीं निकलेगा।

श्री अध्यक्ष—

व्यवस्था का प्रश्न इसमें निहित नहीं है। नियम ५२ में इसे मैं स्वीकार कर चुका हूं। अगर शम्भूनाथ जी चाहते हों कि इस पर विवाद न हो तो म इस पर सोच सकता हूं।

श्री उदित नरायन—

श्रीमन्, इसी व्यवस्था के बारे में बात और सुन लें। मेरा निवेदन यह है कि बिल के ऊपर जब बहस होगी और उसमें मतदान होगा लेकिन जो विषय आज प्रस्तुत है उसके ऊपर बिल म मतदान नहीं होगा। विशेष विषय पर माननीय सदस्यों की क्या राय है इसका इजहार उसके जरिये हो सकेगा यह सम्भव नहीं है। वह दूसरा विषय होगा। वह विषय इसका कोलेटरल हो सकता है लेकिन असली विषय यह है जिस पर सदस्यों की राय जाहिर होनी है। बिल जो है उसमें धारायें होगी उसमें जातपात तोड़ो का विषय भी होगा उस पर मतदान होगा। लेकिन यह नहीं हो सकता है कि आरक्षण का क्या स्वरूप हो, उसका क्या आधार हो इस पर मत लिये जावें इसमें किसी को कोई एतराज नहीं है कि आरक्षण हो। इस विषय पर विशेष रूप से सदस्यों का ध्यान केन्द्रित है, उस पर मत व्यक्त करना है। दूसरी बातें उस बिल में आयेंगी।

श्री अध्यक्ष—

यह प्रश्न बिलकुल पृथक पंडित जी ने रखा है। जब खंडों पर मतदान होता तो जो प्रश्न आपने किया है उसका समावेश उसमें हो जाता है। खंडों पर भी सुझाव आयेंगे। आरक्षण का आधार क्या हो, बिल को मैंने देखा है। लेकिन आपका सुझाव पृथक है। अगर यह सदन इस प्रश्न के सारे पहलुओं पर विचार करना चाहे तो उसके लिए सदन सक्षम है। इस प्रश्न को तभी लिया जा

[श्री अध्यक्ष---]

सकता है जब इस सम्बन्ध में नेता सदन और विरोधी पक्ष के लोगों से मैं परामर्श कर लूं तब उसके लिए कोई समय निकाला जा सकेगा। इसलिए इस वक्त जो समय रखा है अगर श्री शम्भू नाथ चौधरी लेना चाहेंगे तो उस पर बहस होगी और अगर चाहेंगे कि स्थगित कर दिया जाय तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।

श्री शम्भू नाथ चौधरी (जिला बलिया)---

दो रोज चला दीजिये, क्या हर्ज है ? आज शुरू हो जाय फिर शेष २७ तारीख को हो जाय।

श्री अध्यक्ष---

आप के यहां शादी है ?

श्री खान गुफरान जाहिदी---

आपने कहा कि नेता सदन और विरोधी पक्ष के लोगों से बैठकर बहस करके राय कायम की जायेगी...

श्री अध्यक्ष---

आज का प्रश्न इस सवाल से बिलकुल जुदा है। अगर इसमें कोई कंसेसन हुआ तो मैं इस के लिए समय निश्चित कर लूंगा। लेकिन आज जो श्री शम्भूनाथ चौधरी जी का प्रस्ताव है इसको हटाने का सवाल सामने नहीं है।

डाक्टर अश्विनी कुमार चतुर्वेदी, 'राकेश' (जिला कानपुर)---

मान्यवर, आपने मेरे बिल का यहां उल्लेख किया है। श्री शम्भूनाथ जी का आरक्षण का प्रश्न और जात-पात उन्मूलन विधेयक दोनों में कहीं कोई सामन्जस्य है मैं यह बात स्वीकार करता हूं। आरक्षण का प्रश्न भी जातपात उन्मूलन विधेयक में समाविष्ट है। लेकिन फिर भी मैं इस बात को देखते हुए कि आज सारे प्रदेश में आरक्षण के प्रश्न को लेकर कहीं न कहीं, कुछ न कुछ गड़बड़ियां हो रही हैं। वैसे तो वह बिल आपके सामने है जो चार खंडों में है। उसमें केवल आरक्षण ही नहीं है और न उसमें मैं राकेश चतुर्वेदी रहूंगा और न श्री कालो चरण कालो चरण रहेंगे। आरक्षण का प्रश्न इस समय उलझा हुआ है। हम भी मानते है कि आरक्षण होना चाहिये। आप इस प्रश्न को जो आरक्षण का है जिसे शम्भूनाथ जी ने पेश किया है उसे एक दिन २७ तारीख के लिए विचार के लिए रख दें। इस पर बहस आज शुरू कर दें तो बड़ी कृपा होगी आज इस पर बोलना शुरू कर दें और २७ तारीख को चलने दें।

श्री अध्यक्ष---

इस सम्बन्ध में मैंने कहा कि आज के लिए मैंने चर्चा स्वीकार की है। अगर शम्भूनाथ चौधरी जी इसमें राजी हों तो मैं इसे मुलतवी करूंगा वरना नहीं। एक सुझाव यह है कि इस प्रश्न के सारे पहलुओं पर विचार करने के लिए एक पूरे दिन का समय रखा जाय। शम्भूनाथ जी अगर आप इससे सहमत हों तो मैं इसको स्थगित कर सकता हूं।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

जैसा राकेश चतुर्वेदी जी ने कहा, यदि २७ तारीख का दिन सबके लिए रखते हैं, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है ।

श्री अध्यक्ष—

यह तो १७ मई के लिए है ।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

इसमें तो बहुत दिन हो जाएगा ।

श्री शतरुद्र प्रकाश (जिला वाराणसी)—

श्रीमन्, आरक्षण का सवाल एक जलते हुए सवाल की तरह है और इस पर विधान सभा को शीघ्र विचार करना चाहिए । इस पर यदि १७ तारीख को विचार होगा, तो तब तक काफी इसमें देर हो जाएगी । इस सम्बन्ध में रोज की रोज दुखद घटनाएं हो रही हैं, ऐसी हिंसक घटनाएं हो रही हैं, जिनको हम लोग चाहते हैं, न घटें । इसलिए बहस के बाद विधान सभा से कोई ऐसी बात निकलती है, जिसमें नवयुवकों को कोई दिशा मिले तो हिंसक घटनाएं रुक सकेंगी । इसलिए मेरा निवेदन है कि अब २७ तारीख को दिन भर इस सवाल पर चर्चा हो । १७ मई के बजाए २७ या २८ अप्रैल को आप इस पर चर्चा करवा लें, तो ज्यादा अच्छा होगा । इस प्रश्न को टालना नहीं चाहिए ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

अब इसमें कोई नई बात नहीं है, आपका प्रस्ताव तो सामने है । इस प्रश्न पर जब तक कार्य मंत्रणा समिति की बैठक नहीं होगी, मैं नहीं कह सकता हूं कि कब समय देंगे, क्योंकि २९ तारीख तक पूरे मध्याह्न का कार्य निश्चित है । अतः यह बहस तो ५ बजे के बाद ही हो सकती है । यदि लोगों की राय है कि इस पर पूरे दिन बहस हो तो उसका मतलब है कि ४ घंटे की इस पर बहस हो । तो मैं कार्य मंत्रणा समिति की बैठक बुलाकर इस पर निश्चय कर लूंगा और शम्भूनाथ जी, आज इस विषय पर बहस रोकना उचित होगा, मैं कार्य मन्त्रणा समिति की बैठक बुलाकर निर्णय ले लूंगा ।

श्री उदित नरायन—

श्रीमन्, जब आप कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में इसे ला रहे हैं, तो मेरे प्रस्ताव पर भी विचार कर लें ।

श्री अध्यक्ष--

यह इस तरह नहीं । यह इसका अवसर नहीं है । अब हम उठते हैं और कल फिर ११ बजे मिलेंगे ।

(इसके बाद सदन ५ बजकर २७ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

लखनऊ :
२५ अप्रैल, १९७८ ।

सत्य प्रिय सिंह,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

विधान सभा सचिवालय

नत्थी 'क'

(देखिये नियम २६(४) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न संख्या ६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३४१ पर)

सर्वश्री--

१--नरायन सिंह, थानाध्यक्ष, बाबू पुरवा, कानपुर (नगर) ।

२--सूबेदार मेजर रामजी लाल, २ गार्ड्स, द्वारा ५६ ए० पी० ओ० ।

३--सिपाही ए/ए बलजीत सिंह, यूनिट कमान्ड अस्पताल (सीसी), लखनऊ ।

४--हरबंस नारायण, ग्राम जलीलपुर, थाना कोखराज, जिला इलाहाबाद

५--अहमद हसन, पुलिस अधीक्षक, इटावा ।

६--राम नाथ सिंह, निवासी मोहल्ला लुधियातपुर राठ, थाना राठ, जिला हमीरपुर ।

७--उदय राज सिंह, मोहल्ला लोहारबाग, थाना कोतवाली, जिला सीतापुर ।

८--जयपाल सिंह, डिप्टी कलेक्टर, पी-२, कलेक्टर्स कम्पाउन्ड, जिला बांदा ।

९--चन्द्रपाल सिंह, सहायक अभियोजन अधिकारी, मथुरा ।

१०--बलदेव सिंह रणधावा, मकान नं० २२, टेलीफोन एक्सचेन्ज के पीछे थाना लाल कुर्ती, जिला मेरठ ।

११--रवि करण सिंह, परगना मैजिस्ट्रेट, मौदहा, जिला हमीरपुर ।

१२--कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा पुत्र श्री नवाब सिंह कुशवाहा, ग्राम मकरन्दपुर थाना सजेती, जिला कानपुर ।

१३--सूबेदार आलम सिंह चिष्ट, तृतीय बटालियन, बार्डर स्काउट्स, द्वारा ५६ ए० पी० ओ० ।

१४--राम स्वरूप, निवासी ग्राम व पो० भैंसवाल, थाना शामली, जिला मुजफ्फरनगर ।

१५--संत लाल, परगना मैजिस्ट्रेट, बिन्दकी, फतेहपुर ।

१६--मोहिउद्दीन अहमद, मुस्लिम हास्टल, विश्वविद्यालय, इलाहाबाद ।

१७--जैदान सिंह यादव, ग्राम कोडर, थाना फरिहा, जिला मैनपुरी ।

१८--शिव सेवक दीक्षित, बमहउरा हाउस, ग्रीकगंज, सीतापुर ।

१९--ताल सिंह, निवासी ग्राम भनेडीजट, डा० भान्जू, जिला मुजफ्फरनगर ।

२०--सुल्तान सिंह उपाध्याय, पुलिस इन्सपेक्टर, थाना अजीतमल जिला इटावा ।

२१--राज कुमार, डिप्टी कलेक्टर, कानपुर ।

सबंधी—

२२—रामेन्द्र नारायण पान्डे, उप पुलिस अधीक्षक, सतर्कता अधिष्ठान, कानपुर ।

२३—राजेन्द्र नारायण रजौरिया, सिटी मैजिस्ट्रेट, इलाहाबाद ।

२४—रामेन्द्र कुमार त्रिपाठी, मौजा भर्रापुर अधासी, थाना फफूंदा, जिला इटावा ।

२५—हाकिम राय, पुलिस इन्सपेक्टर, पुलिस स्टेशन कोतवाली, बरेली ।

२६—कैं० गिरधारी लाल नैथानी, बंगाल इन्जीनियर ग्रुप एन्ड सेन्टर रुड़की, नेहरू नगर, रुड़की, जिला सहारनपुर ।

२७—केवल राम, ग्राम वेहड़ा सादात, पो० आ० तीसा, थाना भोपा, जिला मुजफ्फरनगर ।

२८—मेजर रविन्द्र कुमार सेखरी, १४-ए, ई० सी० रोड, देहरादून ।

२९—शिव राज सिंह सिरोही, सब इन्सपेक्टर, पुलिस कन्ट्रोल रूम, मेरठ ।

३०—राजेश कुमार शुक्ला, ममेड़ी, हमीरपुर, थाना/तह० तथा जिला हमीरपुर ।

३१—अक्षयवर पान्डे, सब इन्सपेक्टर, थाना महानगर, लखनऊ ।

३२—भूपेन्द्र सिंह अत्री, ए-१९ एस० एन्ड सी०, आफिसर्स कालोनी, फतेहगंज पश्चिमी, बरेली ।

३३—मेहेन्द्र सिंह यादव, सेनानायक छठीं वाहिनी, पी० ए० सी०, मेरठ ।

३४—हकीमुद्दीन, मु० मौदहा, पो० आ० रंगौल, हमीरपुर, जिला हमीरपुर ।

३५—ले० जनरल डी० के० चन्दोरकर, जी० ओ० सी० कार्प्स, द्वारा ५६ ए० पी० ओ० ।

३६—शिव नरेश मिश्र, चेयरमैन, टाउन एरिया, करेटी राजापुर, जिला बदां

३७—महेश चन्द्र शर्मा, सब इन्सपेक्टर पुलिस, पुलिस थाना जूही, कानपुर ।

३८—नरेन्द्र सिंह, आर्डिनेन्स आफिसर, २९९, काछीपुरा, आगरा कैंट ।

३९—हरी कृष्ण, मो० जवाहर नगर, थाना गुरसहायगंज, फर्रुखाबाद ।

४०—जयकरन सिंह, उप निरीक्षक पुलिस, सतर्कता अधिष्ठान, कानपुर ।

४१—बलबीर सिंह, परगना मैजिस्ट्रेट, मोजनीपुर, कानपुर ।

४२—कुदरत सिंह, लाल गेट, फर्रुखाबाद ।

४३—गिरवर लाल, सहायक अभियन्ता, सा० नि० वि०, प्रान्तीय खंड, एटा ।

सबंधी--

४४--रवीन्द्र सिंह चौहान, ग्राम अयाना, थाना अजीतमल, परगना औरैया, जिला इटावा ।

४५--श्याम सुन्दर मिश्रा, राजापुर, जिला बांदा ।

४६--राम पाल कटियार, निवासी ग्राम खेतहरा, थाना मलावां, जिला हरदोई ।

४७--डा० अजीत सिंह बेदी, निवासी ग्राम व पोस्ट पुरकाजी, जिला मुजफ्फरनगर ।

४८--मेजर हरमेन्द्र सिंह, हेड क्वार्टर ६, माउन्टेन डिवीजन, द्वारा ५६ ए० पी० ओ० ।

४९--रजीउद्दीन, उप पुलिस अधीक्षक (नगर), इलाहाबाद ।

५०--अजयपाल सिंह, ग्राम जगतपुर, थाना भोगांव, जिला मैनपुरी ।

५१--मान सिंह आजाद, बड़ा चांदगंज, थाना महानगर, लखनऊ ।

५२--राम सिंह यादव, ग्राम नगरा इमलिया, थाना मारहटा, जिला एटा ।

५३--कैप्टन पी० आई० के० सिंह, ३५६ हेड क्वार्टर, सी० ए० ओ० सी०, द्वारा ५६ ए० पी० ओ० ।

५४--भीम सिंह तोमर, सब इन्सपेक्टर पुलिस, थाना नाका हिन्डोला, लखनऊ ।

५५--भगवान सिंह वर्मा, ग्राम होतेपुर, थाना कम्पिल, जिला फर्रुखाबाद ।

५६--देवेन्द्र बहादुर सिंह, ग्राम चैनपुरवा, पो० तुलसीपुर, जिला गोंडा ।

५७--सूबेदार सिंह, जी० टी० रोड, बेबर, जिला मैनपुरी ।

५८--वीरपाल सिंह, निवासी ग्राम अकोड़ी, थाना एटे, जिला जालौन ।

५९--जहूर हसन, ग्राम बराला, थाना कैराना, जिला मुजफ्फरनगर ।

६०--विनोद कुमार मेहरा, निवासी ग्राम हसनपुर लुहारी, थाना भवन, जिला मुजफ्फरनगर ।

६१--हबीबुल्ला खां, निवासी ग्राम व पो० बुतरारा थाना शामली, जिला मुजफ्फरनगर ।

६२--महेन्द्र कुमार शुक्ला, थानाध्यक्ष तिंदनारी, जिला बांदा ।

६३--ज्वाला प्रसाद कुरील, ३/२५, गोविंद नगर, नगर महापालिका कालोनी, कानपुर ।

६४--ले० क० बलदेव सिंह पंवार, आफिसर कमांडिंग, ४३ यू०पी० बटालियन एन० सी० सी० ।

६५--असगर अली, निवासी ग्राम व पो० बुढराडा, जिला मुजफ्फरनगर ।

६६--वेद प्रकाश कुमार, ३५/२ गांधी कालोनी, मुजफ्फरनगर, यू० पी० ।

सर्वश्री—

६७—कै० कमाल अहमद, ५ आर्म्ड वर्कशाप कम्पनी, ई० एम० ई० द्वारा ५६ ए० पी० ओ० ।

६८—हरपाल सिंह निवासी ग्राम अलीपुर, थाना कैराना, जिला मुजफ्फरनगर ।

६९—कान्ती प्रसाद त्यागी, २८ काशी राम स्ट्रीट, खतौली, जिला मुजफ्फरनगर ।

७०—ओम पाठक पुत्र श्री एल० एल० पाठक, जिला मैजिस्ट्रेट, एटा ।

७१—कुशलपाल सिंह, ग्राम कुढ़ी, थाना खैरगढ़, जिला मैनपुरी ।

७२—राम स्वरूप सिंह, ग्राम दामोदरपुर, थाना मूसानगर, जिला कानपुर ।

७३—ले० कर्नल चन्द्र प्रकाश, कमान्डेन्ट, सी० ओ० डी०, आगरा ।

७४—सरदार प्रीतम सिंह, अध्यक्ष, गोविन्द मोटर फाइनेंस (पी), लिमिटेड ।

७५—बच्चू सिंह, निवासी ग्राम व पो० महाव, थाना स्याना, जिला बुलन्दशहर ।

७६—तसद्दुक हुसेन खां, निवासी ग्राम जमुरा, थाना मझिला, जिला हरदोई ।

७७—मेजर अशोक कुमार, १६६/ई, डिफेंस कालोनी, जाजमऊ, कानपुर ।

७८—सोबरन सिंह, थानाध्यक्ष, थाना जसराना, जिला मैनपुरी ।

७९—अखिलेश्वर प्रसाद द्वारा इन्टर प्राइजेज, गुरुद्वारा रोड, गांधीनगर, सीतापुर ।

८०—गंगा बक्स सिंह, मोहल्ला लोहारबाग, थाना कोतवाली, जिला सीतापुर ।

८१—विशम्भर नाथ, उप पुलिस महानिरीक्षक, कानपुर रेंज, कानपुर ।

८२—परम सिंह, जिला आबकारी अधिकारी, सीतापुर ।

८३—ओम प्रकाश, ग्राम यारपुर, थानाध्यक्ष, जिला मुजफ्फरनगर ।

८४—आशा राम बधा, ३१-ए/७, गांधी कालोनी, मुजफ्फरनगर ।

८५—जंग बहादुर सिंह ग्राम छतौनी, थाना अलरौला, जिला आजमगढ़ ।

८६—हरि बहादुर प्रधान, डिप्टी कलेक्टर, मेरठ ।

८७—ननके सिंह, थानाध्यक्ष, मुस्तफाबाद, जिला रायबरेली ।

८८—महाबीर सिंह यादव, नोली हरनामपुर, पो० खास, थाना वजीरगंज, बदायूं ।

८९—जगतार सिंह, ग्राम शाहपुर, थाना मीरनपुर, जिला मुजफ्फरनगर ।

९०—मेजर अविनाश कपिल, हेड क्वार्टर्स, १४ इन्फैन्ट्री डिवीजन, द्वारा ५६ ए० पी० ओ० ।

सर्वश्री—

९१—हाकम सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, अलीगढ़ ।

९२—बलवन्त सिंह, ग्राम धूलापुर, थाना सराय आकिल, जिला इलाहाबाद ।

९३—राजबल वर्मा, सहायक निदेशक, फिशरीज (ट्रेनिंग), चिनहट, लखनऊ ।

९४—मोहन सिंह, पुलिस इन्सपेक्टर, थाना डालनवाला, जिला देहरादून ।

९५—सूर्यपाल सिंह, ग्राम—मउवा, थाना अल्लापुर, जिला बदायूं ।

९६—डा० लक्ष्मीकान्त निगम, १६/६६, सिविल लाइन्स, कानपुर ।

९७—प्रदीप सुन्दर नरायन सिंह, लक्ष्मी निवास, रेलवे रोड, हापुड़, जिला गाजियाबाद ।

९८—बिजेन्द्र पाल सिंह, निवासी ग्राम फरीदपुर खुशहाल, थाना बहजोई, जिला मुरादाबाद ।

९९—विशुन कुमार अवस्थी, सरवाजी, टोला बिस्वा, जिला सीतापुर ।

१००—गिरीराज सिंह, निवासी ग्राम सुन्दरपुर, थाना बिहारीगढ़, जिला सहारनपुर ।

१०१—श्याम सुन्दर अवस्थी, निवासी ग्राम व पो० मानपुर, जिला सीतापुर ।

१०२—प्रेमचन्द्र केसरवानी, ग्राम व थाना मंझनपुर, जिला इलाहाबाद ।

१०३—चन्द्रभाल सिंह (सेवा निवृत्त), ४२, बाई का बाग, इलाहाबाद ।

१०४—फूल सिंह बघौरिया, सब इन्सपेक्टर, पुलिस कोतवाली, कैसरबाग, लखनऊ ।

१०५—कुंवर सतेन्द्र सिंह, ४७, टैगोर टाउन, इलाहाबाद ।

१०६—मन्ती लाल शुक्ला, जूनियर इन्जीनियर द्वारा सब डिवीजन आफिसर, ग्रामीण विद्युतीकरण सब डिवीजन निकट कोतवाली, जिला सीतापुर ।

१०७—वीरेन्द्र कुमार चौहान, अधिशासी अभियन्ता, विद्युत् परीक्षण एवं वाणिज्य खंड ।

१०८—महेन्द्र प्रसाद शर्मा, सब इन्सपेक्टर, पुलिस, कोतवाली, मैनपुरी ।

१०९—सुभाष चन्द्र द्विवेदी, प्राध्यापक, आ० हि० इन्टर कालेज, करहल, मैनपुरी ।

११०—विश्वनाथ सिंह सेंगर, ९, तिलक नगर, औरैया, इटावा ।

१११—कैप्टेन सन्धूर सिंह, ८ जे० एन्ड के० राइफल, सी० ओ० डी०, आगरा ।

११२—रंजीत मलिक, १४/१८, ताशकंद मार्ग, इलाहाबाद ।

११३—लाजपति सिंह, मो० खटागी, थाना पूरा मुफ्तीलो, इलाहाबाद ।

११४—सच्चिदानंद, सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, बसखारी, फैजाबाद ।

सर्वश्री--

११५--हाकिम सिंह यादव, ग्राम नगला आडेलाल, थाना भरथना, जिला इटावा ।

११६--स्कै० लीडर वीरेन्द्र सिंह, सजवान, १२ स्क्वैड्रन, एयरफोर्स द्वारा ५६ ए० पी० ओ० ।

११७--श्याम प्रकाश गुप्ता, मौजा उमरैन, थाना एरवा कटरा, जिला इटावा ।

११८--जौहरी लाल त्रिवेदी, ग्राम व पो० जामू, जिला कानपुर ।

११९--कैलाश बाबू यादव, कटरा साहब खां, इटावा ।

१२०--कृष्णकान्त पांडेय, सब इन्सपेक्टर पुलिस, थाना अजीतमल, जिला इटावा ।

१२१--महिपति सिंह चौहान, उप पुलिस अधीक्षक, क्षेत्र चौक, लखनऊ ।

१२२--देवी दयाल सिंह, फतेहपुर, स्टोन मिल भरतपुर, थाना करवी, जिला बांदा ।

१२३--राजीव कुमार सिंह, सिटी मैजिस्ट्रेट, जिला शाहजहांपुर ।

१२४--ले० कर्नल आर० पी० मोहन, मिलिट्री हास्पिटिल, मेरठ कैन्ट, मेरठ ।

१२५--हाजी शमशाद अहमद, बुड्ढा खेड़ा, पो० खास, थाना चिलकाना, जिला सहारनपुर ।

१२६--धीरेन्द्र सिंह, थानाध्यक्ष, सदर मेरठ, जिला मेरठ ।

१२७--सुरेन्द्र सिंह, थानाध्यक्ष, थाना नई मंडी, जिला मुजफ्फरनगर ।

१२८--राजवीर सिंह, ग्राम अमपुर, पो० आ० दरवेशपुर, थाना परीक्षतगढ़ जिला मेरठ ।

१२९--जग सोरन सिंह, निवासी ग्राम व पो० महाव, थाना स्याना, जिला बुलन्दशहर ।

१३०--कृष्ण दत्त सिंह पुत्र श्री वंश गोपाल सिंह, उप पुलिस अधीक्षक, मिर्जापुर ।

१३१--जगत नरायन, जगत प्रिंटिंग प्रेस, गांधी नगर, जिला सीतापुर ।

१३२--धर्मवीर सिंह, निवासी ग्राम इस्माइलपुर, थाना चांदपुर, जिला बिजनौर ।

१३३--दर्शन सिंह यादव, ९४, बृजराजनगर, भरथना, इटावा ।

१३४--डा० रोशन सिंह सोढ़ी, लवली काटेज, १३३, न्यू आगरा, आगरा ।

१३५--गंगा सिंह अहीरिया, बी० ३/६ सी० आई० डी० कालोनी, महानगर, लखनऊ ।

१३६--आनन्द स्वरूप बरगोली, डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट, पुलिस, सी० आई० डी०, यू० पी०, लखनऊ ।

सर्वश्री—

१३७—साऊं राम सम्पादक, विज्ञा गजेटियर विभाग, नवाहर भवन, लखनऊ ।

१३८—मोहम्मद अफजल, मोहल्ला काजिम ताहिरपुर, पोस्ट मऊनाथ भंजन, जिला आजमगढ़ ।

१३९—किशोर सिंह चौहान, यू०-५/१ बादशाहनगर कालोनी, लखनऊ ।

१४०—ओम प्रकाश, पुलिस अधीक्षक, अभिसूचना विभाग, मुख्यालय, १-गोखले मार्ग, लखनऊ ।

१४१—लज्जाराम, मौजा कचुआ, थाना चौबिया, जिला इटावा ।

१४२—जितेन्द्र पाल सिंह उर्फ जिली, निवासी मोहल्ला चौमुखापुल, चर्च के पीछे, जिला मुरादाबाद ।

१४३—रवीन्द्र सिंह भदौरिया, ७ सरोजनी नायडू मार्ग, थाना हुसैनगंज, लखनऊ ।

१४४—कामेश्वर उपाध्याय, ग्राम बबई, जिला बेवरिया ।

१४५—शरणवीर सिंह, ग्राम अमरसिंहपुर, थाना परिक्षतगढ़, जिला मेरठ ।

१४६—सिया राम शुक्ला, निवासी ग्राम सिधौरा खरगपुर, थाना बिलसंडा-जिला पीलीभीत ।

१४७—उदयनाथ, ग्रा०/पो० चिरईगांव, थाना चौबेपुर, जिला वाराणसी, यू० पी० ।

१४८—करन सिंह, निवासी ग्राम व पो० मोहम्मदपुर बबई, जिला मुरादाबाद (यू० पी०) ।

१४९—अमीर हुसैन, निवासी ग्राम महमदाबाद, थाना हल्दौर, जिला बिजनौर ।

१५०—सुरेन्द्र पाल सिंह, ग्राम गुनारसी, थाना देवबन्द, जिला सहारनपुर ।

१५१—लताफत हुसेन खां, निवासी ग्राम जमुरा, थाना मंझिला, जिला हरदोई ।

१५२—जय प्रकाश यादव, सब-इन्सपेक्टर आफ पुलिस, थाना कोतवाली, जिला बांदा ।

१५३—मदन पाल सिंह, निवासी ग्राम सुन्हेटी खरखड़ी, पो० हरौदा, थाना नामल, जिला सहारनपुर ।

१५४—श्याम किशोर श्रीवास्तव, डिप्टी कलेक्टर, उत्तर काशी ।

१५५—जगदीश चन्द्र कैलानी, ८ अरुणानगर, थाना कोतवाली, एटा ।

१५६—मदन मोहन सिंह, अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट, बरेली ।

१५७—राव मोहम्मद नईम खां, हैन बैन नर्सरी, जिला सहारनपुर ।

सर्वश्री--

१५८--मुलायम सिंह यादव, ७, ओल्ड भोगुर्जी, इटावा ।

१५९--मेजर देव कुमार नंदी, हेडक्वार्टर इलाहाबाद सब-एरिया, इलाहाबाद ।

१६०--राम चरन शाह, ग्राम सिमाही, तहसील निघासन, जिला खीरी ।

१६१--कैलाश नाथ गिरि, निवासी बेली, थाना गोसाईगंज, जिला लखनऊ ।

१६२--मेजर दीप नारायण पान्डे, १७५-सुभाषनगर, थाना कैन्टूनमेन्ट, जिला गोरखपुर ।

१६३--हनुमान प्रसाद तिवारी, ग्राम पूरेशिवा, बख्तावार, कोतवाली शहर, जिला गोन्डा ।

१६४--रणजीत सिंह, वरिष्ठ उद्यान निरीक्षक, राजकीय उद्यान, लखनऊ ।

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या ३१ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३५९ पर)

उत्तर प्रदेश सरकार

राज्य सम्पत्ति अनुभाग–१

संख्या ई–१०६१५/३२–७६

लखनऊ, दिनांक १६ अक्तूबर, १९७६

आरोप–पत्र

श्री गोविन्द सिंह,
चौकीदार (टेलीफोन अन्टेन्डेण्ट), निलम्बित,
बारहशफा, लखनऊ ।

आपके विरुद्ध एतद्द्वारा निम्नलिखित आरोप लगाये जाते हैं :

(१) आपकी ड्यूटी विधायक निवास–१ के 'सी' ब्लाक में बिन की चौकीदारी की थी । आप रोजाना अपनी ड्यूटी पर मौजूद न रह कर अपने घर अथवा चाय–पान की दुकानों पर बैठे रहते हैं ।

(२) आपने अपने सरकारी क्वार्टर में एक बाहरी व्यक्ति किराये पर रखा है जो कि अच्छे चाल–चलन का आदमी नहीं है ।

(३) आप रोज शराब पीकर सार्वजनिक रूप से अपने पड़ोसियों तथा उनके परिवार की महिला सदस्यों को अभद्र गालियां देते हैं, झगड़ा करते हैं तथा उनके खिलाफ अफवाहें फैलाते हैं ।

(४) आपने दिनांक १३ अगस्त, १९७६ की रात्रि में शराब पीकर सर्वश्री लालता सिंह, लखपत सिंह, त्रिलोकी, कृपाल दत्त इत्यादि को गालियां दी तथा अन्य पड़ोसियों के दरवाजों पर लातें मार–मार कर गालियां दी तथा आतंक का वातावरण खड़ा कर दिया ।

(५) आप जुआ खिलवाते हैं तथा विधायक निवास का वातावरण दूषित करते हैं ।

२––उक्त आरोपों के सम्बन्ध में जो साक्ष्य विचार किये जावेंगे वे निम्नलिखित है :

(१) सर्वश्री लालता सिंह, लखपत सिंह इत्यादि का प्रार्थना–पत्र ।

(२) व्यवस्थापक की रिपोर्ट दिनांक २३ अगस्त, १९७६ ।

३––आपको उल्लिखित आरोपों के सम्बन्ध में अपने बचाव के लिये एक लिखित बयान दिनांक २५ अक्तूबर, १९७६ तक देने की अपेक्षा की जाती है । आपको सचेत किया जाता है कि यदि आपसे उपर्युक्त बयान अधोहस्ताक्षरी को उल्लिखित निर्धारित समय के अन्दर प्राप्त नहीं हुआ तो यह समझ लिया जावेगा कि आपको कुछ नहीं कहना है और आपके मामले में आदेश प्रसारित कर दिये जावेंगे ।

४--आपसे यह भी अपेक्षा की जाती है कि आप अधोहस्ताक्षरी को लिखकर सूचित करें कि क्या आप चाहते हैं कि स्वयं को सुना जाय और यदि आप किसी गवाह से जिरह या प्रतिपरीक्षण करना चाहें तो आप लिखित बयान के साथ उनके नाम व पते बतावें तथा प्रत्येक गवाह क्या साक्ष्य देगा इस बात का संक्षेप रूप में संकेत दें ।

१६-१०-१९७६

(ह०) प्रमोद कुमार पाण्डेय,
राज्य सम्पत्ति अधिकारी ।

उत्तर प्रदेश सरकार

राज्य सम्पत्ति अनुभाग-१

संख्या ई-१०६१३/३२-७६

लखनऊ, दिनांक १६ अक्तूबर, १९७६

आरोप-पत्र

श्री लखपत सिंह,
टेलीफोन आपरेन्डेण्ट (निलम्बित),
दारुलशफा, लखनऊ

आपके विरुद्ध एतद्द्वारा निम्नलिखित आरोप लगाये जाते हैं :

(१) आपका एक सिन्धी लड़की से नाजायज सम्बन्ध है जो आपके सरकारी क्वार्टर में हमेशा आती है तथा आपके द्वारा इस लड़की से दारुलशफा में वेश्यावृत्ति करायी जाती है । आपके द्वारा दारुलशफा में शराब की सप्लाई की जाती है ।

(२) आप माननीय विधायकों के पास जाकर कार्यालय तथा अपने उच्चधिकारियों की निराधार शिकायतें करते हैं जो सरकारी कर्मचारियों के आचरण के विरुद्ध है ।

(३) आप गुमनाम शिकायतें भिजवाते हैं और इस प्रकार अनुशासन-हीनता का वातावरण पैदा करते हैं ।

(४) आप कर्मचारियों को अनुशासनहीनता करने के लिये भड़काते, उकसाते तथा धमकाते हैं ।

(५) आप जुआ खिलवाते हैं तथा विधायक निवास के वातावरण को दूषित करते हैं ।

(६) आपने साजिश करके दिनांक ६ सितम्बर, १९७६ को पुलिस को इस आशय की सूचना भिजवायी कि श्री तिलक सिंह के क्वार्टर में जुआ खेला जा रहा है जिसे पुलिस ने जांच करने पर गलत पाया इस प्रकार आपने एक साथी कार्मचारी को फसाने के लिये नाकामयाब साजिश की ।

(७) आपने दिनांक १० सितम्बर, १९७६ को कार्यालय में आकर उत्तेजित होकर अनर्गल, अशोभनीय तथा उल्टी-सीधी बातें कहीं तथा सचिवालय स्थित कार्यालय के भीतर रौद्र रूप में चिल्लाते हुये विभाग के सभी अधिकारी-कर्मचारियों को देख लेने की धमकी देकर चले गये ।

(८) आप इतने कर्जदार हैं कि आपको केवल लगभग ६० रु० वेतन मिलता है जो जीवन यापन के लिये अपर्याप्त है तथा आप अपनी आय सीमा से अधिक कर्जदार होते हुए भी विलासी जीवन व्यतीत करते हैं ।

२--उक्त आरोपों के सम्बन्ध में जो साक्ष्य विचार किये जावेगें वे निम्नलिखित हैं :

(१) श्री गोविन्द सिंह का प्रार्थना-पत्र ।
(२) श्री तिलक सिंह का प्रार्थना-पत्र ।
(३) व्यवस्थापक की रिपोर्ट, दिनांक २३ अगस्त, १९७६ ।
(४) अन्य सम्बन्धित कार्यालय अभिलेख ।

३--आपको उल्लिखित आरोपों के सम्बन्ध में आपने बचाव के लिये एक लिखित बयान दिनांक २५ अक्तूबर, १९७६ तक देने की अपेक्षा की जाती है । आपको सचेत किया जाता है कि यदि आपसे उपर्युक्त बयान अधोहस्ताक्षरी को उल्लिखित निर्धारित समय से अन्दर प्राप्त नहीं हुआ तो यह समझ लिया जावेगा कि आपको कुछ नहीं कहना है और आपके मामले में आदेश प्रसारित कर दिये जावेगें ।

४--आपसे यह भी अपेक्षा की जाती है कि आप अधोहस्ताक्षरी को लिखकर सूचित करें कि क्या आप चाहते हैं कि स्वयं को सुना जाय और यदि आप किसी गवाह से जिरह या प्रति परीक्षण करना चाहें तो आप लिखित बयान के साथ उनके नाम व पते बतावे तथा प्रत्येक गवाह क्या साक्ष्य देगा इस बात का संक्षेप रूप में संकेत दें ।

(ह०) प्रमोद कुमार पाण्डेय,
राज्य सम्पत्ति अधिकारी ।

उत्तर प्रदेश सरकार
राज्य सम्पत्ति अनुभाग-१
संख्या ई०-१०६१६/३२-७६
लखनऊ, दिनांक १६ अक्तूबर, १९७६

आरोप-पत्र

श्री लालता सिंह,
टेलीफोन अटेन्डेण्ट (निलम्बित),
दारुलशफा, लखनऊ ।

आपके विरुद्ध एतद्द्वारा निम्नलिखित आरोप लगाये जाते हैं :

(१) आपकी ड्यूटी विधायक निवास-१ के 'सी' ब्लाक में टेलीफोन पर थी । आपके द्वारा लोकल काल तथा ट्रंक काल का सरकारी पैसा

प्राप्त किया जाता है, जिसे आपको रोजाना रात्रि १० बजे डयूटी छोड़ने से पहले इन्क्वायरी आफिस में जमा कराने के आदेश हैं। आपने इस सरकारी पैसे को प्राप्त कर खजाने में जमा नहीं कराया है तथा उसका गबन किया है।

(२) आप माननीय विधायकों के पास जाकर कार्यालय तथा अपने उच्चाधिकारियों की निराधार शिकायतें करते हैं तथा गुमनाम शिकायतें भिजवाते हैं और इस प्रकार अनुशासनहीनता का वातावरण पैदा करते हैं।

(३) आप जुआ खिलवाते हैं, तथा विधायक निवास के वातावरण को दूषित करते हैं।

(४) आपने सरकारी टेलीफोन का प्रयोग कर दिनांक ६ सितम्बर, १९७६ को पुलिस को यह झूठी सूचना दी कि श्री तिलक सिंह के क्वार्टर में जुआ खेला जा रहा है जिसे पुलिस ने जांच करने पर गलत पाया।

२--उक्त आरोपों के सम्बन्ध में जो साक्ष्य विचार किये जावेगें वे निम्नलिखित हैं :--

(१) टेलीफोन रजिस्टर तथा व्यवस्थापक की रिपोर्ट, दिनांक १८ अगस्त, १९७६।

(२) श्री गोविन्द सिंह का प्रार्थना-पत्र।

(३) श्री तिलक सिंह का प्रार्थना-पत्र।

(४) व्यवस्थापक की रिपोर्ट दिनांक १५ अगस्त, १९७६।

३--आपको उल्लिखित आरोपों के सम्बन्ध में अपने बचाव के लिए एक लिखित बयान दिनांक २५ अक्तूबर, १९७६ तक देने की अपेक्षा की जाती है। आपको सचेत किया जाता है कि यदि आपसे उपर्युक्त बयान अधोहस्ताक्षरी को उल्लिखित निर्धारित समय के अन्दर प्राप्त नहीं हुआ तो यह समझ लिया जायगा कि आपको कुछ नहीं कहना है और आपके मामले में आदेश प्रसारित कर दिये जावेगें।

४--आपसे यह भी अपेक्षा की जाती है कि आप अधोहस्ताक्षरी को लिखकर सूचित करें कि क्या आप चाहते हैं कि स्वयं को सुना जाय और यदि आप किसी गवाह से जिरह या प्रतिपरीक्षण करना चाहें तो आप लिखित बयान के साथ उनके नाम व पते बतावें तथा प्रत्येक गवाह क्या साक्ष्य देगा इस बात का संक्षेप रूप में संकेत दें।

(ह०) प्रमोद कुमार पाण्डेय,
राज्य सम्पति अधिकारी।

नत्थी 'ग'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या १ तालिका का उत्तर पीछे पृष्ठ ३६१ पर)

तालिका—क

जुलाई, १९७७ से ३१ दिसम्बर, १९७७ तक उत्तर प्रदेश के प्रत्येक मंत्री, राज्य मंत्री तथा उप मंत्री द्वारा की गयी यात्राओं पर हुये यात्रा व्यय का विवरण [इसमें वायुयान (सर्विस प्लेन) द्वारा की गयी यात्रा भी शामिल है]।

क्रम-संख्या	नाम तथा पद	बिल द्वारा आहरित धनराशि जिसमें रेलवे/सर्विस प्लेन का किराया/कार के पेट्रोल का बिल सम्मिलित है	सर्विस प्लेन द्वारा की गयी यात्राओं का विवरण जिन पर व्यय की गयी धनराशि स्तम्भ ३ में सम्मिलित है		
			तिथि	स्थान	व्यय
१	२	३		४	
					रु०
१	श्री राम नरेश यादव, मुख्य मंत्री	६,०२९·५७	३–७–७७	दिल्ली से लखनऊ	१७०·००
			१२–८–७७	नियोवा के निकट बाढ़ग्रस्त एरिया का निरीक्षण	७७०·००
			४–९–७७	नई दिल्ली से लखनऊ	१७०·००
२	श्री राम प्रकाश, उद्योग मंत्री	१७,५१९·८०	..	..	..
३	श्री बलबीर सिंह, सिंचाई मंत्री	२३,०९२·३०	..	..	..
४	श्री सत्य प्रकाश मालवीय, स्वायत्त शासन मंत्री	३३,६७६·०७	३०–८–७७	लखनऊ से नई दिल्ली	१७०–००
			३१–८–७७	नई दिल्ली से लखनऊ	१७०·००
			१–११–७७	लखनऊ से नई दिल्ली	१७०·००
५	श्री रवीन्द्र किशोर शाही, विद्युत मंत्री	२५,१४३·५७	यह सूचना ३१ अक्तूबर तक की है। माह नम्बवर तथा दिसम्बर के यात्रा बिलों के विवरण सचिवालय प्रशासन (लेखा) विभाग को प्राप्त नहीं हुये हैं।		

६	श्री राजेन्द्र सिंह, कृषि मंत्री	२२,५४३·८५	२–११–७७	लखनऊ से दिल्ली	१७०·००
			४–११–७७	दिल्ली से लखनऊ	१७०·००
			२९–१२–७७	लखनऊ से दिल्ली	१७०·००
७	श्री मधुकर दिघे, वित्त मंत्री	२२,५३३·७५	२–१२–७७	लखनऊ से दिल्ली	१७०·००
८	श्री जमुना प्रसाद, ग्राम्य विकास मंत्री	१६,५५१·५५	४–७–७७	लखनऊ से दिल्ली	१७०·००
			५–७–७७	दिल्ली से लखनऊ	१७०·००
९	श्री हरिश चन्द्र, खाद्य मंत्री	४०,०१६·३५	..	..	..
१०	श्री गणेश दत्त बाजपेयी, श्रम एवं आबकारी मंत्री	२४,७३६·११	..	..	..
११	श्रीमती चन्द्रावती, गन्ना विकास मंत्री	२३,३०१·९१	३१–१२–७७	लखनऊ से दिल्ली	१७०·००
१२	श्री मुलायम सिंह यादव, सहकारिता मंत्री	१७,४९१·००	२४–७–७७	लखनऊ से दिल्ली	१७०·००
			२–११–७७	लखनऊ से दिल्ली	१७०·००
			२७–११–७७	लखनऊ से दिल्ली	१७०·००
			२०–१२–७७	लखनऊ से दिल्ली	१७०·००
			३१–१२–७७	लखनऊ से दिल्ली	१७०·००

उत्तर प्रदेश विधान सभा

१	२	३		४	
१३	श्री जगजीवन राम, हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री	२३,३०१·८०	९–११–७७	लखनऊ से दिल्ली	१७०·००
			१०–११–७७	दिल्ली से लखनऊ	१७०·००
			२७–१२–७७	दिल्ली से आगरा	८०·००
१४	श्री कालीचरण, शिक्षा मंत्री	१७,३९३·४५	..	..	..
१५	श्री केशरी नाथ त्रिपाठी, संस्थागत वित्त मंत्री	३१,१४६·२८	..	..	..
१६	श्री शारदा भक्त सिंह, राजस्व मंत्री	१५,४८३·६०	..	..	..
१७	श्री मोहम्मद मसूद, सा० नि० मंत्री	१८,८१२·९०	२–११–७७	लखनऊ से बम्बई वाया दिल्ली	५६०–००
			५–११–७७	बम्बई से दिल्ली	४४०·००
१८	श्री आबिद अली, परिवहन मंत्री	१८,८७९·९५	२८–७–७७	दिल्ली से लखनऊ	१७०·००
			२२–८–७७	दिल्ली से बम्बई	९८०·००
			२३–८–७७	बम्बई से पूना	
			२३–८–७७	पूना से बम्बई	
			२४–८–७७	बम्बई से दिल्ली	

उत्तर प्रदेश विधान सभा

१	२	३	४		
१९	श्री कल्याण सिंह, स्वास्थ्य मंत्री	१६,९८४·८०	..	..	..
२०	श्री शोबन सिंह जीना, पर्वतीय विकास मंत्री	१७,६६७·७०	..	..	..
२१	श्री श्रीचन्द, वन मंत्री	२८,८३१·७८	..	..	..
२२	श्री ओम प्रकाश सिंह, न्याय एवं कारागार	३६,२६१·९२	१४–११–७७	लखनऊ से दिल्ली	११८०·००
			१५–११–७७	दिल्ली से हैदराबाद	
			१५–११–७७	हैदराबाद से दिल्ली	
			१६–११–७७	दिल्ली से लखनऊ	
२३	श्री लक्ष्मण सिंह, राज्य मंत्री, नियोजन	२७,९७१·८०	१५–९–७७	दिल्ली से हैदराबाद	९५०·००
			१८–९–७७	हैदराबाद से दिल्ली	
			२४–९–७७	लखनऊ से दिल्ली	१७०·००
			३०–११–७७	लखनऊ से दिल्ली	१७०·००
			१७–११–७७	वाराणसी से लखनऊ	१२५·००

उत्तर प्रदेश विधान सभा

२४	श्री अवधेश प्रसाद, राज्य मंत्री, सूचना	१४,१८०·२०	..	..	..	
२५	श्री धीरेन्द्र सहाय, राज्य मंत्री, कृषि	१५,६८४·१०	..	..	..	
२६	श्री सूबेदार प्रसाद, राज्य मंत्री, ग्रामीण उद्योग	१८,६०२·६०	..	..	..	
२७	श्रीमती शकुन्तला नायर, राज्य मंत्री, विक्रीकर	१२,७१८·४०	२५–११–७७	नई दिल्ली से लखनऊ	५८०·००	
			२५–११–७७	बम्बई से औरंगाबाद		
			२५–११–७७	औरंगाबाद से दिल्ली		
२८	श्री रेवतीरमण सिंह, राज्य मंत्री, लघु उद्योग	२१,८११·६५	२३–८–७७	पटना से लखनऊ	१७५·००	
२९	श्री अब्दुल रऊफ लारी, उप मंत्री, हैण्डलूम	१२,४४६·५५	२०–१२–७७	लखनऊ से दिल्ली	१७०·००	
३०	श्री भगवती सिंह, उप मंत्री, आवास	१२,५१३·००	..	..	..	
३१	श्री शारदा प्रसाद रावत, उप मंत्री, सिंचाई	१०,३२८·६५	..	..	..	

उत्तर प्रदेश विधान सभा

३२	श्री सत्यदेव त्रिपाठी, उप मंत्री, पर्वतीय विकास	१४,११९·५०	१–६–७७	लखनऊ से दिल्ली	३४०·००	
			२–९–७७	दिल्ली से लखनऊ		
			१२–६–७७	लखनऊ से दिल्ली	१७०·००	
			१०–१०–७७	लखनऊ से दिल्ली	१७०·००	
			१०–११–७७	दिल्ली से लखनऊ	१७०·००	
			९–१२–७७	दिल्ली से लखनऊ	१७०·००	
			३०–१२–७७	लखनऊ से दिल्ली	१७०·००	
			२८–१२–७७	दिल्ली से लखनऊ	१७०·००	
३३	श्री कुंवर सत्यवीर, उप मंत्री, प्राविधिक शिक्षा	९,२१५·००	..	..	..	
३४	श्री बाबू लाल वर्मा, उप मंत्री, क्षेत्रीय विकास	१२,६२२·१५	..	..	..	
३५	श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल, उप मंत्री, जल सम्पूर्ति	१३,४०६·३५	..	..	..	
३६	श्री शिवदान तिवारी, उप मंत्री, पर्यटन	६,६३१·६०	..	..	..	

उत्तर प्रदेश विधान सभा

१	२	३	४		
३७	श्री मुख्तार अनीस, उप मंत्री, पशुधन	९,१३८·५०	११-९-७७	दिल्ली से अहमदाबाद	३००·००
			१३-९-७७	अहमदाबाद से दिल्ली	४४५·००
			१५-९-७७	दिल्ली से लखनऊ	
			२-१२-७७	लखनऊ से दिल्ली	१७०·००
३८	श्री छोटे लाल यादव, उप मंत्री, लघु सिंचाई	७,९८५·३५	..	..	..
३९	श्री तेज सिंह, उप मंत्री, चीनी मिलें	१४,२८६·६०	..	..	..
४०	श्रीमती मालती शर्मा, उप मंत्री, बेसिक शिक्षा	७,३९४·९०	..	..	..
४१	श्री चन्द्रशेखर सिंह, उप मंत्री, युवक कल्याण	९,८९३·४५	..	..	..

उत्तर प्रदेश विधान सभा

तालिका 'ख'

जुलाई, १९७७ से ३१ दिसम्बर, १९७७ तक की अवधि में मंत्रियों, राज्य मंत्रियों तथा उप मंत्रियों द्वारा सरकारी वायुयान/हैलीकाप्टर पर की गयी यात्राओं का विवरण तथा इन यात्राओं में ईधन और तेल पर हुआ व्यय :

क्रम-संख्या	नाम तथा पद	यात्रा की तिथि	यात्रा, कहां से कहां को	ईंधन/तेल पर हुआ व्यय
१	२	३	४	५
१	श्री राम नरेश यादव, मुख्य मंत्री	९-८-७७	लखनऊ से आगरा	६५४·९८
		,,	आगरा से फतेहपुर	८९·३१
		,,	फतेहपुर से बृन्दाबन	८९·३१
		,,	बृन्दाबन से कोशी	८९·३१
		,,	कोशी से मथुरा	१७८·६३
		,,	मथुरा से आगरा	८९·३१
		,,	आगरा से लखनऊ	७१४·५२
		१०-८-७७	लखनऊ से दिल्ली	५९०·३५
		१३-८-७७	दिल्ली से लखनऊ	५२०·९०
		१४-८-७७	लखनऊ से हिन्डौन	१०७१·७८
		,,	हिन्डौन से लखनऊ	१०७१·७८
		१८-८-७७	लखनऊ से दिल्ली	६४२·८९
		१९-८-७७	लखनऊ से अलीगढ़, बुलन्दशहर, दिल्ली	६४२·८९
		२८-८-७७	लखनऊ से बरेली	३४७·२६
		,,	बरेली से लखनऊ	३४७·२६

१	२	३	४	५
		४–९–७७	लखनऊ से पटना	६६४·५४
		,,	पटना से वाराणसी	२७७·८२
		,,	वाराणसी से लखनऊ	३४७·२६
		६–९–७७	लखनऊ से बस्ती	४१६ ८०
		,,	बस्ती से गोरखपुर	११९·०६
		,,	गोरखपुर से देवरिया	११६·०६
		,,	देवरिया से आजमगढ़	२०८·०४
		,,	आजमगढ़ से वाराणसी	२०८·४०
		९–९–७७	लखनऊ से वाराणसी	३४७·२६
		,,	वाराणसी से गोरखपुर–वाराणसी	८५७·२६
		१०–६–७७	वाराणसी से लखनऊ	३८१·६९
		११–६–७७	लखनऊ से रायबरेली	२०८·४०
		,,	रायबरेली से लखनऊ	१४८·८६
		१७–६–७७	लखनऊ से दिल्ली	५९०·३५
		,,	दिल्ली से लखनऊ	५९०·३५
		२०–९–७७	लखनऊ से कानपुर	१६८ ६३
		,,	कानपुर से लखनऊ	२०८·४०
		२५–९–७७	लखनऊ से आगरा	४१६·७२
		,,	आगरा बाढ़ग्रस्त क्षेत्र	२३८·१८
		,,	आगरा से लखनऊ	४१६·७२

१	२	३	४	५
[श्री राम नरेश यादव]		३-१०-७७	लखनऊ से कानपुर	१०७·१५
		,,	कानपुर से लखनऊ	१४२·८६
		७-१०-७७	लखनऊ से कानपुर	१७८·६३
		,,	कानपुर से लखनऊ	१७८·६३
		१०-१०-७७	लखनऊ से इलाहाबाद	५३५·८९
		,,	इलाहाबाद से लखनऊ	५३५·८६
		१८-१०-७७	लखनऊ से दिल्ली	५९०·३५
		२१-१०-७७	दिल्ली से इलाहाबाद	६५९.८१
		,,	इलाहाबाद से लखनऊ	३१२·५४
		२३-१०-७७	लखनऊ से पंतनगर	५९५·४४ (पर्यटन मंत्री भी यात्रा में साथ रहे)
		,,	पंतनगर से हल्द्वानी	५९·५४ (पर्यटन मंत्री भी यात्रा में साथ रहे)
		,,	हल्द्वानी से नैनीताल	११६·०६ (उप मंत्री, पर्वतीय विकास यात्रा में साथ रहे)
		,	नैनीताल से सैनिक हैलीपैड	२९·७७ (उप मंत्री, पर्वतीय विकास यात्रा में साथ रहे)
		,,	सैनिक हैलीपैड से नैनीताल	२९·७७ (उप मंत्री, पर्वतीय विकास यात्रा में साथ रहे)
		२५-१०-७७	नैनीताल से लखनऊ	६२५·२१
		,,	लखनऊ से वाराणसी	३२१·४४
		,,	वाराणसी से पंतनगर	८५७·१८
		,,	नैनीताल से अल्मोड़ा	८९·३१
		,,	अल्मोड़ा से नैनीताल	११९·०९

१	२	३	४	५
		२६-१०-७७	नैनीताल-लोहाघाट-नैनीताल	५३५·८९
		२७-१०-७७	नैनीताल से श्रीनगर	७१४·५२
		२-११-७७	लखनऊ से दिल्ली	६०७·१७
		५-११-७७	दिल्ली से वाराणसी	८९२·८६
		,,	वाराणसी से पटना	३२१·४४
		,,	वाराणसी से लखनऊ	३९२·८८
		,,	लखनऊ से पटना	८०३·८५
		,,	पटना-जे० पी० नगर-पटना	१७८·६३
		,,	पटना से वाराणसी	४७६·३५
		८-११-७७	लखनऊ से कानपुर	२६७·९५
		,,	कानपुर से बरार	१४८·८६
		,,	बरार से शिप्रक	८९·३१
		,,	शिप्रक से लखनऊ	२९७·७२
		९-११-७७	लखनऊ से दिल्ली	६७८·५९
		१०-११-७७	दिल्ली से लखनऊ	६०७·१७
		१४-११-७७	लखनऊ से वाराणसी	३५७·१६
		,,	वाराणसी से आजमगढ़	१७८·६३
		,,	आजमगढ़ से वाराणसी	१७८·६३
		,,	वाराणसी से दिल्ली	१,२८५·७७
		१५-११-७७	दिल्ली से कानपुर	५७१·४५
		,,	कानपुर से लखनऊ	१४२·८६
		१६-११-७७	लखनऊ से देवरिया	४६४·३०
		२१-११-७७	लखनऊ से दिल्ली	७५०·०३
		२३-११-७७	दिल्ली से लखनऊ	७१४·३१
		२६-११-७७	एटा से हरदुआगंज	२६७·९५
		,,	हरदुआगंज से एटा	११९·०३

१	२	३	४	५
[श्री राम नरेश, मुख्य मंत्री]	२७-११-७७	लखनऊ से बहराइच		२६७·७५
	,,	बहराइच से लखनऊ		२६७·९५
	८-१२-७७	लखनऊ से दिल्ली		६७८ ५९
	१०-१२-७७	लखनऊ से आगरा		४६४·३०
	,,	एटा से फतेहपुर		५०६·१२
	,,	फतेहपुर से लखनऊ		११९·०९
	२१-१२-७७	दिल्ली से आगरा		२८५·७२
	,,	आगरा से मैनपुरी		२६७·९५
	,,	मैनपुरी से आगरा		२३८·१८
	,,	आगरा से लखनऊ		४२८·५९
	२२-१२-७७	लखनऊ से आगरा		४६४·३०
	,,	आगरा से दिल्ली		३२१·४४
	२४-१२-७७	दिल्ली से लखनऊ		६०७·१७
	२५-१२-७७	लखनऊ से हिन्डौन		६४२·८९
	,,	हिन्डौन से कानपुर		५७१·४५
	,,	कानपुर से लखनऊ		१४२·८६
	२६-१२-७७	लखनऊ से वाराणसी		३९२·८८
	,,	वाराणसी से लखनऊ		३९२·८८
	२७-१२-७७	लखनऊ से मेरठ		८०३·८५
	२८-१२-७७	मेरठ से लखनऊ		९२२·९२
	३०-१२-७७	लखनऊ से इलाहाबाद		२५०·००
	,,	इलाहाबाद से लखनऊ		२८५·७२
२ श्री हरिशचन्द्र, खाद्य मंत्री	१२-७-७७	दिल्ली से लखनऊ		६७८·५९
३ श्रीमती चन्द्रावती, गन्ना विकास मंत्री	२४-९-७७	लखनऊ से देवरिया		५००·०२
	,,	देवरिया से लखनऊ		४०४·३०

१	२	३	४	५
४	श्री मधुकर दिघे, वित्त मंत्री	१३-१२-७७	लखनऊ से गोरखपुर	४२८·५९
		,,	गोरखपुर से लखनऊ	४६४·३९
५	श्री बलबीर सिंह, सिंचाई मंत्री	६-६-७७	लखनऊ से फुर्सतगंज	२४३ ०६
	श्री रवीन्द्र किशोर शाही, विद्युत् मंत्री	,,	फुर्सतगंज से वाराणसी	२४३·०६
		,,	लखनऊ से ओबरा	८०३ ८३
		,,	ओबरा से वाराणसी	२६७·९५
६	श्री रवीन्द्र किशोर शाही, विद्युत् मंत्री	४-९-७७	लखनऊ से झांसी	६५४·६८
		,,	झांसी मे लखनऊ	५६५ ६६
७	राम प्रकाश, उद्योग मंत्री	१७-११-७७	लखनऊ से गोचर	६८२·४७
		१८-११-७७	गोचर से श्रीनगर	८६·३१
		,,	श्रीनगर से देहरादून	१७८·६३
८	श्री काली चरण, शिक्षा मंत्री	५-१२-७७	लखनऊ से हरिद्वार	९५२ ७०
९	श्री मुख्तार अनीस, उप मंत्री पशुधन	२२-६-७७	दिल्ली से लखनऊ	६०७·१७

नत्थी 'घ'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या २ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३६२ पर)

श्रीमान सी० ओ० साहब,

ज्ञानपुर, वाराणसी ।

निवेदन है कि प्रार्थनी एक विधवा है और माल गोदाम रोड पर अपने बच्चों के साथ एक छोटी सी चाय की दूकान करके उनका और अपना भरण-पोषण करती है । आज सुबह लगभग ८ बजे सूरज पुत्र दशमी लाल, मिठू पुत्र छिल्लन कटरा भदोही निवासी लगभग ६-७ आदमियों सहित आकर मुझे एवं मेरी बेटी नौजवान को बगीचे के अन्दर ले जाकर मेरा मुंह दबाकर मेरे मढहे व घर को उजारने लगे । जब मैं अनुनय विनय करने लगी तो मुझे कातल पुत्र बिल्लन व श्रीकान्त डाक्टर आदि ने मारा और अपने-अपने आदमियों को ललकारा की झोपड़ी व मकान उजाड़ डाली और जो कुछ सामान मिले लूट लो उन लोगों के जाने के पश्चात् थाना भदोही जाकर इसकी सूचना दरोगा जी को दे दिया । मेरे वहीं रहने पर भी इधर दरोगा जी द्वारा दीवान व एक पुलिस को भेजकर उनमें से दो आदमी को थाने में बुलवाए और इधर सामान हटाने और मकान गिराने का काम चलू था । मेरे घर से लोगों ने मिलकर एक हाथ में पहनने का ढरपउचा चांदी का आधा किलो, हंसली चांदी की तीन पाव, एक भर सोने का कनफूल, दस भर की पहुंची, सोने की हंसली, हाथ का फेरवा, सोने का कड़ा, चांदी का मांग टीका आदि जो मेरी लड़की की ससुराल से मिला था उठा ले गए और साथ में मेरे भी गहने उठा ले गए । इसके अलावा चांदी का दस रुपया, एक हजार रुपए का नोट, एक फुटकर सब मिलाकर था उठा ले गए । दिन-दहाड़े हम लोगों का रहायसी मकान व मढ़हे को नष्ट कर वहां से हम लोगों को जबरदस्ती बाहर कर दिया है । अत श्रीमान् जी से निवेदन है कि मौके पर इसकी तफतीश करके मुझ विधवा अबला को न्याय देकर अपराधी को दन्डित किया जाय ।

प्रार्थिनी,
भक्सिया बेवा शिव बहिल भर,
हरिजन,
माल गोदाम रोड थाना भदोही,
वाराणसी ।

दिनांक १४-१२-७७ ई०

नत्थी 'ङ'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या १२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३६६ पर)

नकल प्रार्थना–पत्र श्री मंजूर अहमद, एम० एल० ए०, रामपुर एवं श्री राजेन्द्र प्रसाद शाक्य, ४७/१ विजय नगर, मेरठ

सेवा में,

थानाध्यक्ष मारहरा, जिला एटा ।

आज दिनांक १६–१२–७७ को सायं ५ बजे से इस समय तक जब कि यह रिपोर्ट दर्ज की जा रही है । जनता पार्टी के सर्वश्री सत्यदेव त्रिपाठी, श्री छोटे लाल यादव दोनों उप मंत्री एवं श्री कल्लू तेली, राम प्रकाश यादव, अध्यापक, रामसिंह, भू० पू० विधायक निधोली श्री बशीर महमूद जवेरी, डा० मजहर जमीन रामदास अमीन, यासीन चीनी डीलर आदि सैकड़ों अपने कार्य कर्त्ताओं के साथ मारहरा शहर की सड़कों पर राम नरेश जिन्दाबाद, जनता पार्टी जिन्दाबाद, यादव सरकार बचाओ, कांग्रे । सरकार हटाओ के नारे लगाते प्रदर्शन कर रहे हैं शहर की शान्ति को भंग कर रहे हैं जो मीलों दूर तक सुन रहे हैं इस समय रात्रि के ८ बजकर १० मिनट हो चुके हैं पूर्णतया चुनाव नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है । यह रपट लिखकर इसी समय कार्यवाही करने की कृपा की जाय साथ में लाउड स्पीकर ढोल-ढप सैकड़ों लोग लिए हुए हैं ।

लेखक––राजेन्द्र प्रसाद शाक्य,
४१/७ विजयनगर, मेरठ,
मंजूर अहमद एम० एल० ए०,
रामपुर ।
१६–१२–७७

परिशिष्ट 'ब'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या २३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३६६ पर)

संलग्नक--१

सूची

मंडल	क्रम-संख्या	जिला	लीसा (विरोजा) उद्योगिक इकाइयों की कुल संख्या
कुमाऊं ..	१	अल्मोड़ा	१६
	२	पिथौरागढ़	३
	३	नैनीताल	९
			२८
गढ़वाल ..	१	उत्तरकाशी	१
	२	टिहरी	४
	३	चमोली	२
	४	गढ़वाल	३
	५	देहरादून	१
			११

संलग्नक—२

विगत तीन वर्षों में लीसा आवंटन का ब्योरा

जिले का नाम	औद्योगिक इकाइयों का नाम	आवंटित मात्रा क्विंटल में		
		१९७४–७५	१९७५–७६	१९७६–७७
१	२	३	४	५
१—अल्मोड़ा	१—शिव लीसा उद्योग चौकुनी, रानीखत	२१३०	२०००	१९००
	२—पर्वतीय ग्राम विरोजा फैक्ट्री, जयन्ती, अल्मोड़ा	५००	३०००	१५००
	३—हिन्द लीसा उद्योग, मजखाली	२०००	१०००	४००
	४—कलिका रोजिन एंड टर-पैंनटाइन फैक्ट्री, कालिका	१०००	५००	..
	५—प्रकाश रोजिन एंड टरपैंनटाइन फैक्ट्री, कालिका	५००	५००	..
	६—जगदम्बा लीसा उद्योग, चिलियानौला	२०००	१०००	४००
	७—लक्ष्मी विरोजा उद्योग, चिताई	१६५०	२०००	४००
	८—नाकुला ग्राम स्वराज्य संघ, सोमेश्वर	५००	३०००	८७५
	९—साह लीसा उद्योग, खयमरा	११००	१०००	४००
	१०—कस्यूर स्वराज्य संघ, गरुड़	२०००	३०००	८७५
	११—जोगेश्वर रोजिन एंड टरपन-टाइन फैक्ट्री, पानुवनौला	२०००	२०००	४००
	१२—अल्मोड़ा लीसा उद्योग, फसानपुंगा	११००	१०००	४००
	१३—रानीखेत सहकारी समिति, रानीखेत	२०००	५००	..
२—पिथौरागढ़	१—श्री जे० पी० खत्री, थल	७००	१०००	४००
	२—मेहरा रोजिन एंड टरपनटाइन फैक्ट्री, पिथौरागढ़	७००	१०००	४००
	३—धेरीनाग ग्राम स्वराज्य संघ, डडयारी	३०००	३०००	८७५

१	२	३	४	५
३--नैनीताल	१--सैनिक रोजिन एंड टरपनटाइन फैक्ट्री, रानीबाग	६००	..	..
	२--नैनीताल रोजिन एन्ड टरपनटाइन फैक्ट्री, गरमपानी	१४००	५००	५००
	३--कपूर इंडस्ट्रीज, हल्द्वानी	१००	१००	४०
	४--मनौरा ग्राम स्वराज्य संघ, रानीबाग	५००	३०००	११७५
	५--कोआपरेटिव रोजिन एंड प्रसोसिंग फैक्ट्री, हल्द्वानी	१५०००	१५०००	३०००
४--उत्तरकाशी	१--मै० गंगोत्री ग्राम स्वराज्य संघ, उत्तरकाशी	१३००	३०००	६००
५--टिहरी	१--मै० चम्बा ग्राम स्वराज्य संघ, टिहरी	४५०	..	..
	२--मै० डिस्ट्रिक कोआपरेटिव फेडरेशन, मुनोकीरेती	५०००	५०००	..
	३--मै० शिवा रोजिन मुनी कीरेती	..	३०००	३०००
	४--मै० पर्वतीय उद्योग डालवाला, मुनी कीरेती	..	..	१०००
६--चमोली	१--मै० दशोली ग्राम स्वराज्य संघ, गोपेश्वर	३०००	३०००	३०००
	२--मै० उत्तर प्रदेश गांधी स्मारक निधि, ग्वालदम	३०००	३०००	२०००
७--गढ़वाल	१--मै० गृह उद्योग सहकारी समिति, कोटद्वारा	५०००	५०००	४०००
	२--मै० कैलाश रोजिन फैक्ट्री, कोटद्वार	२०००	२०००	..
	३--मै० मोहन एवं मोहन रोजिव टरपनटाइन, पौड़ी	२०००	२०००	५००
८--देहरादून	१--मै० सूद इन्डस्ट्रीज, ऋषिकेश	..	..	२०००

पी०एस०यू०पी०--४० वि० सभा १४-९-७८--६४३ (पी० डी०)